राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 10 चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का 43वां दिवस संख्या 24

सोमवार,

दिनांक 26 अप्रेल, 1971

विधान सभा की बैठक म.पू. 11=00 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विद्युत्, आयोजना, वन, शिक्षा, यातायात, वित्त, आयुर्वेद, सिंचाई, पंचायत, पुनर्वास, अकाल सहायता विभाग]

पंचायत समिति मनोहरथाना द्वारा ऋण के रूप में दी गई राशि

442. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पंचायत समिति मनोहर थाना की ओर से राज्य विद्युत् मण्डल को सन् 64 में कोई धनराशि ऋण स्वरूप दी गई थी? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या उक्त ऋण राशि के बोण्ड विद्युत् मण्डल द्वारा जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब किये गये?

(3) क्या यह सत्य है कि विद्युत् बोर्ड को उक्त राशि किश्तों में देनी होती है? यदि हां, तो वह किश्त किस किस समय पर दी जानी चाहिए थी? एवं उक्त किश्तें यथा समय भुगतान की जा रही है अथवा नहीं? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उपमंत्री विद्युत् (श्री खेतसिंह): (1) हां, 5000/- रु. सितम्बर 1963 तथा 15,000/-जनवरी, 1965 में ऋण स्वरूप प्राप्त हुये थे।

(2) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं। यह राशि एक मुश्त में 10 वर्ष के बाद देनी है। उपयुक्त समय पर दे दी जावेगी।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा: आप ने अभी तक बोण्ड नहीं दिये हैं। क्या राज्य सरकार को बोण्ड देना आवश्यक नहीं है?

श्री खेतसिंह: यह राज्य सरकार का प्रश्न नहीं है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा: विद्युत् मण्डल का है?

श्री खेतसिंह: पंचायत समिति मनोहरथाना ने एग्रीमेण्ट किया था कि इतने रुपये जमा करवा देंगे। 15% के हिसाब से 20 हजार रु. जमा करवाने थे। इसका

(श्री खेतसिंह)

नियम यह था कि 10 वर्ष के बाद 75% में लौटा दिया जायेगा।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : प्रश्न यह नहीं है, लौटा देंगे। अब तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बोण्ड क्यों नहीं दिये हैं ?

श्री खेतसिंह : मैंने जवाब में यह कहा है कि बोण्ड जारी करने का प्रश्न नहीं उठता है। यह एडवांस के रूप में राशि दी थी।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अमानत के तौर पर जमा हैं या इन्ट्रेस्ट के आधार पर ?

श्री खेतसिंह : एडवांस के रूप में जमा किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बोण्ड जारी करना आवश्यक नहीं था ?

श्री अध्यक्ष : क्या बोण्ड जारी करना आवश्यक था ?

श्री खेतसिंह : कोई आवश्यक नहीं था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यह धन किस प्रकार से जमा कर सकता है ? एक्ट के अन्तर्गत।

श्री खेतसिंह : क्या ?

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने एक्ट के अन्तर्गत इस प्रकार का कोष कैसे बना सकता है ? एक्ट की वह कौन सी धाराएं हैं जिनसे यह धनराशि कवर हो सकती है ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : अलग से प्रश्न नहीं है। आप ने किस आधार पर यह धन लिया है ?

श्री खेतसिंह : कोई भी पंचायत समिति या ग्राम प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो वह प्रायोरिटी बेसिस पर पैसा जमा करायें।

श्री भैरोंसिंह : क्या सही है कि उसको सार्टिफिकेट इश्यू करना पड़ता है ?

श्री खेतसिंह : किसके बारे में ?

श्री भैरोंसिंह : लोन लिया उसके बारे में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। योजना मंत्रीजी।

स्थगित योजनाएं

443. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक कौन कौन सी योजनाएं कुछ समय तक चालू रख करके कालान्तर में स्थगित कर दी गईं और क्यों ?

(2) ऐसी योजनाओं के लिए कुल क्या प्रावधान था और लक्ष्य प्राप्ति की

(श्री दौलतराम सारण)

अवधि और लक्ष्य क्या थे ? उन पर कुल कितना व्यय हुआ और उनके क्या परिणाम रहे ?

उपमंत्री योजना (श्री खेतसिंह) : (1) राज्य की विभिन्न विभागीय परियोजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी वित्तीय प्रावधान एवं भौतिक उपलब्धियां योजना प्रगति प्रतिवेदनों में दी जाती हैं। आर्थिक एवं · · ·

श्री दौलतराम सारण : सांख्यिकीय · ·

श्री खेतसिंह : सांख्यिकीय निदेशालय द्वारा प्रकाशित योजना प्रगति प्रतिवेदन प्रथम पंचवर्षीय योजना · ·

श्री दौलतराम सारण : एक मूल्यांकन।

श्री अध्यक्ष : आगे चलिये।

श्री खेतसिंह : एक मूल्यांकन 1—कृषि एवं सामुदायिक विकास 2—सिंचाई 3—सड़क एवं परिवहन 4—विद्युत् 5—सामाजिक सेवायें 6—द्वितीय पंचवर्षीय योजना—प्रगति प्रतिवेदन 1956।

श्री अध्यक्ष : 1961।

श्री खेतसिंह : 61।7—तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रगति प्रतिवेदन 1961—66 8—योजना प्रगति प्रतिवेदन 1966—69 की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। वर्ष 1969—70 को प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

(2) परियोजनावार वित्तीय प्रावधान एवं व्यय सदन की मेज पर रखे गये प्रतिवेदनों में दिये जा चुके हैं। इसी प्रकार भौतिक लक्ष्यों की सूचना भी इनमें दी गई है।

(प्रगति प्रतिवेदन आदि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

यह काफी साफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपकी ही साफ नहीं तो हमारी कहां से आ सकती है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है उससे यह जवाब भिन्न है। मैंने यह पूछा है कि जो योजनाएं योजना विभाग ने शुरू की हैं, उनको बीच में ही बन्द कर दिया है। ऐसी कौन सी योजनाएं थीं और उनका क्या प्रावधान था ? कौन सा लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। उत्तर में आप ने पूर्व प्रकाशित पुस्तकें प्रिन्टेड मेटर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी की है। उनमें से कोई स्कीम पूरी होने के बाद ही कहा जा सकता है। ऐसी स्कीम होती हैं जिनमें खामियां होने से बन्द कर दी जाती हैं। लिहाजा उनका पूरा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रख दिया है। किसी एक खास के बारे में जानकारी चाहें तो वह दे दी जायेगी।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार किस बुरी तरह से जनता का पैसा बरबाद कर रही है। मेरा प्रश्न पूछने का यही मतलब है कि राज्य सरकार

(श्री दौलतराम सारण)

बिना जांच पड़ताल किये ही योजना आरम्भ कर देती है। जनता को उसका कोई लाभ नहीं होता है। किसी भी योजना को बीच में रोक देती है। राज्य सरकार अपना खोखलापन छुपाने के लिये सही उत्तर नहीं दे रही है। इसलिये इस प्रश्न को स्थगित करके दुबारा उत्तर दिलाया जाय।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन किया है। राज्य सरकार की मंशा कुछ छुपाने की नहीं है। राज्य सरकार कामयाबी लाना चाहता है।

श्री दौलतराम सारण : आप यह सूची दे दीजिये, जो योजनाएं आपने शुरू की हैं और जिनको बीच में रोक दिया है। जो स्थगित की गई है। क्या फिजिकल टारगेट था। यह लिस्ट दे दीजिये।

श्री खेतसिंह : आप पहली योजना का पूछ रहे हैं। उसमें करीब 500 स्कीम्स थी उनमें कई स्कीम्स पूरी हुई, कई अधूरी रह गई। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, उसमें भी स्कीम्स अधूरी रह गई थी वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में समावेश की गई। उनमें कुछ पूरी की गई फिर कुछ अधूरी रह गई। इस प्रकार तो तीन पंचवर्षीय योजनायें निकल गई। उसके बाद तीन सालाना योजनायें निकल गई। ये लम्बे समय की हैं, विस्तृत जानकारी करके आपके सामने रखूंगा, कौन कौनसी अधूरी रही हैं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। यह सारी योजनाओं का प्रश्न ही नहीं है। जो योजनाएं चालू की गई बिना जांच पड़ताल किए बिना जांच पड़ताल किए बिना अक्ल से काम लिया वे योजनायें अधूरी छोड़ दी गई या केन्द्रीय सरकार के पत्र लिखने पर योजनायें चालू कर कर दी गई या उन्होंने वित्तीय सहायता देना बंद किया ...

श्री अध्यक्ष : बंद की हुई स्कीम्स की सूची ...

श्री खेतसिंह : यह भी काफी है। इसके अलावा सारी पंच वर्षीय योजनाओं को एक एक स्कीम को देखने के बाद में उनका दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने के बाद ही पता चल सकता है कि कितनी योजनायें अधूरी रहीं, किस वजह से हमने छोड़ी, उनके लिये काफी समय की जरूरत पड़ेगी। यदि माननीय सदस्य किसी खास दो तीन योजनाओं में इन्टरेस्टेड हों तो नाम बता दें, उनके लिए अलग से जानकारी दी जायगी।

श्री दौलतराम सारण : मैं राजस्थान के विकास में इन्टरेस्टेड हूं, किसी पर्टीक्यूलर योजनाओं के विषय में इन्टरेस्टेड नहीं हूं। यह सरकार स्वयं तो योजनाओं के संबंध में छानबीन नहीं करती, मूल्यांकन नहीं करती सही तरीके से और धन बरबाद करती है, उसको हम जब देखते हैं तो जानकारी करना चाहते हैं, सूचनायें प्राप्त करना चाहते हैं तो सूचनायें देने में टालमटोल करना चाहते हैं आप इस प्रश्न को स्थगित करायें और राज्य सरकार को निर्देश दें कि सही तरीके से चाही गई सूचना ...

श्री जसराज : मैं मंत्रीजी से बात करके कितनी विस्तृत जानकारी है, कितना लंबा उत्तर हो सकता है····

श्री दौलतराम सारण : यह सूची बिलकुल लंबी नहीं है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर स्टडी करने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचा हूं। उसके आधार पर मैंने प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस संबंध में अध्ययन करके निर्णय दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : स्पष्ट सूचना प्राप्त करने का मेरा अधिकार है जो मुझे नहीं दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर बहुत ज्यादा विस्तृत हैं···

श्री दौलतराम सारण : नहीं हैं··

श्री अध्यक्ष : तो देख लेंगे मंत्री महोदय से बात करके।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न को आप स्थगित करें और सूचना आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित करने का प्रश्न विचाराधीन करके ही सवाल का जवाब दिया जायगा।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न स्थगित करने के संबंध में विचार की कौनसी बात है ?

श्री अध्यक्ष : बहुत ज्यादा विस्तृत प्रश्न हो··

श्री दौलतराम सारण : नहीं है। प्रश्नों की मर्यादा होती है इतना तो आप समझते होंगे, प्रश्नों की मर्यादा हम भी समझते हैं और सूचना प्राप्त करने की स्थिति के अनुसार··

श्री खेतसिंह : इसकी जानकारी लेने में हफ्ता भर लगेगा।

श्री दौलतराम सारण : इसका अर्थ यह हुआ कि सदन में ··

श्री खेतसिंह : तीन पंचवर्षीय योजनायें है उसके बाद सालाना प्लान्स हैं।

श्री दौलतराम सारण : इसका मतलब इस सेशन की अवधि काल में इस प्रश्न का उत्तर सरकार नहीं देना चाहती।·· इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सरकार को निर्देश दें कि इसी अवधिकाल··

श्री अध्यक्ष : मैं इसको देख लेना चाहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अतारांकित या तारांकित प्रश्न के रूप में ले सकते हैं अगर विस्तृत प्रश्न हुआ तो।

श्री दौलतराम सारण : यह छोटा प्रश्न है, सरकार जानबूझ कर टालना चाहती है।

श्री विजयसिंह : 15 दिन के अन्दर कलेक्ट हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह फिक्सड-अप है।

प्रश्न सं. 444

श्री कृष्णकुमार गोयल
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ।

प्रधानाध्यापकों के लिए निर्धारित योग्यताएं

445. श्री केदारनाथ (गंगानगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में प्राथमिक शालाओं में प्रधानाध्यापकों के लिए सरकार ने क्या विशेष योग्यतायें निर्धारित की हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में इन विशेषताओं की पूर्ति के लिए बिना ही अनेक प्रधानाध्यापक बनाकर, दूसरों के हक मारकर दिए गए हैं ? यदि नहीं तो विशेषताओं सहित अध्यापकों के नाम व तरक्कियां, कब कब की उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या तरक्की में वरिष्ठता को प्रधानता दी जाती है, यदि हां तो बीकानेर की प्राथमिक शालाओं में ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या सरकार इसकी जांच कर योग्य एवं वरिष्ठतम व्यक्तियों को उनका स्थान दिलाने का विचार रखती है ?

उप मंत्री शिक्षा (श्री धीरसिंह): (1) निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के स्थायी आदेश 1966 के अनुसार तीन या तीन से अधिक अध्यापकों वालो प्राथमिक शालाओं के लिए प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित योग्यतायें निर्धारित की हैं:–

1–केवल प्रशिक्षित मैट्रिक योग्यता रखने वाले अध्यापक को ही प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया जावे–

2–उपरोक्त योग्यता रखने के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक के पद पर वरिष्ठता–नुसार नियुक्त की जावे परन्तु केवल वरिष्ठता को ही आधार नहीं माना जावे, ऐसे अध्यापक प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किए जाने चाहिए जो शाला के स्तर को ऊंचा उठा सकें तथा अध्यापकों व अभिभावकों के सम्मान के पात्र हो सकें।

3–साधारण ऐसे अध्यापक जो प्रधानाध्यापक के वरिष्ठ हों उन्हें उस प्राथमिक शाला में नहीं रखना चाहिए परन्तु ये अध्यापक यदि स्वयं उसी शाला में रहना चाहें तो रखे जावें।

(2) इस जिले में स्थाई आदेश 19166 को ध्यान में रखकर ही प्रधानाध्यापक, प्राथमिक वि. के पदों पर पदस्थान किया गया है। प्र. अ. के पद पर नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि अध्यापक वरिष्ठतम व्यक्ति हो तथा इसके साथ साथ शाला के अनुशासन को अनुशासन को बनाए रखने में निपुण हो तथा शाला के सदस्यों में प्रतिष्ठा पाने के योग्य हो। गत दो वर्षों में जिन व्यक्तियों को प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है, उसकी सूची संलग्न है।

(3) नियुक्ति के समय वरिष्ठता को प्रधानता दी गई है परन्तु इसके साथ साथ योग्यता और निपुणता को भी ध्यान में रखा गया। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख कर प्रधानाध्यापक की नियुक्तियां की गई।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री केदारनाथ: आप जो हैडमास्टर्स की सूची तैयार करते हैं वह डिस्ट्रिक्ट बेसिस

Page No 7

(श्री केदारनाथ)
पर या डिवीजनल बेसिस पर।

श्री धीरसिंह : डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर।

श्री केदारनाथ : आपने जो उत्तर में फरमाया कि स्टूडेन्ट्स और टीचर्स के सम्मान का पात्र हो तो इस सब्जेक्टिव फैक्टर के जानने का क्या आधार है ?

श्री धीरसिंह : कमेटी बनाई जाती है– दो इन्सपेक्टर्स और एक एस. डी. आई. प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करते हैं और उनकी जांच के समय वरिष्ठता और दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानाध्यापक के पद पर सिलेक्शन किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम गंगाराम

जयपुर-अजमेर मार्ग पर बस दुर्घटनायें

446. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत तीन वर्ष में जयपुर अजमेर रूट पर राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसों के एक्सीडेन्ट हुए हैं ?

(2) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण मुख्य मुख्य रहे हैं और उन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

उप मंत्री, यातायात (श्री समर्थलाल) : (1) गत तीन वर्षों में जयपुर-अजमेर मार्ग पर राज्य पथ परिवहन निगम की 21 गाड़ियें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं ?

(2) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण चालकों की असावधानी, यान्त्रिक खराबी, जानवरों का मार्ग के बीच में आ जाना, अन्य वाहनों द्वारा साइड न देना, सड़क कम चौड़ी होना आदि हैं। इन्हें दूर करने के लिए निगम ने चालकों को संचालन में पूर्ण सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं और गाड़ियों की यान्त्रिक स्थिति ठीक रखने का प्रबन्ध किया है।

श्री परसराम गंगाराम : इन दुर्घटनाओं में निगम का कितना नुकसान हुआ और चालक कितने मरे उनको कम्पेन्सेशन कितना दिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (यातायात मंत्री) : कम्पेन्सेशन का बिल्कुल अलग से प्रश्न है। अलग से स्पेसीफिकली पूछने पर जानकारी दी जा सकती थी। इस समय जानकारी . . .

श्री विजयसिंह : सारे एक साथ पूछे जाते तो सप्लीमेंटरी क्या करते ?

श्री परसराम गंगाराम : बात यह है कि दुर्घटनाओं में निगम का कितना नुकसान हुआ और कितने रुपयों का और गाड़ियां कितनी खराब हुईं और क्या वह बनाई गईं ? चालकों को कम्पेन्सेशन नहीं दिया तो उनको कभी विश्वास दिया कि काम्पेन्सेशन देंगे या वह मर गए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कम्पेन्सेशन के बारे में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। इसकी जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी।

श्री दौलतराम सारण : इन 21 दुर्घटनाओं में कुल कितने व्यक्ति मरे ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : इन दुर्घटनाओं में व्यक्तियों के मरने की सूचना नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : कोई चालक मरे–स्टाफ के आदमी मरे ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : नहीं।

श्री दौलतराम सारण : इसका मतलब दुर्घटनायें सामान्य श्रेणी की थीं।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : गाड़ियों के टकराव से गाड़ियों को नुकसान होना स्वाभाविक है।

श्री दौलतराम सारण : आप बता सकते हैं कि इन दुर्घटनाओं से निगम को कितना नुकसान उठाना पड़ा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस समय आंकड़े नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह तो रिलेवेन्ट प्रश्न है। आखिर दुर्घटनायें हुई हैं तो हानि अवश्य हुई है। हुई है तो कितनी हुई है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न को संलग्न किया जा सकता था।

श्री विजयसिंह : उन्होंने पूछा है दुर्घटनायें कितनी हुई, उसका खर्चा कितना हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खर्चा नहीं पूछा ?

श्री दौलतराम सारण : दुर्घटनाओं के रोकने के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाडिया : दुर्घटनायें किन कारणों से होती हैं, जांच करायें ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : जवाब में लिख दिया है।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि ड्राइवर लोग शराब पीए हुए थे ?

अवकाश सरेण्डर करने पर वेतन

447. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कुछ अन्य राज्यों में तथा केन्द्र में ऐसी व्यवस्था है कि राज्य कर्मचारियों द्वारा उनको ड्यू अवकाश का आधा सरेण्डर करने पर उनको उस समय का वेतन दिया जाता है ?

(2) क्या राजस्थान सरकार भी ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री जयकृष्ण शर्मा): (1) जहां तक राज्य सरकार को विदित है केरल, मैसूर तथा तामिल नाडू में इस प्रकार की व्यवस्था है कि कर्मचारियों द्वारा उपार्जित अवकाश समर्पण करने पर उनको उतने समय का अवकाश वेतन दिया जाता है।

(2) जब राज्य सरकार केरल ने यह निर्णय वापिस लिया तो राजस्थान सरकार ने भी इस पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि इस तरीके को न अपनाया जाये।

Page No 9

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

1. कर्मचारियों के लिये अवकाश पर रहना समय समय पर आवश्यक है।

2. यदि कर्मचारी अधिक संख्या में अवकाश (सरेण्डर) समर्पण करते हैं, तो विभिन्न विभागों एवं सेवाओं में लीव रिजर्व में कटौती हो जायेगी जिसके फलस्वरूप बेकारी की समस्या और बढ़ेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है क्या राज्य सरकार उचित नहीं समझती है कि इस प्रकार की व्यवस्था यदि सेण्ट पर्सेन्ट सरेण्डर के लिए न रखी जाय तो 25 पर्सेन्ट उपार्जित अवकाश है, उसके सरेण्डर करने की स्थिति में यह व्यवस्था की जा सकती है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जैसा मैंने उत्तर दिया गवर्नमेंट यह मान कर चलती है कि शिक्षित बेरोजगारों की समस्या पहले ही है, यदि लीव रिजर्व और कम कर देंगे तो अनएम्प्लायमेंट की समस्या ज्यादा हो जायगी। इसलिए राज्य सरकार ने इस पर विचार करना उचित नहीं समझा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार ने विचार कब किया और निर्णय कब लिया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : राज्य सरकार ने इसके ऊपर कुछ समय पूर्व ही निर्णय लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्रिमण्डल ने ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : विभाग ने।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनलाल वर्मा।

गांव कालवान में कैम्प औषधालय

448. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील सिकराय के गांव कालवान में पहले कैम्प औषधालय खोला गया था ? यदि हां, तो वहां पर से कैम्प औषधालय क्यों हटाया गया ?

(2) क्या यह बात सही है कि औषधालय निमित्त बना हुआ उस समय का भवन अब तक बिना औषधालय के खाली पड़ा हुआ है ?

(3) क्या सरकार यहां औषधालय खोलने का कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मंत्री, आयुर्वेद (श्री समरथलाल) :

(1) जी नहीं, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) कालवान में कोई भवन औषधालय के लिये विभाग को नहीं दिया गया है।

(3) अभी तक यहां से कोई मांग नहीं है।

श्री किशनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, वहां कैम्प औषधालय खोला गया, कालवान में औषधालय के लिए भवन निर्मित किया गया है।

राज्य मंत्री आयुर्वेद (श्री जयकृष्ण शर्मा) : कैम्प औषधालय नहीं खोला गया। जब

Page No 10

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
बीमारियां ज्यादा होती हैं तो शिविर खोल दिया जाता है। शिविर खोल दिया गया था, औषधालय खोलने का सवाल नहीं होता है।

श्री विजयसिंह : कैम्प और शिविर में क्या फर्क है ?

श्री दौलतराम सारण : उसका हिन्दी अनुवाद है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

प्रश्न संख्या 449

श्री नन्दलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरलाल मीणा !

बरड़िया बांध का सर्वे

450. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील प्रतापगढ़ में बरड़िया बांध का सर्वे पूरा होकर कुछ काम भी हुआ ? यदि हां, तो कितना और कब ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस बांध के बनने से नीचे की तरफ हजारों बीघा जमीन में सिंचाई होगी ? यदि हां, तो उक्त बांध का कार्य क्यों बन्द पड़ा हुआ है ?

(3) क्या यह सच है कि उक्त बांध पर आये हुए सामान को भी वापिस ले जाया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) जी हां, सन् 1969-70 में 61,560 रु. व सन् 1970-71 में 7,000 रु. व्यय किया गया।

(2) अनुमानित वार्षिक सिंचाई लगभग 500 एकड़ है। योजना की स्वीकृति न होने व धनाभाव के कारण कार्य वापिस चालू नहीं किया गया।

(3) इस योजना पर अभी कोई प्रावधान न होने के कारण जो सामान अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य करते समय ले जाया गया था उसमें से कुछ सामान आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्यों पर ले जाया गया है।

श्री हरलाल मीणा : क्या इस बांध का काम चालू करने की इच्छा है राज्य सरकार की ?

श्री जसराज : जैसा मैंने बताया, यह योजना की स्वीकृति हो जाने पर और धनाभाव के दूर होने पर शुरू किया जा सकता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : धनाभाव कब तक चलेगा ?

श्री हरलाल मीणा : धनाभाव के दूर हो जाने का क्या मतलब है ?

श्री जसराज : धन की प्राप्ति हो जाने पर।

श्री हरलाल मीणा : क्या यह सही है कि इस बांध का सर्वे हो गया है, इस पर कुछ काम हुआ है, पैसा लगा है, बाद में काम बन्द कर दिया गया है। वह किस

(श्री हरलाल मीणा)

कारण से बन्द किया गया है, क्यों किया गया है?

श्री जसराज : मैंने बताया, इसकी सर्वे रिपोर्ट तैयार हो गई थी, परन्तु इसकी स्वीकृति जैसी होनी चाहिए थी वह नहीं हुई, इसलिए वह तो केवल फेमिन के अन्तर्गत काम शुरू किया गया था। उसके बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकृत हो जाने पर रेगुलर काम चलता है और कम्पलीट स्वीकृति होती है, उसके बाद में काम चालू किया जा सकता है। जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट की स्वीकृति हो जायगी, उसके बाद में इसको एक्जामिन करेंगे और एक्जामिन करने के बाद पैसा उपलब्ध हो जायगा तो काम चालू कर दिया जायेगा।

श्री परसराम गंगाराम : पाली तालाब कब खुदाया जायगा और कितनी जमीन को पानी दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री शेखावत !

मनोरंजन कर से मुक्त चलचित्र

45. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1970-71 में किस 2 चल-चित्र को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया व क्यों ?

(2) ये चल चित्र किस किस सिनेमा घर में कितने कितने दिन चले ?

(3) कितने आवेदन-पत्र कर मुक्ति के लिए अस्वीकृत किये गये व क्यों ?

(4) कर मुक्त चलचित्रों के निर्माता व वितरक कौन कौन हैं ?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री जयकृष्ण शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, अभी इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है इसलिए इसको पोस्टपोन किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : इसमें कौनसी सूचना एकत्रित की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, मिनिस्टर महोदय कहां है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मेरे पास एक्सपेंडिचर फाइनेन्स है, स्टेट मिनिस्टर, एक्सपेंडिचर फाइनेन्स बोल रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं वित्त मंत्री महोदय के बारे में जानकारी करना चाहूंगा, वह कहां हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी प्रश्न की जानकारी कीजिये।

श्री भैरोंसिंह : यह मेरा राइट है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दिया है, उसके लिए बैठा हुआ है अधिकार। इस प्रश्न के सम्बन्ध में कहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : सामग्री !

श्री जयकृष्ण शर्मा : सूचनाएं, आपको लिखकर मैं भिजवा दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : इसमें कौनसी सामग्री इकट्ठी करनी थी। यह पन्द्रह दिन से क्वे-

Page No 12

(श्री भैरोंसिंह)

श्चन चल रहा है । इसमें सूचना के लिए गवर्नमेंट सेक्रेटेरियट से बाहर जाने का सवाल नहीं था । इसमें केवल यह बताना था कि कितने कितने सिनेमा को टैक्स से वरी किया गया । इसको सामग्री मानते हैं और इसके आधार पर क्वेश्चन को स्थगित करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा होगा, आपको बता दूं, गवर्नमेंट जवाब देने वाली नहीं है, आप इस गवर्नमेंट से जवाब नहीं दिलवा सकते हैं। दौलतराम जी का प्रश्न था, उसका जवाब नहीं । दूसरा सवाल है दो तीन चार को एक्जेम्प्ट किया है । नाम बताने हैं, कारण बताने हैं और कुछ है नहीं । इस प्रश्न को मैंने डिबेट में उठाया था उस समय मन्त्री महोदय द्वारा सूचना एकत्रित की गई थी, उस पर भी आज जवाब नहीं दें तो मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि आप जवाब नहीं दिलवा सकते हैं। ऐसी स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष : आपने इधर टाल दिया इस मामले को।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने यह कहा कि सूचना इकट्ठी नहीं करनी है । इसमें यह सूचना एकत्रित करनी है कि कौन कौन से चलचित्र कितने कितने सिनेमाओं में चले । यह सभी जगह से मालूम करना पड़ेगा। इसलिए सूचना एकत्रित करनी पड़ेगी ।

श्री भैरोंसिंह : यह सूचना कि किस किस जगह चला, यह तो एन्टरटेनमेंट टैक्स का रिटर्न आता है, उसके साथ में विभाग में कम्पाइल्ड है कि कितना टैक्स एग्जेम्प्ट हुआ है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक एक दिन का नहीं है, हमारे पास कलेक्टिव रहता है ।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में आप जवाब नहीं दे सकते, कायदा यह होना चाहिए कि क्वेश्चन इनके पास जाय, उसी वक्त स्पीकर महोदय को रिक्वेस्ट करें कि यह क्वेश्चन आया है, इसका पन्द्रह दिन में जवाब नहीं दे सकते हैं, कृपया उस तारीख तक को इस प्रश्न को रखें । यह तरीका हो सकता है । वरना एक बार यह छप जाय, विधान सभा में प्रश्न पूछ लिया जाय और मन्त्री महोदय यहां खड़े हो कर कहें कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यह प्रोसीजर ठीक होगा कि जिस दिन जाय, उस दिन यदि आप महसूस करते हैं कि इसमें देरी होगी, तो अध्यक्ष महोदय को आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिये, हाउस में खड़े होकर नहीं । लेकिन हाउस में यह परम्परा पड़ गई है कि इस प्रकार गवर्नमेंट की तरफ से जिस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना होता है, जिसके बारे में गवर्नमेंट तय कर लेती है कि क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, तो उस का जवाब वह देती नहीं है। बार बार प्रश्न स्थगित होता है, जिसका कुछ परिणाम नहीं निकलता है । मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप ऐसी व्यवस्था दें जिसके आधार पर समय पर क्वेश्चन का उत्तर दिलवा सकें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें एक बात और हो सकती है, अध्यक्ष महोदय, अभी क्या होता है, साधारणतया एक दिन में एक सदस्य का एक क्वेश्चन प्रिन्ट होता है

श्री भैरोंसिंह : गया मेरा चान्स ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घर से चलते हैं, कि जो सवाल दिया है, उसके लिए खाना छोड़ कर जल्दी जल्दी भाग कर पहुँचते हैं यहां और सवाल पूछते हैं तो मालूम पड़ता है कि पोस्टपोनमेंट सीक कर रहे हैं। अगर पोस्टपोनमेंट सीक करना है तो यह ड्यूटी रखी जाय कि एक दिन पहले, दो दिन पहले अध्यक्ष महोदय को सूचित करें कि प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं और उसकी कन्सर्न्ड मेम्बर को सचिवालय से सूचना दी जाय या सम्बन्धित मन्त्री सूचना दें तो अगला सोच ले कि मेरा, क्वेश्चन नहीं आने वाला है, पोस्टपोन होने वाला है, तो क्यों वह भाग-दौड़ करेगा अपने एक क्वेश्चन के लिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का हरेसमेंट है या नहीं, इस आसन का हरेसमेन्ट है। मैं कोई सख्त यहां आदेश देऊं · · ·

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इस स्थिति में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थिति में तो हूं। उदार ही उदार हो जाता हूं, जैसे सदस्यों के साथ उदार वृति रहती है वैसे सरकार के साथ रहती है · ·

श्री रामचन्द्र आर्य : उदारवृत्ति बरतने से सवाल का जवाब नहीं आ सकता है। सरकार को ताड़ना देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं खुद संतप्त हूं। प्रश्न के उत्तर भेजा करते हैं, उसे न आप पढ़ पाते हैं, न मैं पढ़ पाता हूं। मेरे पास जितने उत्तर आते हैं, मेरा ख्याल है, आपका सेक्रेटेरियट पहली कापी वहां रख लेता है और आखिरी कापी यहां भेजता है, उसको पढ़ते पढ़ते दम निकल जाती है।

दूसरा प्रश्न है एक ओर जिन प्रश्नों को स्थगित किया जाता है, उन प्रश्नों को उसी दिन स्थगित करने का पत्र आता है। आज भी ऐसा ही हुआ है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा। माननीय सदस्य एक प्रश्न के कारण दौड कर आयें, और प्रतीक्षा करें कि उनका प्रश्न आ रहा है और जब प्रश्न पूछा जाय, उस वक्त क्लेम करें कि स्थगित किया जाय। मैं चाहता हूं, और बार बार मैं संकेत दे चुका हूं सरकार को इस प्रश्न पर। जहां तक प्रतियां दी जायं, कापीज जो यहां पर सदन में दी जायं, वह इस प्रकार से स्पष्ट हों कि जिनको हम पढ़ सकें। ऐसी कृपया प्रतियां दें। स्थगित करने के प्रश्न पर भी तीन रोज पूर्व कम से कम वर्किंग डेज में, यह नहीं कि छुट्टी हो उस दिन दे दें, सूचना कृपया दें। दूसरे जो ध्यानाकर्षण प्रश्न भेजे जाते हैं, उनकी अवहेलना करें या नहीं करें। लेकिन इसमें जो उदास वृत्ति सरकार की चल रही है—यह मुझको हरेसमेंट में डालने वाली है। मैं फिर सतर्क करता हूं कि उदासी-वृत्ति को न अपनायें · · ·

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटेरियट से टेलीफोन आते रहते हैं और इनके कान में लगे रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज।

श्री केसरीसिंह हाडा।

Page No 14

ग्राम पंचायत सूथर के सरपंच को दी गई रकम

452. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिण्डोली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत सूथर जिला बूंदी के सरपंच को नये कार्यों के लिए जो रकम पंचायत समिति से दी गयी थी उसका उपयोग नहीं किया और न ही रकम लौटाई है। यदि हां, तो सरपंच को कुल कितनी रकम कब और किस किस काम के लिए दी गई। सूची सदन की मेज पर रखें।

उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): ग्राम पंचायत सूथर को निर्माण कार्य हेतु दी गई रकम का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। राशि के उपभोग होने या न होने का उल्लेख भी सदन की मेज पर रखी गई सूचना में कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप पहले ही स्पष्ट रूप से सरकार को बता चुके हैं। हल्की कापी होती है और पढ़ने में नहीं आती है वह ही हमें दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : एक बात और मैं भूल गया था कहना जो कह देना चाहता हूँ कि जब मैं प्रश्न पढ़ने बैठता हूँ तो देखता हूँ कि ऐन्सर आज आ रहे हैं। उनको पहले मुझे पढ़ने का समय ही नहीं मिलता है। यदि इस प्रकार से कोई ऐन्सर आज (उसी दिन) आवेगा तो उसको नहीं लेऊंगा।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : क्रम संख्या 20 में किस कार्य के लिए रकम दी गयी है? एक हजार रुपया दिया गया तो काम शुरू न होने के बावजूद किन कारणों से रुपया दिया गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : क्रम संख्या 20 है। कूप निर्माण।

श्री केशरीसिंह : कौन सा गांव है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : बसोदिया तालाब।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : आपके पास भी अस्पष्ट कापी है क्या ? आप भी नहीं पढ़ पा रही हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जानकारी नहीं है तो देख लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : देख क्या लिया जावेगा ? यह कापी है मन्त्री महोदया। कभी कभी मैं चाहता हूं कि सारी कार्यवाही इस प्रकार की स्थिति में बन्द कर दूं।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : तब ही ये मानेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मन्त्री): जहां तक पहली कापी का सवाल है वह मन्त्री के पास रहती है। अब आदेश दे रहे हैं कि पहली कापी अध्यक्ष महोदय को दी जाय। अध्यक्ष महोदय, पांच प्रतियां दी जाती हैं। राज्य सरकार की ओर से सतर्कता बरती जावेगी। पहली कापी अध्यक्ष महोदय को दी जावेगी।

जहां तक इसका सवाल है आप स्वयं पंचायत समिति के सदस्य हैं। उनके सामने है। जो सूचना है वह दे दी गई है।

Page No 15

एक माननीय सदस्य : गलत सूचना देने का क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह कतई सम्भव नहीं है कि एक एक गांव और कुए का नाम याद रखा जाय। 30 हजार गांव हैं।

श्री केशरीसिंह हाड़ा: मन्त्री महोदय को नाराज होने की बात नहीं है। अस्पष्ट बातें यहां बताने की उनको आवश्यकता नहीं है।

श्री विजयसिंह : खुद ही नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर।

प्रश्नकर्ता।

श्री केशरीसिंह हाड़ा: यह भी स्पष्ट हो जाय कि पहली कापी अध्यक्ष महोदय के पास दूसरी मेम्बर कन्सर्न्ड के पास तीसरी मन्त्री महोदय के पास होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : काफी कह दिया है। प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : एक कार्य के लिए रकम दी जाय, वह कार्य शुरू न हो तो दूसरी रकम किस प्रकार से दे दी जाती है। इसी सूची में नं. 20 पर 17-4-64 को 1 हजार रुपया दिया गया, और 23-7-64 को फिर 800 रुपये की दूसरी रकम भी दे दी गयी।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : दो बार रकम दी गई है। इसकी इन्क्वायरी करके, जांच करके सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध एक्शन लिया जायेगा।

श्री केशरीसिंह हाड़ा: काम शुरू ही नहीं हुआ तो दूसरी रकम देने का सवाल ही नहीं उठता है। इन माननीय सरपंच महोदय ने 75 हजार रुपये अपने कब्जे में रख रखे हैं और पंचायत का काम नहीं हो रहा है। ऐसा सरकार से लिये जाओ और बाद में देखी जावेगी, सरकार जेल ही तो भेजेगी, यह कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : इस प्रकार हुआ तो सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मंत्री महोदय ने कहा कि अब ऐक्शन लूंगी तो इससे पहले भी पूछते तो सही कि काम में आया या नहीं ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : एक किश्त देने के बाद सरकार यह तो पूछती कि उसका युटिलाइजेशन हुआ या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार उसका इमिडिएटली जवाब नहीं दे सकती है। माननीय सदस्य भी पंचायत समिति के सदस्य हैं। कोई अनियमित कार्यवाही होती है तो उसको उनको रोकना चाहिये। यह देखना चाहिये कि पंचायत समिति ने गलत काम किया है या नहीं। कलेक्टिव हाउस है। यदि इस प्रकार कोई दुरुपयोग होता है तो वे स्वयं कार्यवाही करते।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि बहुत से आइटम हैं जिनमें काम चालू न होने पर भी दूसरी किश्त दे दी गई है। इस प्रकार के मसले हमारे सामने पंचायत समिति की मीटिंग आदि में नहीं रखे जाते हैं। कई बातें हैं जो

Page No 16

(श्री केशरीसिह हाडा)
समिति की बैठक में रखे ही नहीं जाते हैं। पंचायत समिति बताती ही नहीं। एक माने में मैं उसका सदस्य हूं लेकिन वास्तविक सदस्य नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समिति की कई मिटिंग में जाने का मौका मिलता है। माननीय सदस्य वहां खुद मौजूद थे। पंचायत समिति के सदस्यों में यह रखा गया।

श्री केशरीसिंह हाडा : मंत्री महोदय के विकास अधिकारी हमारे साथ थे। यह नहीं हुआ कि हमको लिस्ट दे दी गयी। बजट की कापी तक नहीं दी गयी। हमें इसका क्या मालूम हो सकता है। पंचायत समिति की बैठक में यह जाना चाहिये था। क्या तमाशा है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 453

श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ।

सिंचाई कार्यों के लिये नदियों का पानी

454. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): श्री रामकिशन (वैर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य की नदियों के पानी का कितना प्रतिशत सिंचाई कार्यों के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है? उपयोग के बाद कुल कितना पानी है और उससे कितनी जमीन को सिंचित किया जा सकता है? इस पानी के उपयोग के लिये सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (क) राजस्थान में नदियों का कुल पानी 648 टी. एम. सी. उपलब्ध है, जिसमें से 268.4 टी. एम. सी. पानी काम में लाया जा रहा है। काम में लाये जाने वाला पानी कुल उपलब्ध पानी का 41.5 परसेन्ट है।

(ख) उपयोग के पश्चात् 379.6 टी. एम. सी. पानी शेष रहता है, जिससे लगभग 30 लाख एकड़ क्षेत्र सिंचित हो सकता है। परन्तु यह संभव नहीं है कि सारा पानी राजस्थान में ही काम में लाया जा सके, क्योंकि कहीं पर संतोषजनक बांध स्थल नहीं मिलते अथवा कहीं खेती योग्य भूमि उपलब्ध नहीं होती। अब तक की जानकारी के अनुसार शेष 379.6 टी. एम सी. पानी में से लौकिक (Conventioned) योजनाओं द्वारा केवल 91.3 टी. एम.सी. पानी उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे लगभग 7.4 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बचे हुए पानी की कुछ मात्रा लिफ्ट एवं डाइवर्शन योजनाओं द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है। इस विषय पर अध्ययन चल रहा है।

(ग) 91.3 टी. एम. सी. पानी में 55.5 टी. एम.सी. पानी के उपयोग के लिये 204 योजनायें हाथ में है। इसके अतिरिक्त 25.3 टी. एम. सी. पानी के उपयोग के लिये 291 योजनायें और प्रस्तावित हैं।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इन योजनाओं की सूचियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : आपने किस प्रकार का टारगेट तय किया 1/3 (वन थर्ड) टी. आई. सी. का टारगेट कब तक पूरा हो जावेगा ? मास्टर प्लान तैयार किया है ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : इसका प्लान बना लिया है पर यह सब कब तक क्रियान्वित किया जा सकेगा, यह धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री पृथ्वीसिंह।

प्रश्न सं. 455

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया

बारां में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में बिजली।

456. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बारां नगर अनुसूचित जाति व जनजाति के मोहल्लों में बिजली लगाये जाने हेतु करीब अट्ठाइस हजार रुपया कुछ माह पूर्व दिया गया था ?

(2) यदि हां, तो कुल कितना रुपया किस किस मोहल्ले व वार्डों में बिजली लगाए जाने हेतु दिया गया ? समाज कल्याण विभाग द्वारा वार्डों में लगाये जाने वाली बिजली योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि इस योजना के तहत जिन वार्डों व मोहल्लों में बिजली लगाई जानेवाली थी उन वार्डों व मोहल्लों के अलावा दूसरे मोहल्ले व वार्डों में भी बिजली लगाई गई है ? यदि हां तो क्यों और किन नियमों के अन्तर्गत और जिस जिस स्थान पर बिजली लगाई उस पर कितना कितना रुपया खर्च हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप मन्त्री विद्युत (श्री खेतसिंह) :

(1) जी हां।

(2) समाज कल्याण विभाग द्वारा बिजली लगाये जाने हेतु दी गई राशि का मोहल्लावार विवरण इस प्रकार है :—

मोहल्ले का नाम	राशि
1. हरिजन बस्ती खजूरपुरा	5100)
2. हरिजन बस्ती बलाइयान मंडोलावार्ड	4500)
3. शाहबाद वार्ड	6000)
4. कमला वार्ड	4800)
5. बस्ती लश्करीयान	8100)
योग	28500)

साथ में समाज कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 1 (2) विकास। सचिव।

(श्री खेतसिंह)
69/70/ 15824 1331 दिनांक 21-3-70 की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस योजना के तहत जिन मोहल्लों में बिजली लगाई जानी थी इसके अलावा दूसरे मोहल्लों में इस योजना के तहत कोई बिजली नहीं लगाई गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष जी, क्या यह सही है कि विद्युत विभाग में समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई धनराशि को इन वार्डों में सही माने में खर्च किया गया और इस सम्बन्ध में विभाग ने नगरपालिका के अध्यक्ष से इसका यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट भी प्राप्त कर लिया है ?

श्री खेतसिंह : समाज कल्याण अधिकारी और नगरपालिका के प्रेसीडेन्ट दोनों की राय से ही यह कार्यवाही की गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं तो स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या जो यह 28 हजार पांच सौ रुपया जो खर्च किया गया है उसके लिये यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट ले लिया गया है ?

श्री खेतसिंह : मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार 4-12-71 को ... तारीख गलत मालूम होती है।

श्री अध्यक्ष : गलत नहीं होगी, भविष्य की है।

श्री खेतसिंह : डेट गलत है 4-12-71... इसलिये इतना मैं कह सकता हूं...

श्री अध्यक्ष : महीना गलत है। Who has played this deception on you

श्री खेतसिंह : एनी वे। मैं इसको देख लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : यह जवाब क्या है ?

श्री अध्यक्ष : स्नब करिये। देखना क्या है ?

श्री खेतसिंह : तारीख गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनसे पूछिये, स्नब का मतलब समझ गये क्या ?

श्री खेतसिंह : सर्टिफिकेट की सूचना मेरे पास नहीं है। चेयरमैन साहब के कहने के अनुसार ही पोल खड़े किये गये हैं। अब अगर आप यह कहते हैं कि नहीं खड़े किये तो जांच करवा ली जावेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बिलकुल गलत है। ये जिन जिन हरिजन बस्तियों में खम्भे लगाये जाने चाहिये थे उनमें ये बिजली के खम्भे खड़े नहीं किये गये।

जूनियर इन्जीनियर सक्सेना था। उनका भाई रेन्जर है बारां में ही, और रेन्ज के उधर तेल फैक्टरी है उनकी। वहां तक वे इस पैसे से बिजली की लाइन और खम्भे ले गये। रैन्ज ऑफिस तक ले गये और पैसा समाज कल्याण विभाग वाला खर्च किया और इस तरह से तेल फैक्टरी तक बिजली ले जाने में यह पैसा खर्च किया गया है। क्या यह सही नहीं है ?

श्री खेतसिंह : मेरी जानकारी में यह सही नहीं है। पर माननीय सदस्य जब यह आरोप लगा रहे हैं तो पूर्ण जांच की जावेगी इसकी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जूनियर इन्जीनियर और ए. ई. एन. दोनों वारां नगर के चेयरमैन के पास गये।

श्री अध्यक्ष : कहां आये, कहां गये, यह इर्रिलेवेन्ट है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं अध्यक्ष महोदय, यह सही है। इसी से सम्बन्धित है। यह कमला वार्ड में हरिजनों की बस्ती में लगने चाहिये, वहां नहीं लगाये गये। वहां आलरेडी बिजली की पुरानी लाइन और खम्भे लगे हुए थे उनको कागजों में शो कर दिया गया और उसके एवज में जो सैंक्शन हुई थी यह रकम वह अपनी तेल मिल तक ले गये रेन्ज के पास तक ले गये क्योंकि उनका भाई रैन्जर है इसलिए अपनी रेन्ज की तरफ वे खम्भे ले गये।

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया कि मैं इसकी पूर्ण जांच करूंगा और दोषी होगा उसे पूरी सजा दी जावेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इस ए. ई. एन. ने बड़े अधिकारियों से मिल कर फर्जी कार्यवाही की और करीब दस हजार रुपया का इस सारे मामले में घोटाला किया है। बिजली विभाग से सामान इस नाम से लेकर बाजार में बेच कर रकम खा गया। अधिकांश वार्डों में जो पुराने समय से लगे हुए थे खम्भे उनको ही दिखा दिया। इसकी सरकार अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराये। इसमें दस हजार का घोटाला हुआ है।

प्रश्न संख्या 459

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य।

सोमासर माइनर का कार्य

458. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर से सोमासर माइनर अभी तक अधूरा पड़ा है, यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सोमासर माईनर पूरा हो जाने पर कुछ ग्रामों की पेय जल की समस्या हल हो सकती है ?

(3) क्या सरकार इस पर शीघ्र विचार कर इस आधे कार्य को पूरा करवाने के कार्य को प्राथमिकता देगी ? यदि हां, तो कब तक कार्य पूरा हो जावेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) जी नहीं। सोमासर डिस्ट्रीब्यूटरी का काम मार्च 1971 में पूरा हो चुका है।

(2) जी हां। किसान लोग अपने जोहड़ में पीने के लिये पानी सम्बन्धित मोघों से ले सकते हैं।

(3) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के आधार पर प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No 20

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि यह योजना ठकेराणा गांव तक पहले बनी थी पर उसके बीच में एक टीला आ गया जिसके कारण उसे वहीं समाप्त कर दिया गया आगे नहीं बढ़ाया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो हमारी योजना में प्रस्काइब्ड था, वहीं था, और इसे मार्च 71 तक पूरा कर चुके हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसके आगे भी स्कीम थी, पर बीच में एक टीबा आ जाने से वहीं रोक दिया। इससे बहुत बड़ा गांव रह गया उसकी बहुत ज्यादा जमीन ऐसे ही रह गई, पीने का पानी उस गांव के लिये नहीं मिल सका और न सिचाई के लिये पानी आ सका। मैं वहां के अधिकारियों से मिला हूं, उनसे बात की इस बारे में तो उन्होंने यही कहा कि विचाराधीन है, स्कीम है और आप यहां उत्तर दे रहे हैं कि प्रश्न नहीं उठता। तो क्या आप उत्तर गलत दे रहे हैं?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : जो उत्तर प्राप्त हुआ है वही दे रहा हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, इसका सही उत्तर मंगाया जावे। इसकी दुबारा जांच की जावे कि इतना बड़ा गांव इस स्कीम में से कैसे निकाल दिया गया? इतनी जमीन क्यों सिचाई के लाभ से वंचित कर दी गई। वहां के जन-जीवन के पीने के पानी से यह मामला सम्बन्धित है। इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। माइनर स्कीम है, पर थोड़े से पैसे के खर्च के खातिर वहीं रोक दिया गया इस स्कीम को पूरा नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : यह आपने मेरे पर छोड़ा है, इस पर दुबारा विचार किया जावेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या आप इसे स्थगित कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : फिर क्या विचार है? वह तो आपके विचार करने से क्या होगा? आप तो इसका सही उत्तर दिलवाएं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कम्पलीट हो चुका है मार्च 71 में।

श्री रामचन्द्र आर्य : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया, तो इस तरह गलत उत्तर देना सदन में उचित नहीं है। मैं वहां से अच्छी तरह जानकारी लेकर आया हूं इसलिये यह पूछा है कि क्या उस टीबे से माइनर स्कीम को आगे ले जाकर इस स्कीम को पूरा करेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारी कोई ऐसी योजना ही नहीं है। पूर्णतया जितनी योजना थी उतना काम पूरा हो चुका। अब आप इस सवाल के जरिये से अगर यह चाहते हैं कि इसे भी शामिल किया जाय या कोई दूसरी योजना पूरी की जाये, तो उस पर विचार करेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसी बात नहीं है। आप इसकी दुबारा जांच कराइये। टीबे के कारण इसको वहीं रोक दिया गया है। हजारों बीघा जमीन यों ही रख दी गई। तीन हजार की आबादी का गांव छोड़ दिया गया। पानी के बिना लोग वहां प्यासे मर रहे हैं। मामूली सा खर्चा

(श्री रामचन्द्र आर्य)
करने से उनको पीने का पानी मिल सकता है। सिचाई भी हो सकती है। आप स्वयं मौका देखें वहां जाकर।

श्री अध्यक्ष : जांच करवा लेंगे। कह दिया।

प्रश्न सं. 459

नेक्स्ट। श्री हरिबल्लभ शर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

बांसवाड़ा थर्मल प्लान्ट

460 श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में बिजली देने के लिये थर्मल पावर प्लान्ट बाहर से खरीद कर बांसवाड़ा में लगाया गया था? यदि हां, तो वह कितने में खरीदा गया था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्लान्ट से जनता को बिजली नहीं दी गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्लान्ट को वापिस सरकार ने बेच दिया है? यदि हां, तो कितने में बेचा और क्यों?

विद्युत् मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) बांसवाड़ा जिले में बिजली देने के लिए कोई थर्मल पावर प्लान्ट नहीं खरीदा गया। परन्तु माही योजना के निर्माण कार्य हेतु दो थर्मल प्लान्ट 7,75,000) की लागत से खरीदे गये थे।

उक्त प्लान्टों को राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल ने 15-10-37 से 30-3-68 तक चलाया।

(3) जी नहीं।

श्री विट्ठल भाई : तो क्या उसे शहर में बिजली देने के लिये नहीं लगाया था?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शहर में बिजली देने के लिये चम्बल से आ गई थी और यह चूंकि स्पेशली प्रोजेक्ट के लिये मंगाया गया था तो वहां जो डेट्स मैंने उत्तर के खण्ड दो में बताई उनमें चलाया गया। इसके बाद से बन्द पड़ा है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

कठूमर खेडली मण्डी में कन्या माध्यमिक विद्यालय

462. श्री गंगासहाय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि खेडली मण्डी में लड़कियों का एक माध्यमिक विद्यालय है जिसमें छात्रों की संख्या बहुत अधिक है?

2. क्या यह सही है कि लड़कियों को लड़कों के स्कूल में ही उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने को विवश होना पड़ता है?

3. क्या यह भी सही है कि कितने ही अभिभावक अपनी लड़कियों को लड़कों के स्कूल में पढ़ाना उचित नहीं समझते और लड़कियों को पढ़ाना बन्द कर देते हैं जिससे अनेकों लड़कियां उच्च शिक्षा से वंचित रहती हैं?

(श्री गंगासहाय)

4. क्या राज्य सरकार उक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए खेड़ली मण्डी के कन्या माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) :(1) जी हां। यहां एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है।

(2) जी हां।

(3) भवन व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण लड़कियों को शिक्षा आगे चालू रखने के लिये लड़कों के स्कूल में पढ़ाने का उचित प्रबन्ध किया हुआ है।

(4) भविष्य में शिक्षा के प्रसार के समय गुणावगुण के आधार पर इस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री गंगासहाय : क्या यह सही है कि वहां की नगरपालिका ने सहायता देना मंजूर किया है और 40 हजार वहां के व्यापार मण्डल ने भी चन्दा कर देने की व्यवस्था की है।

श्री राव धीरसिंह : वायदा किया गया था। किन्तु जब भवन बनेगा तभी स्कूल खोलने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री गंगासहाय : गत वर्ष भी इस प्रश्न को रखा था कि इस की जांच करा ली जाये यह वहां की आवश्यकता है या नहीं है। जनता वहां पर भवन बनाने को तैयार है। आप आश्वासन दें तो वहां पर जनता भवन बनाने को तैयार है।

श्री राव धीरसिंह : राज्य सरकार की यह कोई प्रणाली नहीं है कि वह पहले से ही आश्वासन दे दे। पहले से ही कई जगह विद्यालय भवन बन गये हैं और उनमें से कई को सरकार को छोड़ना पड़ा है। पहले हम कह दें और पीछे आप बनायें यह नहीं हो सकता है।

प्रश्न संख्या 463

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग

464. श्री लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग नहीं है।

(2) क्या यह सही है कि बंगाली विभाग है, पंजाब में पंजाबी विभाग है और इसी प्रकार अन्य राज्यों में अपनी भाषा के विभाग है ?

(3) क्या राजस्थान में राजस्थानी विभाग कायम किया जायेगा ?

उपमंत्री शिक्षा, (राव श्री धीरसिंह) :

(1) यह सही है।

(2) यह सही है।

(3) यह सुझाव राजस्थान में तीनों विश्वविद्यालयों को उनको सम्मति हेतु

Page No 23

(श्री घीरसिंह)
भेजा जा रहा है। सम्मति प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सम्मति जानने हेतु भेज दिया है या भेज रहे हैं।

श्री राव घीरसिंह : वैसे एजूकेशन कमीशन के पेज 292 की ओर माननीय सदस्या का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने जो राजस्थानी भाषा और रीजनल लेंग्वेज के बारे में राय दी है उसमें उन्होंने बताया है।

"We are definitely of the view that at the University stage classical and modern languages of India and important forgein languages should provided as elective subjects"

इसके आधार पर यूनिवर्सिटी स्तर पर लेंग्वेज विभाग खोलने की नीति सरकार बरतती रही है। फिर भी जैसा माननीय सदस्या ने प्रयत्न किया है तो वह उनकी राय के लिये उनके पास में भेज दिया गया है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : प्रश्न 2 के जवाब में आपने स्वीकार किया है कि दूसरे राज्यों में भी वहां की यूनिवर्सिटीज में अपनी भाषाओं के विभाग खोले हैं, यह आपने स्वीकार किया है। फिर राजस्थान में राजस्थानी भाषा का विभाग खोलने की तरफ सरकार ने अभी तक क्यों नहीं ध्यान दिया है ?

राव श्री घीरसिंह : दूसरी भाषाएं VIII शिड्यूल के अन्दर आती हैं। राजस्थानी भाषा VIII शिड्यूल, जो रीजनल लेंग्वेजेज का है उसमें नहीं आती है और यह मोडर्न इन्डियन लेंग्वेज के अन्दर भी नहीं आती है। इस वजह से अभी इसमें यूनिवर्सिटी लेविल पर विभाग नहीं खोला जा रहा है यूनिवर्सिटी लेविल पर इसको मान्यता दे देते हैं तो उसके साथ कालेजों और स्कूलों में भी इस भाषा की पढ़ाई का इन्तजाम करना होगा। केवल यूनिवर्सिटी लेविल पर ही यह कर देंगे तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी जब तक कि इसको ऑफिशियल लेंग्वेजेज के रूप में मान्यता नहीं हो ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ...

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है। उसको उन्होंने प्रश्न के प्रकाश में नहीं समझा है। उन्होंने अभी यह जिक्र किया है कि यह VIII शिड्यूल में नहीं आता है, यह रीजनल लेंग्वेजेज नहीं है। मेरा कहना यह है कि यह एक क्लासिकल लेंग्वेज है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने राजस्थानी भाषा का अपने यहां पर एक विभाग खोल रखा है। VIII शिड्यूल के अन्दर बल्कि क्लासिकल लेंग्वेजेज के अन्तर्गत इसको खोला जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इसको समझ गये हैं। स्थगित प्रश्न। श्री जुझारसिंह।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : यह सवाल महत्व का है अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : घर पर पूछ लेना।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : घर के अन्दर घरवालों की पूछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण, मन्त्री महोदय ?।

राव श्री धीरसिंह : एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट पढ़ कर मैंने अभी सुनाया है। रीजनल लैंग्वेजेज में राजस्थानी भाषा नहीं आती है और यह हमारी गाइड लाइन है। इसी आधार पर हमने इसको राय के लिये भेजा है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मैं विभाग खोलने के लिए कह रही हूं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कई वर्षों में यह विभाग चल रहा है।

राव श्री धीरसिंह : यह तो आपने प्रश्न में नहीं पूछा है और न इसकी मुझ को जानकारी है।

श्री दौलतराम सारण: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार राजस्थानी को महत्व देना चाहती है ?

राव श्री धीरसिंह : रीजनल लैंग्वेजेज नहीं बनेगी तब तक इसको महत्व देने की कोई बात नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मेरा प्रश्न अलग है। क्या राजस्थान सरकार राजस्थानी को राजस्थान प्रदेश की भाषा स्वीकार करती है।

राव श्री धीरसिंह : कांस्टीट्यूशन आर्टिकल 347 के अन्दर प्रेसिडेन्ट को यह अधिकार है। किसी स्टेट में किसी भाषा को स्वीकार करने का सवाल आता है तो प्रेसिडेन्ट महोदय उसे रीजनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता देते हैं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मान्यता देने का प्रश्न नहीं है, एम. ए. बी.ए. के विद्यार्थी राजस्थानी भाषा को सीख सकें और वे उस पर डाक्टरेट कर सकें इस सवाल से इस विभाग को खोलने के लिये मैंने कहा है। हमारी यूनिवर्सिटी में आज राजस्थानी की पुस्तकें भी नहीं हैं। आप सरकारी मान्यता की बात कह रहे हैं इसमें सरकारी मान्यता का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : पंचायत मन्त्री जी।

स्थगित प्रश्न ।

स्थगित प्रश्न

(12-4-71, 19-4-71)

ग्राम पंचायत गोलाणा के सरपंच के विरुद्ध आरोप

189. **श्री बुझारसिंह** (रामगंज मण्डी): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1. क्या ग्राम पंचायत गोलाणा पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ के भूतपूर्व सरपंच श्री सूरजमल के विरुद्ध पंचायत क्षेत्र में निर्माण के लिये दिये गये धन का दुरुपयोग करने के आरोप हैं ? यदि हां, तो किन-किन कार्यों पर कितने कितने धन का दुरुपयोग किया जाना बताया गया है ?

2. श्री सूरजमल द्वारा पंचायत के धन का दुरुपयोग किन किन सालों में किया गया और उनके विरुद्ध कब से जांच चालू हुई और जांच का क्या नतीजा रहा ?

Page No 25

उपमंत्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) :

1. एक निर्माण कार्य में 123–94 का दुरुपयोग करने का आरोप है।

2. राशि का दुरुपयोग सन् 1961–62 में करना पाया गया। जांच 4-11-1961 को तत्कालीन सहकार प्रसार अधिकारी ने की और गोदाम निर्माण के कार्य में गबन बताया गया।

श्री जुझारसिंह : गबन का आरोप सिद्ध होने पर नार्मली कितना समय लेते हैं उसके अगेंस्ट एक्शन लेने में ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : तारीख 26-‑-61 को धारा 409 के तहत कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में सैशन कोर्ट, झालावाड़ के निर्णय की सूचना प्राप्त होनी है।

श्री जुझारसिंह : इसके अलावा स्कूल के बारे में भी गबन किया है ? इसकी कोई सूचना है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : और कोई सूचना नहीं है।

श्री जुझारसिंह : एक ही मामला है आपकी जानकारी में ? क्या यह सही नहीं है कि इस गोदाम के मैटेरियल को भी उसके काम में लिया गया है। इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास में है और उसका चालान भी कर दिया गया है।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : इसका चालान कोर्ट आफ लॉ, में कर दिया गया और सेशन कोर्ट में इस पर मुकदमा चल रहा है। गबन का एक और मामला था ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर। यह मामला 680 रुपये और कुछ पैसों का था। इसमें वह सैशन कोर्ट से बरी हो गया है। ऑडिट रिपोर्ट में ऐतराज था। यह जो राशि बतायी गयी वह बैंक में जमा होना नहीं पाई गई। वह जमा हुई या नहीं हुई उसके खिलाफ कोर्ट में केस चला और वह बरी हो गया।

श्री जुझारसिंह : इसको आप गबन नहीं मानते। आपने क्या डिपार्टमेन्टली एक्शन लिया है ?

श्री परसराम मदेरणा : किन कारणों से वह बरी हो गया है इसकी सूचना मेरे पास में नहीं है। किन मुद्दों पर, टेक्निकल मुद्दों पर बरी हुआ है या बिलकुल ही बरी हो गया है, या लिखित में रकम जमा होना नहीं पाया गया और रकम जमा हो गई पंचायत विभाग की फैक्चुअल रिपोर्ट को देखकर ही आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री जुझारसिंह : यह प्रश्न मैंने कई बार पूछा है। यह तो जानबूझ कर गबन करने वालों को प्रोत्साहन देना है। यह गबन का मामला है और इस तरह के मामले झालावाड़ में कई हुए हैं। दूसरे भी केसेज हैं, एक आपके उपमंत्री हैं। आफ्टर आल ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के सदस्य होने मात्र से आप उनको प्रोत्साहन देते हैं।

यह कोई पहला मामला तो नहीं है। एवरी टाइम इसको साइड ट्रेक कर दिया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य कानून को आप भी जानते हैं। अदालत किसी को बरी कर दे तो किसी

(श्री परसराम मदेरणा)

मामले में क्या किया जा सकता है। दूसरा डिप्टी मिनिस्टर का जो मामला सदन में उठाया था उसका सन्तोषजनक उत्तर दे दिया था। दूसरी बात एक मामले के अन्दर जो कोपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिये रखा गया था उसमें कोपरेटिव डिपार्टमेन्ट का फेसला था उसमें अठारह सौ या सोलह सौ कुछ रुपये थे उसमें से 600 कुछ रुपये उन्होंने युटिलाइज नहीं किये हैं। वह मामला सेशन कोर्ट में चल रहा है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है उसको पढ़कर आप हैरत में पड़ जायेंगे। मंत्री के बारे में यह कहा गया है, तहसीलदार ने यह कहा चूंकि यह मंत्री महोदय का मामला है इसलिये मैं कुछ नहीं कर सकता–किसी प्रकार की जांच नहीं हो सकती उसी प्रकार कलक्टर ने कह दिया यह मंत्री से सम्बन्धित मामला है इसलिये मैं इसमें जांच नहीं करूंगा। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण चाहा तो राज्य सरकार ने कहा यहां से जवाब भेज दिया है। सरसरी कार्यवाही करके जवाब दे दिया है मेरे अतारांकित प्रश्न के जवाब में कहा है और फिर आप कह रहे हैं सेटिसफेक्टरी जवाब दे दिया गया, यह कौनसा सेटिसफेक्टरी जवाब था ? इसी तरफ दूसरे मामले में कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं इसलिये 10 वर्ष से पड़ा है आधा दर्जन पत्र मैं आपको इस बारे में लिख भी चुका हूं कि उसका कोई न कोई एक्शन लें।

श्री परसराम मदेरणा : डिप्टि मिनिस्टर वाला मामला है वह क्वेश्चन से तो सम्बन्धित है नहीं। कोर्ट के अन्दर जो जजमेंट दिया था–जजमेंट की प्रतिलिपि अभी है नहीं। जजमेंट की प्रतिलिपि मंगवाकर कोई टेक्निकल बात होगी तो मैं निश्चित तौर से ऐक्शन लूंगा। दूसरी बात एन्क्वायरी रिपोर्ट से साबित हुआ कि गबन किया है। प्राइमा फेसी केश बना। बाकी के मामले में तो . . .

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गोंद के ठेके

444. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि खंडार व सवाई माधोपुर रेंज के गोंद के ठेके वर्ष 69-70 के लिए नीलाम हुए थे ? अगर हां, तो किस किस को कितनी 2 राशि में ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों ठेकों के इकरारनामों में नई शर्तें जोड़ी गईं थीं ? अगर हां, तो वह क्या थीं व क्यों जोड़ी गईं ?

(3) उपरोक्त दोनों रेंज के ठेकों से सरकारी सूचना के अनुसार कितने कितने गोंद का निकास हुआ व उनका आनुमानित मूल्य कितना था ?

(4) उपरोक्त ठेकों की अवधि कब समाप्त होती थी ?

(5) क्या यह सही है कि शिकायत पर विजिलेंस स्क्वेड फोरेस्ट ने जांच की है ? अगर हां, तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No 27

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(6) क्या यह सही है कि वर्ष 70-71 के लिये उपरोक्त दोनों ठेके माह अक्टूबर, 70 में नीलाम हुए थे ? अगर हां, तो कितनी कितनी राशि किस किस ठेकेदार के पक्ष में ?

(7) क्या यह सही है कि उपरोक्त ठेके स्थगित किए गए ? अगर हां, तो क्यों व किसके आदेश से ?

(8) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों ठेकों की नीलामी चार बार हुई ? अगर हां, तो कब कब कितनी कितनी राशि में किस किस के पक्ष में ?

(9) राज्य सरकार ने अपनी अंतिम स्वीकृति कब दी ?

(10) क्या यह सही है कि अन्तिम नीलाम का ठेका भी निरस्त कर दिया गया ? अगर हां, तो कब व क्यों ?

(11) क्या यह सही है कि उपरोक्त ठेकों के नीलाम के लिए 18 मार्च, 71 निश्चित की गई थी ?

(12) क्या यह सही है कि मंत्री महोदय ने नीलाम स्टे कर दिया है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

1. जी हां। सवाई माधोपुर रेन्ज का 350 रु. में श्री गोपालदास पुत्र श्री नरसिंह दास नि. देसूरी को तथा खण्डार रेन्ज का 325 रु. में श्री निहाल चन्द पुत्र श्री चन्दन मल नि. देसूरी को।

2. जी हां शर्त नं. 26 में निम्न शर्त जोड़ी गई थी केवल कड़ाया एवं खातर के वृक्षों पर 15 से. मी. चौड़े अधिक से अधिक दो टांचे प्रति वृक्ष लगा सकेंगे। टांचे की गहराई 2 से. मी. से अधिक नहीं होगी तथा एक वर्ष में टांचे की लम्बाई 30 से. मी. से अधिक नहीं की जावेगी। यदि एक ही वृक्ष पर 2 टांचे लगाए जावेंगे तो दोनों के बीज में कम से कम 20 से. मी. का अन्तर होगा।

3. सवाई माधोपुर रेन्ज से 64-34 क्विन्टल तथा खन्डार रेन्ज से 55-70 क्विन्टल गोंद का स्थानीय बाजार नहीं होने से अनुमानित मूल्य बताना संभव नहीं है।

4. दिनांक 30-9-70 को।

5. जी हां। अभी प्रारम्भिक जांच की गई है।

6. जी हां। सवाई माधोपुर रेन्ज का 40,000 रु. में तथा खण्डार का 36611 रु. में श्री लालजी भाई पुत्र श्री भीखाभाई नि. भवानी मण्डी के नाम।

7. जी नहीं।

8. तीन बार नीलाम हुआ जिसकी सूचना संलग्न है- चौथी बार नीलाम में बोली नहीं लगी।

9. दिनांक 23-11-70 को।

10. ठेकेदार द्वारा इकरारनामे की धारा एवं नियम ठेकेजात जंगल की धारा 19 के अनुसार दखल समय पर

(वन मंत्री)

नहीं लेने के कारण मन्डल वन अधिकारी ने ठेका नियमों के अन्तर्गत निरस्त करने के आदेश दिनांक 26-12-70 को दिए ।

11. जी हां । 18 तथा 19-3-71 निश्चित हुई थी ।

12. नीलाम में ठेकेदारों के बोली लगने हेतु उपस्थित नहीं होने के नीलाम मण्डल वन अधिकारी, टोंक ने स्थगित कर आगामी तिथि निश्चित की थी किन्तु इसी ठेकेदार द्वारा ठेके का दखल ले लेने के कारण पुनः नीलाम नहीं किया गया ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन

446. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले में किस-किस गांव की प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन करना है? व कौन–कौन सी ऐसी ऐसी शालाएं हैं जिन्हें 71–72 में परिवर्तन करना है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि अडिन्द ग्राम तहसील अटरू में माध्यमिक शाला वहां के किसान चला रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों नहीं इस स्कूल को 71–72 में परिवर्तन किया जाय ?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति शाहबाद में राजपुर व रामगढ़ भी ऐसे स्थान हैं जहां, भवन तैयार हैं और आज भी लड़के मध्य प्रदेश की माध्यमिक शालाओं में पढ़ने जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

1. इस वर्ष के लिए अभी जिला परिषद् से जिला परिषद् की अभिशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रस्ताव भेजने की अन्तिम तिथि अप्रेल अप्रेल के अन्तिम सप्ताह तक रखी गई है ये प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही उन पर विचार सम्भव हो सकेगा ।

2. जी नहीं ।

3. भविष्य में शिक्षा प्रसार के उचित समय पर गुणावगुण के आधार पर इन पर भी विचार किया जावेगा ।

वैद्यों का रजिस्ट्रेशन

453. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि इण्डियन मेडिसन बोर्ड, जयपुर द्वारा अनुभव के आधार पर वैद्यों को रजिस्टर्ड करने का कार्य किया गया था ? यदि हां, तो कब से कब तक और कितने वैद्यों का रजिस्ट्रेशन किया गया और बाद में इसको बन्द कैसे कर दिया गया ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि कुछ प्रार्थना-पत्र ऐसे भी बोर्ड के पास पड़े हैं

(श्री हरजीराम बुरड़क)

जिन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ? यदि हां, तो किन किन के प्रार्थना-पत्र कब कब से किन किन कारणों से पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त वैद्यों का रजिस्ट्रेशन करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी और कुछ विचाराधीन क्यों रहे और बाकी रहे प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

उत्तर

(1) हां, सन् 55 से 68 तक वैद्य पंजीयित 2908 हकीम 476 धात्री 12 वैद्य सूचीबद्ध 3717। राज्य सरकार एवं बोर्ड के निर्णयानुसार अनुभवाधार पर पंजीयन किया जाना बन्द कर दिया गया।

(2) हां सूची संलग्न हैं।

(3) साक्षात्कार कर प्रार्थी को योग्यता अनुसार पंजोयन पत्र दिया जाता था विचाराधीन केसों के निर्णय हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत सुमेरपुर को आबादी भूमि विक्रय करने के अधिकार

455. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सुमेरपुर के आबादी भूमि विक्रय करने के अधिकार स्थगित किये हुये हैं ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? कृपया स्थगन आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम-पंचायत सुमेरपुर से अधिसूचना दिनांक 15 मार्च, 71 द्वारा सरकार ने आबादी भूमि के विक्रय की शक्तियां वापस लेनी हैं। यह कार्यवाही सार्वजनिक हित को दृष्टि में रखकर की गई हैं। अधिसूचना की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित

457. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को पुन: बसाने के लिए राज्य सरकार ने जयपुर शहर में उन्हें प्लाट, क्वार्टर्स और दुकानें अलाट की थी ? यदि हां, तो इन विस्थापितों को कितने प्लाट क्वार्टर और दुकानें अलाट की गई ?

(2) क्या कुछ ऐसे विस्थापित भी हैं जिन्हें प्लाट अलाट तो किये गए उनसे कीमत भी वसूल कर ली गई लेकिन उनको प्लाटों का कब्जा नहीं दिया गया है ? ऐसे विस्थापितों की सूची उनको प्लाट नहीं दिए जाने के कारणों सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(3) क्या यह सही है कि सन् 1966-67 में राज्य मन्त्री मण्डल ने निर्णय लिया था कि जिन विस्थापितों से कीमत वसूल कर ली गई उनको अलाटशुदा प्लाट ट्रान्सफर कर दिये जावें ? यदि हां, तो इस निर्णय के बाद किन किन लोगों को प्लाट दिए गए और किन किन को नही दिये गये। सूची कारणों सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इस निर्णय के बाद कुछ व्यक्तियों को प्लाट देने के लिए यू. आई. टी. को पुनर्वास विभाग की ओर से लिखा गया लेकिन इसके बावजूद यू. आई. टी. ने उन व्यक्तियों को प्लाट ट्रान्सफर नहीं किये ? यदि हां, तो पुनर्वास विभाग की ओर से जिन जिन व्यक्तियों के बारे में लिखा गया था और यू. आई. टी. की ओर से क्या उत्तर दिया गया ?

(5) क्या राज्य सरकार अभी भी इस निर्णय पर कायम है कि जो प्लाट विस्थापितों को अलाट किए गए थे और जिनकी कीमत विस्थापितों से जमा करा लीं गई है उन प्लाटों को यदि वे यू. आई. टी. के स्वामित्व में है तब भी अलाटी विस्थापितों को अलाट किये जायेंगे।

उत्तर

1. जी हां।

(अ) सरकार द्वारा निर्मित क्वार्टर 942

(ब) सरकार द्वारा व्यक्तियों को आवन्टित प्लाट 191

(स) विस्थापितों को समितियों द्वारा आवंटित प्लाट 1679

(द) सरकार द्वारा निर्मित दूकानें 842

2. जी हां। ऐसे विस्थापित निम्नलिखित है :-

क्र.	प्लाट नं.	विस्थापित का नाम जिसे एलाट किया गया
1.	सी/57	श्री जयदेव कुमार
2.	सी/59	,, सुन्दरदास जैन
3.	सी/60	,, धूलसिंह
4.	सी/62	,, वी. पी. गुप्ता
5.	सी/63	,, जमनादत्त शर्मा
6.	सी/64	,, आसानन्द तलवार
7.	सी/65	,, लक्ष्मीनारायण
8.	सी/73	,, गुलाबराय
9.	सी/77	,, सुगनोमल, एच. गुरानी
10.	बी/34	,, चिमन लाल
11.	बी/35	,, बी. छाजद

उपरोक्त उल्लेखित प्लाट औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। अतः विवादग्रस्त होने के कारण प्लाटों का कब्जा नहीं मिल सका।

3. ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

4. प्रश्न नहीं उठता।

5. ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

कटाई से मुक्त क्षेत्र

459. श्री हरिबल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

माधोपुर में राज्य सरकार ने कुछ वन खंड कृषि हेतु क्या ठेकेदारों को जागीरदार के पट्टों पर कटाई हेतु मुक्त किये हैं ? यदि हां, तो किस किस जंगल का कितना कितना क्षेत्र मुक्त किया गया है ? इनमें से कौन सा क्षेत्र कृषि हेतु राजस्व विभाग को दिया गया तथा कौन सा जागीर के पट्टों पर ठेकेदारों को ?

(2) ठेकेदार को जो जंगल मुक्त किया गया उसको किस जागीरदार ने किस वर्ष में कितने रुपयों में बेचने का पट्टा किया और उसे राज्य सरकार ने किस आधार पर सही मान्य किया ?

(3) ठेकेदार को मुक्त किये गये जंगल की अनुमानतः आजकल क्या कीमत है ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम टोडरा व दौलडा की 1021 बीघा व ग्राम कालाकुआ की 150 बीघा वन-भूमि कृषि हेतु राजस्व विभाग को दी गई। नाना तोडी जागीर का नीमली खुर्द जंगल का कुछ भाग भूतपूर्व जागीरदार द्वारा दिए गए पट्टे के आधार पर ठेकेदार को काटने हेतु देने के आदेश हुए थे।

(2). नानतोडी के जागीरदार श्री सोभाग्यसिंह पुत्र श्री अमरसिंह ने 1954 में 25000.00 में नीमलीखुर्द जागीर जगल बेचने का पट्टा किया और राज्य सरकार ने इस पट्टे के आधार पर ही ठेकेदार को वन काटने की अनुमति दी थी जो पुनः विचार कर मंसूख की जा चुकी है।

(3) ठेकेदार को काटने की अनुमति दिए गए वन क्षेत्र का सीमांकन नहीं हुआ है। अतः उसकी वर्तमान अनुमानतः कीमत बताना संभव नहीं है।

ग्राम पंचायत पलाई के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

461. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पलाई पंचायत समिति उनियारा; जिला टोंक के सरपंच श्री लक्ष्मीनारायण के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तारीख निश्चित कर दी गई थी ? यदि हां, तो कौन सी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त तारीख से पूर्व जिलाधीश, टोंक ने एक आदेश दिया कि अविश्वास प्रस्ताव पर दी हुई तारीख पर विचार नहीं होगा और उसे स्टे किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया ?

उत्तर

1. जी हां। दिनांक 2-1-71 को प्रस्तुत किया गया।

2. जी हां। दिनांक 23-1-71।

3. अविश्वास प्रस्ताव पर विचारार्थ बुलाई गई पंचायत की विशिष्ट बैठक लोक सभा मध्यावधि चुनावों की व्यवस्था के कारण स्थगित की गई।

Page No 32

कुशलगढ़ क्षेत्र में सिंचाई कार्य

463. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सिंचाई विभाग द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र के किन किन ग्रामों में छोटे बड़े तालाब व बांध, का निर्माण हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित किन किन बांधों से सिंचाई हो रही है ? तथा जिन बांधों से सिंचाई नहीं हो रही है उसके क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में जितने भी सिंचाई निर्माण कार्य स्वीकृत हैं वे सभी अपूर्ण हालत में हैं ?

(4) क्या सरकार जो कार्य अपूर्ण है उन्हें पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

1. सूची "अ" संलग्न है।

2. कुशलगढ़ क्षेत्र में केवल बडवास बांध से सिंचाई हो रही है क्योंकि बाकि के बांध गत वर्ष से ही सिंचाई विभाग के अन्तर्गत चलाये गये है इस वजह से अधूरे है।

3. जी हां, बडवास बांध के अलावा सभी कार्य पूर्ण है।

4. ये कार्य रूरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अंतर्गत लिए जा रहे हैं तथा आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर सभी कार्य वर्ष 1973–74 तक पूर्ण होने की आशा है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जवाई बांध में मछली पालन

447 श्री पृथ्वी सिंह चौहान (बाली): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जवाई बांध पर मछली पालन करने हेतु कुछ पोण्डस बना बना कर इस ओर प्रयत्न किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य बांध में मगरमच्छों की अधिकता होने के कारण इस दिशा (मछली पालन) में प्रगति होना संभव नहीं है ?

(3) क्या सरकार इन मगरमच्छों को पूर्ण रूपेण समाप्त करके इस मुख्य बांध में मछली पालन की दिशा में योजना बद्ध तरीके से विकास करने के सम्बन्ध में विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) कानूनी अड़चनों के कारण फिलहाल यह संभव नहीं है।

बारां नगर में पशु चिकित्सालय

448. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की बारां, अन्ता, शाहबाद, छाबड़ा

Page No 33

(श्री देवीदत्त गाडिया)
छीपाबड़ोद एवं इटावा पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बारां नगर के निकट पड़ते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त पंचायत समिति क्षेत्र में पशुपालन का कार्य प्रमुख है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए बारां नगर में पशुपालन चिकित्सालय के साथ साथ यहां पर पशुओं के लिए एक एम. आई. यूनिट होनी चाहिये ?

यदि हां तो एम. आई. यूनिट इस वर्ष में कब तक स्थापित हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नये एम. आई. यूनिट नहीं खोले जाते इनके स्थान पर अब वहां चल पशु चिकित्सा इकाई खोली जाती है। जिन्हें रेगिस्तानी क्षेत्र में खोलने को प्राथमिकता दी जाती है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता

होम्योपैथिक औषधालय

449. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य में सरकार द्वारा होम्योपैथिक औषधालय चलाये जा रहे है ? यदि हां, तो कहां कहां पर कब-कब से और उनमें किस-किस योग्यता के कितने-कितने कर्मचारी हैं तथा उनका वेतन क्या है ?

(2) चालू वित्तीय वर्ष में कहां कहां पर उक्त औषधालय खोलने का विचार है ?

(3) उक्त औषधालय खोलने के क्या क्या आधार व शर्तें हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला परिषदों से प्रस्ताव मांगे गये हैं प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

(3) मूल आधार निम्न है—

(क) अन्य चिकित्सा सुविधा की अनुपलब्धि

(ख) रोगियों की संख्या

(ग) निशुल्क भवन व्यवस्था

(घ) 5 मील की परिधि में कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होना।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

वैद्य की योग्यता रखने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

450. श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि आयुर्वेद औषधालयों में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से कुछ

(श्री हरजीराम बुरडक)
ऐसे कर्मचारी भी हैं जो उप वैद्य की योग्यता रखते हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं ?

(2) क्या सरकार का इरादा है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उप वैद्य की योग्यता रखते हैं उन को पदोन्नत करके उप वैद्य लगाया जाये ? यदि हां, तो कब तक और इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जायगी ?

(3) क्या इस प्रकार के योग्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नत करके किसी को उपवैद्य बनाया गया है ? यदि हां, तो किस किस को कब कब ?

उत्तर

(1) जी हां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं।

(2) राजस्थान आयुर्वेद अधीनस्थ सेवा नियमों से उपवैद्य द्वितीय श्रेणी पर सीधी भर्ती का ही प्रावधान है। इस कारण पदोन्नति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ऐसे व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा उपवैद्य पद पर आ सकते हैं । अनेक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती द्वारा उपवैद्य पद पर आये हैं ।

(3) आयुर्वेद अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 के पश्चात किसी भी चतुर्थ श्रेणी को पदोन्नति करके उपवैद्य नहीं बनाया गया है क्योंकि पदोन्नति का प्रावधान नहीं है।

पाठशाला भवन के लिये चेरिटी फण्ड से दी गई राशि

451. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर कन्या माध्यमिक पाठशाला भवन निर्माण के लिये मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन पर चेरिटी फण्ड में से 5000/- रुपये की धनराशि दी गई थी ? अगर हां, तो कब ? क्या उपरोक्त रकम का उपयोग कर लिया गया है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों ? अब उक्त रकम का उपयोग कब तक कर लिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा माध्यमिक पाठशाला भवन सांचोर की ढाणी के लिये कुछ चेरिटी फण्ड में से रकम सहायता के लिये दी गई थी ? अगर हां, तो कब व कितनी ? क्या उसका उपयोग कर लिया गया है ? अगर हां, तो कब ?

(3) क्या सरकार माध्यमिक पाठशाला भवन डाबल व माध्यमिक पाठशाला भवन डूंगरी के लिये चैरिटी फण्ड में से 5000 रुपये प्रति पाठशाला के लिये सहायता देना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो वह सहायता कब तक दे दी जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 4-2-70 को सांचोर कन्या

(खाद्य मंत्री)

माध्यमिक पाठशाला भवन निर्माण के लिए–चैरिटी फण्ड से 5000) रुपये की राशि स्वीकृत हो चुकी है। उप निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग, जोधपुर से आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अतः राशि का भुगतान नहीं किया गया।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त दोनों संस्थाओं की ओर से अभी तक कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अतः चेरिटी फण्ड से राशि देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति के कृषि फार्म

452. श्री मन्ना लाल (किशनगंज) :– क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले की किस किस पंचायत समिति ने अपने कृषि फार्म चला रखे हैं व कब कब से ?

(2) किस किस समिति में कितना कितना लाभ व हानि किस किस वर्ष में किया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति लाडपुरा व अन्ता में क्रमशः 1959–60 व 1967–68 से कृषि फार्म चलाये जा रहे हैं।

(2) लाभ व हानि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

पंचायत के सरपंच का चुनाव

453. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर के अन्तर्गत आने वाली किन किन पंचायतों के सरपंचों का पद कब कब से किन किन कारणों से रिक्त है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त पंचायतों के सरपंचों का चुनाव कब तक कर दिया जायगा ?

(स्थगित किया गया)

ठेकेदारों की बकाया

454. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में कई पीचकों पर पानी पिलाने वाले ठेकेदारों को, पिछले वर्ष अकाल की स्थिति में किये गये कार्यों के सम्बन्ध में, सरकारी अनुदान की रकम का भुगतान तहसील द्वारा पीचका चलाने की तिथि से अब तक नहीं दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त विषय में पीचकों के ठेकेदारों द्वारा कई बार दरख्वास्तें की जा चुकी हैं, परन्तु फिर भी अब तक बकाया अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) उपरोक्त पीचकों के कितने ठेकेदारों का कितना कितना अनुदान का भुगतान करना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। अब उपरोक्त बकाया अनुदान का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि पिछले अकाल वर्ष में लाछडी ग्राम के हसूखां के बेरे पर मशीन द्वारा पानी निकाल कर सरकारी टंकियां भराकर पानी सप्लाई किया गया था ? अगर हां, तो किस दर पर उनको पानी भराने का ठेका दिया गया था ?

(5) क्या यह भी सही है कि हसूखां को पानी स लाई करने व टंकिया भराने की ठेके की रकम का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उनका भुगतान कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील सांचोर में पिछले वर्ष अकाल की स्थिति में पीचकों पर पानी पिलाने वाले ठेकेदारों को तहसील द्वारा पिचका चलाने की जिस तिथि से अनुमति दी गई थी उसके आधार पर सरकारी अनुदान की रकम का भुगतान कर दिया गया है।

(2) जी नहीं। ठेकेदारों द्वारा जो आवेदन-पत्र भेजे गये हैं वे उस अवधि से संबंधित हैं। जिनकी जिलाधीश द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। अतः भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) कोई भुगतान शेष नहीं है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां। पांच रुपये प्रति टंकी की दर से पानी भराने का ठेका दिया गया था।

(5) यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। निर्णय होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

गांव मोटेर के कुआ चलाने वाले ठेकेदार का भुगतान

455. **श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत तहसील नोहर के गांव मोटेर के कुआं चलाने वाले ठेकेदारों का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। 9 अप्रेल को चुकारा कर दिया गया है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पंचायत के ग्रुप सचिव

456. **श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर)**: क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) (अ) क्या यह सही है कि ग्राम सेवकों को ग्राम पंचायत में ग्रुप सचिव पद पर लगाने के पहले पन्द्रह पन्द्रह अथवा उससे भी अधिक वर्षों से कार्य कर रहे पंचायत सचिवों को सेवा से हटा दिया गया ?

(श्री फूलचन्द बाफणा)

(ब) क्या उपयुक्त वर्षों पुराने अनुभवी ग्राम पंचायत सचिवों के अनुभव का अन्यत्र लाभ नहीं उठाया जा सकता था ?

(स) क्या ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता, कि दस वर्ष या उससे अधिक वर्षों की सेवा वाले सचिवों को सचिव पद पर ही रखा जायगा व जहां दस वर्ष से कम अनुभवी सचिव हैं उन्हीं के बदले ग्राम सेवकों को ग्र.प. सचिव रखा जायगा ?

(2) क्या यह सही है कि बहुत पुराने ग्राम पंचायत सचिव सरकारी सेवा प्राप्ति के हिसाब से अधिक उम्र (श्रोवरएज हो) गये हैं, अतः ग्राम पंचायतों से अचानक हटाये जाने पर वे कहीं भी नौकरी प्राप्त करने योग्य नहीं रहे ?

(3) (अ) क्या उपर्युक्त पुराने ग्राम पंचायत सचिवों को न्याय पंचायतों मे सेवा पर नहीं रखा जा सकता ?

(ब) क्या यह सही है कि उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त अथवा बहुत पुराने पंचायत सचिवों को ज्युडिशियल काम का भी अनुभव है, अतः ये न्याय पंचायतों के लिये उपयोगी हैं ?

(4) श्रोवरएज अथवा बहुत पुराने ग्राम पंचायत सचिवों को काम पर लगाने का सरकार ने क्या सोचा है ? यदि सोचा है तो उस पर कब तक अमल होगा ?

उत्तर

(1) (अ) ग्र.प. पंचायत सचिव योजना पंचायत समितियों लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 65 पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के सचिव प्रभावित हुए हैं।

(ब) जिन पंचायतों की निजी आय समुचित थी एवं कार्य अधिक था, उनमें ऐसे प्रभावित हुए सचिवों को सहायक सचिव के पदों पर लगाये जाने के बारे में पंचायत समितियों को सुझाव दे दिये गये हैं व उनमें से कुछ को वाकई में लगाया भी गया है।

(स) आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(2) नियमों के अनुसार ऐसे प्रभावित हुए पंचायत सचिवों जिनकी आयु 25 वर्ष तक है, को ग्र.प. सचिव / ग्राम सेवक पद का प्रशिक्षण दिया जाकर, नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। जिन सचिवों की निर्धारित आयु से अधिक आयु है, वे पंचायतों में सहायक सचिव के पद पर कार्य कर सकते है।

(3) (अ) न्याय पंचायतें अपने कर्मचारी नियुक्त करने को स्वयं सक्षम हैं।

(ब) न्याय पंचायतें पुराने पंचायत सचिवों को अपने कार्य के लिये उपयोगी माने तो वे ऐसे सचिवों को नियुक्ति दे सकती हैं।

(4) ग्र.प. सचिव योजना से जो पंचायत सचिव प्रभावित हुए है, उनमें से निर्धारित योग्यता वाले सचिवों को 2 वर्षीय ग्राम सेवक प्रशिक्षण दिया जाकर ग्र.प. सचिव/ग्राम सेवक पद पर नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पाली जिले में शिक्षा की व्यवस्था

457. **श्री पृथ्वीसिंह चौहान** (बाली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पाली जिले में किस किस पंचायत समिति में कहां कहां पर प्राथमिक, माध्यमिक, सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी विद्यालय एवं कालेज हैं ?

(2) वर्ष 1971–72 में कहां कहां पर विद्यालय एवं कालेज की क्रमोन्नति किये जाने का प्रस्ताव है ?

(3) क्या पाली जिला शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और इस बात को ध्यान में रखकर सरकार कोई विशेष व्यवस्था करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जिला अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गये है। शालायें जुलाई में खुलेंगी अतः अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि सत्र 71–72 में कहां कहां शालायें क्रमोन्नत होंगी।

(3) पाली जिले को शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा नहीं कहा जा सकता फिर भी नयी शालायें खोलते समय सरकार इस ओर उचित ध्यान देगी।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

जिला बांसवाड़ा में एम. एस. सी. की कक्षाएं

458. **विट्ठल भाई** (पीपलखूट): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में एम. एस. सी. की कक्षाएं नहीं हैं और विद्यार्थियों को इसके लिए उदयपुर जाना पड़ता है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले के लोगों ने एम. एस. सी. कक्षाएं खोलने की मांग की हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार का अभी बांसवाड़ा में एम. एस. सी. कक्षाएं खोलने का कोई विचार नहीं है।

कठूमर क्षेत्र से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन-पत्र

459. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कठूमर क्षेत्र की कितनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं के छात्रों व छात्राओं ने इस वर्ष छात्र-वृत्ति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिये हैं ?

(2) क्या प्राप्त आवेदन–पत्रों के आवेदनकर्ताओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर भुगतान किया जा चुका है ?

उत्तर

(1) कठूमर क्षेत्र की एक माध्यमिक विद्यालय के छात्र व छात्राओं ने छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र दिये।

(शिक्षा मंत्री)

कटूमर क्षेत्र में केवल एक ही माध्यमिक विद्यालय है, कोई उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है।

(2) 46 आवेदनकर्त्ताओं में से 29 आवेदनकर्त्ताओं को, छात्रवृत्ति स्वीकृति हुई और उन्हें भुगतान किया जा चुका है।

राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं की खरीद

460. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थानी भाषा की पत्रिका "हरावल" और "ओलमो" की खरीद के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का पालन शिक्षा निदेशालय द्वारा क्यों नहीं किया गया ?

(2) उपरोक्त दोनों पत्रों की कितनी प्रतियों की खरीद के आदेश हुए थे ?

उत्तर

(1) राजस्थानी भाषा की पत्रिका 'हरावल' की एक सौ प्रतियां खरीद की जा रही हैं। 'ओलमो' पत्रिका न होकर पाक्षिक पत्र है। अभी तक विभाग द्वारा किसी भी पत्र का केन्द्रीय क्रय नहीं किया गया है।

(2) उपरोक्त दोनों पत्रों की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं के लिए खरीद के आदेश थे।

जैसलमेर की माध्यमिक शालाएं

461. श्री बालसिंह सोढा (जेसलमेर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर में माध्यमिक शालाओं की कमी है? अगर हां, तो इस वर्ष चांधण, रूपसी, भैसड़ा, लवार की व सत्याया में प्राथमिक शाला को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन करने का विचार सरकार रखती है? अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि मोहनगढ़, नाचना, साकडा, फलसून्ड वन रैख में माध्यमिक शालाओं में छात्र संख्या उच्चतर माध्यमिक शाला खोले जाने के स्तर तक पहुंच गई है? अगर हां, तो उरोक्त स्थानों पर कब तक शालायें खोलने की व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) व (2) अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ इन शालाओं को भी क्रमोन्नत करने पर विचार किया जावेगा।

सीमा छात्रावास

462. श्री देवीदत गाडिया (बारां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर व जेसलमेर में सीमा छात्रावास के नाम से छात्र-छात्राओं के छात्रावास चलाये जा रहे हैं? अगर हां, तो क्या शिक्षा विभाग ने आज तक इनके प्रवेश-व्यवस्था के नियम बनाये हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त छात्रावासों का कई वर्ष तक ऑडिट नहीं कराया गया फिर भी राज्य सरकार हर वर्ष रुपया स्वीकृत करती रही है जिससे भारी भ्रष्टाचार हुआ और चन्द लोग अपना जीवन निर्वाह छात्रों के नाम से कर रहे हैं ?

(श्री देवीदत्त गाडिया)

(3) अगर ऑडिट किया गया है तो किस किस वर्ष का ?

(4) क्या यह सही है कि ऐसी कोई सार्वजनिक संस्था नहीं जो उक्त छात्रावासों का संचालन कर रही है ? यदि हां, तो सरकार कब तक नियमानुसार उक्त छात्रावासों के संचालन की व्यवस्था करेगी ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में प्रवेश के भी कोई नियम नहीं हैं, इसलिए प्रवेश का 100) रुपये और इससे अधिक भी लिए जाते हैं ?

(6) क्या यह सही है कि प्रवेश के लिये भी कोई समिति नहीं है व केवल एक व्यक्ति सत्यदेवजी व्यास की मनमानी चल रही है ? तथा सामान खरीद में भारी भ्रष्टाचार है ? अगर हां, तो सरकार जांच क्यों नहीं कर रही है ?

(7) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर छात्रावास भवन का निर्माण भी बिना टेण्डर के एक व्यक्ति से कराया गया जिसमें भारी घोटाला किया गया है ?

(8) क्या यह सही है कि सीमा के छात्रों को प्रवेश न देकर दूसरों को दिया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(9) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त छात्रावासों के नाम पर सरकार द्वारा प्रदत्त राशि का उपयोग अपने परिवार वालों के नाम वेतन उठाकर किया जा रहा है और झूठा हिसाब बनाया जा रहा है ? अगर हां, तो शिक्षा विभाग इस सम्बन्ध में कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां, पश्चिमी राजस्थान सीमा विकास समिति ने छात्रावासों के लिए प्रवेश व अनुशासन के नियम बना रखे हैं। इसी आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। पश्चिमी राजस्थान सीमा विकास समिति रजिस्टर्ड संस्था है।

(2) छात्रावासों के ऑडिट हर वर्ष चारटर्ड अकाउन्टेन्ट व महालेखाकार से नियमित होता है, तीनों छात्रावासों के हिसाबों का ऑडिट 1969-70 तक का हो चुका है, महालेखाकार द्वारा 1967-68 का आडिट कर लिया गया है तथा 68-69 का जून में होने वाला है।

(3) चारटर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा 1969-70 तक का ऑडिट किया जा चुका है तथा महालेखाकार द्वारा 67-68 तक का ऑडिट किया जा चुका है व 68-69 का जून माह में होने वाला है।

(4) पश्चिमी राजस्थान सीमा विकास समिति जैसलमेर एक रजिस्टर्ड, सार्वजनिक संस्था है। इसके द्वारा तीनों छात्रावासों का संचालन किया जाता है।

(5) यह सही नहीं है, छात्रावासों में प्रवेश के नियम बने हुये हैं। उसी आधार पर सीमा के छात्रों को जो गरीब हैं प्रवेश दिया जाता है। छात्रों के संरक्षकों द्वारा अधिक से अधिक सामर्थ्य के अनुसार चन्दे के रूप में 500 रु. तक दिये जाते हैं।

(6) यह सही नहीं है, तीनों छात्रावासों में प्रवेश के लिये भिन्न भिन्न स्थानीय व्यक्तियों की कमेटी बनी हुई है।

(शिक्षा मंत्री)

(7) यह सही नहीं है, उक्त भवन का निर्माण टेण्डर प्रणाली द्वारा कराया गया है।

(8) जी हां, नियमानुसार सीमा के छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता है।

(9) यह सही नहीं है कि सरकार द्वारा प्रदत्त राशि का उपयोग छात्रों की पढ़ाई भोजन, वस्त्र आदि पर ही सर्व किया जाता है।

हिरण का शिकार

463. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में पहाड़ी जाति के लोगों के डेरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ये लोग खेतों में जाल डाल कर जिन्दा हिरन पकड़ते हैं और उन्हें काट कर बेचते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें यह काम करने की इजाजत दी हुई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि हिरन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशु माना है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोक थाम के लिए कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है। सरकार ने कोई इजाजत नहीं दी है।

(3) जी नहीं।

जंगलात की काश्त योग्य भूमि

464. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील किशनगंज व शाहवाद में कुल कितनी जंगलात में जमीन ऐसी है जो काबिल काश्त है और जो जमीन सेटलमेंट से पहले काश्त होती थी और सेटलमेंट के द्वारा जंगलात को दे दी गई ?

(2) अलग अलग खसरा नम्बर सहित उपरोक्त कितनी-कितनी भूमि किस-किस गांव व पंचायत में है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) इस प्रकार के सर्वेक्षण के अभाव में वन क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि इन तहसीलों में होने की जानकारी वन विभाग को नहीं है।

(2) प्रश्न (1) के उत्तर के अनुसार।

दान में मिले तथा चन्दे से बने भवन

465. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चिकित्सा विभाग में कितने भवन दानदाताओं अथवा सार्वजनिक चन्दे से बनाकर समर्पित किये गये हैं ? दाता के नाम और लागत मूल्य दर्शाते हुए प्राप्ति दिनांक सहित जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त भवनों में से ऐसे कितने भवन है जो अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी सूची में सम्मिलित नहीं किए हैं, जिससे उनकी मरम्मत नहीं हो रही है ? तथा

(श्री दौलतराम सारण)
ऐसे कौन कौन से भवन है तथा कब से और क्यों सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपनी सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ?

(सरकार द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

फेमिली प्लानिंग की प्रदर्शनी

466. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 1969 में एक स्टेट लेवल की एग्जीबीशन फेमिली प्लानिंग पर जयपुर शहर में लगाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि वहां पर जिन लोगों ने कार्य किया तथा जिन ठेकेदारों ने डेकोरेशन आदि का कार्य किया, उनके बिलों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अब वह भुगतान कब तक किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, प्रदर्शनी संबंधी व्यय की उपयुक्तता, वैधता आदि की जांच राज्य स्तर पर की जा रही है कि व्यय किया गया धन वित्तीय नियमानुसार किया गया है अथवा नहीं, तथा जो खर्चा हुआ है वह सही प्रकार किया गया है। मामला विचाराधीन है और ज्योंही जांच पूर्ण कर ली जावेगी नियमित व्यय का भुगतान करने की कार्यवाही की जावेगी

जैसलमेर जिले का मास्टर प्लान

467. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने हर जिले के लिये एक मास्टर प्लान द्वारा विकास योजना बनाई थी ? अगर हां, तो जैसलमेर का मास्टर प्लान क्या है और कब क्रियान्वित किया जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं।

नोट:–ग्रामीण जलप्रदाय हेतु मास्टर प्लान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया गया था। जिसके सम्बन्ध में जानकारी उसी विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

पंचायत समिति क्षेत्र कठूमर के बांधों की मरम्मत

468. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति क्षेत्र कठूमर में कितने बांध हैं और कौन कौन से हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन बांधों में से अधिकांश बांध 1967 की बाढ़ से टूट गये थे ?

(3) क्या इन टूटे बांधों की मरम्मत सरकार ने करादी है ? यदि हां, तो इन बांधों की मरम्मत पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं केवल रामसागर समूचा बांध ही टूटा था।

(3) जी हां रामसागर समूचे बांध की मरम्मत सन् 1968 में 8597 रु. की लागत पर करादी गई।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

पापड़ा बांध

469. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पापड़ा बांध के पेटे में अस्थाई एक रिंग बांध इस उद्देश्य से डाला गया था कि मुख्य बांध पर जो निर्माण कार्य चालू था, वह पानी से नष्ट न हो जाय? यदि हां, तो क्या यह सही है, कि उक्त रिंग बांध आज तक बना हुआ है और उसकी वजह से पापड़ा ग्राम में पानी भर जाता है? यदि हां, तो क्या उक्त रिंग बांध को हटाने की व्यवस्था की जायेगी? यदि हां तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि पापड़ा बांध में जो वेस्ट वियर रक्खा है, वह बहुत ऊंचाई पर रक्खा है और उससे कभी भी पानी पास नहीं होता है? यदि हां, तो क्या सिंचाई विभाग उक्त वेस्ट वियर दीवार में ऊपरी सतह से 4 फीट नीचे पर एक छोटी मोरी लगाने की व्यवस्था करेगा? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि पापड़ा बांध से ग्राम जोतरोलला मय मंजरा, खानपुर भोजपुर की कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए एक नहर निकालने की उक्त ग्रामीण जनता ने बार बार मांग की है? क्या यह भी सही है कि यह विषय पहले भी सदन में उठाया गया था? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त नहर के निर्माण की योजना अपने हाथ में लेने को तैयार है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम गंगोरा के नाले द्वारा जो वर्षा का पानी बहता है उससे छपरा, गंगोरा, खण्डेवला और ग्रामण गाजूका की फसल खरीफ नष्ट हो जाती है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि छपरा और गंगोरा ग्रामों की जनता उक्त नाले पर एक नवीन बांध का निर्माण चाहती है? यदि हां, तो उक्त बांध का सर्वे कब तक करा लिया जावेगा?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि पापड़ा बांध के पेटे में एक रिंग बन्ध नाले के रुख बदलने के लिये डाला गया था। चूंकि नाला सीधा वेस्ट वीयर तथा बन्ध के झुकाव पर सीधी टक्कर मारता था रिंग बन्ध को पूरा हटाना जनहित में उचित न होगा।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) ग्राम छपरा, खण्डेवला आदि की फसल इस नाले से खराब नहीं होती है। इस नाले का कुछ पानी आलमपुर बांध में भी

(सिंचाई मंत्री)
जाता है इसलिये उक्त नाले पर कोई योजना बनाने से आलमपुर बांध पर प्रभाव पड़ेगा।

छीपा बड़ौद एवं छबड़ा तहसील के तालाबों की मरम्मत

470. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि छीपा बड़ौद व छबड़ा तहसीलों में लघु सिंचाई हेतु कुछ तालाबों की मरम्मत का काम शुरू करवाया गया है ? यदि हां, तो कौन कौन से तालाबों का काम किस किस ग्राम में शुरू हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन तालाबों की मरम्मत शुरू करवाई जा रही है उन पर काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तथा प्रगति कम है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(3) जिन तालाबों के काम हो रहे हैं उनका ठेका मरम्मत का किन–किन ठेकेदारों के नाम पर हुआ है ? हर एक तालाब का ठेका किस किस ठेकेदार को दिया गया है, बताने का कष्ट करें तथा ठेकेदार क्या क्या काम करवायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, तहसील छीपा बड़ौद में कलिया का तालाब व पचकुई का तालाब टूटे हुये हैं उनकी मरम्मत का काम शुरू किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

नैनोल, रतनपुर, गोमी, रतनपुरा एवं रेताडा सिलूसण आदि बांध

471. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष अकाल राहत कार्यों में नैनोल बांध, रतनपुर बांध, गोमी बांध, रतनपुरा बांध, रेताड़ा, सिलूसण बांध आदि बंधाये गये थे ?

(2) अगर हां, तो क्या यह सही है कि इन बांधों की वजह से कुछ आस पास की जमीन जो पहिले बंधे नहीं थे उस वक्त रेली जाती थी अब वहां पानी जाने से रुक गया है एवं जमीन सूखी रह जाने से कई काश्तकारों को हानि हुई है ?

(3) क्या उपरोक्त बांधों की पिछली कमियों को अब सरकार दूर करना उचित समझेगी ताकि काश्तकारों को होने वाला नुकसान बन्द हो सके ? अगर हां, तो किस बंधे में क्या क्या कार्य रूरल कंस्ट्रक्शन कार्य-क्रम के अन्तर्गत कब तक कराए जावेंगे ? क्या ये कार्य अगली वर्षा से पूर्व करा दिए जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी हां, बांध के नीचे की कुछ भूमि नहीं रैली जा सकी। क्योंकि बांध में कोई सलुयस नहीं थे।

(3) जी हां, इन बांधों की कमियों को अब पूर्ण सर्वेक्षण करवा कर रूरल वर्क्स प्रोगाम के अन्तर्गत लिया जाकर ठीक करवाया जा सकेगा।

फालना क्षेत्र के ग्रामों में बिजली

472. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) फालना एक्स. ई. एन. विद्युत् के अधीन किस किस स्थान पर ए. ई. एन. एवं जे. ई. एन. हैं ? प्रत्येक के पास कितने कितने विद्युतिकृत गांव हैं ? कितने गांवों के विद्युतिकरण की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सुमेरपुर एवं शिवगंज जे.ई. एन. के पास सर्वाधिक कार्य क्षेत्र है, और उस क्षेत्र का ए. ई. एन. का दफ्तर सिरोही लगता है ? यदि हां, तो क्या बोर्ड इस कार्य क्षेत्र एवं कार्य भार को ध्यान में रख कर, सार्वजनिक हित में सुमेरपुर अथवा शिवगंज में ए. ई. एन. का दफ्तर खोलने की आवश्यकता महसूस करती है ?

उत्तर

(1) फालना एक्स. ई. एन. राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के अधीन सहायक अभियन्ता सिरोही, फालना (डी), फालना (जी. एस. एस.) फालना एवं जालोर हैं। सहायक अभियन्ता राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल, सिरोही के अधीन चार कनिष्ठ अभियन्ता हैं जिनके क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:–

1. कनिष्ठ अभियन्ता, सिरोही (प्रथम)।

2. कनिष्ठ अभियन्ता, सिरोही (द्वितीय) (बाह्य क्षेत्र)।

3. कनिष्ठ अभियन्ता, शिवगंज क्षेत्र।

4. कनिष्ठ अभियन्ता, सुमेरपुर क्षेत्र

सहायक अभियन्ता, फालना, (डी) के अधीन चार कनिष्ठ अभियन्ता हैं, जिनके क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:–

1. कनिष्ठ अभियन्ता, बाली क्षेत्र।

2. कनिष्ठ अभियन्ता, रानी क्षेत्र।

3. कनिष्ठ अभियन्ता, तख्तगढ़ क्षेत्र।

4. कनिष्ठ अभियन्ता, फालना क्षेत्र।

(2) सहायक अभियन्ता, फालना (जी. एस. एस.) के अधीन अभी तक किसी कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति नहीं हुई है।

सहायक अभियन्ता, जालोर के अधीन पांच कनिष्ट अभियन्ता हैं जिनके क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:–

1. कनिष्ठ अभियन्ता, जालोर (प्रथम)।

2. कनिष्ठ अभियन्ता, जालोर (द्वितीय) (बाह्य क्षेत्र)

3. कनिष्ठ अभियन्ता, भीनमाल क्षेत्र।

4. कनिष्ठ अभियन्ता (अभियान्त्रिक पर्यवेक्षण), सांचोर क्षेत्र।

(विद्युत् मंत्री)

5. कनिष्ठ अभियन्ता (आहोर क्षेत्र), आहोर।

उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के अधीनस्थ विद्युतिकृत ग्रामों की सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है। विभिन्न कनिष्ठ अभियन्ताओं के क्षेत्र में जिन ग्रामों का विद्युतिकरण स्वीकृत है लेकिन अभी तक विद्युतिकरण नहीं हो सका उसकी सूची 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है। कनिष्ठ अभियन्ता, सुमेरपुर एवं शिवगंज के पास सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं के समान ही कार्यक्षेत्र हैं, तथा उस क्षेत्र का सहायक अभियन्ता कार्यालय सिरोही में ही है। अभी इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गुरजनिया बांध

473. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील हिन्डोली में ग्राम ग्रोवन के पास बांध गुरजनिया का काम कब शुरू किया गया था? तथा यह किस श्रेणी की योजना है और इस पर कुल लागत क्या लगी? इसका काम कब पूरा हो जावेगा?

(2) अब तक इस पर कितना व्यय हो चुका है? और अभी इस बांध पर कितने मजदूर काम कर रहे है?

(3) इस बांध से सिंचाई होगी या इसका पानी मवेशियों के उपयोग में आवेगा?

(4) क्या ग्राम बसोली का बांध भी इसी प्रकार का है?

(5) इस बांध का काम कब शुरू हुआ था? और अब तक इसमें कितनी रकम व्यय हो चुकी है? इसका काम कब पूरा हो जावेगा?

(6) क्या यह सत्य है कि काला भाटा एनीकट योजना के लिये स्थल निरीक्षण 1968 में ही हो चुका था? और एक प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्रीजी को दिनांक 22-1-1970 क्रमांक 540 से दिया गया था? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) यह एक टूटे तलाबों की मरम्मत का कार्य है। इस पर कुल 1.93 लाख रुपये खर्च होने की सम्भावना है आवश्यक धन राशि की उपलब्धि पर यह कार्य हाथ में लिया जा सकेगा।

(2) प्रारम्भिक अनुसंधान एवं नीव के लिए चटाट्न की गहराई निकालने हेतु कुल 29,263) रु. व्यय हुआ है एवं नीव के अनुसंधान हेतु 21 मजदूर कार्य कर रहे हैं।

(3) इस बांध से 100 एकड़ भूमि सिंचित होगी एवं इस क्षेत्र के कुओं का जलस्तर ऊंचा होने के द्वारा सिंचित भूमि में वृद्धि होगी।

(4) जी हां।

Page No 47

(सिंचाई मंत्री)

(5) इस बांध का कार्य 4-6-69 को शुरू हुआ था एवं अब तक 1,69,366 रुपये खर्च हो चुके हैं। इस बांध का कार्य माह जून 1971 के अन्त तक होने की सम्भावना है।

(6) काला भाटा ऐनिकट योजना का स्थल निरीक्षण सन् 66-67 में किया गया था जी हां, परन्तु योजना तकनीकी दृष्टि से उचित न होने के कारण आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई।

गोपालपुरा तालाब

474. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि किशनगंज क्षेत्र में गोपालपुरा तालाब का कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

(2) इस तालाब के पूर्ण होने तक कुल कितनी धन-राशि खर्च होने का अनुमान है तथा कब तक यह पूर्ण हो जावेगा ?

(3) इससे कुल कितनी भूमि सिंचित हो सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कुल लागत रु. 33.41 लाख है। आवश्यक धनराशि को नियमित रूप से उपलब्धि होने पर जून 1974 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(3) इससे लगभग 6320 एकड़ भूमि सिंचित होगी।

फालना से घरेलू कार्य के लिये दिये गये कनेक्शन

475. श्री फूल चन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

फालना ऑफिस (राजस्थान राज्य विद्युत मंडल) से स्थाई विद्युत कनेक्शन (घरेलू) की आज्ञायें निकालकर कनिष्ठ अभियन्ताओं के द्वारा उपभोक्ता के यहां जाती हैं या फालना से सीधे ही उपभोक्ताओं के यहां भेज दी जाती है ? सादड़ी में क्या ऐसे कनेक्शन भी दिये गये हैं जो कनिष्ठ अभियन्ता, वाली के द्वारा नहीं भेजे जाकर सीधे उपभोक्ताओं को ही आज्ञायें भेजी गई हैं ? यदि हां, तो उन उपभोक्ताओं की नामावली सदन पटल पर रखी जावे ?

उत्तर

विद्युत कनेक्शन की आज्ञाएं (सर्विस कनेक्शन ऑर्डर) सहायक अभियन्ता कार्यालय से, कनिष्ठ अभियन्ता को भेजी जाती हैं। उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन की आज्ञाएं न तो सीधी और न ही कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भेजी जाती हैं और न ही ऐसा करना आवश्यक है। सादड़ी ग्राम में जो भी कनेक्शन दिये गये हैं उनकी विद्युत कनेक्शन की आज्ञाएं केवल कनिष्ठ अभियन्ता को भेजी गई हैं। उपभोक्ता को सीधी या कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नहीं भेजी गई।

ग्राम कैथून के काश्तकार को मुआवजा

476. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गांव कैथून तहसील लाडपुरा के कृषक श्री रामगोपाल रामकरन को खेत खसरा नं. 372 बीघा 15 की फसल नष्ट होने का मुआवजा अब तक भी नहीं दिया गया है ?

(2) क्या श्री रामगोपाल रामकरण ने 4–4–64 को एक नोटिस जिलाधीश को दिया था ?

(3) क्या सिंचाई विभाग द्वारा एक पत्र तहसीलदार लाडपुरा को वास्ते नुकसान की जांच 26–5–66 को भेजा गया था ?

(4) क्या यह सही है कि 29–12–66 को पत्र संख्या एल. आर. 2889 द्वारा 1228 रु. प्रमाणित नुकसान करके सिंचाई विभाग को वापस तहसील द्वारा सूचित कर दिया गया था ?

(5) यदि हां, तो इस नुकसान का कब तक पेमेन्ट कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, ऐसा पत्र दि. 27–5 66 को मूल्यांकन करने हेतु भेजा गया था।

(4) जी हां।

(5) इस नुकसान के 434.25 रु. का प्राक्कलन चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के विचाराधीन है जिसकी स्वीकृति पर भुगतान कर दिया जावेगा।

बारां कार्यालय में रिक्त स्थान

477. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) बारां सहायक अभियन्ता, विद्युत् विभाग कार्यालय में किस किस पद के कितने कर्मचारियों की स्वीकृत पोस्ट हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त कार्यालय में स्वीकृत पदों में से कौन कौन से पद कितने कितने समय से व किन किन कारणों से रिक्त पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि कार्यालय में इतने स्थान रिक्त रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की लाइन आदि कार्य में बड़ा विलम्ब व नुकसान हो रहा है ?

उत्तर

(1) कुल 54 स्वीकृत पोस्टें हैं जिसकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विद्युत मंत्री)

(2) स्वीकृत पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी उपरोक्त सूची में दे दी गई है। रिक्त स्थान होने के कारण तकनीकी कर्मचारियों का फिक्सेशन नहीं होना है, जिसके सम्बन्ध में श्रमिक फेडरेशन से वार्ता चल रही है। किस समय से पद खाली है सूची बनाने में समय लगेगा।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

कन्डेक्टर के विरुद्ध शिकायत

478. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती शकुन्तला वैष्णव, अध्यापिका सोजत सिटी जिला पाली ने डिपो मैनेजर राज्य पथ परिवहन निगम अजमेर से 13-11-67 को गाड़ी नं: 1750 में उनकी मां श्रीमती चौथी बाई द्वारा जोधपुर से सोजत सिटी तक उक्त बस में सफर करते हुए एक टीन और दो थैले गाड़ी के कन्डेक्टर श्री वद्रीलाल के पास भूल से छोड़ आने और उक्त सामन उक्त कन्डेक्टर द्वारा श्री लक्ष्मीचन्द ढाडा क्लर्क डिपो अजमेर को सुपुर्द किये जाने के कारण उस सामान को उन्होंने लौटाने के लिये लिखा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कन्डेक्टर ने यह स्वीकार किया है कि उक्त सामान उसने श्री लक्ष्मीचन्द ढाडा को सम्भलाया है ?

(3) क्या यह सही है कि डिपो मैनेजर अजमेर ने पत्र संख्या 8229 दिनांक 18-3-68 द्वारा श्री मूलाराम वैष्णव जंवाई श्रीमती चौथीबाई से सामान की सूची और उसकी कीमत भेजने को लिखा है ?

(4) क्या यह सही है कि डिपो मैनेजर को लागत और सूची सामान भेज दी गई है ?

(5) क्या उक्त सामान या उसकी कीमत श्रीमती चौथी बाई को लौटा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। क्योंकि श्री लक्ष्मीचन्द ढाडा ने यह स्वीकार नहीं किया है कि उसे उक्त सामान वद्रीलाल कन्डक्टर ने सम्भलवाया था, अतः श्री लक्ष्मीचन्द को निलम्बित कर मामले की जांच कराई गई किन्तु उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अब उक्त बस के परिचालक के विरुद्ध जांच की जा रही है। सामान के गायब होने की जिम्मेदारी निर्धारित होने पर सम्बन्धित कर्मचारी से सामान की कीमत वसूल कर चौथी बाई को भुगतान करना सम्भव हो सकेगा।

जायल तहसील के ग्रामों का विद्युतिकरण

479. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले की तहसील के गांवों

(श्री रामसिंह कुडी)
में विद्युतिकरण की क्या क्या योजना विचाराधीन है ?

(2) नागौर जिले की जायल तहसील के गांवों में विद्युतिकरण हेतु क्या कोई प्रस्ताव जिला परिषद् नागौर ने एवं नागौर जिला उत्पादन समिति ने तैयार कर राज्य सरकार को व विद्युत् मंडल को भेजा है ? यदि हां, तो कब ? एवं उसके अनुसार अब क्या कार्यवाही हो चुकी है एवं क्या क्या कार्यवाहियां बाकी हैं ? उस प्रस्तावित योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जायल तहसील के पांच ग्रामों की योजना मण्डल में विचाराधीन है ।

(2) वर्ष 1970-71 के लिये जिला उत्पादन समिति से कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः प्रश्न नहीं उठता।

जालौर जिले की विद्युतिकरण योजना

480. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विद्युत् मंडल द्वारा जिला जालोर के लिये एक "विद्युतिकरण योजना" बनाई गई है? अगर हां, तो कृपया योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त योजना कब तैयार की गई थी ?

(3) अब तक इस योजना के अन्तर्गत कितने गांवों का विद्युतिकरण किया गया और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ? कृपया गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त योजना पर कुल कितना धन खर्च होगा और कब तक यह योजना पूर्ण हो जावेगी ?

(5) जिला जालोर के कुल कितने गांवों का अब तक विद्युतिकरण किया जा चुका है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, विद्युत् मण्डल द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं बनवाई गई। पर, वर्ष 1970-71 में इस जिले के कुछ ग्रामों को विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत किया गया है, जिनकी सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह गांव 1970-71 में स्वीकृत किये गये थे।

(3) उपरोक्त ग्रामों में से अभी तक किसी का भी विद्युतिकरण नहीं हुआ है क्योंकि स्वीकृति जनवरी-फरवरी, 1971 में ही दी गई थी। प्रश्न नहीं उठता।

(4) योजनानुसार इन ग्रामों के विद्युतिकरण एवं 33 के. वी. लाइन पर कुल अनुमानित व्यय 48.762 लाख रुपये है। इनमें से अधिकांश ग्रामों का विद्युतिकरण इस साल में पूरा किये जाने की आशा है।

(5) अब तक जिला जालौर के 56 ग्रामों कस्बों का विद्युतिकरण किया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

पीपलखूंट क्षेत्र में तालाबों का निर्माण

481. **श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बांसवाड़ा में पीपलखूंट पंचायत समिति क्षेत्र में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत कितने तालावों का निर्माण किया गया था, और अब उन तालावों में से कितने तालाब सिंचाई विभाग ने अपने हाथ में लेकर काम चला रखा है, और कितने तालाब अब लिये जाने बाकी हैं?

(2) क्या उन तालाबों पर इस साल विभागीय काम चलाने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में पीपलखूंट समिति क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा अकाल सहायता के अन्तर्गत 9 कार्य हाथ में लिये गये थे उनमें से तीन तालावों पर इस समय विभाग द्वारा लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कार्य चालू है तथा बाकी के 6 कार्य शीघ्र रूरल वार्यर्स प्रोग्राम के अन्तर्गत चालू कर दिये जावेंगे।

इन कार्यों को रूरल वार्यर्स प्रोग्राम के अन्तर्गत शीघ्र ही चालू कर दिया जावेगा।

स्थगित प्रश्न
(12-4-71)

शिक्षकों की मांगें

189. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तारीख 12-2-70 को राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा संचालित शिक्षकों द्वारा कुछ मांगों को लेकर सत्याग्रह किया गया था? अगर हां, तो उनकी क्या मांगें थी? उन मांगों पर शिक्षकों ने कितने दिन तक सत्याग्रह चलाया?

(2) क्या यह भी सत्य है कि मुख्य मंत्री ने दिनांक 19-2-70 को उपरोक्त आन्दोलन के सम्बन्ध में शिक्षकों के डेप्यूटेशन के साथ बातचीत की? अगर हां, तो उस बातचीत का क्या आधार था?

(3) क्या यह भी सत्य है कि शिक्षकों की वाजिब मांगों पर मुख्य मंत्री से सद्नुभूति पूर्ण आश्वासन पर शिक्षकों ने अपना आन्दोलन वापस ले लिया था? अगर हां, तो शिक्षकों की किन किन मांगों को मंजूर करने के आश्वासन दिए थे? क्या यह भी सत्य है कि मुख्य मंत्री के लिखित में मांगों पर आश्वासन मिलने पर आन्दोलन समाप्त कर दिया गया था? अगर हां, तो लिखित में क्या क्या आश्वासन दिए गए थे?

(4) क्या यह भी सत्य है कि मुख्य मंत्री के आश्वासन पर शिक्षकों की वाजिब मांगों की क्रियान्विति के बारे में अभी कुछ नहीं किया गया है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो आश्वासनों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई?

(5) मुख्य मंत्री के शिक्षकों की मांगों पर दिए गए आश्वासनों के अनुसार पूर्ण कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी? क्या यह भी सत्य है कि आश्वासन को पूरा करने में देरी होने पर शिक्षकों ने फिर से आन्दोलन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
करने की सूचना सरकार को दी है ? अगर हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां, मांगों की सूची संलग्न है। शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा आयुक्त ने उनके प्रमुख प्रतिनिधियों से काफी विचार-विमर्श किया और राजस्थान शिक्षक संघ ने 15 फरवरी तक के लिए आगे वात करने के आधार पर अपना सत्याग्रह स्थगित कर दिया।

(2) जी हां, राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र पर संघ के प्रतिनिधियों से विस्तृत वार्ता के पश्चात् निर्णय लिया जाना ही आधार था।

(3) जी हां, राजस्थान शिक्षक संघ की मांगें जो प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में संलग्न की गई हैं उनके सम्मुख राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय भी अंकित हैं।

(4) प्रश्न के भाग (3) के उत्तर में दर्शाई संलग्न मांगों एवं निर्णय में अपेक्षित सूचना अंकित है।

(5) राजस्थान शिक्षक संघ की कुल 32 मांगें थीं। इनमें से राज्य सरकार द्वारा 22 स्वीकृत की गई है। इनमें 13 की क्रियान्विति हो गई हैं। शेष पर कार्यवाही जारी है। 10 मांगें अस्वीकृत की जा चुकी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न
(12-4-71)

जे.बी. हायर सैकेण्डरी स्कूल लाडनूं की आडिट रिपोर्ट

199. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्री जे. बी. हायर सैकेन्डरी स्कूल लाडनूं का महालेखाकार की पार्टी ने जो आडिट किया था उसकी रिपोर्ट पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(2) उक्त रिपोर्ट की अनुपालना में क्या क्या कार्यवाही की जानी थी जो कब तक पूर्ण कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्कूल में अध्यापकों को सेवा-मुक्त किया गया है ? यदि हां, तो उनकी अपीलों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

उत्तर

(1) संस्था द्वारा इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र पर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए अविलम्ब कार्यवाही करने के लिए पुनः विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से लिख दिया गया है।

(2) अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) निम्नलिखित अध्यापकों को उनके नाम के आगे अंकित दिनांक से सेवामुक्त किया गया--

1. श्री नोरतमल भोजक 24-1-1969

(शिक्षा मंत्री)

2. श्री प्रेम शंकर शर्मा 23-3-69

3. श्री नोरतमल भोजक की अपील के सम्बन्ध का मामला उप शिक्षा निदेशक जोधपुर को भेजा हुआ है। श्री प्रेम शंकर शर्मा की किसी भी प्रकार की अपील विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(31-3-71 व 12-4-71)

राजस्व विभाग को हस्तान्तरित भूमि

138. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग राजस्थान ने वन विभाग की काफी जमीनें पिछले पांच साल में राजस्व विभाग को हस्तांतरित की हैं? यदि हां, तो किस किस जिले में कितनी कितनी?

(2) क्या यह सही है कि छीपा बड़ौद रेन्ज में भी वन विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है?

(3) क्या इसी प्रकार तहसील छबड़ा में भी वन विभाग की जमीनें राजस्व विभाग को ट्रान्सफर की गई हैं?

उत्तर

(1) जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। केवल 85 बीघा वन भूमि इस रेंज में राजस्व विभाग को हस्तान्तरित की गई है।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(29-3-71 व 19-4-71)

देवस्थान विभाग के अधीन मंदिर

136. श्री जयनारायण सलोदिया (निवाई): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में देवस्थान विभाग के अधीन कितने मन्दिर हैं तथा उनमें पूजा आदि की क्या व्यवस्था है?

(2) उक्त मन्दिरों की अचल सम्पत्ति क्या क्या हैं और उनसे किराये में हर साल क्या आमदनी होती है?

(3) देवस्थान विभाग की कितनी बकाया कब से किन लोगों में है? और इसकी वसूली की क्या कार्यवाही चल रही है? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) विभाग के द्वारा किन किन लोगों व संस्थाओं को कितनी सहायता दी जाती है? हर जिले की व्यक्तिवार व संस्थावार सूचियां सदन की मेज पर रखें।

(5) मन्दिरों की मरम्मत आदि पर हर साल क्या खर्च होता है?

(6) विभाग के कर्मचारियों पर कितने गबन के केस चल रहे हैं? कब से किस प्रकार के हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(19-4-71)

सुमेरपुर ग्राम मे बन्द रोड लाइटें व नल

353. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत काफी लम्बे अर्से से सुमेरपुर ग्राम में रोड लाइटें एवं सार्वजनिक नल बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) क्या रोड लाइटों के अभाव में गांव में चोरियों की वारदातों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो रोड लाइट के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) रोड लाइट माह जनवरी, फरवरी, 1969 से बन्द है। 23 सार्वजनिक नलों में से 15 सार्वजनिक नल व जानवरों के पानी पीने के चारों अवाले सन् 1966 के बाद से बन्द होने बताये गये हैं। रोड लाइट व कुछ सार्वजनिक नल ग्राम पंचायत व विद्युत विभाग तथा जल प्रदाय विभाग में पारस्परिक लेन-देन के विवाद को लेकर बन्द हैं।

(2) पंचायत की जानकारी में रोड-लाइट के अभाव में चोरियों की वारदातों में वृद्धि नहीं हुई है। रोड लाइट चालू करवाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने गंगानगर, बाड़मेर व जैसलमेर में पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को राहत पहुंचाने में सरकार की उदासीनता के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री बालसिंह सोढा, श्री पृथ्वीसिंह, श्री विजयसिंह व श्री डूंगाराम राजोरिया सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है तथा माननीय पुनर्वास मंत्रीजी से यह भी निवेदन किया जा चुका है कि वे स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य देवें।

श्री भगवान दास शास्त्री के इस प्रस्ताव को भी उपरोक्त मा. सदस्यों के प्रस्ताव के साथ सम्मिलत किया जाकर मैं मा. पुनर्वास मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में शीघ्र वक्तव्य देने की कृपा करें। श्री शास्त्री के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

दो स्थगन प्रस्ताव नोहर कृषि उपज मण्डी के सम्बन्ध में प्राप्त हुये थे। पहले का सम्बन्ध नोहर कृषि उपज मण्डी के सचिव द्वारा एक महिला के साथ तथाकथित बलात्कार से है जिसकी सूचना श्री कृष्ण कुमार गोयल व श्री देवीदत्त गाडिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई है तथा दूसरे का सम्बन्ध नोहर की कृषि उपज मण्डी के कार्यालय पर गुण्डों द्वारा हमला करने व समिति के सदस्यों व सचिव को पीटे जाने से है जिसकी सूचना

(श्री अध्यक्ष)
श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है।

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को एक साथ लिया जाकर मैं मा. गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे स्थिति को स्पष्ट करते हुये वक्तव्य देने की कृपा करें।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त कुछ और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार है :--

(1) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने आदित्य मिल्स, किशनगढ़ के मजदूरों द्वारा हड़ताल का नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री केदार नाथ, श्री रामकिशन, श्री रामचन्द्र आर्य व श्री नत्थीसिंह, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें भरतपुर जिले के प्रशिक्षित शिक्षकों को पदोन्नति करने की मांग का उल्लेख किया गया है।

(3) इन्हीं मा. सदस्यों ने एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि पंचायत समिति, कुम्हेर (भरतपुर) के अध्यापकों को राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन निर्धारण की बकाया राशि एवं मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने अजमेर में बालकों को उठाये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि जोधपुर की पुलिस द्वारा राजस्थान प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष श्री गुमान मल लोढ़ा एवं अन्य कुछ जनसंघ के कार्यकर्ताओं को दो वर्ष पूर्व एक जन आन्दोलन के मामले में कल दिनांक 25 अप्रैल, 1971 को गिरफ्तार किया गया है। इसी आशय के स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें निम्नांकित मा. सदस्यों से भी प्राप्त हुई हैं:--

(1) श्री दौलतराम सारण
(2) श्री पृथ्वीसिंह
(3) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
(4) श्री प्रेमसिंह सिंघवी
(5) श्री कृष्ण कुमार गोयल
(6) श्री केदारनाथ
(7) श्री देवीदत्त गाडिया
(8) श्री विजयसिंह
(9) श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा व
(10) श्री भगवान दास शास्त्री

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं मा. सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव कई मा. सदस्यों ने जोधपुर में पुलिस द्वारा जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिया गया है वह प्रस्ताव बहुत

(श्री भैरोंसिंह)

ही महत्वपूर्ण है और इसलिए इसमें कोई विशेष जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है गिरफ्तारी हुई है। आज समाचार-पत्रों में भी छापा गया है। इस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी को विशेष जानकारी करनी हो, यह बात नहीं है। मैं समझता हूं अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किया गया है। उस गिरफ्तारी के सम्बन्ध में एडजोर्नमेंट मोशन दिया है। उसमें गृह मंत्रीजी का आज ही वक्तव्य होना चाहिए ताकि सारी स्थिति का स्पष्टीकरण हो सके-किस प्रकार गिरफ्तारी हुई है। इसमें अध्यक्ष महोदय, जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मुझे आपत्ति नहीं है गृह मंत्रीजी दे सकें।

शासकीय वक्तव्य

जोधपुर की पुलिस द्वारा जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जोधपुर में कुछ जनसंघ के कार्यकर्ताओं, नेताओं की गिरफ्तारी का प्रश्न है वह एक पुराना मुकदमा उनके खिलाफ जेर-तफतीश था। कल उसमें से एक मुलजिम, मुझे नाम याद नहीं...

श्री भैरोंसिंह : मोहनलाल।

श्री दामोदरलाल व्यास : ठीक है, मोहनलाल नाम है उनसे एस. आई. ने जमानत मांगी और उन्होंने जमानत देने से इन्कार कर दिया। उसके बाद श्री गुमानमलजी लोढ़ा ने पुलिस स्टेशन पर पूछा है कितने मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा है। उन्होंने 9-10 का नाम बता दिया। सब लोग अपने आप पहुंच गये। कोई गिरफ्तार करने नहीं गये और पुलिस ने कह दिया कि मुकदमा जब इन हालात में पेश करेंगे तब बुला लेंगे, आप चले जाय परन्तु उन्होंने यह कह कर हम नहीं जायेंगे, वे पुलिस स्टेशन से नहीं गये। जहां तक उनके साथ बर्ताव और व्यवहार का सवाल है वह किसी मा. सदस्यों की शिकायत नहीं है। अब रहा सवाल इस बात का कि मुकदमा में जिस हालात में गिरफ्तारी हुई है वह मैंने बता दी और अदालत में उसी वक्त पेश कर दिया था। अदालत ने जमानत देने के लिये कहा परन्तु उन्होंने जमानत देने से इन्कार कर दिया। मैं समझता हूं ऐसी कोई बेजाब्ता बात नहीं हुई है। मा. सदस्यगण चाहते है तो किसी तरह की बेजा बात हुई है या नहीं हुई है उसके लिये मैं कलेक्टर, जोधपुर को आदेश दे दूंगा कि पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की बेजा कार्यवाही हुई है क्या ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस के किसी के साथ ज्यादती करने या नहीं करने का सवाल नहीं है। यह एक खास तौर से विरोधी दल का और जनता के मौलिक अधिकार का प्रश्न है जो इस सारे प्रश्न में निहित है। आप यह जानते हैं कि पिछले दो वर्षों में जोधपुर शहर में विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में पानी का कितना बड़ा संकट है। जोधपुर में उन दिनों में स्थिति यहां तक पैदा हो गई थी कि हास्पिटल में आपरेशन बन्द कर दिये गये, रेलवे लाइन बन्द किये जाने की योजना बनाई गई, स्कूल और

(श्री भेरोंसिंह)

कालेजेज बन्द कर दिये, होस्टल्स से लड़कों को अपने घरों को जाने के लिए कह दिया। एक तरफ तो जब जोधपुर में यह स्थिति थी और दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्रीजी की वर्षगांठ मनाये जाने की योजना की जा रही थी जिसमें अनाप-शनाप सरकारी खर्चा और अनाप-शनाप पानी का व्यय था, सब प्रकार के आमोद-प्रमोद मनाये जाने की योजना चल रही थी। माननीय गृह मंत्रीजी इस बात को स्वीकार करेंगे कि सरकार के सामने सब प्रकार के प्रतिनिधित्व करने के लिए और अपनी बातों को बताने का अधिकार है। लोकतन्त्र में यह लोगों को मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के प्रतिनिधियों के सामने जाकर ज्ञापन प्रस्तुत करें जिस दिन की यह घटना है उस दिन जोधपुर के नागरिकों ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया, और प्रदर्शन का आयोजन करके जिस जगह कवि सम्मेलन हो रहा था, जिस जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम से कई प्रकार के आमोद-प्रमोद चल रहे थे उस समय जनता के लोग एक जुलूस लेकर पहुंच गये, और वे यह चाहते थे कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के समक्ष अपना ज्ञापन पेश करें। वहां के कार्यकर्ताओं ने अपने आप फाटक बंद कर दिया और फाटक बन्द करके अन्दर से पत्थरबाजी शुरु कर दी जिससे सड़क पर चलने वाले कई लोगों के चोटें लगीं, और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया उससे कई लोग घायल हुए। उस सारी पुलिस कार्यवाही को दबाने के लिए उस समय उन लोगों पर मुकदमे चलाये गये धारा 142, 353 आदि के। यह घटना आज की नहीं करीब डेढ़ वर्ष पहले की 20–2–69 की है। उसके बाद मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इस समय उस मामले को क्यों उठाया गया? कौन से सबूत इकट्ठे करने थे? किस एक्सपर्ट की ओपीनियन आपको लेनी थी? कौन से मेडिकल इन्चार्ज पर विवाद चल रहा था कि जिस पर मेडिकल बोर्ड बिठाया जाकर उसके ज्यादा स्पष्टीकरण कराये जाने की आवश्यकता थी। आज डेढ़ वर्ष के बाद में उस सम्बन्ध में गिरफ्तारियां होती हैं और पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे षडयन्त्र है। जोधपुर नगर में और सभी जगह इस समय चुनाव हो रहे हैं और नगरपालिकाओं के चुनावों में विरोधी दल सक्रिय हो रहे हैं। पिछले आम चुनावों में और खास तौर से लोक सभा के चुनावों में जोधपुर की जनता ने यह मत प्रकट कर दिया है कि जोधपुर की जनता कांग्रेस के साथ नहीं है। जनता को किस प्रकार से दबाया जाय तो उसकी आड़ में सबसे पहले पुलिस ने मोहन भील नाम के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया। उसकी सूचना मिली और टेलीफोन पर पूछा गया कि आपने क्यों गिरफ्तार किया तो सीधा यह जवाब दिया गया कि ये गिरफ्तारियां पुलिस नहीं कर रही है, पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार करवाया जा रहा है। आप इस सम्बन्ध में हमें कुछ न कहें। आपको कुछ कहना है तो ऊपर के अधिकारियों से बातचीत करें। हमारे पास ऊपर का हुक्म है और उस हुक्म के आधार पर गिरफ्तारियां की गई हैं। गुमानमलजी लोढ़ा को यह जवाब मिला और उसके बाद में कार्यकर्त्ता गये और कहा, कि 1½ वर्ष पहले के मुकदमें जिस मुकदमे के बारे में

(श्री भैरोंसिंह)

पहले कई बार कह दिया कि यह मुकदमा हमने खत्म कर दिया, जो आज अचानक कैसे खोल दिया और कैसे गिरफ्तारियां की जा रही हैं। माननीय गृह मन्त्रीजी ने यह कहा कि सारे के सारे गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति थाने में चले गये तो आप यह जानकारी करलें कि यह बात सही नहीं है, लेकिन लोगों को उस मुकदमे में नहीं बुलाया गया है घरों से पुलिस के सिपाही भेज कर जनसंघ के कार्यकर्ता कोई चोर और डाकू नहीं थे जो फरार हो जाते। जोंही यह कहा गया कि उनको थाने में बुलाया गया है वे थाने में चले गए और उनको वहां थाने में गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद में यह बात सही है कि उनको कहा गया कि वे जमानत देना चाहें तो जमानत दे दें। जमानत दी या नहीं इस बात की जांच की आवश्यकता नहीं है, जांच तो इस बात की करनी है जो कि कलेक्टर नहीं कर सकता, जो जांच वहां का एस.पी. नहीं कर सकता है, जो जांच वहां का डी-वाई. एस.पी. नहीं कर सकता है, जांच इस बात की करनी है कि इन गिरफ्तारियों के पीछे कौन सा षडयन्त्र था। डेढ़ वर्ष के बाद में और उनका अपराध क्या था कि एक राजनैतिक आन्दोलन के सम्बन्ध में जो केस रजिस्टर्ड किया गया था उस केस के रजिस्टर करने के बाद में डेढ़ वर्ष के बाद में गिरफ्तारियां की जाती हैं, इस षडयन्त्र के जांच करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ ज्यादती की है या नहीं की है तो इन ज्यादतियों को तो हम सहन करते आ रहे हैं। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने भी राजनैतिक आन्दोलनों में भाग लिया होगा, आपने भी लाठियां खाई होंगी, लेकिन आपने हमेशा एक बात की मांग की है कि राजनैतिक प्रदर्शनों के कार्यक्रमों के बाद में जो भी राजनैतिक मुकदमें बनते हैं उनको रूटीन को पूरा करने के लिए निकाल दिया जाता है, लेकिन कोर्ट में चालान किसी का भी नहीं किया जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है 3-4 गंगानगर के मामलों को छोड़ कर बाकी इस प्रकार के मुकद्दमों का चालान नहीं किया गया है और न ही किया जाता रहा है। क्या अब आपने यह परम्परा बना ली है कि 67 से लेकर आज तक जो इस प्रकार के प्रदर्शन के मुकद्दमे बने हैं उन सब लोगों का चालान करें तो यह आप स्पष्ट बता दें कि हम इस प्रकार के मामलों का चालान करते हैं तो फिर कभी हम आपके सामने विधान सभा में आकर कहने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि ठेठ तक आप सोये हुए क्यों बैठे रहे और चुनावों के मौके पर लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया है? 1½ वर्ष तक तो सबूत नहीं थे तो कौन से ताजा सबूत आ गये? जांच इस बात की करनी चाहिए कि उस समय के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए थे, पेट्रीयट ने एक समाचार छापा था जिसमें लिखा था कि अनावश्यक रूप से लाठीचार्ज किया गया था, हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार छपा था इसमें इस बात का उल्लेख किया गया था। जांच इस बात की होनी चाहिए थी। वह जांच तो नहीं की गई। जनता को पानी नहीं मिला, उनकी पिटाई की गई और अब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, इससे बड़ा अन्याय

(श्री भैरोंसिंह)

और नहीं हो सकता है। इस अन्याय की जितनी ज्यादा भर्त्सना की जाय उतना उचित होगा।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये मुकदमें चालान करने के नहीं हैं और न इनमें जमानत लेने और देने का प्रश्न है। यह तो राजनैतिक आन्दोलन हैं जो चलेंगे और चलते ही रहेंगे, और इन राजनैतिक आन्दोलनों को डंडे के बल से, डेढ़ वर्ष पहले कोई आन्दोलन किया जाय और आज उनको गिरफ्तार करके जनता की भावनाओं को कुचलने की कोशिश करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि लाठी चार्ज की जांच करेंगे और जो षड़यन्त्र इनकी गिरफ्तारी का चल रहा है इसकी जांच करायेंगे और इस बात का पता लगायेंगे कि डेढ़ वर्ष के बाद में इनको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के गृह मंत्री श्री दामोदर लालजी व्यास होंगे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में जहां भी कोई मिनिस्टर प्रभावी है, उप मंत्री प्रभावी है सारा वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके ही हुक्म के अन्दर चलता है। जोधपुर में हमारे वित्त मंत्री जी माथुर साहब की चलती है। पानी के मामले को लेकर भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता एक ज्ञापन प्रस्तुत करें उसका सम्बन्ध इसी से जुड़ा हुआ था उन्होंने पुलिस को कहा कि वह मुकदमा चला कर उनको गिरफ्तार करके उनको जंगले में रख दो। आज गिरफ्तार करने की आवश्यकता है तो राजस्थान के करोड़ों रुपयों का अपव्यय करने वाले मंत्रियों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता है (विपक्ष से हियर, हियर) राजस्थान के कार्यकर्ताओं को नहीं। इस हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि पुलिस का यह कार्य कन्डेमनेबल है और गृह मंत्रीजी को स्पष्ट रूप से खड़े होकर यहां पर रिग्रेट करना चाहिए। जांच की इसमें आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ता चोरी नहीं करते हैं, डाका नहीं डालते हैं, ला-एण्ड-आर्डर की सिच्युएशन क्रियेट नहीं करते हैं। वे पानी लेने के लिए आये तो पत्थर और लाठी खाकर वापस गये और डेढ़ वर्ष के बाद में उनको गिरफ्तार किया जाय इस प्रकार का पुलिस का कार्य मैं समझता हूं लोकतन्त्र में, माननीय अध्यक्ष महोदय उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी, स्पष्टीकरण।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कर दिया। यह जो व्यक्ति थे इनको जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताये हैं कि गुमानमलजी लोढा ने यह कहा कि सिपाही मकानों से लाये हैं और उनको यह जवाब दिया गया, यह मेरी जानकारी में नहीं है। यदि गुमानमलजी लोढा ने कहा है तो मैं उनको गलत नहीं मानता हूं। मैं उसकी जांच कराऊंगा कि इस तरह का वार्तालाप हुआ और पुलिस के अफसर ने यह जवाब दिया कि हम किसी के दबाव में आकर गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस

Page No 60

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आफिसर को या तो जरिया बताना पड़ेगा जिसके कि दबाव में उसने ऐसा किया है···

श्री भैरोंसिंह : जरिये तो आप भी जानते हैं। पुलिस के अफसर हमारे सामने कह कर आपके सामने कहने वाले नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है। गलत जवाब दिया है तो मैं समझता हूं कि उसको सजा दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : उसको तो सजा आप देंगे ही।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर यह जानकारी ठीक है कि श्री गुमानमलजी लोढ़ा को स्वयं को यह पुलिस आफिसर ने कहा है तो मैं मान लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप मान लेंगे यह तो सही है, लेकिन इसके बारे में क्या कहते हैं मैं यह पूछना चाहता हूं कि डेढ़ वर्ष के बाद में आपकी पुलिस क्यों एक्टिव हो रही है इस मामले में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिए मेरा आपसे यह कहना है कि मुकद्मे मुरतिब हुए थे उस वक्त और कल जो गिरफ्तार हुए हैं तो मैंने कहा कि एक आदमी श्री मोहनलाल पुलिस स्टेशन पर गये और उनसे जमानत तलब की गई और बाकी दूसरे आदमी बिना किसी जानकारी के पुलिस स्टेशन पर हाजिर हो गये और कहा कि हम भी गिरफ्तार होंगे। आप उसके खिलाफ यह बात कह रहे हैं कि पुलिस के सिपाही मकानों से बुला कर लाये तो मेरी जानकारी दूसरी तरह की है। इसलिए मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात की जांच कराऊंगा कि वास्तविक चीज क्या है और क्यों उनको गिरफ्तार इतने अर्से के बाद में इस मुकद्मे में किया गया है। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजनैतिक विक्टेमाइजेशन के लिहाज से कोई मुकद्मा किसी पर नहीं चलाया जायगा। अगर मुझे इस प्रकार की बातें मालूम होंगी तो मैं इस मुकद्मे को तुरन्त वापिस ले लूंगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय इसमें अगर मगर का सवाल नहीं है। सवाल सीधा सा है कि एक घटना विशेष को लेकर ये मुकदमे बनें और उसका सीधा सम्बन्ध एक राजनैतिक पार्टी के प्रदर्शन से है। एक तरफ तो जन-समस्या थी और इतनी खराब हालत थी कि पानी की कमी की वजह से संस्थाएं बन्द को जा रही थीं और बड़ी बेचेनी जन-सामान्य में थी, दूसरी तरफ शासक दल के और उनके मंत्रिमण्डल के नेता का अभिवादन और अभिनन्दन किया जा रहा था, कवि-सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, रंग-रेलियां हो रही थीं, रसगुल्ले उड़ रहे थे, ठंडा और गरम पानी हो रहा था, और इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, थैलियां भी भेंट हो रही थीं, और राजस्थान में सब जगह हुई थीं। एक तरफ दूसरे दल···

श्री यशवन्तसिंह नाहर : रसगुल्ले नहीं थे, रसमलाई थी····

Page No 61

श्री दौलतराम सारण : लोगों की यह अपेक्षा थी कि वह जन-साधारण की जो समस्या थी उसको बतायें तो एक राजनैतिक प्रदर्शन का आयोजन किया गया अपनी जन-भावना को अभिव्यक्त करने के लिये और प्रतिवेदन देने के लिए। उस समय लाठी चार्ज हुआ। उस लाठी चार्ज के पहले वहां पर पत्थर फेंके गये। उस लाठी चार्ज के बाद मुकदमे कायम किये गये अपने लाठी चार्ज को जस्टिफाई करने के लिए, अपने अन्यायको सहारा देने के लिए और वहां पर मुकदमे बनाये गये, और उन मुकदमों में आज डेढ़ वर्ष बाद मुकदमें चले जा रहे हैं तो तफतीस इतनी कौनसी व्यापक थी, ऐसे कौन से मुद्दे उलझे हुए थे कि डेढ़ वर्ष के बाद में आज राजनैतिक कार्यकर्ताओं को, प्रान्तीय स्तर के लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया। वह कैसे जमानत देते। मैं कहता हूं कि जमानत देना उनकी इन्सल्ट है। जमानत देना और उनसे जमानत मांगना यह गैर-वाजिब है और राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को विक्टेमाइजेशन करने का तरीका है। राजस्थान सरकार को उनसे माफी मांगना चाहिये इस कार्य के लिये। यह राजस्थान सरकार का बिल्कुल अनुचित और गैर वाजिब कार्य है। वह चाहे किसी के कहने से या स्वयं पुलिस ने किया हो। जांच का मुद्दा यह है कि इतनी देर के बाद इस मुकदमे में चालान का सवाल कैसे पैदा हुआ? आज तक क्यों नहीं किया? माननीय गृह मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस मामले में जो गैर-वाजिब हरकत हो रही है उसको बन्द करेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन-प्रस्ताव है कि 7 लड़कों ने मिल कर एक बच्चे की चोरी की और चार रोज तक उसको एक बंगले में बन्द रखा और वह बंगला गुलाब वाड़ी में है। इस प्रकार का घातक कार्य उन्होंने किया है...

श्री अध्यक्ष : ...ारी दे रहे हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : बच्चों को चुराने ...गिरोह था। इसके बारे में आपने

श्री अध्यक्ष : मैंने क्या कहा?

...दास शास्त्री : जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष : तो होने दें। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री हरलाल सिंह खर्रा व श्री रामनारायण चौधरी याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री हरलालसिंह खर्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम महरोली तहसील श्री माधोपुर (सीकर) की एप्रोच रोड ठीक करवाने व डामर डलवाने के सम्बन्ध में याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, ग्राम मुंडरू, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर में मिडिल स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण !

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंडावा से तेंतरा, वाहिदपुरा हेतमसर, नुग्रा, श्यामपुरा ग्रामों को बिजली दिलाने के सम्बन्ध में 5 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम श्यामपुरा पंचायत समिति झुंझुनूं में प्राथमिक पाठशाला खुलवाने के सम्बन्ध में 5 याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। वित्त मंत्री महोदय।

राज्य मंत्री (श्री जयकृष्ण शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर अनुभाग) की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:–

(1) अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. III दिनांक 22 फरवरी, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान यात्री तथा मालकर (संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 114 दिनांक 27 फरवरी, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यातायात मंत्री।

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्री !

उप मंत्री, यातायात (श्री समरथलाल) अध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग (ख-1) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 1(3) (37) परिवहन। 68 दिनांक 2 अप्रेल, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या 1 (1)(11) एच. बी. ग्रुप–1165 दिनांक 2 अप्रेल, 1971 जिसके द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर की मोटरगाड़ी संख्या आर. आर. एल. 3228 को राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत कर के भुगतान से दिनांक 1-1-1971 से 31-12-1971 तक सशर्त मुक्त किया गया है।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत राजकीय उपक्रम समिति के 19 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (सभापति, रा. उ. समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम अंकेक्षा प्रतिवेदन छठा 1967–68 से संबंधित विषयक राजकीय उपक्रम समिति के 19 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य। श्रम मंत्री जयपुर मेटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जयपुर में तालाबंदी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि जो हड़ताल व तालाबन्दी चल रही थी उसके विषय में 22-4-71 को समझौता हो गया है और 23-4-71 से काम चालू हो गया है।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना है। समझौता क्या हुआ और पहले समझौता क्यों टूटा यह बात स्पष्ट नहीं हुई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं सारा एग्रीमेंट पढ़ दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है।

एक माननीय सदस्य : सारांश बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : सब अखबारों में आ गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मालूम है।

श्री दामोदरलाल व्यास : फिर क्या बाकी रहा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी एक कापी मैं आपको (श्री केदारनाथ) दे दूंगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ग्राम सिमारला पीरान में विद्युत् मण्डल द्वारा कनेक्शन नहीं दिये जाने के संबंध में श्री हरलालसिंह खर्रा विद्युत् मन्त्री का ध्यानाकर्षण करेंगे।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : अध्यक्षजी ग्राम सिमारला पीरान तहसील श्री माधोपुर में कृषकों के साथ जो राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा जबरदस्त अन्याय हो रहा है उसकी तरफ मैं आपके माध्यम से बिजली विभाग के मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सन् 1964 से यह ग्राम राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा स्वीकृत हुआ लेकिन वहां के मौके के अधिकारियों और ग्राम के लोगों के बीच सौदेबाजी तय नहीं हुई और अधिकारियों और गांव वालों में झगड़ा हो गया, और श्री माधोपुर तहसील में सीमाण्ला नाम का दूसरा गांव है। वहां पर सौदा तय होने की वजह से इस ग्राम सीमाण्ला के बजाय दूसरे उसी नाम के गांव में कनेक्शन दे दिया। उसमें कुए कितने हैं ? जो कोड का क्राइ-टेरिया है बिजली घोषित करने का वह सारा पूरा करा दिया और उस सम्बन्ध में यहां के काश्तकार बिजली देने के लिए लड़ रहे थे तब से अब 70 में जाकर बोर्ड ने यह कहा कि यदि आपका ग्राम 75 प्रतिशत एस्टीमेट का जमा कराने को तैयार हो तो तीन महीने के अन्दर अन्दर आपको कनेक्शन दिया जा सकता है। उस पर ग्रामीणवासियों ने प्रार्थना दी तो सितम्बर में जाकर एस्टीमेट बना जो कि करीब 1 लाख का था जिसमें 45 गांव के कुए आते थे। काश्तकारों ने स्टेट बैंक आफ जयपुर की जो शाखा है सीकर

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

में उससे लोन लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया एडवांस जमा कराने के लिए, क्योंकि वे गरीब काश्तकार थे और उनके पास पैसा नहीं है। बैंक ने यह कहा कि यदि बोर्ड आपको कुओं में बिजली देने के लिए तैयार हो तो जो पैसा होगा बैंक दे देगा। इस पर काश्तकारों को पैसा देने के लिये 7–10–70 को बैंक की ओर से पैसा बिजली विभाग में 68 हजार रुपये 75 प्रतिशत की तरफ का जमा करा दिया गया इसके साथ–साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि उन काश्तकारों ने 45 कुओं पर प्रति कुए पर 3–4 हजार के हिसाब से 1½ या 1¾ लाख का सामान दुकानदारों से तय करके रिजर्व करा लिया। इस हिसाब से उन काश्तकारों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इधर तो 68 हजार रुपया जमा करा दिया गया और सामान के लिए डेढ़-पोने दो लाख का सामान तय कर लिया, लेकिन आज तक ए. सी. लाइन खींची गई है और कनेक्शन का तो पता नहीं है।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि मेरी खास एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने फरमाया कि हमारे अधिकार में तो 5 कुए हैं और 5 कुओं पर कनेक्शन इस समय दे सकते हैं और यदि बोर्ड का आदेश हो और सामान दे तो सारे कुओं पर कनेक्शन दे सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब 68 हजार रुपये 45 काश्तकारों ने जमा करा दिये तो 5 काश्तकार ऐसे कौन से हैं जिनको पहले मिलेगा। इस प्रकार यहां के गांव वालों के साथ सन् 1964 से विभाग द्वारा जो जबरदस्त अन्याय हो रहा है, उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह 45 में जो कि 150 परिवार हैं। जिन में कि 500-600 आदमी होंगे।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उनको कनेक्शन दिये जायें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

उपमंत्री (श्री खेतसिंह) : अध्यक्ष महोदय, ग्राम सिमारला पीरान, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर से प्राप्त प्रार्थना-पत्र के अनुसार इस ग्राम का विद्युतीकरण कण्ट्रीब्यूटरी स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 5 अक्टूबर, 1970 को स्वीकृत किया गया था। इस स्कीम का अनुमानित खर्च करीब 90,600 था। ग्रामवासियों से कण्ट्रीब्यूशन 68,000 रु. नवम्बर, 1970 में जमा हुये थे। स्कीम के अनुसार ग्राम सरगोठ से सिमारला तक 11 के. वी. लाइन खींच कर दो सब स्टेशन लगा कर 45 कुओं को कनेक्सन देने की योजना थी। वर्ष 1970-71 के अन्त में खम्भों की कमी पड़ जाने के कारण कार्य करने में कुछ विलम्ब हुआ है। अब 11 के. वी. की लाइन सरगोठ से सिमारला तक खींच दी गई है तथा वहां पर एक 100 के. वी. का व दूसरा 50 के. वी. का सब स्टेशन भी लगाया जा चुका है।

इस ग्राम से अब तक नीचे लिखे प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं :—

22 कृषकों के प्रार्थना-पत्र 17-3-1971 को

41 कृषकों के प्रार्थना-पत्र 1–4–1971 को

(श्री खेतसिंह)

1 लघुउद्योग प्रार्थना पत्र 1-4-1971 को

इनमें से 5 सम्बन्धित कृषकों को दिनांक 9-4-1971 को डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये गये हैं। लेकिन उन्होंने रकम जमा नहीं कराई है। एल. टी. लाइन खींचने के हेतु करीब 20 खंभे ग्राम में पहुंचाये जा चुके हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत केवल 45 कुओं को बिजली देने के लिए रकम कृषि विकास संघ सिमाइल के अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद के द्वारा जमा कराई गई थी। जबकि ग्राम से कुल 66 प्रार्थना पत्र कृषि हेतु अब तक प्राप्त हो चुके हैं।

उपरोक्त सभी कन्ज्यूमरों में से जिन कन्ज्यूमर्स टैक्निकल, फिजीबली स्कीम रिपोर्ट के अनुसार उपयुक्त होंगे उन्हें अगले कृषि सीजन से पहले यानी की अगस्त 71 के अन्त तक कनेक्शन दे दिये जावेंगे।

श्री हरलालसिंह खर्रा : मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इन 45 का कब तक हो जाएगा ?

श्री खेतसिंह : ऐसा है, इन 45 को वास्तव में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वह पैसा जमा करावे तभी हो सकेगा। वह सर्विस चार्ज का पैसा भी जमा करें। तुरन्त कार्य किया जायेगा।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, इतना गहरा पानी है। इतनी अच्छी जमीन है। उन्होंने 68 हजार रुपया दे दिया है फिर भी इतनी देर कर रहे। आप म्युनिसिपल एरियाज को जोड़ने के लिए 40-40 हजार की लाइन दे देते हैं। वहां खम्भे आ जायें लेकिन कनेक्शन में विलम्ब क्यों कर रहे हैं ?

श्री हरलालसिंह खर्रा : मेरा निवेदन यह है कि इनका विभाग 45 आदमियों का डिमाण्ड नोटिस निकलवा दें। वहां के विभाग वाले कहते हैं कि ऊपर से आयेगा तभी किया जायेगा।

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया कि डिमाण्ड नोटिस इश्यू कर दिये जायेंगे। आप उनसे यह कहें कि वे सर्विस चार्जेज जमा करा दें।

श्री पी. के. चौधरी : एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। कण्ट्रीब्यूटेड पैसा जमा हुये छः महीना हो गया, डिमाण्ड नोटिस क्यों नही गया है ?

श्री खेतसिंह : यह मैंने निवेदन किया। विलम्ब हुआ उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री पी. के. चौधरी : जब कण्ट्रीब्यूटेड पैसा जमा कर दिया जिसके लिए प्रास्पेक्ट बना था, उनके लिए डिमाण्ड नोटिस क्यों नहीं दिया ?

श्री खेतसिंह : लाइन को खींचने के बाद ही...

श्री अध्यक्ष : मांगों पर विचार। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री।

अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक—

50—सार्वजनिक निर्माण कार्य—भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय।

52—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,26,32,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक—

68—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,06,31,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक—

109—अन्य निर्माण कार्य पर पंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 28, 32 व 42 पर प्रस्तुत किये गये—कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 28

1. श्री शंकरलाल (जैतारण) : मांग सं. 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सड़कों के निर्माण कार्य कराने की प्रणाली के बारे में सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन

2. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैतारण-मेड़ता सड़क के कार्य में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (लाम्बिया—ब्यावर सड़क की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 1000 रुपया कम कर दिया जाय (फेमिन में बनी जैतारण और रायपुर तहसील की सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (जैतारण—डीगरना सड़क के सी. डी. वर्क्स की दुर्दशा पर चर्चा के लिए।

(श्री शंकरलाल)

6. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (जैतारण चण्डावल सड़क के निर्माण कार्य में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैतारण तहसील से गांव कोवलिया से बोकास व आनन्दपुर कालू की सड़क पूरी कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील जैतारण की निम्बाज से आसरलाई सड़क की मरम्मत शीघ्र कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया पाली जिले में विकोरिया कलां से काम तक बनी सड़क की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय पाली जिले की रायपुर तहसील की मरम्मत चिताड़ से विरोटिया खुर्द होकर बावरा जाने वाली सड़क पर पुलिया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (जैतारण तहसील के गांव विकरलाई को सड़क से जोड़ने की चर्चा के लिये)।

12. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय सार्वजनिक निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में किये गए प्रावधान के बारे में सरकार की वर्तमान नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या 32

13. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 68-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राजकीय मुद्रण व्यवस्था में ढिलाई के कारण गलत मुद्रण होता रहता है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

14. श्री हंसराज आर्य (भादरा) मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय साहबा, भादरा रोड़ की लम्बाई 26 मील है और सन् 52 से यह रोड़ विचाराधीन चल रही है और आज भी विचाराधीन है इसे पूरा करने में सरकार दिलचस्पी नहीं ले रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

15. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया

(श्री हंसराज आर्य)
जाय (भादराबड़ी रोड के गांव अमरपुरा से गांव अजीतपुरा तक पक्की रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

16. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर डिवीजन में गत चार वर्षों से एक भी सड़क न बनाए जाने पर चर्चा के लिए)

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर)
17. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खण्डार तहसील में सवाई माधोपुर से खण्डार की सड़क पर अन्तिम पांच मील की दुर्दशा पर चर्चा के लिए)।

18. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील बोंली में बोंली से जस्टाना की सड़क पर डामर व मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

19. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बोंली से निवाई सड़क कार्य अभी तक भी पूरा न कराने पर चर्चा के लिए)।

20. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर के 200 बैड अस्पताल के निर्माण का कार्य ढिलाई से चालू रहने तथा अभी तक क्वार्टर्स के न बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

21. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर से कुण्डेरा, भूरी पहाड़ी होती हुई सपोटरा सड़क की योजना क्रियान्विति न किए जाने पर चर्चा के लिए)।

22. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील खण्डार में बड़े घाट पर रीजनल मार्ग पर बनास नदी में न बनाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

23. मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (सवाई माधोपुर तहसील के कस्बा भगवतगढ़ से सूरवाल तक की अधूरी सड़क जो गत वर्ष अकाल में बनी उसे विभाग द्वारा पूरा न करने पर चर्चा के लिए)।

24. मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर डिविजन में गत चार वर्षों में एक भी सड़क न बनाए जाने पर चर्चा के लिये)।

25. श्री गंगासहाय (कठूमर) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कठूमर व थानागाजी क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

26 श्री दुर्गालाल बाछरार : (हवामहल जयपुर) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर के चारों ओर रिंग रोड के निर्माण में देरी पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुरानी आमेर रोड, जयपुर, पर कभी मरम्मत नहीं हुई और वहां पानी भरा रहता है इस पर चर्चा के लिए)।

28. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (जयपुर जिले की सड़कों के विकास तथा नल निर्माण में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

29. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सम्पूर्ण राजस्थान में सड़कों की दुर्दशा एवं नई सड़कों के निर्माण पर चर्चा के लिए)।

30. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ का अकलेरा सब-डिविजन राजनैतिक पक्षपात का शिकार हो रहा है और इस मांग के अन्तर्गत जिले का सारा पैसा समस्त जिले में खर्च न होकर केवल मात्र पिड़ावा सलोतिया में ही अनुचित रूप से व्यय किया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

31. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर से गंधेली व सोनड़ी से पलू जाने वाली अधूरी सड़क पूरी कराने पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधूरी नोहर से सिरसा, हरियाणा तक जाने वाली रोड पूरी कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय नोहर से रावतसर व भादरा नोहर रोड की मरम्मत नहीं होने से यातायात ठप्प हो गया है इस पर चर्चा के लिये।

34. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय सार्वजनिक निर्माण-कार्यों में व्याप्त भ्रष्ठाचार को समाप्त करने में राज्य सरकार की वर्तमान असफल नीति का अनमुमोदन।

35. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय राज्य में 'पर्याप्त सड़के

(श्री रामचन्द्र आर्य)
बनाने में सरकार की वर्तमान असफल निति का अननुमोदन ।

36. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर, भादरा जाने वाली रोड में से रेल्वे स्टेशन गोगामेड़ी से ललाना तक लिंक रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

37. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50— सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर रावतसर रोड से गांव बुधवालिया एक मील लगता है, इस लिंक रोड को बनाने हेतु चर्चा के लिये) ।

38. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50— सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर, तारानगर रोड साबा से वाया टोडिसर, बालासर, घडूसर भावलदेसर से धानसिवा तक नोहर सरदारशहर से जोड़ी जाने हेतु सड़क बनाने पर चर्चा के लिये) ।

39. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50— सार्वजनिक निर्माण कार्यो आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सूरतगढ़ गांव बडोपल की मंडी पीलीबंगा तक पक्की सड़क बनाकर जोड़ा जावे इस पर चर्चा के लिये) ।

40. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रावतसर से वाया रायपुरा किकरालिया होकर नोलखी तक सड़क बनाने पर चर्चा के लिए) ।

41. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रावतसर सरदारशहर रोड पर गांव धनासर से वाया खोड़ा राजस्थान केनाल तक लिंक रोड तैयार करवाई जावे, इस पर चर्चा के लिये) ।

42. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50— सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर, रावतसर रोड से चाईया से गंधेली तक लिंक रोड बनाने हेतु, चर्चा के लिये ।

43. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सोनड़ी से गंधेली तक व गंधेली से वाया रामपुरा पोहड़का होकर रावतसर सरदारशहर रोड में मिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

44. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर, रावतसर रोड से गांव टटेला को 2 मील लिंक रोड द्वारा जोड़े जाने पर चर्चा के लिए) ।

45. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के

(श्री रामचन्द्र आर्य)

अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फेफाना से वाया मलवानी चारणवासी रतनपुरा होकर खनानिया रेल्वे स्टेशन तक सड़क को मिलाया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 10 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर, रावतसर से जसाना तक लिंक रोड बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगढ़ से नोहर-भादरा रोड से गांव बरवाली को सड़क से मिलाने हेतु पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिए)।

48. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर, गांव रामगढ़, से स्टेशन रामगढ़ उजलवास तक लिंक रोड पक्की बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

49. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर से भादरा वाया ललाना सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर से सरदार शहर वाया धानसिया सड़क को पक्का किया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दलपतपुरा से पाडूसर तक नोहर सावा रोड में लिंक रोड योजना में लेने के लिए चर्चा के लिए)।

52. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर, तारानगर फेमिन वर्क से बनी रोड को पक्का किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

53. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (नोहर पैमाना रोड को पैमाना से सीधा मोघा-सिघाना की सीमा तक सिरसा जाने वाली रोड को मिलाया जावे, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

54. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंधेली से एलनाबाद हरियाणा को मिलाने वाली सड़क को वाया टोपरिया टटेला से हरियाणा की सीमा तक निर्माण करवाये जाने पर चर्चा के लिए)।

55. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री रामचन्द्र आर्य)
दिया जाय (रावतसर, सरदारशहर पल्लू से वाया जैतपुर स्टेशन अरजनसर के पास बीकानी सूरतगढ़ सड़क से जोड़ी जाने हेतु चर्चा के लिए)।

56. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूरतगढ़-बीकानेर से स्टेशन बिरधवाल से वाया रायाजाली ठूकराना कराना सायासर ऐटा धांधूसर होकर पल्लू में रावतसर सरदार शहर रोड से जोडी जाने पर चर्चा के लिये)।

57. मांग सं. 28, मुख्य शीर्षक सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (रावतसर से ढानी कुम्हारान व ढानी कलालां होकर राजस्थान कैनाल के साथ बीकानेर, सूरतगढ रोड से स्टेशन बिरवाल तक सड़क का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भादरा, नोहर रोड से गांव राना को स्टेशन गोगामेडी तक लिंक रोड से मिलाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर, फैफेना रोड को रायसर से जसाना डेढ़ मील टुकड़े को पक्का कराने पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर, भादरा रोड से दीदलाना रेलवे स्टेशन तक 3 मील लिंक रोड बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 32

61. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री व मुद्रण के अंतर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (लेखन सामग्री तथा मुद्रण सामग्री क्रय करने में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 28

62. श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कांवली जोजावर रोड अधूरी पड़ी है, उसे पूरा कराने पर चर्चा के लिये)।

63. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडलगढ़ श्यामपुरा रोड, भीलवाडा, बड़ंधनी रोड व भीलवाड़ा-श्यामपुरा रोड आदि काम हाथ में न लेने और सड़कों की ओर पूरा ध्यान न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडलगढ़-श्यामपुरा रोड वाया महुआ रोड़ एवं भींचोर सींगोली रोड.

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
बनाने की ओर ध्यान न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

65. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में नौकरियों, प्रमोशन्स व ट्रान्सफरों में व्याप्त भ्रष्टाचार व अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निवाई-बौंली सड़क की अत्यन्त खराब हालत है, इस पर चर्चा के लिए)।

67. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निवाई-बौंली सड़क का कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना से आज तक पूरा नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस विभाग द्वारा संचालित निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 32

69. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय मुद्रणालय का हिन्दी मुद्रण कार्य बहुत ही खराब है, इस पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्टेशनरी का सामान जो दिया जाता है, उसकी किस्म बहुत ही घटिया होती है, इस पर चर्चा के लिए)।

72. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय मुद्रणालय में स्टेशनरी के सामान की समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय मुद्रणालयों के कर्मचारियों के असंतोषजनक एवं पक्षतापूर्ण आचरण से परेशानी पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय मुद्रणालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

75. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग

(श्री दिग्विजयसिंह)
में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दूनी से आंवा सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

76. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में सड़कों के कार्यों में पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करने पर चर्चा के लिये) ।

77. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक से सवाई माधोपुर सड़क पर डामर न बिछाने पर चर्चा के लिये) ।

78. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा से इन्द्रगढ़ रोड का कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना से चल रहा है किंतु अभी तक वह पूर्ण नहीं हो पाया है, इस पर चर्चा के लिये) ।

79. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा, बारां वाया किशनगंज, शाहबाद, शिवपुरा सड़क की खराब हालत पर चर्चा के लिये) ।

80. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 59-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां, मांगरोल सड़क की दुर्दशा होने पर भी मरम्मत नहीं कराए जाने पर चर्चा के लिये) ।

81. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अन्ता-सीसवाली रोड का निर्माण कार्य अधूरा पड़े रहने एवं उसमें चल रहे भ्रष्टाचार व पक्षपात पर चर्चा के लिये) ।

82. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अन्ता-मांगरोल सड़क पर आज तक मरम्मत का काम नहीं कराए जाने एवं डामर रोड नहीं बनाए जाने के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

83. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां डिग्री कालेज भवन निर्माण हेतु खरीद किए गए सामान में से बचे करीब डेढ़-दो लाख रुपयों के सामान व उसमें हो रही हजारों रुपयों के सामान की चोरी पर चर्चा के लिये) ।

84. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल आदि नदियां पानी के रिसाव व वाटरलोगिंग के कटावों से कोटा-बारां सड़क मांगरोल सड़क, अन्ता-सीसवाली सड़क, मांगरोल-इटावा-खातोली सड़क एवं कोटा-खातोली सड़क की हो रही खराब हालत पर चर्चा के लिये) ।

85. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंडावा से झुंझुनूं वाया वाहिदपुरा-दूराना सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं से मलसीसर रोड निर्माण की स्वीकृति पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महनसर से मलसीसर वाया बिसाऊ सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

88. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर कर दिया जाय (जयपुर सिटी डिवीजन के स्टोर से ठेकेदारों की इन्डेन्ट से अधिक सीमेन्ट के थेले दे देने पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के सिटी डिवीजन द्वारा लोहे की छड़ों की खरीद में किये गये घोटालों पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर की सड़कों को चौड़ा करने के कार्यों हेतु दिये गये ठेकों में अनियमितताएं वरतने पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहर जयपुर में सरकारी आवास गृहों में मनमाने तौर पर परिवर्तन व परिवर्धन करके राज्य कोष को नुकसान पहुंचाने पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के इंजीनियरों के प्रमोशन के मामलों में पक्षपात करने तथा अनियमितताएं वरतने पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में तकनीकी कर्मचारियों को वर्क चार्ज के नाम पर लगाने में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील लाडनूं में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत बल्दू से वाकतिय रोड पर बिना कार्य हुए ही फर्जी हाजरियां वता कर भुगतान प्राप्त कर लेने पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरजीराम बुरडक)

95. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जसवन्तगढ़-कसुम्बी रोड जिला नागौर में किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाने सम्बन्धी कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 40-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला नागौर में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत खुदवाई गई मुरड़ के उपयोग के लिए कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिए)।

97. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय जिला नागौर में अकाल राहत कार्यों में विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार पर अभी तक कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं से रताऊ व लाडनूं से नागौर सड़कों की हालत चिन्ताजनक होने पर भी मरम्मत नहीं करवाने पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा डामर के खाली ड्रोलों की बिक्री में किये जा रहे घोटालों पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा लाडनूं में राहु गेट से स्टेशन तक बनाई जा रही सड़क में अनावश्यक विलम्ब करने पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं, जसवन्तगढ़ व सुजानगढ़ के बीच बनाये जा रहे कालेज भवनों के लिए विभाग के सामान लोहरी छड़ें व सीमेण्ट के थैलों की विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा चोरी करके बेच देने एवं पूरा करने में अनावश्यक विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं में बनाये जा रहे विश्राम गृह में अत्यधिक देरी करने पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत बनाई गई सड़कों पर लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरजीराम बुरडक)

104. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जसवंतगढ़ कसुम्बी (जिला नागौर) में अकाल सहायता कार्यों के अंतर्गत बनी सडक पर फर्जी व्यक्तियों का भुगतान कर देने पर चर्चा के लिये) ।

105. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांधीनगर, जयपुर में सरकारी क्वार्टर ई. 736 में गलत रूप से परिवर्तन व परिवर्द्धन करके फिजूल खर्चा करने तथा एक अधिकारी को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए राज्य कोष को नुकसान पहुंचाने पर चर्चा के लिये) ।

106. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीडवाना से लाडनूं व लाडनूं से सुजानगढ़ सड़क के रख रखाव पर किये जा रहे खर्चे के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

107. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं से निम्बी जोधा (जिला नागौर) की सड़क पर रख रखाव पर खर्च की जा रही राशि को फर्जी बिल बनाकर, हजम किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

108. मांग संख्या 28. मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क निर्माण कार्य के लिए करबा लाडनूं में भेजे गये रोलर को बिना पैसा जमा कराये प्राईवेट पार्टीज के कार्य में लेने पर चर्चा के लिये) ।

109. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेल्वे स्टेशन से राहु गेट, लाडनूं में सड़क पर किये जा रहे डामर में बजरी के स्थान पर बालू काम में लेने एवं मजदूरों की फर्जी हाजरी होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

110. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घोसुण्डा से माताजी की पांडोली, विजयपुर पुलिया, विजयपुर केनरा वाया पालदा रोड के कार्य को पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

111. श्री नाथूराम (वागीडोरा) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कम कर दिया जाय (बांसवाडा जिले में भवन पथ एवं अपूर्ण कार्यों पर चर्चा के लिये) ।

112. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा से कैथून वाया सांगोद सड़क की हालत ज्यादा खराब हो जाने पर भी उसकी मरम्मत नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

113. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ से भाडाना सड़क का निर्माण कार्य चालू न होने और ठेकेदार द्वारा पूरा सामान न देकर पेमेन्ट ले लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जूनाखेड़ा–अप्रोच रोड़ (जिला झालावाड़) की मरम्मत न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पी. डब्लू. डी. द्वारा जिला झालावाड़ की अकाल के समय बनाई गई सड़कों की खराब हालत एवं अधूरे रहने पर चर्चा के लिये)।

116. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले के भवानी मण्डी से डग तक की सड़क पर निर्माण कार्य में ढिलाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में निर्माण विभाग द्वारा की गई अनावश्यक खरीददारी से धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यों आदि, के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवनों की व्यवस्था हेतु अनुपयोगी सामान की खरीद व घोटालों पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में भवानी मण्डी से डग तक पुलियों के निर्माण हेतु और पूंजी को बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये)।

121. श्री कल्याणमल (जहाजपुर) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहाजपुर तहसील में देवा का खेड़ा से ईंटून्दो, जहाजपुर से शंकरगढ़ व जहाजपुर से मेदिया सड़क व पेहेर से सांवर सड़क, खजूरी से आमलदा सड़क के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के

(श्री कल्याणमल)
अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शंकरगढ़ से वाकरा खेरूणा ढीठोड़ा, अमरगढ़, ईटून्दा से धाड़ अमारवासी से लोहारी सड़कें अधूरी होने से पूरी करवाने पर चर्चा के लिये)।

123. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले की सड़कों के निर्माण, संधारण आदि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में विभागीय बंगलों के किराया वसूली के विषय में चर्चा के लिये।

125. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रतनगढ़ से सालासर जाने के लिये अधूरी सड़क का निर्माण नहीं होने से जनता में भारी परेशानी हो रही है इस पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रतनगढ़ नगर में जड़ियादेवी विश्रामालय से सुजानगढ़ सड़क को जोड़ने वाली अधूरी सड़क के कारण भारी परेशानी जनता में हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रतनगढ़ नगर में चुरू सड़क सरदार शहर सड़क से जोड़ने वाली एप्रोच रोड पर पीच नहीं पड़ने से जनता को भारी परेशानी हो रही है इस पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रतनगढ़ से चूरू जाने वाली सड़क की चौड़ाई कम व कई मीलों बीच नहीं होने से जनता में भारी परेशानी हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

129. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मांग संख्या, मुख्य 28शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ क्षेत्र की अधूरी सड़क को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

130. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की ढीपरी-सीसवाली-अन्ता सड़क की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
दिया जाय (कोटा-पीपलदा सड़क की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एम.एल.ए. क्वार्टर्स, विधायकपुरी आदि के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा बरती जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऐस्टेब्लिशमेंट सैक्शन द्वारा इंजीनियर्स व ओवरसियर्स के ट्रान्स्फर्स में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

134. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सलोतिया, सुनेल सड़क, झालावाड़) पर राजनैतिक दबाव में आकर कृषकों की भूमि अवाप्त करने व उन्हें परेशान करने बाबत चर्चा के लिए)।

135. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटडी, पिडावा, सालरी रायपुर व डाक बंगला से गिनौर सड़क पर काम करने के नाम पर झूठा पेमेन्ट कर देने व सरकार द्वारा ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु मिले धन का पिड़ावा क्षेत्र में अपव्यय करने पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाढ़ से नष्ट हुए सांगोद, राजगढ सड़क मार्ग पर विभाग द्वारा जानबूझ कर काम नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

138. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांगोद, भोनरा सड़क पर मंजूरी होने पर भी एवं आवश्यकता होते हुए भी पिछले दो वर्षों से राजनैतिक आधार पर काम नहीं करने बाबत चर्चा के लिए)।

139. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कोटा, झालावाड़ क्षेत्र में सड़कों पर माइलेज के अनुपात से कम धन खर्च करने पर चर्चा के लिए)।

140. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कैथून थाना हेंडा सड़क की बरसों से मरम्मत नहीं किये जाने से आवागमन में होने वाली कठिनाइयों बाबत चर्चा के लिए)।

141. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फुलेरा कचरोडा डेढ़ मील सड़क के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

142. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौमू, दांता रामगढ़ सड़क के कुछ भाग जो रैनवाल कस्बे की सीमा के भीतर है उसका मेटलिंग कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

143. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोबनेर से रैनवाल की सड़क के संधारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

144. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा हिन्डोली का उच्चतम माध्यमिक स्कूल भवन व नैनवा के गढ़ की अब तक मरम्मत न करने पर चर्चा के लिए)।

145. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने जिला बूंदी में न तो कोई नई सड़कें बनाई न पुरानी पुलियायें ठीक करवाई और न भवनों की मरम्मत कराई। इस पर चर्चा के लिए)।

146. श्री विजयसिंह (मकराना): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना को डाइरेक्टर डीडवाना व डेगाना व खाटू से डामर की सड़कों से न जोड़ने व बोरावड़ की सड़क अत्यन्त खराब होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 32

147. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री व मुद्रण की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

148. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की छीपाबड़ौद तहसील की व नगरी होकर हरनावदा शाहजी तक जाने वाली कच्ची सड़क के कार्य शुरू न करने एवं इसमें भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

149. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की सड़कों की मरम्मत आदि में बरती जाने वाली धांधली व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के

(श्री प्रेमसिंह सिघवी)

अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। कोटा जिले में कोटा से बांरा, बांरा से कवाई, कवाई से छीपा बड़ौद तथा छीपा-बड़ौद से इकलेरा जाने वाली सड़क पर होने वाले व्यय में फैले हुए भ्रष्टाचार की चर्चा के लिये)।

152. श्री नाथूदास (फलासिया): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कालासिया क्षेत्र में सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, उन्हें पूर्ण कराने बावत चर्चा के लिये)।

153. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खण्डार से ग्राम वालेर तक की सड़क के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

154. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालियां से सांभला रोड के बीच में रपटें एवं पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

155. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी से सावर रोड पर गुलगांव के नाले पर अन्य जगहों पर पुलियां बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

156. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी से सावर रोड पर रपटें एवं पुलिया निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालिया (सरवाड) से शाहपुरा रोड पक्की बनाने बाबत चर्चा के लिए)।

158. मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुड़गांव से वाया मेहरू पिपलाज होती हुई शाहपुरा सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

159. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी से सावर रोड पर खारी नदी में पुलिया या रपट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

160. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

Page No 83

(श्री देवीलाल बुरासिया)
दिया जाय (केकड़ी खादेड़ा सड़क पर नालों पर पुलिया एवं रपटें बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

161. मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी से खादेडा रोड को अतिशीघ्र पक्की बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

162. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकडी से जूनिया रोड जर्जर हालत में होने पर भी मरम्मत एवं तारकोल नहीं कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

163. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में केकडी बघेरा रोड को अब तक तारकोल रोड नहीं बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

164. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरवाड़ से जूतिया रोड पर मरड़ा बिछाकर उसमें लागत पूंजी का सही उपयोग न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

165. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरवाड़ से अराई रोड काफी अरसे से खराब है, उसकी मरम्मत की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

166. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सावर से पन्डेर रोड अतिशीघ्र बनाने हेतु चर्चा के लिए)।

167. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकडी से सिवाय रोड के निर्माण पर हुए भ्रष्टाचार और गबन के मामलों पर चर्चा के लिए)।

168. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत अकाल के समय सडकों पर कार्य करने वाले मजदूरों की बकाया का भुगतान नहीं कराने के बाबत चर्चा के लिए)।

169. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमा सड़क रामगढ से लोंगवाला और लोंगवाला से तनोट में भ्रष्टाचार के कारण जगह जगह सडक टूट गई और वह उपयोगी नहीं होने के कारण सुरक्षा के साथ खिलवाड किया गया है, इस पर चर्चा के लिए)।

170. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के

(श्री आलसिंह सोढा)
अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमा सडक म्याजलार-जैसलमेर के कारण काश्तकारों को मुआवजा नहीं देने बाबत चर्चा के लिए)।

171. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू जिले में इस मांग के अन्तर्गत सडक निर्माण हेतु राशि व्यय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

172 मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस मांग के अन्तर्गत चूरू जिले में निर्मित सड़कों की भूमियों के मुआवजे अभी तक नहीं देने के सन्बन्ध में चर्चा के लिए)।

173. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डिफेंस रोड से सरदार शहर स्टेशन तक सड़क का टुकड़ा नेशनल हाईवे से बस स्टेण्ड से राजलदेसर के बाजार तक सड़क का टुकड़ा और चूरू मालेरी रोड से जहां पर रतनगढ़ या सरदारशहर सड़क मिलती है सड़क का एक टुकड़ा चूरू शहर के बाजार तक सड़कें निर्माण के कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

174 श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में सुरक्षा सड़कों की मरम्मत एवं संधारण पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में अधूरी सड़कें पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

176. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत उदयपुर जिले में काम बहुत कम हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

177. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडारायसिंह क्षेत्र में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

178. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेरवाड़ा से रानी सड़क, जिला उदयपुर, कंकरीट की सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क छाली से झाझरी जिला

(श्री विद्यासागर)
उदयपुर की सड़क पक्की कंकरीट की बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। कोटड़ा सड़क, जिला उदयपुर, पक्की कंकरीट की बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कल्यानपुर खेरवाड़ा सड़क को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

182. श्री देवीलाल (सराड़ा): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क नठारा, थाना डीगरी रेल्वे स्टेशन से बस्सी, सलूम्बर वाया सागवाड़ा अधूरी सड़क के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्ष 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सराड़ा तहसील की अधूरी सड़कों के विषय में चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पलोदेड़ा से देपुरा जावर माइन्स सड़क को जावर माइन्स से जोड़ा जाने पर चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क नठारा से डीगरी रेल्वे स्टेशन, बस्सी सलूम्बर वाया सलवाड़ा अधूरी सड़क के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में डीगरी रेल्वे स्टेशन से सल्लाड़ा, नठारा, थाना, डीगरी, परसाद चावण्ड व जावरमाइन्स से देपुरा पलोदड़ा सड़कों पर चर्चा के लिये)।

187. श्री रावतराम (छापर): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में में 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू से सरदारशहर सड़क को प्लान में शामिल कर चालू किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

188. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुरक्षा सड़कों की मरम्मत के लिए प्रावधान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में सांकड़ा, गुजरात सरहद तक पुपाडरवारा मेटल सड़क, सिवाड़ा ग्राम्बली जारवल, सांचोर, भवतड़ा आदि अधूरी सड़कों को पूरा कराने पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थायी खण्ड खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में अधूरी सड़कों को पूरा कराने एवं पुलियाओं के निर्माण के बारे में चर्चा के लिये)।

193. श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील जमवारामगढ़ की आंधी ग्राम से बोरोदाबाद तक सड़क निर्माण के लिए चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील जमवारामगढ़ में ग्राम नायला से बृजरानीजी का खवा होती हुए नकटी घाटी तक सड़क निर्माण के लिये चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्वा दौसा से पंचायत कडल तक बीच के गांवों को जोड़ते हुए सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा स्टेशन के पास क्रोसिंग में दिक्कत होने से पुलिया के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 32

197. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय मुद्रणालय के मुद्रण का कार्य असंतोषजनक है, इस पर चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री देने का समय निर्धारित न होने के कारण परेशानी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

199. श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांवडा को हरियाना तक सड़क से न जोड़ने पर चर्चा के लिए)।

Page No 87

(श्री मोहनलाल मोदी)

200. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना पाटण रोड की मरम्मत नहीं करने व पीच न डालने पर चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाबला—पाटन रोड शीघ्र नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

202. श्री आलमअलीखा (फतेहपुर) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में फैले भ्रष्टाचार व पक्षपातपूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये)

203. श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर—झुंझुनू—लोहारू सड़क को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

204. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवलगढ उदयपुरवाटी सड़क पूरी न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवलगढ रेलवे स्टेशन से घूमचक्कर तक की सड़क की हालत पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 32

206. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी मुद्रण कार्य झुन्झुनू जिले का झुन्झुनू जिले में ही करवाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

207. श्री सुरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में फैल रहे खुले भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, श्री माधोपुर के कार्यालय व क्वार्टर्स की मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 28—मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महरोली ग्राम की अप्रोच रोड को पी. डब्लू. डी. के अधीन न लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

210. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रींगस से खाटू श्यामजी की सड़क का कार्य चालू कर वहां पत्थर डालकर पैसे के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रीमाधोपुर से अजीतगढ़ के लिये सन् 1967 में सड़क का कार्य चालू कर बन्द कर देने पर चर्चा के लिये)।

212. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों की अधूरी मरम्मत को पूरा करने एवं नई सड़कें बनाने पर चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माजरीकलां से डूमरोली तक वाया दोमोद कायमा सड़क एवं कुतीना से मोहनपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बहरोड़ सब डिवीजन में आवश्यक सड़कें बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

215. श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेडा): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निम्बाहेडा-छोटी सादड़ी क्षेत्र में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

216. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर)। मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर से किशनगढ़ की सड़क पर खड्डे पड जाने के कारण तथा रूपनगढ़ के पास पुलिया का कार्य अधूरा रहने के कारण यातायात ठप्प हो गया है और यात्रियों को असुविधा होती है, जिसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर से हरसोर व खुन्डा-घाटी से डेगाना जिला नागौर के सड़कों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर तहसील से बसी ग्राम तक सड़क टूटी हुई है तथा खड्डे पड़ जाने से यातायात ठप्प हो गया है जिससे यात्रियों को असुविधा हो

(श्री परसराम गंगाराम)

रही है, इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुष्कर, जिला अजमेर से मेड़ता जाने वाली सड़क गोविन्दगढ़ तक तो पक्की डामर की सड़क है मगर गोविन्दगढ़ से आगे कच्ची सड़क है जिन पर खड्डे तथा जगह जगह सड़क टूटी पड़ी है, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा होती है। इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

220. श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सड़कों की मेंटीनेन्स न करने व मरम्मत ठीक समय पर नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 32

221. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गवर्नमेन्ट प्रेस का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

222. श्री किशनलाल वर्मा (सकराय): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय में सडकों की मरम्मत न होने से सड़कों की हालत बहुत खराब होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दौसा में दौसा कस्बे से सिगवाड़ा गांव तक सड़क पर डामर डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय के प्रमुख कस्बे गीजगढ़ को तहसील हैडक्वार्टर सिकराय से सड़क द्वारा मिलाए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा से गांव आलूदा होती हुई पापड़ा से आगे खवा तक जाने वाली डेली बस सर्विस के रूट पर सड़क बनवाए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय में गांव गोल्या से गांव लाका तक जो सड़क की स्वीकृति की गई है उसका कार्य शुरू न किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

Page No 90

(श्री किशनलाल वर्मा)

227. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मानपुर थाने से सिकराय तक जाने वाली सड़क चौड़ी कराये जाने, उसकी मरम्मत करवाकर डामर डाले जाने एवं उस पर पड़ने वाले पुलों को बनवाए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर व सवाई माधोपुर जिले के पिछड़े हुए क्षेत्र में सड़क के निर्माण कार्य में अन्य जिलों की अपेक्षा कम पूंजी लगाए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय में नई सड़क के निर्माण किए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर व उसके रास्तों में सड़कों की हालत बहुत खराब हो जाने से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ये सड़कें ली जायं और उनकी हालत सुधारी जाय, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

231. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में झुन्झुनू लोहारू व देवरोड नरहड़ व देवरोड सूरजगढ़ सड़कों की अतिशीघ्र मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले की अरडावता से सुल्ताना सड़क इसी वर्ष में पूर्ण करने पर चर्चा के लिए)।

233. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में अकाल सहायता से जो चिड़ावा मूंडेला रोड बनी है उसे निर्माण विभाग अपने अधीन लेकर सड़क बनाने का कार्य चालू करे इस पर चर्चा के लिये)।

234. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में नई सड़कें बनवाने व मौजूदा सड़कों की मरम्मत कराने में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

235. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशोरायपाटन से लाखेरी जाने वाली सड़क का कार्य धीमी गति से चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

Page No 91

(श्री नन्दलाल बैरवा)

236. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इन्द्रगढ़ से करवर जाने वाली सड़क में डामर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशोरायपाटन के छात्रावास के भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पाटन में लाखेरी से लबान तक की सड़क का डामर उचित मात्रा से न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

239. श्री सुरेन्द्रसिंह (खारची) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खारची क्षेत्र में सड़कों के अभाव के बारे में चर्चा के लिये)।

240. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सम्पूर्ण हाइवे का खर्च एवं सड़कों तथा भवनों के निर्माण की देख रेख के बारे में चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्माण कार्य के अधीन बजट का प्रावधान कम तथा अधिकारियों व कर्मचारियों पर व्यय अधिक, इस सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

242. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा लगाई जा रही पूंजी का आधा धन तो भ्रष्टाचार एवं निरर्थक कार्यों में खपाया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 32

243. संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में मुद्रण कार्य समय पर न होने तथा अधिकारियों की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

244. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जुलाई-अक्टूबर, 1968 में विभाग की दस ट्रकों को किराये पर दिये जाने से होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामसिंह कुड़ी)

245. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेजलार, सूंडरा रोड के ठेकेदार को सत्तर हजार रुपया बिना कारण देकर सरकारी धन का अपव्यय करने पर चर्चा के लिये)।

246. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (11 ट्रक एवं एक ग्रेन्यूलेटर को अप्रेल-सितम्बर, 1969 में किराये पर दिये जाने से हुई विभाग की हानि पर चर्चा के लिये

247. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (मुनाबाव-सुन्दरा रोड पर विभागीय ट्रक देकर 33 हजार रुपये का घोटाला किये जाने पर चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेजलार-सुंदरा रोड पर विभागीय ट्रकों के किराये पर दिये जाने वाले कार्य से 28 हजार की हानि की जाने पर चर्चा के लिये)।

249. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मार्च-अप्रेल, 1968 में मुनाबाव सुंदरा रोड पर विभागीय आठ ट्रकों के किराये पर दिया जाने से होने वाली हानि के बारे में चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीटूमन ड्रम्स पोकरण स्टोर से दिये जाने के कारण रु. 44 हजार के अपव्यय के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भादरा-सावा रोड घोटाला कांड की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ गढ़ के किराया वसूली में हुआ घोटाला काण्ड पर चर्चा के लिये)।

253. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 पर नाथ द्वारा के समीप बने पुलिया के कार्य में 12 हजार रुपयों का ठेकेदार को नाजायज भुगतान किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

254. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 10 रुपया कम कर दिया जाय (सहायक अभियन्ता प्रोजेक्ट सब-डिवीजन नं. 1, जयपुर द्वारा 28 हजार रुपये के घोटाला काण्ड पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामसिंह कुड़ी)

मांग संख्या 32

255. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर सरकारी मुद्रणालय में छपे इंडियन ला रिपोर्टर की बिक्री नहीं करने से हुई हानि तथा उस हानि से बचने के कोई उपाय न किये जाने के बारे मे चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

256. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यो आदि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों में व्यापक भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की उदासीन नीति का अननुमोदन)।

257. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यो आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय) राज्य में योजनाओं में निर्मित सड़कों को पूरा न कराने में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन।

258. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यो आदि के अन्तर्गत मांग, में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मउ ज्वादीपुर माध्यमिक पाठशाला की बिल्डिंग की करीब 20 वर्ष से मरम्मत नहीं कराने से बिल्डिंग बहुत खराब हो रही है, इस सम्बन्धी विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

259. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा रिटायर हुए कर्मचारियों के पेन्शन केसेज तैयार करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये।

260. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महुवा से हिण्डोन व करोली रोड पर तथा हिन्डौन से गंगापुर रोड पर कई गैंगों को समाप्त करने से कर्मचारियों में फैले हुए रोष पर चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महुवा मंडारा रोड से करौली व हिन्डौन के भरतपुर तथा कोटरी रोड के समय समय पर मरम्मत नहीं किये जाने पर विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)

262. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाईमाधोपुर जिले की सड़कों की हो रही दुर्दशा के सम्बन्ध में सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिन्डोन सब-डिवीजन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत आई हुई इमारतों की समय पर मरम्मत नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री श्रवणलाल)

264. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धवान ओलेटा रोड सम्बन्धी प्रावधान प्रथम पंचवर्षीय योजना में होते हुए भी पूरा नहीं किये जाने से सरकार की मनमानी व पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों में आई हुई भूमि का मुआवजा नहीं चुकाने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

266. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यों को पूरा करने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

267. मांग 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

268. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर, गंगाशहर रोड वाया हमालोकीबारी वर्षों से टूटी हुई है, उसकी मरम्मत नहीं होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

269. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता व लापरवाही से राज्य को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

270. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में होने वाली आपाधापी रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

271. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग की अकर्मण्यता से जनसाधारण को होने वाली हानि को रोकने पर चर्चा के लिये)।

272. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में होने वाली अनियमितताओं को रोकने में ठोस व कारगर कदम न उठाये जाने पर चर्चा के लिये)।

273. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर के बाहर नोखा से गजनेर रोड की कच्ची सड़क पक्की बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

मांग संख्या 32

274. मांग 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (लेखन सामग्री व मुद्रण विभाग में श्रमिकों को होने वाले शोषण को बंद कर न्याय दिलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

275. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री एवं मुद्रण विभाग के श्रमिकों की राणावत पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार वेतन नहीं देने से श्रमिकों की होने वाली आर्थिक हानि व असंतोष पर चर्चा के लिये)।

276. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष को दूर करने में सरकार असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

277. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंगानगर से सादूलशहर मण्डी तक सड़क बनाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

278. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंगानगर से बीकानेर की सड़क की मरम्मत करने में आज तक असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

279. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर बहुत खर्चा हो रहा है, उसे कम करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

280. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रायसिंह नगर से बूडा जोहड़ तक जो पक्की सड़क है बीच में आधा मील के कच्चे टुकड़े को पक्का बनाने में बर्ती जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

281. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोहनपुर गांव, तहसील गंगानगर से मोहनपुर रेल्वे स्टेशन तक सड़क निर्माण में बरती जा रही ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

282. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय. (राज्य सरकार हिन्दूमल कोट रेल्वे स्टेशन से हिन्दूमल कोट मण्डी तक लिंक सड़क जो मण्डी को कायम रखने के लिये जरूरी है आज तक निर्माण कराने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री केदारनाथ)

283. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गांव मिर्जेवाला से गांव दौलतपुरा, तहसील गंगानगर तक 3 मील की सड़क बनाने में आज तक असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

अनुदानों की मांगों पर विचार एवं उनका पारण

श्री अध्यक्ष : श्री जगन्नाथ।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अचानक नाम आ गया है। लेकिन मुझे याद है। आज निर्माण कार्यों की मांग पर बहस का दिन है। मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है। मैं इसमें सबसे पहले भवन निर्माण के बारे में निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हर एक जिले में पुलों का निर्माण, हास्पीटल का निर्माण हुआ है। जो विवरण दिया है, मैं सबसे पहले टोंक जिले के बारे में निवेदन करूंगा।

टोंक जिले के अन्दर भवन निर्माण के लिए इस बजट, 1971–72 के बजट में पृष्ठ 153 से 193 के दरम्यान के अन्दर पुलिस लाइन और क्वार्टर के सिवाय और कोई जगह इसमें कुछ अंकित नहीं मिला नम्बर दो, इसके अलावा, एक दूनी के लिए भवन निर्माण के लिए नजर आया, लेकिन टोडा के लिए...

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल!

श्री जगन्नाथ पटेल : टोडा के लिए भवन निर्माण के लिए, टोडा रायसिंह के लिए मंत्री जी ने कोई रकम नहीं रखी है। तीसरे बजट के समय मैंने निवेदन किया था, टोडा रायसिंह हास्पिटल बिल्डिंग है, वह बहुत ही पुरानी है, महाराजा साहब के वक्त की है, या महाराजा रायसिंह के वक्त की है या महाराजा जयपुर के वक्त की है–मैं नहीं कह सकता। उस ओर कभी आप पधारें होंगे–यह मैं नहीं कह सकता, अध्यक्ष महोदय, लेकिन 66 के अन्दर निर्माण मंत्री गये थे, लेकिन वह हास्पिटल में नहीं गये। हास्पिटल इतना छोटा सा है, जिसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके अन्दर बिजली नहीं है। उसके लिए तो मैं विद्युत मंत्री जी को अर्ज करूंगा, लेकिन निर्माण मंत्री को मैं यह निवेदन करूंगा कि उस जगह जो प्रधान डाक्टर रहता है, वह तो दूसरी मंजिल है उस पर रहता है, लेकिन नीचे छोटा सा डिस्पेंसरी का दफ्तर है और उसकी दायीं साइड पर एक छोटा सा होल है जिसके अन्दर करीबन दस चारपाई भी नहीं मायें। टोडा शहर है उसकी पांच हजार के आस पास जनसंख्या है। टोडा तहसील में 117 गांव हैं, जिनमें 10 गांव के अलावा 107 गांवों का इससे सम्बन्ध है, वहां के मरीज इस हास्पिटल के अन्दर आते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, वह अस्पताल बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके भवन निर्माण के लिए गये बजट के अन्दर आपके माध्यम से निर्माण मंत्री को निवेदन किया था, उस वक्त के बाद भी उस हास्पिटल बिल्डिंग को ठीक करने के लिए कोई बजट में प्रावधान नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय जी, इसके बाद मैं पुलिस चौकियों के लिए अर्ज

(श्री जगन्नाथ पटेल)

करूं, जो पुलिस चौकियां हैं, टोडा रायसिंह थाने के नीचे तीन चौकियां हैं, एक चौकी जो मोजारा के पास डबिरू में है, वह भूतपूर्व जागीरदार संग्राम सिंह के मकान में है। वह मकान बिल्कुल टूटा फूटा है। उसमें रहते पुलिस वाले तो घबराते ही हैं, पुलिस वाले किसी मुलजिम को लाते हैं तो वह भी घबराता है। एक दफा एक मुलजिम को पीटा, वह पुलिस से डर कर, मार से डर कर दो मंजिल से कूद गया और उससे पैरों में जख्म आये। उसके लिये मैंने निवेदन किया . . .

श्री अध्यक्ष : दो तीन साल पहले का बकाया है।

श्री जगन्नाथ पटेल : मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, पिछली दफा मैंने निवेदन कर दिया, तो इस दफा उस बिल्डिंग के लिए कोई प्रावधान रखना चाहिए।

श्री विजयसिंह : ठीक बात है, वेरी गुड।

श्री जगन्नाथ पटेल : और चौकियों के लिए कहा, और हास्पिटल के लिए कहा। अब मैं सड़कों के लिए निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय जी, राजस्थान के अन्दर कई सड़कें हैं, लेकिन मैं सबसे पहले मेरे क्षेत्र के अन्दर जो जयपुर से चाकसू, निवाई, टोंक देवली होती हुई जाती है, उसके अन्दर, मैं जिस जगह का सदस्य हूँ, 28 मील का रन है, वह सड़क है देवली से टोंक तक। माननीय अध्यक्ष जी, टोंक के एरिया से जो सड़क आती है, यह सड़क भारत सरकार की मदद से बना दी गई है। यह सड़क ऐसी है, आगरा से जयपुर और अजमेर यह नेशनल हाई वे है। इसी माफिक दिल्ली से वाया कोटपूतली और शाहपुरा बन जाय—तो यह सड़क इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर ज्यादा ट्रेफिक होता है। अध्यक्ष महोदय जी, आप जल्दी जल्दी घड़ी की तरफ मत देखो, मैं थोड़ा ही निवेदन कर रहा हूँ . . .

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत समझ लिया मुझको। आप आरम्भ रखें।

श्री जगन्नाथ पटेल : इस सड़क के ऊपर काफी मवेशी टक्कर खा कर मर जाते हैं, रात दिन जो ट्रेफिक चलता है, उसको चौकियों के अन्दर जो ट्रेफिक रिकार्ड उससे देख लिया जाय, अजमेर से ज्यादा बम्बई की तरफ ट्रेफिक जाता है। इसलिए इसको आप नेशनल हाई वे बना दें। 1957 के अन्दर कुछ बनाया था, किसानों की जमीन आई उनको मुआवजा भी मिल गया था। अब मैं इस ओर ध्यान दिलाता हूं। मेरा निवेदन है, टोंक जिले में चार सड़कें हैं, मैं हर एक सड़क के लिए नहीं कहता हूं। मेरे क्षेत्र में चार महत्वपूर्ण सड़कें हैं इनमें से दो सड़कों के लिए तो निर्माण मंत्री ने पैसा रखा है। इन सड़कों को बना दें तो टोंडा रायसिंह में एक तहसील दूसरी तहसील से मिल जाये। इसलिए इस सड़क का काम होना चाहिये। टोडा से मालपुरा नरसिंहपुरा होती हुई जाती है, वह बहुत खराब है, उस पर बरसात के दिनों में यातायात बन्द हो जाता है। यह सड़क ठीक हो जाय तो एक तहसील दूसरी से और पंचायत समिति हैड क्वार्टर से मिल जायगी यह दोनों सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं। समय

(श्री जगन्नाथ पटेल)

समाप्ति-सूचक घंटी) इन सड़कों के लिए मैं अर्ज करूं, 1969–70 में कुछ जैसा रखा था, लेकिन सात लाख रुपया इनके लिए बहुत कम था । इस साल इन रोड्स के लिए केवल 59 हजार रुपये का प्रावधान रखा है । इससे कुछ नहीं हो सकता है । मेरा निवेदन है, मेरे क्षेत्र की जो सड़कें हैं और जो हॉस्पिटल के लिए निवेदन किया उनको, अध्यक्ष महोदयजी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री को कह कर आप इस साल में पूरा करवा दें ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थिति)

श्री विजयसिंह !

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान जयपुर के अन्दर ही दिलवाना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, आये दिन हम जयपुर में देखते हैं कि सड़कें रिपेअर में चलती हैं । इसका कारण हमारी समझ में नहीं आता, कभी कहीं, कभी कहीं सड़कें तोड़ते हैं, और कहीं वापिस उनका वह लेवलिंग करते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सा पैसा तोड़ने में और वापिस ठीक करने में वेस्ट किया जाता है । तो क्यों नहीं पी. डब्ल्यू. डी. जब कि सड़के बनाते हैं उस समय पहले से ही सोच समझ कर बनाये ताकि उनको वापिस तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़े । कभी सड़क को, मैं यह भी महसूस करता हूं, नल विभाग वाले तोड़ते हैं, कभी पोस्ट ऑफिस वाले तोड़ते हैं । इसलिए जब सड़क बनती है, उसके पहले ही यह व्यवस्था हो जानी चाहिए, ताकि नल विभाग को वापिस नहीं तोड़नी पड़े, और पोस्ट आफिस वालों को भी नहीं तोड़नी पड़े । इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था को खतरा पहुँचता है, खर्चा अधिक होता है इससे जो नई सड़कें बनने को होती हैं वह नहीं बन पाती हैं ।

अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री का मैं खास तौर से इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो एम. एल. एज. बंगलोज हैं उनकी आज तक ठीक व्यवस्था नहीं होती है, आपके पी. डब्ल्य. डी. की मार्फत ठीक व्यवस्था नहीं होती है । चाहे कोई भी एम. एल. ए. बंगला हो । मैं सबसे पहले बताता हूं, यह हमारे प्राफेसर केदारनाथ के बंगले का हाल है । इसकी मैं फोटो भी लाया हूं । अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार के बंगले का आप फोटो ले आये ।

श्री विजयसिंह : मैं सबके बंगले का बताऊंगा । भैरोंसिंहजी का भी है । इसके अन्दर सारा फर्नीचर टूटा पड़ा है ...

श्री यशवन्त सिंह नाहर : आपके बंगले में ?

श्री विजयसिंह : लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. कभी सुनवाई नहीं करते हैं, माननीय सदस्य कई दफा कहते हैं ...

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है, प्रोफेसर केदार ।

श्री केदारनाथ : नम्बर टेन है।

एक माननीय सदस्य : आपत्ति नहीं की है !

श्री विजयसिंह : यह फोटो मैं सदन की मेज पर रखता हूं, इससे आपको मालूम होगा कि कितनी बुरी हालत के अन्दर फर्नीचर है। शायद हमारे जो जनता जनार्दन के लोग हैं, वह यह समझते होंगे, एम. एल.एज. इन बंगलो में किस फेसिलिटी से रहते हैं। वहां आकर देखें तो मैं समझता हूं, एम. एल.एज बंगलों में रहने के बजाय गांव के टीले पर झोंपड़ी बना कर रहना ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत इसके ....

श्री मदन सिंह : बहुत अच्छी बात है, ऐसा शुरू करो।

श्री विजयसिंह : बी 11 है कृष्ण कुमार जी का, एम.एल.ए. बंगला, इसके अन्दर सारी कुर्सियां बुरी तरह टूटी पड़ी हैं। परन्तु उनकी किसी तरह को, किसी प्रकार को रिपेअर नहीं की गई है, बावजूद बहुत से फोन करने के। यह एम. एल. ए. बंगलों के पास यह हमारे प्रहरी हैं, जो पुलिस के सिपाही हैं, उनका यह गेट का अहाता टूटा पड़ा है बुरी तरह। वह एक तम्बू के अन्दर रहते हैं जब कि चौबीस घण्टे वह गश्त लगाते हैं और एम. एल. एज. की रक्षा पर तैनात रहते हैं... छोटा सा मकान तो आपको बना कर देना चाहिए। आप समाजवाद का ढोंग तो लोगों को दिखाते हैं। समाजवाद में आप सबको बराबर समझते हैं लेकिन एक सिपाही को जिसको सौ सवा सौ का वेतन मिलता है उसके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है जो दूसरे बंगलों से पानी लेकर आते हैं, उनके लिए बिजली की व्यवस्था नहीं। रहने के लिए तंबू ऐसा दिया है कि जब वर्षा सर्दी या गर्मी होती है तो उनका दिल जानता है। नवाब साहब, आप तो महलों में बिराजते हैं, आपको अनुभव नहीं हो सकता लेकिन हम किस से निवेदन करें ? आपका डिप्टी तो भैंस के बाड़े से आया है।

यह फोटो है कम्यूनिस्ट नेता के बंगले की। उनके बंगले के सामने बुरी तरह से कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। मैं नहीं समझता वह कैसे बरदाश्त करते हैं लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से उसका कोई भी इंतजाम नहीं होता। ये सब फोटो मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप अपने पास रखें।

श्री विजयसिंह : आप देखकर स्वयं महसूस करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय अपने आप संभाल लेंगे। ये मिसाल क्यों सदन में लाने देते हैं ?

श्री विजयसिंह : सड़क टूटी पड़ी है और बरसात की मिट्टी बहुत जगह पड़ी है।

श्री अध्यक्ष: (मंत्री महोदय से) विधायकों की सुविधा की ओर आपको प्रथम ध्यान देना चाहिए।

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आप फरमा दें।

श्री विजयसिंह : मैं किसको फरमाऊं ?

श्री मदनसिंह : हाउस कमेटी की ओर से 50 बार कहा गया है ।

श्री विजयसिंह : अब मैं आपसे निवेदन करूं । आपके चीफ इंजनीयर के ऑफिस में बहुत से एल.डी.सीज., बहुत से सालों से दही की तरह जमे हुए बैठे हैं । बुरी तरह से हर व्यक्ति से रिश्वत लेते हैं और उनकी औरतें बीमा का काम करती हैं और फोर्सीबली लोगों का बीमा करके रिश्वत के द्वारा अपना काम चलाते हैं, परन्तु आप उनको रिमूव नहीं करते । किसी व्यक्ति को तीन साल से अधिक एक जगह पर रहने का मौका नहीं देना चाहिए । इस तरह से वे ठेकेदार बहुत ज्यादा रिश्वत खाते हैं ।

जहां तक सड़क का सवाल है, राजस्थान में कहीं भी चले जायं, किसी भी सड़क में लेवलिंग नहीं है । या तो आपके पास इंजीनियर्स की कमी है या आपकी दिवालिया नीति है जो लेवलिंग ठीक नहीं करा सकते । आप मोटर में जायेंगे तो आपको खड्डे ही खड्डे नजर आयेंगे । यही कारण है कि दुर्घटनायें सड़कों की लेवलिंग न होने से होती है क्योंकि ट्रक्स को ध्यान नहीं होता और वे टर्न हो जाती हैं ।

इसके अलावा अजमेर जिले में रूपनगर के पास में एक पुल बन रहा है । 4 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, उसी हालत में पड़ा हुआ है जबकि आपके विभाग के लोगों ने वहां डेरा डाल रखा है । बहुत दिनों से वहां पड़े हुए हैं । वहां खर्चा होता है परंतु प्रगति बिल्कुल नहीं होती है । 4 साल पहले जिस हालत में पुल था उसी हालत में वह पुल है । जो वर्कर्स आपने लगा रखे हैं या तो उनको रिमूव करें या कंकर डालते हैं तो नतीजा यह होता है कि बहुत से लोग गांव वाले कूटी कटाई कंकरी ले जाते हैं और डामर तोड़ देते हैं इस तरह से डामर वेस्ट होता है इस लिए पुल को जल्दी बनवायें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मकराना से 4 मील दूर बोरावड़ है वहां फैक्ट्रीज का तांता लगा हुवा है, और सुबह से शाम तक ट्रैफिक लगा हुआ रहता है । मंत्री महोदय पधारे थे वहां जोश के अंदर आश्वासन दे आए कि यूं कर दूंगा, वह कर दूंगा, परन्तु आज तक उस सड़क का कुछ नहीं हुआ । 10 साल पहले जो सड़क बनाई थी उससे भी आज खराब हालत में है । केवल मिट्टी डालते हैं उस मिट्टी का खर्च इतना हो गया होगा कि उससे नई सड़क बन जाती । आज भी वह उस हालत में है । कोई व्यक्ति साइकल लेकर उस पर नहीं चल सकता इससे अच्छा तो यह है कि आप सड़क उठाकर तिजाड़ा क्षेत्र में ले जायं क्योंकि बालू रेत होगी तो चलने में तो सुविधा होगी लेकिन उस सड़क पर चलना भी मुश्किल है ।

आपसे मैंने इसलिए निवेदन किया क्योंकि मकराना एक औद्योगिक नगर है । वहां से डीडवाना केवल 48 मील है । अभी जो सड़क से जाते हैं उससे उनको 45 मील जाना पड़ता है । अगर सड़क सीधी जोड़ी जाती है तो 24–25 मील पड़ती है । अगर डीडवाना के लिए जोड़ देंगे तो ईजी एप्रोच होगा । डेगाना से चक्कर खाकर जाने में 60-70 मील है । सीधा 24 मील से अधिक नहीं । कहने का मतलब सड़क ऐसी होनी चाहिए कि डाइरेक्ट लिंक हो । यह

(श्री विजयसिंह)
जगह ऐसी है जहां आराम से जा सकते हैं और मकराना के उद्योगों की तरक्की हो सके परंतु आपने 23 साल में मकराना क्षेत्र में केवल तीन मील की डामर की सड़क दी है, यह शर्म की बात है। न जाने 100 साल में क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता ?

इसके अलावा मकराना से पूरे 8 मील है। कुचामन से जाते हैं तो 28 मील है। अगर किसी व्यक्ति को मोटर से जाना पड़ता है तो असुविधा होती है। तो 28 मील को पार करके एक आदमी जाए जबकि डायरेक्ट 8 मील में पहुंच सकता है। तो मेरा निवेदन है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी ध्यान में रखकर इसको लिंक कर देना चाहिए, और मकराना के औद्योगिक नगर की उन्नति को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर कोई उद्योग पनपाना चाहते हैं तो सड़कों के द्वारा ही पनपाए जा सकते हैं। माइन्स पर जितनी पी.डब्ल्यू. डी. की सड़कें हैं बुरी हालत में है उनकी कभी भी मरम्मत नहीं करवाई और बहुत सी माइन्स ऐसी हैं जहां सड़क नहीं पहुंचती इसी कारण से मार्बल महंगा होता है क्योंकि बहुत सी माइन्स पर सड़क नहीं है। वहां पर माल ढोने में असुविधा होता है और खर्चा अधिक पड़ता है . . .

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त हुआ।

श्री विजयसिंह: इन सब सड़कों को ध्यान देते हुए मंत्री महोदय सारी राजस्थान की सड़कों का सुधार जल्दी से जल्दी करवाए और इन पर पैसों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि यह हमारा राजस्थान का सवाल है और जनता की गाढ़ी कमाई का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों पर मैंने अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं कि राजस्थान बनने के बाद मैं आपने मेरे क्षेत्र में, नीम का थाना क्षेत्र में, सिर्फ 16 मील की सड़कें बनाई हैं और उन सड़कों की आज हालत क्या है? क्योंकि आपको वहां जाने का मौका बहुत कम मिला है उस साइड में। वहां आज भी सड़कों की बड़ी दुर्दशा है कि वहां बसें इतनी चलती हैं, टैक्स इतना मिलता है, ट्रक चलते हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं देते, यह खेदजनक बात है। नीम का थाना से कोटपुतली को मिलाने वाली जो सड़क है कई वर्षों से चल रही है, आज तक उस सड़क का निर्माण पूरा नहीं हुआ और वर्षा में 4 मील के एरिया में बसें चलना बंद हो जाती हैं जबकि उस रास्ते पर कम से कम डेली 40 बसें चलती हैं। जितने यात्री बसों में होते हैं उनको दो मील का एरिया पैदल पास करना होता है और इस दो मील में इस राजस्थान सरकार को, वहां के विधायक और निर्माण मन्त्री को जितनी गालियां वे दे सकते हैं उतनी देते हैं। अब इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन सड़कों को जो एक दूसरे शहर से कनेक्ट करती हैं, पैसा भी बजट में

(श्री मोहनलाल मोदी)

उनके लिये अनाप-शनाप रखा जाता है, क्या कारण है कि वे पूरी नहीं होती हैं ?

सबसे पहले तो आप से यह कहना चाहता हूं कि नीम का थाना और कोटपूतली के बीच पांच मील का टुकड़ा है उसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करायें । बारिश में पेसेन्जरों को काफी दिक्कतें होती हैं । इस सड़क पर चालीस बसें जाती हैं और वह सड़क भी मुकम्मिल न हो, जहां कीचड़ भरा रहता है, पानी भरा रहता है, यह बड़ी ही खेदजनक बात है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

सीकर जिले को तो बिल्कुल ही एवायड कर रखा है सड़कों के मामले में । खाटूश्यामजी ऐसी जगह है जहां पर लाखों लोग प्रतिवर्ष मेले पर आते हैं । कोई बम्बई से आता है, कोई कलकत्ता से आता है । रींगस से दस मील का टुकड़ा है वहां पर जाने में बड़ी तकलीफात का उनको सामना करना पड़ता है कोई लड्डियों पर जाता है तो कोई बस ट्रक व गाड़ी से जाता है ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

दूसरा जीण माता का ऐसा स्थान हैं जहां पर भी लाखों तीर्थ यात्री आते है, वे बड़ी तकलीफ पाते हैं । कोई लड्डी से आते हैं, कोई बस और ट्रक से आता है । बड़ी मुश्किल से वे लोग पहुंच पाते हैं । आपको इन सड़कों के लिये प्रॉयोरिटी रखनी चाहिये । इनको जल्दी से जल्दी तैयार करना चाहिये । भारत वर्ष के लाखों लोग आते हैं । वे क्या राजस्थान के बारे में भावना ले कर जाते हैं इस ओर भी जरा सोचना चाहिये । बाल बच्चों सहित आते हैं । कोई बच्चों के जडूले उतारने के लिये आते हैं । ऐसी स्थिति में आपको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

रेनवाल से दांता रामगढ़ सड़क जाती है उसकी हालत बहुत खराब है । उनको पार्लियामेंट के चुनाव के समय वहां पर जाने का मौका पड़ा । रोड़ियां जो उखड़ी पड़ी हैं हटा दें तो भी चल सकते हैं । वरना तो वहां यह हालत है कि पैदल भी नहीं चल सकते हैं । सीकर जिले में या तो सड़क नहीं है और जहां है वहां ऐसी हालत है कि यदि कोई आदमी पैदल भी चले तो दस कदम चल कर ठोकर खाकर गिर जावेगा ।

बजट के पेज 15 पर रूरल योजना पर दो करोड़ प्रति जिला खर्च करने की योजना है । 6 जिले तो जोधपुर के हैं, दो जिले उदयपुर के हैं, दो बीकानेर डिविजन के और उसमे सीकर और झुंझुनूं जिले को तो बिलकुल ही छोड़ दिया गया है । अकाल में करोड़ों रुपया खर्च किया है । पत्थर रोड़ी सारा सामान वहां पड़ा हुआ है वह बरबाद हो रहा है, और उस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया । प्लान या नॉन प्लान जो कुछ भी आप खर्चा करें किसी भी प्रकार से इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करें ।

आपने उसमें लिखा है कि अकाल राहत के अधूरे कामों को पूरा करना है । सीकर जिले में करोड़ रुपया खर्च किया । सड़कों के ऊपर गढ्ढे पड़े हुए हैं । आपका पैसा बरबाद हो रहा है । थोड़े रुपयों के लिये आप करोड़ों रुपयों को बरबाद करें यह उपयुक्त नहीं है सारा सामान इकट्ठा पड़ा हुआ है, सोलन के लिये पत्थर पड़े हुए हैं, रोड़ी पड़ी हुई हैं ।

Page No 103

(श्री मोहनलाल मोदी)
आपको उनको प्राथमिकता देनी चाहिये और पूरा करना चाहिये ।

नीम का थाना गणेश्वर रोड को आपने मंजूर किया था। तीर्थ स्थान है। लाखों आदमी स्नान करने के लिये आते हैं। चार मील सड़क बनी हुई है और वह भी टूट गयी है। यदि उस सड़क पर डामर नहीं करायेंगे तो उस सड़क का नामों निशान नहीं रहेगा। पुलियायें आती हैं उनका निर्माण आप नहीं कराते। सड़क का आपने निर्माण किया, पुलियाओं का नहीं और डामर नहीं कराने से सड़क भी टूट गयी। आपने दस हजार रुपया पुलियाओं के निर्माण के लिये इस वर्ष रखा है। इस रुपये में एक छोटीसी पुलिया भी नहीं होगी। तीर्थ स्थान है ' '

श्री विजय सिंह : आप में दम नहीं है इसलिए नहीं कराते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : आपको चुनाव लड़ने का मौका आवेगा तब ही मालूम होगा कितना दम है आपको 72 में देख लिया जावेगा।

श्री मदन सिंह दांता : मोदी जी में दम है लेकिन गवर्नमेंट में दम नहीं है कि सड़कें तैयार हो जावें।

श्री मोहनलालमोदी : दांता से आये हुए माननीय सदस्य जोर नहीं दे रहे हैं वरना पूरी हो जाती ।

श्री मदनसिंह दांता : उनकी शिकायत है कि ज्यादा कार्य दांता में ही होता है और वहां नहीं होता है।

श्री मोहनलाल मोदी : उनकी शिकायत है कि वे बूढ़े हो गये हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आपकी गवर्नमेंट की ओर से नहीं होती है।

श्री मोहनलाल मोदी: अकाल में 70–71 तक 157 करोड़ रुपया खर्च हुआ। किन किन जिलों में आपने खर्च किया ? समाजवाद की बात लेकर आज हम चलते हैं। 157 करोड़ रुपया खर्च किया। अधूरे कार्य पूरे करने के लिये करोड़ रुपये हम नॉन प्लानसे दे रहे हैं और प्लान में और दें तो दूसरे जिलों में क्या होगा ? दूसरे जिलों में, यह फ्रस्टेशन आवेगा इसलिए आप इस ओर पूरा ध्यान दें। किसी भी जगह प्लान नॉन प्लान में रुपया लगे, आपको यह ध्यान रख कर चलना चाहिये कि सड़कें टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत करानी चाहिये, डामर नहीं हुआ है तो उन पर डामर कराना है। सड़क निर्माण की यह हालत है कि एक सड़क बनती है आज एक माह बाद जाकर देखिये तो वह टूट जाती है। ठेकेदार पूरी तरह निर्माण नहीं करते हैं। आपको ध्यान देना चाहिये। सरकार का करोड़ों रुपया लगा है। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, न देखने की वजह से आप करोड़ों रुपयों का नुकसान करें यह अच्छी बात नहीं है। जो अधूरी सड़कें हैं, आपने जो सड़कें बनाई हैं, खराब स्थिति में होने जा रही हैं तो उनकी मरम्मत कराइये। कम से कम सड़क का नाम तो रहेगा। मैं समझता हूं कि दो तीन साल और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यह 16 मील लम्बी सड़क नीम का थाना से पाटन और गणे की जो है उसका नामो निशान भी नहीं रहेगा।

(श्री मोहनलाल मोदी)

जब ट्रकों से सरकार को काफी बड़ी इनकम है, अगर रोड टैक्स जो सरकार को मिलता है उसका हिसाब लगाया जावे साल भर में उस एरिया से बसों के टैक्सों से पैसेन्जर टैक्सों से सरकार जितना पैसा वसूल करती है उसा एक चौथाई भी उस एरिया में सड़कों पर सरकार खर्च नहीं करती। तो जब आमदनी भी है, पैसा भी आता है तो फिर सरकार सड़कों की वजह से तकलीफ जो जनता को होती है उसे दूर क्यों नहीं करती ?

नीम का थाना मांवड़ा से हरियाणा को खेतड़ी होकर चक्कर खाकर जाना पड़ता है। मावंडा से हरियाणा की बोर्डर नजदीक है करीब दस-बारह मील पर सड़क नहीं होने से खेतड़ी का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है जिसमें 34 मील पड़ता है। तो जो ऐसी महत्वपूर्ण जगह हैं उधर ध्यान दीजिये।

आपने अपने विभाग में चीफ इन्जीनियर तो दो बना लिये पर काम उसके अनुसार दुगुना नहीं करते। विद्युत् बोर्ड में दो चीफ इन्जीनियर बन गये तो आप क्यों पीछे रहते ? देखा देख आपने भी दो कर लिये एक सड़क के लिये और दूसरा भवन के लिये। फिर भी क्या कारण है कि आपके पास रिपोर्ट नहीं आती समय पर और दूसरी जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं होती ? वही पुराना ढर्रा चल रहा है। दो के आने से यह लाभ तो होना चाहिये। तो आपने दो दो इन्जीनियर रखकर एक गलत तरीका अपना रखा है। इसे ठीक किया जाना चाहिये और एक ही चीफ इन्जीनियर होना चाहिये, दो नहीं। मैं इसे सरकारी धन का घोर दुरुपयोग मानता हूं। यह सिर्फ अपने अपने लोगों को तरक्की देने के लिये छोटे से अपने स्वार्थ के लिये किया गया है। सरकार का रुपया जनता की धरोहर है। आपका निजी नहीं है जिसे इस बेदर्दी से आप खर्च कर दें। इस पैसे को बचा कर सड़कों के बनाने में लगाइये न कि चन्द अपने अपने भाई भतीजों को तरक्की देने के लिये लगायें।

आज भवन का काम है, टेलीफोन करें तो अगर सड़क के इन्जीनियर के पास चला गया तो वह कहेगा कि भवन वालों को फोन करो। तो इस तरफ आप ध्यान दें। यह खर्चा न बढ़ायें। एक से ही काम अच्छा चल सकता है। जब आज तक चला तो अब क्यों नहीं चल सकता ?

तो आपका ध्यान इन चीजों की तरफ नहीं लगना चाहिये। आपका ध्यान सरकार की, जनता की हित की स्कीमों को तुरंत पूरा करने की तरफ जाना चाहिये। जो सड़कें खराब हैं, पर महत्वपूर्ण हैं उनको ठीक करावें। प्राथमिकता के आधार पर ठीक करावें। जो सार्वजनिक स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं जहां लाखों यात्री आते हैं उन स्थानों पर आप सड़कों को प्राथमिकता दें।

जयपुर से खेतड़ी का मार्ग महत्वपूर्ण है। इस पर दो नदियों पर दो तीर्थ स्थान हैं, मेले भरते हैं, एक त्रिवेणी नदी आती है पर पुल नहीं होने से और अच्छी सड़क के अभाव में बरसात में नहीं जा सकते। दूसरी कांवट की नदी आती है। इस पर भी पुल का निर्माण कराया जाना चाहिये।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ में अकाल के समय कुछ सड़कें बनीं और कुछ दूसरी तरह से बनीं। एक सड़क है झालावाड़ से रसौत के लिये। बरसों से, लगभग दस सालों से अधूरी पड़ी है। तीन साल से तो बजट मन्जूर हुआ पड़ा है, परन्तु काम नहीं हो पाता, न काम करवाया जाता है। ठेकेदार ने काम अधूरा किया है। धीरे धीरे काम करता है। एक मील टुकड़ा भी तीन साल में नहीं बन पाया है। 50/60 गांव ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध सीधा झालावाड़ से है। वे इस सड़क पर पड़ते हैं। गत वर्ष भी यह सड़क बनाई गई, पर इस तरह से बनी कि उधर बनती जाती थी और इधर टूटती जाती थी। थोड़ी सी बारिश से ही सड़क समाप्त हो गई करीब करीब। कच्ची सड़कों से भी इसकी हालत बदतर है। इसके लिये मैंने मिनिस्टर साहब को भी पत्र लिखा था। पर उत्तर नहीं मिला। न उन्होंने मौका देखा कि सड़क की क्या हालत है। ठेकेदार को पेमेन्ट पूरा किया जाता है। पर काम ठीक नहीं करता। मिट्टी की जगह बोल्डर डाल देता है। जितनी सड़क बनी है, नाकारा है। आप जांच कर सकते हैं।

दूसरी सड़क है जूनागढ़ की एप्रोच रोड। 2 मील का है। रोड पर मैटीरियल पड़ा है। नाले वगैरा बनाने के लिये भी ठेके दे दिये पर श्री कन्हैयालाल जी के कहने से मेरे क्षेत्र के इन कामों को रोक दिया गया है। साल भर हो गया काम नही हो रहा है जबकि रा- मैटीरियल सब पड़ा है। लोगों का इस सड़क से निकलना मुश्किल हो गया है। क्योंकि सारा सामान सड़क पर डाल दिया गया है। दूसरी सड़क बनाई गई, पर उसमें भी कीचड़ हो गया। तो यह राजनैतिक पक्षपात आपकी ओर से किया जाता है। इतना भ्रष्टाचार भी इन सड़कों पर होता है कि जिसकी सीमा नहीं। आप मौके पर पधार कर देखें यह क्या है?

तीसरी बात, अकाल में जितनी सड़कें बनीं उनमें कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जिन पर काम नहीं हुआ। एक डाक बंगला रोड बनी इस पर 47131) रुपया खर्च किया। पर काम केवल दो तीन महीने ही हुआ। इतना जबर्दस्त भ्रष्टाचार?

झालरापाटन-सुनेल सड़क बनी। 32321) रुपया खर्च हुआ। पर इस सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि आप जाकर देखेंगे तभी विश्वास होगा आपको।

कानोड और बनोल सड़क बनी। 24600) खर्च हुआ। पर इस सड़क का पता नहीं। मिट्टी पड़ी है और देखने से ऐसा लगता है कि यहां कोई सड़क नहीं है। खड्डे पड़ गये। पुरानी सड़क गायब हो गई। दूसरी जगह सड़क बन रही है। परेशान हो रहे हैं लोग। तो सरकार इस तरफ ध्यान दे। इसी प्रकार कोटड़ी-पीड़ावा रोड पर 179 हजार का खर्चा बताया गया है। पर सड़क का नाम निशान नहीं है कहीं कहीं पर तो इतना जबर्दस्त भ्रष्टाचार इन सड़कों के काम में है।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

यही हाल अकाल की सड़कों में हुआ है। इसके बारे में राज्य सरकार से मैंने पहले भी निवेदन किया था। जुझारसिंह जी ने भी लिखा था। पर आज तक इनकी जांच नहीं हो पाई है। न जांच अब आप कराने वाले हैं। ऊपर वालों से बात करें तो भी कुछ असर नहीं होता। नीचे वाला यह पैसा ऊपर तक भी जो जाता है।

इसके लिए निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से कि वे जाकर जनता के प्रतिनिधियों से मिलें, और जांच करावें तो उत्तम होगा। वैसे आपका ध्यान झालावाड़ की तरफ कतई नहीं है। आप उनसे मिलना पसन्द नहीं करते।

दूसरी बात, झालरापाटन नगर के पास एक पुल है। बरसात में खराब हो गया। करीब ढाई तीन सौ ट्रक वगैरह रोज उस पर से निकलते हैं। बैलगाड़ियां तक फंस जाती है वहां। पर कितना ही कहने पर भी इन्जीनियर साहब ने कोई मरम्मत नहीं कराई। लोग रोज परेशान होते हैं। छोटी सी बात के लिए लिखापढ़ी करें पर उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता। इस प्रकार निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला है।

तो जो बातें निवेदन की, और जिन सड़कों की हालत ठीक कराने की तरफ ध्यान दिलाया है उनको आप ठीक करावेंगे और मौके पर पधार कर सारी बातों को आप स्वयं देखें और जो अधूरे काम पड़े हैं उनको तो कम से कम पूरा कराने का प्रयत्न करें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनलाल वर्मा।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, तहसील सिकराय, जिला जयपुर की सड़कों की तरफ मैं सरकार का और मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

तहसील सिकराय में गीजगढ से गेरोटा तक की सड़क खराब हो गई है। जगह-जगह सोलिंग निकल आई है जिस पर से होकर कोई ट्रक या बस आसानी से पास नहीं हो सकती। इसकी मरम्मत कराये भी काफी समय हो गया है। कई बार जनता की तरफ से भी सार्वजनिक विभाग के मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।

दूसरी सड़क है भांडारेज से सरायगढ रानोली होकर उकाली की घाटी तक। यह सड़क जगह जगह टूट फूट गई है, गिट्टियां सब उखड़ गई हैं, सोलिंग निकल आई है, बसों और ट्रकों का चलना असम्भव सा हो गया है, थोड़े दिनों यही हालत रही तो सड़क का अस्तित्व ही गायब हो जावेगा। इस टुकड़े पर जगह जगह नाले छोटे-बड़े कई हैं। बरसात में चूंकि इन पर पुलिया नहीं है तो आवागमन चार महीने के लिए करीब करीब रुक जाता है। बस सर्विस तो बिल्कुल बन्द हो जाती हैं। बैलगाड़ियां तक भी नहीं निकल पाती। एक पुल तो भांडारेज और गेरोटा के बीच में होना जरूरी है, काफी चौड़ी नदी इन दोनों गांवों के बीच इस सड़क पर पड़ती है। वह नाला इतना गहरा है कि जिसमें से होकर कोई आर-पार आ जा नहीं सकता, बरसात के दिनों में।

(श्री किशनलाल वर्मा

इसके अलावा यह सड़क इतनी खराब हो गई है कि इसकी वजह से साइकिल तक इस सड़क पर चलनी सम्भव नहीं रह गई है। आवागमन के साधनों की इस सड़क के खराब होने से बड़ी दिक्कत रहती है। इसके लिए जनता ने भी सरकार का ध्यान कई बार आकर्षित किया है। पहले भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और इस रूट पर जो बसें चलती हैं उन बसवालों ने भी सरकार को लिख कर दिया है लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस सड़क की हालत खराब हो चुकी है।

दूसरी जो सड़क है, मानपुर से लेकर सिकराय तक गई है। यह जो सड़क है वह चौडाई में कम है। दूसरी बात यह है कि इसकी मरम्मत भी नहीं हुई है। काफी टूट गई है और मिट्टी उखड़ जाने से इसकी हालत खराब हो गई है। इसी बीच जो बरसात का पानी आता है वह पानी इतना ज्यादा होता है और उसकी वजह से रास्ता एक तरफ से उन दिनों में बन्द हो जाता है। इसलिए उस पर एक पुलिया बनाया जाना जरूरी हो गया है और इसकी चौड़ाई कम हैं उसको भी और चौड़ा कराना आवश्यक है और मरम्मत भी जल्दी से जल्दी हो। पूरी सड़क पर डामर बिछाई जानी चाहिए। तब जाकर इस सड़क की हालत ठीक हो सकती है। आज की स्थिति में इसको हालत बहुत खराब है।

एक सड़क है ठीकरिया से करौली तक गई है यह लिंक रोड है। इस लिंक रोड को हालत बहुत खराब हो गई है। जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं और सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। इसकी थोडी मरम्मत कराना आवश्यक हो गया है इस सडक को आगे बढाकर चान्देरा तक ले जाया जावे। इसकी मांग जनता द्वारा भी की गई है।

इसी प्रकार तहसील दौसा में लालसोट रोड है। जहां से सडक बनियाना गई है। यह सड़क कई जगह से खराब हो गई है जिससे आने जाने में दिक्कत होती है। यह सडक आगे जाकर लवाण तक जाती है। इसका काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। कार्य अधूरा पड़ा है। साथ ही साथ इसकी मरम्मत होना भी आवश्यक हो गया है। दौसा कस्बे से सिगवाडा तक कच्चो सड़क बनी हुई है जहां बरसात की ऋतु में पानी भर जाता है और आवागमन बन्द हो जाता है। इस पर डामर डालना अति आवश्यक है। बिना डामर के इस सडक का कोई उपयो नहीं है। क्योंकि बरसात में इस सड़क पर काफी कीचड रहता है।

इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय को कुछ नई सड़कों के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूँ। सिकराय से गीजगढ कस्बे तक इस कस्बे को जोड़ने के लिए एक सडक बनाना आवश्यक है। सिकराय से गीजगढ तक जाने के लिए जो सडक जाती है उस से करीब 15/16 मील का चक्कर लगा कर जाना होता है। पहले थाना मानपुर जाना पड़ता है। वहां से सिकन्दराबाद और फिर गीजगढ जाते हैं। इसको जोडने से 16 मील का चक्कर कम पड़ जाता है और यह चक्कर तीन मील सड़क बनाने से दूर हो जाता है। यह तीन मोल की सड़क सिकराय से शुरू होकर

(श्री किशनलाल वर्मा)

मूडिंया खेड़ा मोरेड होते हुए आगे जाती है। इस प्रकार तीन मील की सड़क बनने से दो कस्बों का मिलान हो जाता है। इसका बनना आवश्यक है। यह सड़क आसानी से बन सकती है। मैं आशा करता हूँ कि यह सड़क बनायी जायेगी और सरकार इस पर ध्यान देगी। वैसे इस सड़क का सीधा मिलान सिकराय से गीजगढ तक भी हो सकता है और यह 4/5 मील की होगी। इससे जनता को और व्यापारियों को लाभ होगा। अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस सड़क के बन जाने से आसपास के लोगों को आने जाने में सुविधा होगी और व्यापारी वर्ग को बहुत लाभ होगा।

इसके अलावा अलदा, पापड़दा और खवा तक एक सड़क जाती है, वह कच्ची सड़क है और इसका ठीक होना आवश्यक है। यह बस का रूट भी है, अकाल राहत कार्यों के तहत इस सड़क पर कार्य चलाया गया था और काफी पैसा खर्च किया गया है फिर भी हालत इसकी बहुत ही खराब है। इसका सर्वे भी करीब करीब पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक इसको पक्की सड़क के रूप में बनाने का काम नहीं हुआ है। इसका काम अभी तक हाथ में नहीं लिया गया है। इसकी वजह से जनता को बहुत दिक्कत होती है। बरसात की ऋतु में बस सर्विस रुक जाती है, लोग आ जा नहीं सकते और इस तरह लोगों को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सड़क खवा से आगे भी जाती है और उधर से काफी संख्या में ट्रक आते जाते हैं। ये ट्रक खानों से पत्थर लाते हैं और इसी सड़क पर आते-जाते हैं। खवा से जो भाण्डारेज तक सड़क आती है उससे इसको मिलाया जाये। वहां पर इस तरफ से इस सड़क को मिलाना चाहिये। तो जनता को राहत मिलेगी और इसकी मरम्मत होना भी आवश्यक है।

इसी प्रकार करौली से चन्देरा तक एक सड़क बनाना आवश्यक है। पहले तो सड़क का लिंक रोड चान्देरा तक बढ़ा देना चाहिये। चान्देरा एक कस्बा है। इसको दो मील और बढ़ाना होगा और इससे में बड़े बड़े गांव भी पड़ते हैं। इसके बनाने से आम जनता को ही फायदा होगा।

इसी प्रकार तहसील सिकराय का जो नेशनल हाइ वे है उसके 53/5 मील पर ग्राम नौकरी पड़ता है। वहां से लेकर कालवण पाडली होती हुई धोलखा तक एक सड़क बनाई जाय जो सिकन्दरा और गीजगढ़ रोड पर मिले। इसके बीच में कई गांव हैं और वहां पर आवागमन का और कोई साधन नहीं है जिससे जिले कि जनता को राहत हो। इसलिये इसका बनाया जाना बहुत आवश्यक है जिससे कि आवागमन का रास्ता खुल सके।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जो जयपुर शहर की सड़कें हैं उनके बारे में भी मैं निवेदन करूंगा। जयपुर शहर की जो सड़कें हैं वे जयपुर म्युनिसिपेलिटी के पास में हैं। आज उनकी हालत काफी खराब हो गई है। इसके बारे में मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से विशेष तौर से निवेदन करूंगा। क्योंकि उनको बने आज बीस-बीस साल हो गये हैं। एक बार भी उनकी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है।

(श्री किशनलाल वर्मा)

आज तक उनकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। उनमें काफी बड़े बड़े गड्ढे हो गये हैं। सरकार का और नगरपालिका का किसी का उस ओर ध्यान नहीं जाता है। नगर परिषद् के पास तो पैसा नहीं है कि वह इस काम को पूरा करा सके। इस प्रकार की हालत हरिजनों के मोहल्लों और जो कच्ची बस्तियां हैं उनमें हैं। वहां पर सडकों की हालत खराब है। और एक तरह से वहां कोई सड़क ही नहीं है। वहां की सड़कें जगह जगह से टूटी पड़ी हैं और कच्चा रास्ता हो गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो कच्चे इलाके हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाये।

इसके साथ ही यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिले के लिये सड़कों के लिये जो पैसा रखा गया है वह बहुत ही कम रखा गया है। इस डिवीजन में आवागमन के साधन भी बहुत कम हैं और सड़कों की मरम्मत कभी नहीं की गई हैं। पश्चिमी राजस्थान में सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है। अकाल राहत में वहां पर यह कार्य बहुत हुआ है और वह आवश्यक भी था क्योंकि उस समय लोगों को राहत देनी थी। लेकिन इधर पूर्वी राजस्थान में सड़कों की तरफ देखा जाये तो एक तरह से सड़कों का पूरा अभाव है। इसलिये इस पर पैसा खर्च किया जाना बहुत आवश्यक है: इसलिये मेरा निवेदन हैं कि इस मद में और पैसा बढ़ाया जाये।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय जो गबन के मामले हैं उनकी ओर भी मैं विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस ओर सख्ती बरती जानी चाहिये। दिनोंदिन गबन और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन में एक राजेन्द्र कुमार नामक व्यक्ति है उसने 18,408/– रुपयों का गबन किया और फरार हो गया। मुलजिम का आज तक पता नहीं है। पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नहीं की है। इसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

दूसरा केस इसी प्रकार मेकेनिकल स० डिवीजन का है। इसमें बद्री प्रसाद नामक एक व्यक्ति ने 15 हजार का गबन किया। उसको सस्पेन्ड किया है लेकिन उस केस को पुलिस को नहीं दिया गया। इसका मतलब यह होता है कि दूसरे लोगों को गबन करने का मौका दिया जाता है और गबन, भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। सिटी डिवीजन–3 में रामजीलाल नामक व्यक्ति ने 5 हजार का गबन किया। रुपये जमा हो गये लेकिन पुलिस को यह केस नहीं दिया गया और उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। इसी प्रकार सिटी डिवीजन में पुरुषोत्तमलाल नामक व्यक्ति ने दस हजार का गबन किया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह एक सहकारी समिति में करीब 80 हजार का गबन हुआ है। वह मामला पुलिस में नहीं दिया गया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वह मामला इसी तरह पड़ा हुआ है। अधिकतर जो गबन हुये हैं वह बी. के. गुप्ता के समय में हुये हैं। मैंने इस बारे में ध्यान आकर्षित किया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की। पता नहीं क्यों नहीं कार्यवाही की गई। उन्हीं के समय में ज्यादातर गबन के केसेज हुए हैं।

(श्री किशनलाल बर्मा)

इसी प्रकार जयपुर स्टेडियम बिल्डिंग का कान्स्ट्रक्शन कार्य इंजीनियरों की गलती के कारण दो लाख रुपये की लागत का तुड़वाया गया। इससे सरकार को नुकसान हुआ है। ऐसे नुकसान को रोका जाय तो फायदा होगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग कुछ दुकानें किराये पर दी हुई हैं उसमें कई की झगड़े हैं कहीं दूसरों को दे दिया गया और नाम नहीं दिया गया है। इसी प्रकार के पुराने झगड़े हैं। राधावल्लभ एण्ड सन्स की दो दुकानें थी उसकी मरम्मत के लिये अकेले व्यक्ति को 80 हजार रुपये की मरम्मत का काम करा दिया गया जबकि दूसरी दुकानों के लिये काम नहीं कराया गया है। जो व्यापारी पैसे वाले होते हैं, उनके लिये तो काम कराया जाय और जो व्यापारी पैसे वाले नहीं होते हैं, उनके लिये काम नहीं कराया जाय। यह असमानता बरती जाय तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी जगह भी मरम्मत के कार्य करवाये जायं। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा बाईस सौ रुपयों की गर्डर खरीदनी थी उसके एवज में चौदह सौ रुपये की गर्डर ली गई और रि-रोलिंग के लिए चार्जेज 250 रुपये प्रति टन और लिये गये। इससे सरकार को काफी नुकसान हुआ है। इसमें करीब डेढ दो लाख का घाटा हुआ है—इस ओर ध्यान दिया जाय और साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि गवर्नमेन्ट होस्टल जहां एम.एल.एज. रहते हैं वहां के कमरों की हालत अच्छी नहीं है। वहां पर एम. एल. ए. अच्छी तरह से नहीं रह सकते हैं न तो वेन्टीलेशन है और जो छोटे कमरे हैं इस पर ध्यान नहीं दिया गया है पहले भी हमारे विधायकों ने इस बारे में बतलाया था—देखा जाय तो वहां विधायक लोग नहीं रह सकते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की जाय जैसे दूसरे राज्यों में हमने देखी है। वहां हालत कई दर्जा बढ़िया है। उसी प्रकार इस ओर ध्यान दिया जाय और जो गवर्नमेन्ट होस्टल की हालत है वह ठीक की जाय और कमरों के बारे में व्यवस्था की जाय। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण तानीवाल।

श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित दिये हैं जिसके संदर्भ में मेरे पूर्व वक्ता हमारे झालावाड से जीतकर आये हैं श्रीराम प्रसाद जी उन्होंने झालावाड़ जिले के सम्बन्ध में कहा है, लेकिन मैं भी अपने निर्वाचन क्षेत्र और उसकी सड़कों के सम्बन्ध में श्रीमान् मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शायद उनको ख्याल होगा जब एक बार झालावाड़ पधारे थे तो उन्होंने सड़कों की दुर्दशा देख कर या किसी कारण से वहां के सम्बन्धित विभाग को यह आदेश दिया था कि डग-भवानी मण्डी की जो सड़क है साथ ही पिड़ावा का जिक्र था यह कहा था इसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव बनाकर भेजे जांय मुझे ख्याल नहीं की केवल-कहकर दूर हो गये। सुझाव भेजा या नहीं, क्यों नहीं भेजा इस बात पर उनका ध्यान नहीं गया। शायद यही उनकी रीति-नीति होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं जिस रोड का जिक्र कर रहा हूं, एक बार शायद आप भी वहां पधारे थे और आपको ख्याल होगा

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

उस रोड से लगता हुआ एक इतिहास प्रसिद्ध स्थान है जो कोलबी की गुफाओं के नाम से जाना जाता है वह बौद्ध कालीन गुफाओं के नाम से जाना जाता है। वहां बौद्ध कालीन गुफायें है और सैकड़ों यात्री वहां पर आते हैं, लेकिन उस स्थान को देखे जाने में असफल रहते हैं महज इसलिये कि वहां जाने के लिये सड़क का प्रबन्ध नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में वहां के विभाग के अधिकारियों को भी कहा कि आप इस सड़क की ओर ध्यान दें। जब भी इस सड़क को बनाया जाय तो इससे चार मील दूरी पर कोलबी गुफायें जो विभिन्न प्रकार के चित्रों और मूर्तियों का एक मात्र ऐतिहासिक स्थान है और एक आकर्षण स्थान है, उस स्थान को भी जोड़े। अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो न केवल देखने वालों को ही सुविधा होती है, वल्कि इस स्थान की महिमा भी बढ़ जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सड़क के सम्बन्ध में मैंने सन् 67 से अनेक वार प्रश्न उठाये हैं। उन प्रश्नों के उत्तर के दौरान इन्होंने कई वार जवाब दिया कि हम इस पर काम करवा रहे हैं। शायद ज्ञात होगा सन् 64 का जो ठेका था वह भी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है और लगभग 14 लाख रुपये खर्च हो जाने के पश्चात् भी आज यह हालत है कि जरा सा पानी गिर जाय तो वहां के रास्ते वन्द हो जाते हैं। आपने वताया है कि वह रूट एक कांक्रीट का रूट है। उसकी यह परिभाषा है जिसके उपर वस कभी रुकनी नहीं चाहिये लेकिन वहां के वस मालिकों का कहना है आज इस रूट पर अपनी नई बसें जो उनके पास उपलब्ध है वे नहीं चलाना चाहते है क्यों नहीं चलाने चहाते हैं? मैंने उनसे कहा आप इस रूट पर जो वसें चलाते हैं वह ठीक नहीं है तो उन्होंने कहा इस सड़क की बड़ी दुर्दशा है यदि हम नई वस चलाते हैं तो उस वस की मरम्मत थोड़ी ही करवानी है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह सड़क और वह स्थान लगभग एम. पी. से मिलता हुआ स्थान है। जब मैं एक वार एम. पी. में जा रहा था तो वहां पर एम. पी. वोर्डर का जो ऐरिया था उसमें प्रवेश किया तो लगभग 25-30 कदम की दूरी पर वहां पर वहुत बढ़िया पुल बना हुआ था और मैंने देखा। लगातार मैं भोपाल तक बराबर वस के द्वारा गया हूं लेकिन उन सड़कों को मैंने जितना अच्छा पाया उतना ही बुरा मैंने अपने जिले की सड़कों को पाया है। क्या कारण है एम. पी. में सड़कों पर पैसा खर्च किया जाता है और राजस्थान में नहीं। लेकिन ऐसी वात नहीं है। आज हालत यह है और मेरा सुझाव है कि आज एक इस प्रकार से विचार करके चलना चाहिये जैसे एक जिला स्थान है और उस जिले स्थान से तहसील स्थान तक अच्छी सड़क का निर्माण होना चाहिये। और तहसील स्थान जो एक मुख्य स्थान होता है, उसको एक अच्छी सड़क से जोड़ा जाना चाहिए। जहां पंचायत समिति के भवन होते हैं। जहां लोगों का आना जाना वरावर बना रहता है। ऐसे स्थानों को अच्छी सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। जिससे कि यह लगे कि हम लोग वरावर उन्नति कर रहे है। आज जो लोग बसों से वहां पहुंच पाते हैं उनको मालूम है कि सड़क

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

की कितनी दुर्दशा होती जा रही है। शायद हमारे यहां एक बार मुख्य मंत्री जी चुनाव के दौरान पधारे थे। कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर बातचीत भी की थी। जब उन्होंने यह पूछा कि यहां का क्या हाल चाल है। तो उन लोगों ने कहा कि आप के चेहरे पर जो धूल उड़ रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि यहां आने जाने का साधन नहीं हैं। बिजली आने की बात तो बहुत दूर है। उपाध्यक्ष महोदय, इतने वर्षों के बाद हम आवागमन के साधन नहीं जुटायें तो अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से अकलेरा–झालावाड़ रोड है। इन्होंने साफ कहा था कि वह बनाना नहीं चाहते हैं। कारण उस एरिया से विरोधी पक्ष के लोग जीतकर जाते हैं। इसलिए उनकी ऐसी नीति है कि इस जगह पर काम नहीं होना चाहिए। जिससे जनता को यह मालूम पड़े कि जहां से विरोधी पक्ष के लोग जीतकर जाते हैं वहां काम नहीं होता है: लेकिन जहां से विरोधी पक्ष के लोग जीत कर जायें और वह दल बदल कर लें तो वहां चाहे जो अनर्थ करना पड़े, दुराचार करना पड़े, वहां वह काम जरूर करवाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि सड़क निर्माण कार्य को आप निष्पक्ष भाव से करें।

श्री देवीदत्त गाडिया: आप निष्पक्षता की बात करते हैं? वहां अगर मस्जिद होती तो वहां 4 मील का टुकड़ा नहीं बना देते। नवाब साहब मन्दिर के लिए सड़क नहीं बनवा सकते।

श्री अमीनुद्दीन लुहारू: नवाब साहब ने कई मन्दिर बनवा दिये हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया: वहां ऐतिहासिक स्थान है। आप क्यों नहीं सड़क बनवाते हैं?

श्री अमीनुद्दीन लुहारू: चूंकि मन्दिर और मस्जिद का जिक्र किया गया है।

श्री देवीदत्त गाडिया: सड़क बनवाई होती।... (आगे अश्रव्य)

श्री शंकर लाल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देवीदत्त जी ने जो आरोप लगाया है, वह सही नहीं है। सड़क नहीं बनी है लेकिन मस्जिद और मन्दिर की बात उठाना ठीक नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया: (अश्रव्य)... मस्जिद की जमीन को नवाब साहब ने वापिस दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर, आर्डर।

श्री शंकर लाल: हमारे यहां पर एक मन्दिर था, वहां पर जल्दी से जल्दी सड़क बनवाई है। यह आरोप उचित नहीं है।

श्री मदनसिंह: हमारे तोदाता रामगढ में एक मन्दिर है, वहां सड़क ही नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया: क्यों नहीं आप सड़क बनवाते हैं।

श्री शंकरलाल: हिन्दू मुसलमान का सवाल क्यों बनाते हैं। ये मन्दिर मस्जिद का सवाल नहीं उठायें।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

Page No 113

श्री देवीदत्त गाडिया : चिलम भरते फिरते हो, कुछ पता है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ,

श्री शंकरलाल : मन्दिर मस्जिद की बात क्यों करते हैं ।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाता ।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बात तो सच है ।

श्री लक्ष्मण तालीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का यह कलंक का वादविवाद पैदा हो गया । हमारे गाडिया साहब ने कह दिया कि मस्जिद हो तो सड़क बनवा देते । मन्दिर है इसलिए नहीं बनवा रहे हैं । आज अगर यह किसी विशेष धर्म के लिये करें और किसी और धर्म को आघात पहुँचता है तो यह राजकीय कर्त्तव्य की बात नहीं है । हम इसे सामान्य रूप से देखते हैं । मैं नवाब साहब से निवेदन करूंगा कि वे दृढ़ता का परिचय दें । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर यही एक सड़क आती है । उस पर एक पुलिया का अभाव है और एक नदी जो उस पार बहती है उस पर बहुत पहले एक सर्वे हुआ था । उस सर्वे होने के बाद काफी रकम खर्च होने का अनुमान था । आज तक सर्वे होने के बाद पुलिया नहीं बनाई गई है । पच पहाड़ के पास जो नदी बहती है, उसके संबंध में मैं कहूंगा कि अगर उस नदी पर पुल बन जाता है तो आवागमन में बाधा नहीं होगी । मैं निवेदन करूंगा कि इस पर पुल बनवाकर सदा सदा के लिए आवागमन की बाधा दूर कर दें अगर वह बन जाता है तो आवागमन का साधन बन जाता है । अन्यथा जिस प्रकार से लोग चक्कर काट कर आते है, वह दूर ही नहीं पड़ता है खर्च भी अधिक उठाना पड़ता है । इसलिए निवेदन करूंगा कि उस सड़क पर अधिक से अधिक ध्यान देकर शीघ्र निर्माण कराने का कष्ट करें । छीपा बड़ौद, अकलेरा, पाटन तक जो सड़क है, वहां पहले तो पत्थर डाल दिये । बाद को वह पत्थर भी लोगों ने उठा लिये । धार्मिक स्थान होने के कारण और तहसील से जुड़ा हुआ है । लेकिन सड़क के अभाव में वह पिछड़ा हुआ है । तो मैं अत्यन्त नम्र शब्दों के साथ निवेदन करूंगा, झालावाड़ सड़क के साथ जहां आपका विशेष सम्बन्ध रहा है, मैं निवेदन करूंगा कि आप विशेष तौर से ध्यान देकर निर्माण करायें । पुल बनाने की मेहरबानी करें । यही आप से निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्याणमल ।

(अनुपस्थित)

श्री देवीलाल ।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे 5 कटौती प्रस्ताव हैं । हमारे यहां बहुत बड़ी सड़क तो नहीं है । लेकिन डिवरी गांव व्हाया सल्लाड़ा, बस्सी तक जाती है । सल्लाड़ा गांव के पास

(श्री देवीलाल मीणा)

गोमती नदी है। उस गांव तक बस जाती है। यह सड़क है जो सलूम्बर तक और रेल्वे स्टेशन तक इसको जाने की जरूरत है। इसके बन जाने से उदयपुर से चलने वाली बस सलूम्बर तक जा सकती है। इससे काफी लोगों को फायदा होता है। यह सड़क बनना बहुत ही आवश्यक है। इस सड़क पर राज्य सरकार की ओर से काफी पैसा लग चुका है, लेकिन कुछ कलवर्ट्स पुलिया की वजह से बस चलना बड़ा कठिन हो गया है। दूसरी सड़क है, जो डीगरी से नठारा, थाना और डायमी होकर धामण्ड को पहुँचती है, को जोड़ती है। यह रेल्वे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क है, यह सड़क काफी गांवों को जोड़ती है, और रेल्वे स्टेशन को भी जोड़ सकती है। यह सड़क काफी बन चुकी है, लेकिन कुछ मामूली अधूरा काम रह जाने से इस सड़क पर बस चलना कठिन है, इसलिए जो बस मालिक हैं, वह पूरी सड़क नहीं बनने की वजह से उधर बस नहीं चलाते हैं।

एक सड़क है, जावर माइन्स से पलोदेड़ा से देपुरा। और पलोदेड़ा गांव तक सड़क बनी हुई है। पलोदेड़ा से दो मील की सड़क बनी हुई नहीं है। बिल्कुल दो मील की सड़क बन जाती है तो जावर माइन्स को जोड़ती है। आज जावर माइन्स पर हजारों आदमी काम करते हैं, वहां पर आस पास के गांवों के मजदूर जाते हैं, इनको आने जाने की सुविधा नहीं है। अगर यह दो मील की सड़क बन जाती है तो पलोदेड़ा से जावर माइन्स तक बस चालू हो सकती है और जो हजारों आदमी काम करते हैं उनको फायदा मिल सकता है और उनके आने जाने के समय की पाबन्दी हो जाती है। वह अपने टाइम पर मजदूरी पर जा सकते हैं और मजदूरी करके समय पर घर वापिस पहुंच सकते हैं। वहां पर बस चलाने के लिए बस मालिक तैयार हैं, लेकिन दो मील का टुकड़ा न होने की वजह से पलोदेड़ा के साथ, जो उदयपुर से आने वाली सड़क हैं, उनको जोड़ सकते हैं। इसलिए यह दो मील का टुकड़ा तैयार करवाया जाय, इससे जावर माइन्स के सारे मजदूरों का फायदा होगा।

बस्सार से चावडा, समतला, बाना और सलूम्बर को सड़क जाती है। चावडा होकर बस चलती है, इस सड़क पर काफी काम हो चुका है, इस पर पुलिया बनी हुई है, लेकिन लेन्टर्न नहीं पड़ने की वजह से नहीं के बराबर है। यह सड़क बनाने के लिए पुलिया, लेन्टर्न डालने की व्यवस्था की जाय ताकि इस पर बस चल सके।

उदयपुर से पलोदेड़ा, सराड़ा कल्याणपुरा, रिषभदेव, सराड़ा, सुखनखेड़ा तक सड़क बन गई है, सेमाली, कुण्डा कल्याणपुरा तक काफी डामर के ड्रम पड़े हैं और इस पर काफी मैटिरियल पड़ा है। मैं इसलिए आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी को निवेदन करता हूं कि यह जो डामर के ढोल पड़े हैं, उनमें से बेकार डामर ढुल रहा है, इसलिए इस सड़क को पूरा बनाने में इसे काम में लिया जाय। मेरा निवेदन है, यह सड़क तैयार होने पर काफी आवागमन के साधन आम जनता को मिल सकते हैं, और रेल्वे स्टेशन डीगरी का बताया है, यह सभी गांवों से जुड़ सकता है, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्रसिंह !

श्री सुरेन्द्रसिंह (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान कुछ मेरे क्षेत्र की सड़कों के बारे में दिलाना चाहूंगा। एक सड़क सोजत रोड से कंटालिया तक बनना अत्यन्त आवश्यक है। वह इतना खराब रास्ता है, उस पर इतनी रेत है कि मोटर और गाड़ियों के आने जाने में बहुत मुश्किल रहती है और लोगों को बहुत दिक्कत आती है।

दूसरी सोजत रोड़ से फूलाद तक डामर की सड़क बनी हुई है, वह काफी खराब हो चुकी है। उसको डामर रोड़ बनाने की मेरी मांग है। गई गर्मियों में सिलाड़ी के ठाकुरसाहब की शादी में मुख्य मंत्रीजी पधारे थे, उस समय उन्होंने आश्वासन दिया बताते हैं, मैं तो उस समय था नहीं, डामर रोड़ बना दी जायेगी। वहां पर उसके पास मेटिरियल पूरा पड़ा हुआ देखा है, वह वहां काफी समय से पड़ा है लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। वह डालने से लोगों को सुविधा हो जायेगी। क्योंकि आगे बरसात होने वाली है। बरसात आने वाली है, उसके पहले दो महीनों में काम किया जाय तो ठीक रहेगा।

तीसरी सड़क है, जाड़न से मारवाड़ जंक्शन, वह बारह मील का टुकड़ा है। वह डामर का बना हुआ है। 1962 के चुनाव के बाद स्वर्गीय महाराजा झालावाड़ जब पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री थे तब उन्होंने सैंक्शन की थी, उसके दो तीन साल बाद काम बन्द करवा दिया, बारह मील में से पांच मील का टुकड़ा बनवाया गया था, फिर वह काम न जाने क्यों बन्द कर दिया। फिर 1967 के चुनाव हुए तो दिसम्बर जनवरी में उसका काम शुरू करवा दिया, और मारवाड़ जंक्शन तक काम कम्प्लीट किया। उस जल्दी जल्दी में लोगों को यह कह कर, मारवाड़ वालों को यह कह कर कि वोट कांग्रेस को देना, यह सड़क बनवा रहे हैं, उन्होंने सड़क बनवाई, लेकिन जल्दी जल्दी में बनवाई, इसलिए डामर पतला डाल दिया, जो एक साल में ही निकल गया। इस सात मील के टुकड़े में, और वहां पर इस वक्त कंकड़ी निकल रही हैं। यह जो सात मील का टुकड़ा बाद में बना है, वह बिल्कुल खराब हो रहा है दिन पर दिन। गई साल बरसात होने के समय यह ज्यादा बिगड़ गई, उसकी रिपेअर करना अत्यन्त आवश्यक है, नहीं तो जो कुछ सड़क बनी हुई है, वह सड़क खराब हो जायगी ज्यादा बरसात हुई इस साल तो।

एक सड़क, चंडावल से खोड़िया तक बनी, गये साल अकाल राहत में उस पर काम हुआ। गुड़ा, बीजा खोड़िया तक निर्माण किया हुआ है, वह पूरा नहीं हुआ है। गुड़ा, बीजा और खेड़िया के बीच में वहां रेत है, इस कारण आने जाने में लोगों को तकलीफ रहती है। इसको पूरा करवाया जाय। जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहा गया था कि जितने काम अकाल राहत के बचे हुए हैं उनको पूरा करवाया जायेगा। मैं आशा रखता हूं कि कम से कम इन सड़कों का काम मंत्री महोदय पूरा करवाने की कोशिश करेंगे।

(श्री सुरेन्द्र सिंह)

मारवाड़ जंक्शन से जोजावर तक 20 मील की फेग्रर वेदर रोड़ हैं। यह कई वर्षों से पड़ी हुई है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको आप डामर की सड़क, मेटल रोड बनवाने की कृपा करें। कम से कम बीस मील का टुकड़ा एक दम नहीं पूरा किया जा सकता तो मारवाड जंक्शन से आठ मील का टुकडा है, इसको पूरा करवायें क्योंकि आठ मील का टुकड़ा मारवाड जंक्शन से अउवा तक का है, इस अउवा से मारवाड जंक्शन तक बस चलती है। अभी जोजावर से सोजत तक चलती है वह अच्छे मौसम में चलती है। बरसात में मारवाड़ जंक्शन तक बस चलती है, क्योंकि नदी आने से वह रुक जाती है। नदी के कारण बन्द रहती है। इसलिए आठ मील के टुकड़े को पूरा करवायें ताकि बरसात के मौसम में भी यह चले। इसके ऊपर जो नाला है, नरसिंह पुरा का नाला है, वह बरसात में तेजी से बहता है, उसका पानी कई दिनों तक बहता रहता है। बरसात बन्द होने के बाद भी उसमें पानी चलता रहता है। इसलिए इसके ऊपर पुलिया बना दें। तो जो नदी हैं अउवा और मारवाड जंक्शन के बीच में उनमें पानी ज्यादा नहीं रहता है उनमें पानी दो तीन घण्टे रहता है उन पर नीचे भी पुलिया बनाई जाय तो बरसात में बस चल सकेगी एक सड़क फुलाद से जोजावड जाती है। बीच में एक गांव है वहां पर सड़क जोड़ने का काम चालू है। दो साल के अकाल में यह सड़क चालू हुई थी वह काम बीच में ही रुक गया था। अब अकाल तो बंद हो गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्लान में लेकर जरूर इसको पूरा कराया जाए। बरसात में कई जगह ऐसी स्थिति होती है कि सड़क टूट गई थी मिट्टी की वजह से और इतना रुपया खर्च हुआ है वह किया हुआ काम भी खराब हो जाएगा। इसलिए इस सड़क को कामलीघाट तक मिलाने के लिए इसका पूरा कराया जाए। यदि प्लान में न हो तो प्लान में लेने की कृपा करेंगे।

रायपुर से फुलाद तक आजकल बस चलती है, पहाडी इलाका है, इस सडक को भी पूरा करवायें।

रायपुर से फुलाद वाया कांटलिया। जो उदयपुर की तरफ जाना चाहते हैं ट्रेन में वे फुलाद जाकर ट्रेन पकडते है वहां एक छोटी सी बस चलती है अगर यह सड़क बन जाए तो काफी सुविधा मिलेगी।

एक सड़क फुलाद से जोजावर होकर देसूरी जाने वाली सड़क भी प्रिविल की सड़कें बनाई जाए। इसके लिए पाली में मीटिंग में बातचीत हुई थी कि यह बननी चाहिए और कुछ मैटिरियल डाला भी गया लेकिन खास काम नहीं हुआ तो फुलाद से देसूरी जो सडक है वहां डामर करवाया जाए। जो खराब डामर हालत में सडकें हैं उनकी मरम्मत कराई जाए। थोड़े से टुकड़े में तो सड़क है ही नहीं। अभी जो अकाल राहत कार्य चले थे दो साल में, इनके अन्दर खैरा से बनी और आगे आगे बाइफरकेट होकर गई मारवाड जंक्शन। कुछ सड़क पर एक नाला है उस पर पुलिया बनाने के लिए खंभे तो बन गये लेकिन पुल बनाना बाकी है, उसको भी पूरा किया जाए, केवल खंभे काम के नहीं हैं। वहां पर थोडा सा काम हुआ है। सब काम अधूरा पड़ा है

(श्री सुरेन्द्र सिह)

एक सड़क सोजत से 4 मील नागों की बेरी से मारवाड़ जंक्शन जाती है। वह सड़क काफी ठीक करदी थी अकाल के कार्यों में लेकिन उस सडक पर नदी नाले हैं वहां मैटीरियल पड़ा हुआ है ...

श्री शंकरलाल : अकाल में नई बनाई हैं।

श्री सुरेन्द्र सिह : गत वर्ष से पत्थर पड़े हुए हैं। पता नहीं क्लवट्र्स बनेंगे, पुलिया बनायें तो जो मैटीरियल पडा हुआ है, आपका विभाग जब तक उसको काम में नही लेगा, क्योंकि बरसात में केवल 1½ या 2 महीने रह गए हैं तो नवम्बर दिसम्बर से सामान पडा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। समझ में नहीं आता मैटिरियल क्यों वहां डलवाया। तो इसको पूरा कराया जाए।

इसके साथ में औअवा स्कूल की बिल्डिंग के बारे में कहना चाहता हूं। यह भवन प्राइमरी स्कूल के लिए सबसे पहले 1951 में बना था 4 कमरे और एक हाल गांव वालों ने बनाया था। आज तक सरकार की ओर से उस पर एक पैसा भी नहीं लगा है। 20 साल हो गये, विभाग को लिखकर दिया। न जाने शिक्षा विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग में आपस में क्या चलता है कि अभी भी सार्वजनिक निर्माण विभाग को बिल्डिंग नहीं दी गई। ग्राम पंचायत ने लिखकर दे दिया। तो मरम्मत नहीं होती। गांव वालों ने उसको मिडिल स्कूल बनाया और दूसरे कमरे भी उसमें जोड़कर और सेकन्ड्री स्कूल बनाया 50-55 हजार रुपये गांव वालों ने लगाए हैं। फिर भी मरम्मत नहीं करवाते। अभी तक पी. डबल्यू. डी. टेकओवर नहीं करती तो आप टेकओवर करें और रिपीयर करवायें। गत वर्ष यदि एक व्यक्ति अपना पैसा लगाकर मरम्मत नहीं करवाता तो अवश्य दो तीन कमरे बरसात में गिरते। तो मैं चाहूंगा कि इस बरसात में तो कम से कम जितनी कार्यवाही हो सके करें और स्कूल को टेकओवर करें और उसकी मरम्मत के बारे में ध्यान दें।

एक सड़क ब्यावर से बार जोड़ी गई है वह पहाड़ी एरिया है, वह तो अच्छा काम किया है, लेकिन उसका सर्फेस इतना खराब बनाया गया है तो क्यों नहीं उसको ईवन बनाया जाए पहले से ध्यान रखते हुए? उसकी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ऊंची नीची बना दी है बहुत अनईवन है जब तक ईवन नहीं तो वह सिर्फ नाम की सड़क है।

पुरातत्व के जो स्थान हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहां लिंक रोड्स नहीं हैं। तो मंत्री महोदय ध्यान दें, जहां जहां सड़क नहीं है, वहां पर सड़क बनाकर और वहां जो दर्शक आते हैं पुराने मंदिरों को देखने के लिए, उनके जाने की सुविधा के लिये सड़कों का निर्माण किया जावे ताकि आने जाने में लोगों को सुविधा रहे।

अंत में इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जो बोर्डर रोड्स हैं उनकी हालत इतनी बिगड़ी है कि हद से ज्यादा खराब हैं। अपनी सिक्योरिटि के हिसाब से और अब जो पाकिस्तान का रवैया है, वहां की हाई कमीशन बंद करते हैं, और बंगला देश की डिप्टी हाई कमीशन की बात को लेकर जो गड़बड़ चल रही है उसके हिसाब

(श्री सुरेन्द्र सिंह)

से पश्चिम की ओर से पाकिस्तान गड़बड़ न करे तो अच्छा है। अगर की तो सड़क खराब होने के कारण फौज के आने जाने में दिक्कत आएगी। तो मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें। इन सड़कों पर पहले कई बार चर्चा हो चुकी है, फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सड़कों की जो दुर्दशा है खराब पड़ी हैं, कई जगह रेगिस्तान है, कहीं 4-4, 3-3 मील तक मिट्टी जम गई हैं उन सड़कों को भी ठीक करवाने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष:-श्री अमीलाल।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण के बारे में आपके माध्यम से जो कटौती प्रस्ताव रखा गया है, उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करूंगा चाहे इधर से चाहे उधर से बैठने वाले माननीय सदस्य इस बात के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि यहां की जो सड़कें बनी हुई हैं वह भी और दूसरी सड़कें भी बननी चाहिए दोनों समस्याओं के बारे में दयनीय दशा है। मैं भी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अपने क्षेत्र के बारे में कुछ मूल मुद्दों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

सबसे पहले तो नीति इस बात की अपनानी चाहिये कि पहले जो सड़कें हैं जिन पर आज तक कोई मरम्मत का पैसा नहीं दिया गया है उनकी फर्स्ट प्रोयोरिटी में लेकर उनकी मरम्मत करायी जानी चाहिये ताकि यह जो महकमा है, लिमिटेड पीरियड के लिये जो सड़क बनायी जाती हैं कि इतने साल में इसकी मरम्मत हो जाना आवश्यक है, उस योजनाबद्ध रूप में मरम्मत नहीं होती है, चाहे कोई जिला हो, राजस्थान के मुकाबले में दूसरे प्रदेशों की सड़कों के मुकाबले में यहां की सड़कों को देखते हैं तो दुर्दशा इनकी मालूम होती है क्योंकि यहां पर इनकी मरम्मत नहीं करायी जाती है। मूल मुद्दा इसके साथ यह है कि ठेकेदारों को ठेके दिये जाते हैं, समय पर धन राशि स्वीकृत की जाती है, समय पर जो अलाट किये गये काम हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है और माननीय मन्त्री महोदय के सामने चारा नहीं रहता है कि समय पर ठेकेदारों से काम लिया जाय, जो धन राशि जिस सड़क की मरम्मत या नयी सड़क बनाने के लिये स्वीकृत की जाती है, उसको उसी वित्तीय वर्ष में पूरा कराया जाता है या नहीं, या तो, होता यह है कि उस धन राशि को दूसरी जगह पर खर्च किया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है, अथवा ठेकेदार और कर्मचारी पूरा नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जहां जिस जगह जो धनराशि मरम्मत के लिये स्वीकृत की गई है, अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, कि मंत्री महोदय बहरोड़ सब डिविजन में पूरे ही में, जहां मरम्मत के लिये, चाहे वह बानसूर की सड़क हो, चाहे बहरोड़ कुंड का सवाल है, बहरोड़ से कोटपूतली की कुछ सड़कें, जो धन राशि स्वीकृत की जाती है, वह धन राशि, बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस वक्त लगाना तो दूर रहा आज तक नहीं लगाई गई है। मेरी जानकारी के अनुसार, आप तो अपने उत्तर में बतायेंगे ही, उस धन राशि को दूसरी जगह लगा दिया गया है। नीमराणा पहले राजा की राजधानी थी। आज कल पंचायत

(श्री अमीलाल यादव)

समिति का हेडक्वार्टर है और राजस्थान बनने के करीब ही वह सड़क बनायी गई थी, किन्तु आज तक उस सड़क पर एक पैसा भी मरम्मत के लिये खर्च नहीं किया गया है। मंत्री महोदय आप भी उधर से गुजरे हैं। मैंने आपका ध्यान उस सड़क की ओर आकर्षित भी किया था। मोरवी कलां से नीमराणा तक जो दुर्दशा उस सड़क की है उसको आप ध्यान में लावें। आपने उस समय आश्वासन दिलाया था कि इसकी इसी वित्तीय वर्ष में मरम्मत करा दी जावेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उस सड़क पर आज तक जब से वह बनी है एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। यदि 20-25 वर्ष पहले बनी हुई सड़क पर मरम्मत नहीं की जाय तो उसकी क्या हालत हो सकती है आप ही जरा सोचिये तो सही हर आदमी समझ सकता है। आप तो निर्माण मंत्री हैं। दूसरे स्टेट्स से जोड़ने के लिये छोटे मोटे लिंक रोड्स हैं बोर्डर एरियाज में खास तौर से, बीस-पच्चीस मील की दूरी से गुजरना पड़ता है और अधिक दूरी को कवर अप करना पड़ता है। ऐसी सड़कों को आप को प्रायोरिटी देनी चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बारिश से पहले आप उसको पूरा करेंगे। हरियाना से गुजर कर बहरोड़ पहुंचने के लिये कुंड तक सड़क जाती है, परतापुर ऐरिया को पहुंचने के लिये पहले कुंड 11 मील का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है जब कि दो ढाई मील का लिंक टुकड़ा है उस को जोड़ दिया जाय तो 11 मील की दूरी कम हो जाती है और वह सीधी रोड नयी माडवी परतापुर चली जाती है।

इसी प्रकार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उधर की सड़कों की जो हालत है उसको माननीय मन्त्री महोदय स्वयं ने देखा है। जिस दिन से ये सड़कें बनी हैं, आज तक उन पर एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री महोदय भी दो बार पधारे थे। यह चाडिया-वास से परतापुर ढाई मील का टुकड़ा है जो हरियाना से जोड़ता है, उनकी मरम्मत इसी वित्तीय वर्ष में करा कर पूरा कराने की कृपा करें यही आशा की जाती है।

आप कहेंगे कि इस विभाग के पास इतनी धन राशि नहीं है। हर माननीय सदस्य के इलाके में सड़कों की मरम्मत और नई सड़कें नहीं बनाई जा सकती हैं किन्तु कम से कम जो अधिक जरूरी है और दूसरे स्टेट्स एम. पी. आदि से लगती हुई हैं, जैसा कि उधर के माननीय सदस्य ने बताया, इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो दूसरे स्टेट्स हैं जहां पर यदि उन सड़कों के मामले में देखा जाय तो अच्छी तरह से जाहिर होता है कि यह राजस्थान है और वह दूसरा स्टेट है। चाहे तो पंजाब स्टेट हो, चाहे हरियाना हो चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे वह गुजरात हो। यह अच्छी तरह से पता चल जाता है कि यहां पर कोई न कोई कमी है प्रबन्ध और कार्य में ऐसा महसूस करता हूँ। वहां पर कोई इतनी धन राशि नहीं दी जाती है जो हम यहां महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि बजट में जो प्रावधान किये जाते हैं उनका समय पर इस्तेमाल नहीं होता है। ठेकेदार समय पर काम नहीं करते हैं और इन्जीनियर हैं वे भी जरूरी एस्टीमेट बना कर समय पर हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट

(श्री अमीलाल यादव)

को, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर आदि को तवज्जुह न दिला कर अपने काम में इतने एक्टिव नहीं हो पाता जिसकी वजह से राजस्थान की सड़कों की यह दुर्दशा है। मैं यह महसूस करता हूं कि आपके विभाग की इस बुरी दशा को दूर करने के लिये अधिक धन राशि देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय अकाल के नाम से, एग्टी डकोयट्स के नाम से सेन्टर से भी सड़कों के निर्माण के लिये धन राशि की मांग करनी चाहिये और सेन्टर से बड़ी धन राशि मिलती है तो बहुत से इलाकों की ये समस्या दूर हो सकती हैं।

श्री भगवान दास शास्त्री : अकाल के नाम से कुछ पैसा बचा है वह हो पहले खर्च करने दे।

श्री अमीलाल यादव : अलवर जिले का सवाल है। मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि खास कर बहरोड़ क्षि. में बाकायदा तीन ओर हरियाना से यह इलाका घिरा हुआ है और दो दो तीन तीन मील के एरिया से यह हमारा क्षेत्र लगा हुआ है। मन्त्री महोदय भी तिजारा से आते हैं। वे बिल्कुल इस क्षेत्र से परिचित हैं। जब कभी अपने एरिया में घुसते हैं तो निश्चित रूप से हरियाना की सड़कों से होकर जाते तो मैं मानता हूं ये भी महसूस करते हैं कि राजस्थान की सड़कों में और हमारे पड़ौसी हरियाणा की सड़कों में कितना अन्तर है। नवाब साहब प्रशासन में कुशल व्यक्ति हैं। पहले भी मैं आशा रखता था अब भी रखता हूं कि राजस्थान की सड़कों के निर्माण के मामले में वे एक नई दिशा और नये तरीके से क्रान्ति लावेंगे और अधिक से अधिक सड़कों का निर्माण करेंगे। तीन चार साल से तो यह आशा निराशा में परिवर्तित होती नजर आ रही है किन्तु अभी भी समय है। आशा को पूरा कर सकते हैं।

जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, या जो दूसरी स्टेटों से लिंक रोड हैं उनको प्राथमिकता देकर वे ठीक करावेंगे ऐसी आशा है।

बहरोड़ से सौ बसें करीब रोज चलती हैं और आती हैं इनमें से कुनरोड, अलवर, नारनोल रोड 54 में बननी शुरू हुई थी पर आज तक भी बहरोड़ से नारनोल की सड़क की मन्जूरी नहीं हुई है। धन राशि स्वीकृत होती है पर खर्च नहीं होती। फिर वह नेक्स्ट ईयर पर चली जाती है, फिर नेक्स्ट ईयर आ जाता है। पर कुछ नहीं होता। इस तरह नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर तक चलती जाती है।

कुछ धन राशि कुछ सड़कों के लिये इस साल स्वीकार हुई है। वह तो इस साल पूरा कराने की कृपा करेंगे ऐसी आशा है।

हरियाणा से लिंक रोड पंचायत समिति नीमराणा वाया काला है। यह 8 मील का टुकड़ा है। इसे भी आप अपनी इस साल की योजना में लेंगे ऐसी आशा है। इसके बिना हम नारनोल जाते हैं तो नीमराणा से तीस मील का चक्कर खाना पड़ता है। या तो खांडा कलां होकर जावें या पहले बहरोड जावें फिर नारनोल जावें। वैसे पंचायत समिति नीमराणा से बीस मील पडता है। माधवीकलां सीधी नारनोल सड़क निकल जाती है तो बीस मील कम हो जाती

(श्री अमीलाल यादव)

है यह दूरी। इससे 25 हजार की जनसंख्या वाले इस कस्बे के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा।

यह बोर्डर एरिया भी है यह 8 मील का टुकडा हो गया तो करीब तीस हजार की जनता इससे लाभान्वित होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे माननीय सदस्य समझते होंगे कि हमारे जिले के मन्त्री हैं इसलिये यहां तो शायद ज्यादा काम होता होगा पर ये कहते हैं कि किसी तरह का ओलमा कोई न दे दे इसलिये जरूरी काम भी नहीं कराते। हमारे जिले को इसलिये रुपया भी कम मिला है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों से आप न डरिये। वास्तव में सही काम जो हो वह करना चाहिये चाहे वह फिर किसी जगह का हो।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं अभी समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वह मिलटरी एरिया भी है। हरियाणा से लगा हुआ भी वह इलाका है। राजपूत जाति वहां रहती है। पर्दा सिस्टम है। उनको आने जाने में काफी कठिनाइयां होती हैं सडकों के अभाव में। इसको भी आप वित्तीय वर्ष में बनाने की कृपा करेंगे इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल भाई।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो बांसवाडा में सडकों का काम हुआ है यहां अभी तक केवल दो तीन पक्की सडकें बनी हैं, बाकी सब या तो बनी ही नहीं, बनी है तो अधूरी हैं, कच्ची हैं। और अधिकांश में ये रिलीफ के वक्त में 67 में बनी। उस समय काफी जगह सडकों का काम चला। धूला डाला गया। इससे वे सडकें नहीं रही। न उन पर मोटरें चल सकती हैं न और कोई वाहन। वही पुराना जैसा रास्ता चल रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत आवागमन आसान हैं, मोटरें भी चलती है, पर चौमासे में पांच छः महीने के लिये सब रास्ते बन्द हो जाते हैं।

बाटोल से प्रतापगढ रास्ता बरसात में प्रतापगढ-बांसवाडा आने जाने वालों के लिये बन्द रहता है। बसें चल नहीं सकती हैं। इधर माही नदी पर पुल नहीं है इसलिये। इस रास्ते के बरसात में बन्द होने से वहां के लोगों को भूखों मरने जैसी स्थिति आ जाती है इसलिये निवेदन करूंगा कि यह जो सडक है इस पर पुल बना दिया जावे और इसे पक्की कर दिया जाये और बाकी सडकें भी बनानी चाहिये। पुल भी बनने चाहिये। बन भी रहे हैं पर अदला बदली कर रहे हैं। यह अदला बदली क्यों हो रही है। यह नहीं होनी चाहिये। पुल नहीं बनेंगे तो इलाके के लिये मुश्किल है क्योंकि सारा क्षेत्र आदिवासी है पहाडी इलाका है, सड़कें आज दिन तक भी नहीं है। जो है उन पर पुलें भी नहीं बनेंगे तो फिर क्या लाभ है इन सड़कों से भी हो सकता है हमारे मन्त्री महोदय जो इधर से हैं उनका पक्षपात हो।

(श्री विट्ठल भाई)

कुशलगढ़ तो अब मेरा है, पहले उनका जरूर था। पर अब अदला बदली होते से उनकी तरफ से रोड़े अटकाये जाते हैं क्या कारण हैं या वोट नहीं मिल रहे हैं? किस किस कारण से?

श्री शंकरलाल : (जेतारण) : वोट तो मिले हैं, तभी आये हैं।

श्री विट्ठल भाई : अलग क्षेत्र है उनका पहले था यह उनका क्षेत्र। मेरा कहने का मतलब यह है कि सार्वजनिक काम के लिये पक्षपात नहीं होना चाहिये। नहीं तो दिक्कत होती है। आदिवासी लोग हैं।

इस तरह से माही डैम का पुल बन चुका है, पर इसे मिलाने के लिये जो सड़क बनी वह रिलीफ वर्क्स में बनी थी, वह तो पूरी हो गई अब वह सड़क इस साल बन जावे तो यातायात ठीक हो सकता है। इस लिए मैं निवेदन करूंगा कि वह सड़क कम से काम नोट कर लें आप बननी चाहिये पक्की। यह नहीं कि आपने खाली धूल डलवा दी। काफी रुपया खर्च किया पर सब धूल में चला गया। इसलिये वहां कि सड़क पक्की नहीं बनेगी और माही नदी का पुल बनेगा तब तक वहां के लोगों की यातायात की कठिनाई हल नहीं होगी।

लोगों की जमीनें ले ली गई, पर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। न मोटरें ही उन सड़कों पर चलती हैं। तो कम से कम सडकों को चलाने का ध्यान तो आपको होना चाहिये। कुछ सड़कें बाकी हैं, आधी बाकी हैं। आधी न बनने के कारण सारा रास्ता बन्द है। सारा मोटर ट्राफिक चार महिने के लिये बन्द रहता है। तो सड़कें भी बननी चाहिये और किसानों को जमीन का मुआवजा भी दिया जाना चाहिये।

इतना ही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नंदलाल बैरवा

(उपस्थित)

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एरिया वह एरिया है जो कि पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है। इसके लिये मैंने पहले कई बार निवेदन किया था कि उस एरिया में आवागमन के साधन के लिए रोडस् बनाये जायें। मैं जानता हूं कि गवर्नमेन्ट की तरफ से बहुत से काम हुए हैं। परन्तु यह काम होने के साथ साथ बहुत सा काम बाकी है और उसको पूरा कराना है। इससे पहले मैं राजस्थान सरकार के पी. डब्लू. डी. विभाग के मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हमारे उस एरिया में जो रणकपुर होकर गोगुन्दा जाने वाली रोड है उस रोड को कोशिश करने के बाद कम्पलीट करा दिया गया है जिससे मारवाड़ का और उदयपुर का सम्बन्ध जुड़ गया है। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटड़ा तहसील और गोगुन्दा ऐसा एरिया है कि इधर मारवाड़ से और उधर गुजरात दोनों के बीच में पड़ता है। यह सदियों से पिछड़ा हुआ एरिया है इस पिछड़े हुए एरिये की तहसीलों में अभी भी रोड नहीं है।

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

रोड का काम हुआ है लेकिन अब भी वहां काम होना बाकी है। गोगुन्दा से जशवन्तगढ़ होकर एक रोड माल का चौराहा और फिर पिन्डवाडा तक जाती है। वर्षा के साथ वहां के आदिवासियों, व्यापारियों और अन्य लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, माल का चौराहा के पास एक पुलिया का बनना आवश्यक हो गया है। पुलिया का काम बाकी है। यह काम पूरा नहीं हुआ है और इस वजह से गवर्नमेन्ट का जो पैसा लगा है उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि आपके साथ मैं उधर गया था और आपको मैं उधर भी ले गया था और आपने इस कार्य को अपनी आंखों देखा है। वहां के आदिवासी आज पिछड़े हुये हैं और आवागमन के साधन पूरे नहीं होने की वजह से जो उनके पुराने रीति रिवाज हैं, वे उसी के अन्धकार में है और वे ही उनके दिमाग में हैं। इसलिये उनके लिये यह साधन बहुत जरूरी हैं। कृपा करके आप उस एरिया के साधनों की भी व्यवस्था करें। माल का चौराहा से एक रोड कोटड़ा जाती है। इस रोड का काम भी कम्पलीट करना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि इस तहसील हैड क्वार्टर पर अंग्रेजों के जमाने से एम. बी. सी. की एक छावनी रहा करती थी और लोग आते जाते थे। फिर इस युग में इसका पिछड़ापन नहीं रहना चाहिये। इसके अलावा एक रोड कोटड़ा से खेरवाड़ा को मिलता है जो कि नेशनल हाई वे है, जो रतनपुर, डूंगरपुर रोड जाता है उसको क्रास करता है। वहां से गंदरवा होकर इस रोड को कम्पलीट कराने की व्यवस्था करावे तो वहां आवागमन का साधन हो सकता है। अभी आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस कार्य की तरफ ध्यान देने की कृपा करें। और ध्यान देकर इसको जल्दी कराने की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही कोटडा रोड पर दो तीन पुलियों के होने से स्वरूपगंज से कोटड़ा और उदयपुर आ जा सकते हैं और आगे माल का चौराहा से पिन्डवाडा तक लोग आ जा सकते हैं और दूसरा फायदा यह होगा कि अकाल के टाइम पर आदिवासियों को अनाज को लाने ले जाने में जो दिक्कत होती है वह दूर हो जायेगी। अकाल के टाइम पर ऊंटों से अनाज को लाने में बहुत ही दिक्कत होती है और जिसमें गरीब आदमियों पर बहुत वजन पड़ता है। इसलिये मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों की तरक्की के लिये इस ओर जो उदयपुर तक जाने में दिक्कत रहती है, उस रोड पर काम कराया जाये। इस पर थोड़ा ही काम बाकी है। गवर्नमेंट कोशिश करे तो यह काम जल्दी ही पूरा हो सकता है। इस बारे में मैंने आपको मौखिक कई बार प्रार्थना की थी और प्रार्थना-पत्र भी दिये हैं। आप ज्यादा से ज्यादा काम करके ही इस एरिया को आगे ला सकते हैं। मैं यह मानता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वह एरिया गुजरात से मिला जुला है और गुजरात के रोड्स की हालत मैंने देखी है। वहां पर इस प्रकार की दिक्कत नही है। वहां की हालत रोड्स की अच्छी है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, वहां के लोग जब हमारे इधर आते है तो उनके आगे हमें

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

शर्मिंदा होना पड़ता है और वे हमको कहते हैं कि राजस्थान में सड़क के बारे में कोई तरक्की नहीं है। इसलिये मै निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्य के लिये आप ऐसे एरियाज में ज्यादा से ज्यादा पैसा रखें ताकि हमारा पिछड़ापन दूर हो सके और गरीब आदिवासी आगे आ सकें। इसके लिये पहली जरूरत आवागमन के साधन की होती है। वे दूसरों को देख कर अपने रीति-रिवाजों में परिवर्तन कर सकें। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों पर मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिये है . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय थोड़ा लें। आपके ही दल के श्री आर्य बोलेंगे।

श्री जुझारसिंह : ज्यादा समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन मुद्दों का ही जिक्र करना चाहूंगा जिनके कि बारे में मैं मंत्री महोदय और उनके विभाग से पिछले एक साल से बराबर लिखता चला आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग में जिस तरह का पक्षपात चल रहा है उससे हम लोगों को एक निराशा है और उसको आपकी मार्फत इस सदन में व्यक्त करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, सन् 66–67 से बराबर कोटा डिवीजन को नेग्लेक्ट करके चला जा रहा है और जो रोड्स रोड माइलेज के अनुपात से उस क्षेत्र को मिलनी चाहिये थी यह जानबूझकर नहीं दी जा रही है। इस सम्बन्ध में इस विधान सभा में मैने एक प्रश्न पूछा था–प्रश्न था 292 और 30-4-70 को यह पूछा था और उसका जो जवाब आया है उसको मै यहां पर रिपोर्ट नहीं करना चाहता हूं लेकिन उसके आधार पर मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि 66-67 से पहले जितने भी पी, डब्ल्यू, डी, के डिवीजनस थे उनमें सबसे पहला नवम्बर कोटा डिवीजन का था, दूसरा नवम्बर उदयपुर का था और उसके बाद दूसरे डिविजन आते है . . .

श्री उपाध्यक्ष : आज कल प्रथम कौन है?

श्री जुझारसिंह : जो प्रथम है वही है–उदयपुर डिवीजन है। दूसरे नवम्बर पर रहने की कोई बात भी नही है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप थे?

श्री जुझारसिंह : पहले हम थे किन्तु अब हमारी उपेक्षा की जा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के फोरमेशन के वक्त . . .

श्री भगवानदास शास्त्री : अब तो बड़ी लाइन से जुड़ेगा उदयपुर . . . वह घोषणा की है?

श्री जुझारसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय उस वक्त में जिस समय राजस्थान की जो

(श्री झुझारसिंह)

टोटल क्षेत्र था वह 1 करोड़ 78 लाख का था उस वक्त 1966-67 में 37 पाइन्ट कुछ लाख की ग्रान्ट मिलती थी–सड़क की रिपेयर्स के लिये और मेन्टीनेन्स के लिये और धीरे धीरे राजस्थान की मेन्टीनेन्स बढ़ती गई लेकिन उस डिवीजन की ग्रान्ट बराबर कम कर दी गई। इसी तरह जब राजस्थान की ग्रान्ट 255 लाख रुपये की थी 69–70 उस समय भी कोटा डिवीजन की ग्रान्ट 39 लाख रिपेयर्स और मेन्टीनेन्स के लिये दिये गये थे। उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है मैंने मंत्री महोदय को विधान सभा के उत्तर के आधार पर जब एक पत्र लिखा तो उन्होंने फीगर्स को तोड़ मरोड़कर विभाग की तरफ से जो जवाब दिया है उससे यह साबित किया गया है कि कोटा क्षेत्र की एवरेज रोड माइलेज दूसरे क्षेत्रों की जो रोड माइलेज है उससे ज्यादा ग्रान्ट मिली है। वह फीगर न मालूम कहां से लिये गये हैं। जो आधार फीगर्स लेने का हो सकता है उसको नलीफाई कर दिया। आपके पास जो फीगर्स हैं वह रांग हैं। इसका मतलब यह है कि जो जवाब दिया जाता है वह गलत होता है। मंत्री महोदय ने प्रश्न संख्या 292 का जो उत्तर दिया हैं मैं उसको फिर रीपीट करता हूं 30–4–70 का है, वह इनके डिपार्टमेंट के दिये हुये फीगर है और मैं आज भी चेलेन्ज करता हूं हमारे रोड के माइलेज के अनुपात में हमको ग्रान्ट नहीं मिल रही है और उसके फलस्वरूप दिन दिन रोड की दशा बिगड़ती जा रही है लेकिन जो गलत आंकड़े माननीय मंत्रियों द्वारा विधान सभा में देने की प्रवृत्ति है वह बहुत ही खराब है। किसी डिस्ट्रिक्ट या एरिया के साथ पक्षपात करें और फिर उसको छिपाने के लिये गलत उत्तर दिये जायं यह खेद की बात है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत सदन को अवगत कराना चाहता हूं ...

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, उधर केवल मंत्री महोदय ही विराज रहे हैं और कोई नहीं है। यह इस प्रकार की पहली स्थिति है। यह शायद पहला मौका हैं जब मंत्री महोदय के अलावा सारी बेंचे खाली पड़ी हैं उपाध्यक्ष महोदय। बड़ी इम्पारटेन्ट बहस हो रही है।

श्री झुझारसिंह : दूसरा मेरा निवेदन है जिसको हाउस में सीरियसली कन्सीडर करना चाहिये वह यह है कि उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट में ग्रान्ट होती है जो फीगर्स और बजट यहां से विधान सभा से पास किया जाता है और जो ग्रान्टस मंजूर कराते हैं उनको मंजूर कराने तक ही सीमित नहीं है लेकिन उसके बाद मनमाने के ढंग से जहां खर्च करना चाहते हैं उस बजट के फीगर को बदल देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय मेरे क्षेत्र में बोहरा, राजगढ़ सांगोद नाम की सड़क है उसकी मंजूरी हुई और मंजूरी होने के बाद उसका ठेका दिया गया कादर बक्स को। उन्होंने ठेके का वर्षो तक काम नहीं करने की वजह से [उनका ठेका केन्सिल किया गया। लेकिन कादर बक्स कांग्रेस पार्टी के थे, उनका कुछ भी नहीं हुआ। यह कहना गलत नहीं होगा

(श्री जुझारसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, पी. डबल्यू. डी. का कोई ही ठेकेदार होगा वह कांग्रेस का क्रियाशील सदस्य नहीं होगा तो उसको ठेका ही नहीं दिया जायगा। कोई नया भी ठेकेदार बनना चाहता है तो वह कांग्रेस का मेम्बर भी साथ की साथ बने यह जरूरी है। जितने ठेकेदार बन रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : वह ज्यादा बन रहे हैं...?

श्री जुझार सिंह : मैं इस बात के लिये भी निवेदन करूंगा चाहे वह पी. डब्ल्यू. डी. का ठेकेदार हो, चाहे इर्रीगेशन का ठेकेदार हो, चाहे शराब का ठेकेदार कोई भी ठेकेदार हो वह कांग्रेस का मेम्बर बने तब तो उसको फायदा होता और नहीं तो किसी भी ठेकेदार को कांग्रेस का मेम्बर नहीं बने, उसको फायदा नहीं होता है। बल्कि मेरा कहना यह है उपाध्यक्ष महोदय, वे ठेकेदार अपने प्रभाव से सड़कों के बनाने में भी गड़बड करते हैं और मनमाने ढंग से बनाते और बिगाड़ते हैं। यह राजगढ़-सांगोद रोड जो मेरे क्षेत्र में है उसे केन्सिल हो जाने के बाद उस रोड को आज तक बनने नहीं दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल कुछ ग्रान्ट हुई थी एक लाख की मंजूरी हुई थी और मैं इस मामले को पिटीशन कमेटी के सामने भी रखा और उस पिटीशन कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है जो पी. डबल्यू. डी. और उसका जो मंजूर शुदा बजट है उस पर अमल करना चाहिये उससे बाहर नहीं जाना चाहिये लेकिन बावजूद उसके मंत्री महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह कहते हुये खेद होता है कि वे खुद विजिट कर चुके हैं और फ्लड में कुछ पोर्शन बह गया था उसके लिए सेन्ट्रल पावर कमीशन से फ्लड ग्रान्ट आई थी। उसके लिये स्पेसिफिक एक लाख 50 हजार की मंजूरी आई थी लेकिन उपाध्यक्ष, महोदय केवल 13 हजार खर्च किये गये है और जानबूझकर उसका फन्ड दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। मेरे एक मंत्री महोदय ने इस हाउस में खड़े होकर कम से कम चार बार इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि इस सड़क का काम जल्दी से जल्दी पूरा करवा दिया जायगा। लिखित में भी उत्तर दिया है और विधान सभा में भी दिया है। तीन महीने, 6 महीने में जब क्वेश्चन आता है तो एश्योरेन्स देते रहे हैं। मुझे अफसोस है कि सदन में खड़े होकर देने का अब कोई भरोसे की बात नहीं रही। आज भी उस सड़क की दशा सुधारने के लिये 50 हजार की ग्रान्ट दी है लेकिन मुझे डाउट है बजट में प्रोविजन होते हुये भी उस सड़क पर पैसे खर्च करेंगे। इस तरह की तो उपाध्यक्ष महोदय इनकी हरकतें हैं। हर साल जानबूझकर पालिटिकल ग्राउन्ड पर हमको नेगलेक्ट किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं जिस तरह की गड़बड़ पालिटिकल आधार पर दूसरे क्षेत्र में की जाती है, जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं उनके यहां तो सड़क हमारे दल बदलू एक उप मंत्री हैं श्री कन्हैयालाल पटेल उनके यहां सुनेल से सलोदिया तक सड़क बना दी। आपको

(श्री कुम्भारसिंह)

ताज्जुब होगा उस चार मील के टुकड़े में अकाल सहायता कार्य से तीन लाख 23 हजार रुपये खर्च हुये हैं और इसके अलावा एन्यूवल ग्रान्ट से दो लाख और दिया गया है। मुश्किल से पांच मील की सड़क होगी और उस पर पांच लाख से ऊपर खर्च करने का कोई हिसाब नहीं है। नवाब साहब खुद देख रहे हैं। पांच लाख खर्च करने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ और बार बार लिखने के बावजूद भी कोई गौर नहीं दिया गया है–

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

ज्यादा नहीं बोलूंगा जो आवश्यक होगा वही कहूंगा। उसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, मेरे झालावाड़ से आने वाले मा. सदस्य ने कहा है पिड़ावा से कोटड़ी सड़क पर मिट्टी की एक टोकरी नहीं पड़ी और एक लाख 80 हजार का पेमेन्ट हो गया। मुझे पेमेन्ट की आपत्ति नहीं है लेकिन मंत्री महोदय को 6 बार पत्र लिख चुका हूं कोई हैड आफ दी डिपार्टमेंट का रैसपान्सिबिल आदमी उस सड़क का निरीक्षण करने नहीं गया और इस तरह पी. डब्ल्यू. डी. के पैसे का दुरुपयोग होता है। जो मंत्री इसके लिये जिम्मेदार हैं वे कुछ परवाह नहीं करते हैं। किसी विधान सभा के सदस्य के लिखने के बाद भी कोई जांच करवायें वह बात तक नहीं होती है तो उपाध्यक्ष महोदय यह ख्याल आता है इस विभाग में कोई रैसपान्सिबिल भी है जो इनकी जांच करता है। इसी तरह रायपुर से सादड़ी रोड पर एक लाख 56 हजार खर्च हुये है उसकी भी जांच नहीं है। मंत्री महोदय मेरे पत्र लिखने के बाद और 4–6 बार झालावाड़ होकर आने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं करते। झालावाड़ के डाक बंगले के पीछे वाली सड़क पर 47 हजार रुपया अकाल सहायता का खर्च हुआ है और 13 हजार रुपया फ्लड से खर्च हुआ है लेकिन उस पर दो पैसे का काम नहीं हुआ। उसके लिये भी लिखा है और आपको कहा है कि कम से कम डाक बंगले से उठकर जो सड़क डाक बंगले के पीछे की तरफ बनी है, देख लें, उसका निरीक्षण कर ले तो आपको मालूम हो जायगा कि पी. डब्लू. डी. किस तरह बरबादी कर रहा है। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय जिस इंजीनियर को धन के दुरुपयोग करने का जिम्मेदार ठहराया है मंत्री महोदय ने कांग्रेस के नेता के कहने पर उसका ट्रान्सफर किया और फिर उसको वापिस झालावाड़ बुला लिया गया। शायद इसलिये लगाया हो कि कागजों में हेरा फेरी करके रैकार्ड को नष्ट कर सके। अगर यह मनोवृत्ति से उपाध्यक्ष महोदय, तो जितने कांग्रेस के नेता हैं और जो उनके रिश्तेदार इंजीनियर लगे हुये हैं वे सब अपनी मनमानी करेंगे। हमारे यहां के जो प्रमुख हैं उनके जवांई हैं वहां पर इंजीनियर लगे हुये हैं उनका तबादला नहीं एक दूसरे कांग्रेस के जो सदस्य हैं। पहले म्यूनिसिपेलिटी के चेयरमेन थे उनके भाई को दूसरी जगह असिस्टेंट इंजीनियर लगाया हुआ है सब झालावाड़ के रहने वाले हैं और उन्हीं व्यक्तियों के लोग ठेका लेने वाले हैं, उनके रिस्तेदार हैं कोई जनता

(श्री जुझारसिंह)
की सुनवाई करने वाला नहीं है मनमानी चल रही है, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं··

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थानी में है–तृण डूबे पत्थर तिरे अपनी अपनी बात।

श्री जुझार सिंह : बिकुल्ल सही है उपाध्यक्ष महोदय, 69–70 में झालावाड़ और कोटा पी. डब्लू. डी. डिवीजन में··

श्री हंसराज आर्य : सदा काहू की नहीं रही कभी उजाला होत है, कभी अन्धेरी रात।

श्री जुझारसिंह ; वह आपके साथ में है। राज का तेल पल्ले में झेल तो, उपाध्यक्ष महोदय, 69–70 में··

श्री हंसराज आर्य : माननीय सदस्य मैं आपकी बात को जोर दे रहा हूं··

श्री उपाध्यक्ष : बाधा न पहुंचाएं।

श्री हंसराज आर्य : मगर आप नहीं समझे।

एक माननीय सदस्य : राम नाम की लूट है···

श्री प्रेमसिंह : लूट सके तो लूट अन्त काल पछतायेगा जब प्राण जायेगा छूट।

• **श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य आपने आपकी पार्टी के दूसरे सदस्यों का समय ले लिया हैं, क्योंकि 20–25 मिनट का समय आपके दल का है।

श्री दौलतराम सारण : उनके लिए टाइम छोड़ देते हैं।

श्री जुझारसिंह ; उपाध्यक्ष महोदय, 87 लाख रुपये अकाल सहायता के रुपये अकाल सहायता और बाढ़ग्रस्त सहायता के रूप में झालावाड़ और कोटा डिस्ट्रिक्ट्स में मंजूर हुए·

श्री प्रेमसिंह : सब खा गये।

श्री जुझारसिंह: उसके लिए मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया कि यह 87 लाख एक साल में खर्च करवा दिये तो आप जाकर देखिये कि कहां पर जाकर खर्च किया गया है। जिन सड़कों का नाम लिया हुआ है वे सड़कें वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. और इस फलड के नाम पर बहुत सा काम मेरे क्षेत्र में हुआ है वह इस वजह से हुआ है कि नये ठेकेदार और बन गये। वे कांग्रेस के नये नये मेम्बर हैं। ए. एस. एफ. कम्पनी के मैंने उन्होंने जब ठेका लेना शुरू किया तो रामगंज मंडी में इस वक्त उनका मेलजोल है. चीफ इन्जीनियर से हो सकता है, मंत्री महोदय से हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के नाते हो सकता है। उनकी पहुंच उस सीमा तक हो सकती है। उनके ठेकेदार बनने के पहले व फलड से इफेक्टड जो एरिया नहीं था उसमें भी सड़के मन्जूर हो गई हैं और उनको रिपेयर्स के लिए पैसा दे दिया गया है। 70 हजार का चेचट-गोढ़क सडक का मन्जूर हुआ है. 29 हजार का दूसरा सडक का मन्जूर हुआ हैं और 54 हजार का दूसरा सडक का हुआ है। जब से वे ठेकेदार हुए है तो रामगंज मंडी के अन्दर कोटा स्टोन्स के जो मोनोपोलिस्ट हैं उनको यह काम दे

Page No 129

(श्री झुझारसिंह)
दिया गया है । वह चाहते हैं वह काम मन्जूर हो जाता है । मैं उनके लिए मना भी नहीं करता हूं । उन ठेकेदार की वजह से मेरे क्षेत्र में काम हो रहा है तो हमें खुशी है लेकिन यह पक्षपात से काम किया जा रहा है कि कोई इन्फलुएन्शल आदमी कांग्रेस का ठेकेदार बन जाय उसके बाद में कोई नियम लागू नहीं होते हैं कोई कानून लागू नहीं रहता है, लेकिन इस तरह का अगर आदमी नहीं तो किसी तरह भी मन्जूर नहीं होता है ।

यही नहीं मैं एक और निवेदन करता हूं कि उप मंत्री कन्हैयालालजी हैं जिनके बारे में बारबार निवेदन करता हूं कि उनके गांव में तो सडक बने, उनके मामा के यहां जाने के लिए भी सडक बने । एक चंवरी गांव है जो न तो है और न जिसकी इम्पोंटेन्स है उसके लिए एप्रोच रोड दो मील की आपने बना कर दी है क्योंकि उनका काम करना था । उनको आजकल झालावाड़ का एरिया जागीर में है ।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा उनके बारे में । सुनेल से सालोदिया रोड बनाने के लिये कुछ काश्तकारों के कुएं और जमीन एक्वायर की । वहां के काश्तकारों ने कहा कि उनके कुओं और जमीनों को बचाकर उस सडक को थोड़ा सा डाइवर्ट करके दूसरी जगह निकाल सकते हैं तो सडक भी निकल जायगी और उनका नुकसान भी नहीं है । एक पिटीशन इस सिलसिले में उन्होंनें हाउस के सामने पेश की और उस पर पिटीशन कमेटी ने जाकर निरीक्षण करने बाद में उन्होंने रिपोर्ट की है काश्तकारों की मांगें वाजिब हैं और इस सड़क को डाइवर्ट कर दिया जाय । पिटीशन कमेटी की बात को मन्जूर नहीं करते हुए मन्त्री महोदय ने चीफ इन्जीनियर साहब को यहां से भेजा, और चीफ इन्जीनियर मोके पर पहुंचे, और चीफ इन्जीनियर साहब ने उस सड़क पर निरीक्षण किया । उसके बाद में लिखित में यह बात मन्जूर की है कि जो काश्तकारों की डिमाण्ड है वह सही है । इस सड़क को डाइवर्ट कर दिया जाय । उनके लिखने के बाद उन्होंने यह कह दिया कि इस सडक को बदलकर दूसरी तरफ ले जा सकते हैं और जो सड़क बन गई है उसको उठाने में और थोड़ी बहुत मिट्टी गिराने में जो खर्च आयेगा वह काश्तकार भुगतेंगे । यह मै बता दूं कि 5 लाख रुपया उन्होंने इस बात का मन्जूर किया । लेकिन जब यह बात मन्त्री महोदय को मालुम हुई तो उन्होंने इसको पोलिटिकल दृष्टि से सही नहीं माना, और उन्होंने नवाब साहब से जाकर निवेदन किया और इस बात का दबाव डाला कि वह सड़क चीफ इन्जीनियर साहब के कहने के बावजूद भी जहां से निकाली है वहीं से निकलना चाहिए । चीफ इन्जीनियर के एश्योरेन्स के बाद भी जब उन्होंने सड़क की पटरी पर जो उन्हीं के नाम थी और जिनका आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला है और उनके खाते बन्धी हुई आज तक है, आज तक उन्हीं के नाम पर है और जिसका वो लगान दे रहे हैं आज तक उस पटरी के खातेदार भवानीसिंह और उसके लड़के को काना चमार के कहने पर जो कि एक टेम्पेरेरी मेट हैं उसको दरख्वास्त पर उसको अरेस्ट

(श्री जुझारसिंह)

किया गया और पुलिस में ले जाकर उसको जलील किया गया। उसके बारे में मन्त्री महोदय को मैंने 6 बार पत्र लिखे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया है। टेम्परेरी मेट ने एक काश्तकार की इज्जत एक मंत्री के कहने से बिगाड़ दी और उस मेट को सस्पेन्ड नहीं किया गया और न उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की पक्षपातपूर्ण बातें हैं। जिसको चाहा उसको बक्शीश करदी। किसी को अपने मामा के घर मोटर में जाने में तकलीफ होती है अड़चन होती है उसके लिए सड़क बना दी और वैसे बजट में ग्रान्ट होते हुए भी एक पैसा स्पेन्ड न करें। स्पेसिफाइड प्लेस के लिए अगर फ्लड ग्रान्ट मन्जूर है उनको तो मंजूर नहीं करेंगे और मनमाने तौर से ठेकेदार को दें, इस तरह काम भ्रष्टाचार और पक्षपात मंत्री महोदय की नालेज से ही नहीं बल्कि उनकी कन्नीवेन्स से चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह है कि यह सभी को मालूम है कि इस हाउस में एक बार नहीं अनेक बार इस बात को मन्जूर किया है और एश्योरेन्स दिया है और उसके बाद में उसको पूरा नहीं किया है तो उस एश्योरेन्स का कोई महत्व नहीं है तो आज भी मैं यह मान कर चलता हूं कि आज भी वे जवाब देंगे और खड़े होकर कहेंगे कि यह कर दूंगा, वह कर दूंगा और उसके बाद की हुई बातों को भूल कर इस तरह से दुबारा आ जाते हैं तो फिर इनके कहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बजट में जिस रोड के लिए प्रोवीजन है, जो सड़क मन्जूर है, उस सड़क पर काम होना चाहिए, अदरवाइज इस असेम्बली में बैठने से और बजट पास होने से कोई महत्व नहीं है। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं।

मांगों के लिए नियत तिथियों में परिवर्तन

श्री उपाध्यक्ष : एक आवश्यक सूचना माननीय सदस्यों के लिए है।

माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कल दिनांक 27 अप्रैल, 1971 को सदन की बैठक प्रातः 11 बजे के स्थान पर मध्यान्होत्तर 1 बजकर 30 मिनट यानी डेढ़ बजे होगी।

मुझे यह भी सूचित करना है कि विधान सभा सचिवालय के परिपत्र संख्या 24 भाग (2) दिनांक 19 अप्रैल 1971 में संशोधन करते हुए कल दिनांक 27 अप्रैल, 1971 को पुलिस, कारागार और न्याय प्रशासन के अनुदानों की मांगों के स्थान पर चिकित्सा, जनस्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं जन स्वास्थ्य सुधार एवं पूंजी लागत सम्बन्धी अनुदान की मांगों को विचारार्थ लिया जायेगा। चिकित्सा, जन स्वास्थ्य आदि उपरोक्त मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्तावों की सूचना कल प्रातः 10 बजे तक दी जा सकेगी।

इस सम्बन्ध में दिनांक 3 मई, 1971 को पुलिस, करागार, एवं न्याय प्रशासन सम्बन्धी अनुदान की मांगों पर विचार

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण के सम्बन्ध में मांग पर विचार हो रहा है। मैंने भी उस पर कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि राजस्थान में सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में जितनी धनराशि स्वीकृत होनी चाहिए वह नहीं है जिससे कि योजना के माफिक वह नहीं हो पा रहा है। ये 71–72 का विवरण जिस रूप में दिया गया है। योजना काल में इस मद में खर्च कम होता जा रहा है। मैं देखता हूं यह जो पुस्तक है, इसके पांचवें पेज पर यह लिखा है :–

'चतुर्थ पंचवर्षीय योजनान्तर्गत सड़कों के विकास हेतु 11.00 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान सड़कों के वर्तमान विकास की गति को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त है क्योंकि देश की 20 वर्षीय सडक निर्माण योजना में प्रस्तावित लक्ष्यों व कार्यक्रमों के आधार पर राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम 29 करोड रु. का प्रावधान रखा जाना चाहिए था। राज्य विगत प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क विकास हेतु प्रावधान पूरी योजना व्यय का 10% था, तृतीय योजना काल में यह अनुपात घटकर 4.1% रह गया है और चौथी योजना में यह अनुपात कुल योजना प्रावधान का केवल 3.8% ही रखा गया है।

यह परसेन्टेज जो है, जिन सडकों का विकास होना चाहिए, उन पर यह धन खर्च होना चाहिए। फेमिन में या दूसरे प्रकार से यह खर्चा बहुत कम है। यह बात माननी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो भी खर्च होता है, उसका भी पूरा उपयोग विभाग द्वारा नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने ठेकेदारी प्रथा के बारे में कटौती प्रस्ताव रखा है। ठेकेदारी प्रथा में जो भ्रष्टाचार होता है वह कलंक की बात है। इस ठेकेदारी प्रथा में लाखों रुपये के घोटाले होते हैं। ठेकेदार लोग इन्जीनियर्स की खुशामद करते हैं। वह गलत रिपोर्ट दे देते हैं। जब काम के बारे में विभाग को कहा जाता है तो विभाग उत्तर देता है कि काम ठेकेदार को दे रखा है। मेरे क्षेत्र में जैतारण तहसील में निम्बाज-आसरलाई रोड है। उस पर काम अधूरा पड़ा हुआ है। कहते हैं तो उत्तर दिया जाता है कि ठेके पर दिया हुआ है। कहते हैं कि मिट्टी डाल दी गई है। लेकिन जब मौके पर जाकर देखते हैं तो जितनी मिट्टी डालनी चाहिए थी, वह नहीं डाली गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। यह ठेकेदारी प्रथा भी मजदूरों का शोषण करती है। कई जगह मजदूरों को जितनी मजदूरी मिलनी चाहिये उतनी वह देते नहीं हैं। जब विभाग को कहा जाता है तो वह कहते हैं कि ठेकेदारी पर दे रखा है। आज सरकार समाजवाद का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो विभाग को चाहिये कि मजदूरों से सीधा सम्पर्क रखे। इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाये। जब तक कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त नहीं किया जायगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। तथा मजदूरों का शोषण होता रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह फेमिन

(श्री शंकरलाल)

में जो सड़कें बनाई हैं, उनके लिए यह कहा गया है कि कुछ सड़कों को लेंगे कुछ को नहीं लेंगे। इससे मुझे खेद हुआ। इन्होंने अपनी पुस्तिका में लिखा है,

'अकाल सड़कों की मरम्मत के लिए पृथक् रूप से निर्धारित मरम्मत आवंटन सीमा के अन्तर्गत 184 से 450 लाख रु. की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की जाय।'

तो उपाध्यक्ष महोदय, अगर फेमिन में जो यह सड़कें बनी हैं, अगर उनके विकास का काम लेने से इन्कार करते हैं तो यह उचित नहीं है। अगर बनाई गई हैं तो विभाग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर सड़कों के हैड में पैसा कम है तो इसके लिए सरकार से लड़िये। इस किताब को देखने के पश्चात् महसूस होता है कि वास्तव में सड़कों की मद पर पैसा बहुत कम है। फेमिन की सड़कों के रास्ते इतने खराब हो जाते हैं कि इससे तो अच्छा होता कि वह सड़कें नहीं बनतीं। सडकों पर गड्ढे हो जाते हैं। लोग उसके किनारे चलते हैं, पास में चलते हैं। सड़क पर नहीं चलते हैं। दूसरा मैं निवेदन करूंगा, माननीय मंत्रीजी मुझे इस बात का खेद है कि उनके जो आदेश हैं, उनके जो आश्वासन हैं, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा था, चाहे वह उधर बैठने वाले हों, माननीय मंत्री जी जो आश्वासन देते हैं, वह पूरा नहीं होता है। मैं कहूंगा कि जैतारण सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वहां पर डाक बंगला शुरू किया जायेगा। लेकिन डाक बंगले की जगह जो सरकारी गैस्ट आते हैं वह तो ठहर सकते हैं लेकिन जनता के दूसरे व्यक्ति नहीं ठहर सकते हैं। जब माननीय मंत्री जी दिसम्बर, 70 में पधारे थे, उस वक्त भी उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि एक महीने में डाक बंगला चालू कर दिया जायेगा। उसके बाद 23 जनवरी को पत्र मिला, उसके अन्दर लिखा गया,

With reference to your letter dated 4th January, 1971 it is to inform you that the instructions for the electrification and furnishing of the Gang hut of this deptt. at Jetaran have already been issued to the Executive Engineer, East Dn. PWD (B&R), Jodhpur. This Gang hut cannot be converted into a Dak Bungalow as requested by you unless the proper sanction for engagement of staff is accorded by the Govt. Proposals for constiuction of this Dak Bungalow along with the requisite staff are being submitted to the C. E. P.W.D,(B&R), Rajasthan, Jaipur for obtaining Govt. sanction in the matter.

वह 23 जनवरी को यह लिखते हैं। उसकी सैंक्सन आज दिन तक आई नहीं है। डाक बंगला चालू नहीं हुआ है। मकान बना हुआ है। किसी आदमी को ठहरने की इजाजत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से जाते हुए जैतारण बीच में एक अच्छा कस्बा है। डाक बंगले की वहां जरूरत है। कई बार माननीय मन्त्री महोदय को पत्र भी लिखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी ही नहीं, पी.डब्ल्यू.डी. का विभाग एक ऐसा

(श्री शंकरलाल)

विभाग है जहां माननीय मन्त्रीजी की तो क्या माननीय मुख्य मन्त्रीजी के आदेशों की भी कोई कीमत नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी जैतारण पधारे थे। वहां जैतारण-मेड़ता सड़क....

श्री मदनसिंह : इससे तो यह साफ है कि यह विभाग कितना निष्पक्ष है कि माननीय मन्त्री क्या मुख्य मन्त्री को भी नहीं मानता है।

श्री शंकरलाल : निष्पक्ष तो क्या, वहां ठेकेदारों की चलती है या रिश्तेदारों की चलती है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह तो सच है।

श्री शंकरलाल : जैतारण से मेडता..

श्री रामचन्द्र आर्य : शंकरलालजी, जब ठेकेदारों से चन्दा लिया था उस वक्त क्यों नहीं बोले थे ?

श्री शंकरलाल : मैं कहूंगा कि ठेकेदार प्रथा समाप्त की जानी चाहिए

उपाध्यक्ष महोदय, जैतारण से मेड़ता सड़क प्लान रोड थी, लेकिन फेमिन की वजह से उनको फेमिन में लिया गया। फेमिन में लेने के बाद वह सड़क अधूरी रह गई। चारों तरफ जगह जगह कान्क्रीट और डामर पड़ा हुआ है। एक दो जगह रोलर आये हुए पड़े हैं। लेकिन उसकी हालत क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात थी, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का हवाला देते हुए लिखा है :

During course of recent visit of the Hon'ble Chief Minister of Rajasthan to Jetaran on 24th August, 1970 he has announced that the incomplete portion of the Jetaran—Merta City Road both Pali and Nagaur districts should be metalled and bitumen carpetted immediately.

यह चिट्ठी लिखी है सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को, यह कौनसी तारीख की है, 26-8-70 की। आज 71 चल रहा है। वहां सामान पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन रोड तैयार नहीं हुई है। मैंने सोचा कि यह रूरल वर्क्स प्रोग्राम में ली जायगी। लेकिन मुझे खेद है, पाली जिला रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्दर है, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग सोया हुआ रहा है इसलिये अधूरे कामों को रूरल वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं करा सका पाली जिले के अन्दर। इतना ही नहीं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उसके बाद सड़क के बारे में कई बार चिट्ठी लिखी लेकिन कोई उत्तर तक नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, आप इनके एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा देखिये, जो एक्स. ई. एन. पी.डब्ल्यू. डी. पाली कहलाता है, उसका दफ्तर जोधपुर में है। हमने कहा, जो एक्स. ई. एन. पी डब्ल्यू. डी. पाली कहलाता है, उसका दफ्तर जोधपुर में है, वह खुद की सुविधा के लिए जोधपुर में बैठा हुआ है, जोधपुर में उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन दफ्तर स्थानान्तरित पाली में नहीं किया जा रहा है। यदि पाली वाले सड़क के मामले में कोई

(श्री शंकरलाल)

सडक बनवाना चाहते हैं तो उनको जोधपुर जाना पडता है और वहां जाकर पी. डब्ल्यू. डी. के. एक्स. ई. एन. को टटोलना पड़ता है। उसे क्यों जोधपुर में लिए आप बैठे हैं? क्यों नहीं पाली के अन्दर लाकर वहां रखते हैं। इसके अन्दर मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय की ढीली नीति है, इसी कारण आदेशों की अवहेलना होती है और ढिलाई के कारण ही आदेशों का पालन नहीं हो पाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं जरूरी बातें दो चार निवेदन करना चाहूंगा, मेरे दल के लिए जितना समय है, उसके अन्तर्गत ही बोलूंगा मैं कुछ सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल के जो सदस्य...

श्री शंकरलाल : मैं जल्दी समाप्त करूंगा।

मैं कुछ उन सडकों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जो बहुत जरूरी सडकें हैं, जिनकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे पाली जिले की सडकों के हिसाब से आठवां, नवां नम्बर आता है। यह किताब दी गई है, इसके अन्दर मार्च 70 तक के फिगर्स बताये हैं उसके आधार पर सबसे पहला है, उदयपुर, जिसमें सबसे ज्यादा लेथ उदयपुर जिले में बताई गई है, 3262 मील की। उसके बाद दूसरा नम्बर जोधपुर जिले का आता है, इसमें 1960 लैंथ बताई गई हैं। उसके बाद दूसरा नम्बर आता है, कोटा का जहां 1703 लेंथ बताई गई हैं। नागौर में बताई गई हैं 1735। कोटा का चौथा नम्बर आता है। अजमेर का नम्बर पांचवां आता है, वहां 1600 लैंथ बताई गई हैं। पाली जिला उसके बाद आता है, वहां कुल मिलाकर लैंथ बताई गई हैं 1596।...

(3.13 म.प)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

तो सभापति महोदय, पाली जिला इतना इम्पार्टेन्ट जिला है, वहां सडकों के निर्माण में, मरम्मत के अन्दर जिस प्रकार शिथिलता बरती जा रही है, मैं समझता हूं वह उचित नहीं है। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर जो जेतारण से चण्डावल तक सडक है, वह पाली से आने वाली है...

श्री मोहनलाल मोदी : पाली को दो करोड़ दे रहे हैं।

श्री शंकरलाल : दो करोड़ किया जा रहा है वह रूरल वर्क्स प्रोग्राम में है, वह सड़कों के काम पर खर्च नहीं हो रहा है।

श्री मोहनलाल मोदी : सडकों पर होगा, सिंचाई के साधनों पर भी पूरा होगा।

श्री शंकर लाल : पाली जिले के बारे में मैं निवेदन कर रहा था, रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्दर पाली जिले के अन्दर सिंचाई के काम लिये जा रहे हैं, सड़कों का एक काम नहीं लिया जा रहा है। यह मैं आपकी सूचना के लिए बतला दूं।

सभापति महोदय, जैतारण से चण्डावल की सडक है, वह डामर की बनी थी वह देवली तक रोकी गई है। आगे बन्द हो गई है। समझ में नहीं आता है, क्यों नहीं

(श्री शंकरलाल)

बन रही है। मैं किसी के लिए नहीं कहता, लेकिन सड़क का आगे काम क्यों नहीं चल रहा है। इससे पाली से जैतारण का रूट कम हो जायगा। वहां से अधिकारियों को दूसरे हैड क्वार्टर पर जाने के लिए पन्द्रह से बीस किलो मीटर का फायदा होगा और वह जल्दी पहुँच सकेंगे। इसलिए जो यह सड़क का काम अधूरा पड़ा हुआ है इसको पूर्ण कराना चाहिए।

निम्बाज से आसरलाई तक की सड़क है, विरांटिया कलां से रास तक की सड़क है। चित्तौड़ से विराटिया खुर्द होकर बाबरा तक की सड़क है। यह सड़क फेमिन में बनी हुई है। लेकिन आप मौके पर चल कर देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा, सभापति महोदय, कि जगह जगह जो पुलियां बनी हैं, वह जगह जगह टूटी हुई पड़ी हैं, जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। उनको थोड़े से पैसे से मरम्मत कराई जा सकती है और मरम्मत से ठीक हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि नई सड़क बनाने की बनिस्पत आलरेडी जो सड़कें हैं, उनकी मेन्टेनेन्स पर ध्यान दें, बनिस्पत इसके कि सड़कों की ज्यादा लम्बाई बताने के लिए कि इतनी बन गई, आलरेडी जो सड़कें हैं, उनकी मेन्टेनेन्स की तरफ ध्यान दें, तो मैं समझता हूं कि उचित होगा (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं खाली एक ही पाइन्ट कहना चाहता हूं, अन्त के अन्दर।

पी. डब्ल्यू. डी. के कई काम होने के बाद भी मजदूरों की मजदूरी कई कामों की बाकी रह गई है, कइयों को समय पर नहीं मिलती है। मेरे क्षेत्र के अन्दर एक गांव गिरी है, वहां के 11 गैंगों का पी. डब्ल्यू. डी. के काम का बाकी है। गिरी के जो मेट हैं, उनको किन किन आदमियों का बाकी है, उनके नाम लिखकर दिये, 22-4-69 से 22-3-69 तक 11 गैंगों ने काम किया लेकिन उनको पैसा एक दिन का भी नहीं मिला। उसमें शिड्यूल्ड कास्ट के गरीब आदमी हैं। लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. वालों ने पैसा नहीं दिया है। इसलिए जिनका पैसा बाकी रह गया हैं, अनपेड लेबर का और जो पी. डब्ल्यू. डी. की वजह से रुका हुआ है, वह दिलाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में वैसे तो आम चर्चा रहती है कि इस विभाग में अपव्यय की कोई कमी नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष में इस विभाग ने अपनी कार्यवाहियों से इस चर्चा की अच्छी तरह से पुष्टि की है, आज नाम से चाहे यह सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, लेकिन यह कहा जाय तो अच्छा होगा कि इसका काम सार्वजनिक निर्माण का नहीं है, इसका व्यक्ति निर्माण का कार्य है, यह व्यक्ति निर्माण विभाग है···

श्री दौलतराम सारण : व्यक्ति निर्माण नहीं करता है, चोर निर्माण करता है, व्यक्ति निर्माण करता तो देश का निर्माण हो जाता।

श्री परसराम मंगाराम : यह भ्रष्टाचार निर्माण विभाग है।

Page No 136

श्री सभापति : बैठे बैठे निर्माण नहीं होता है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : आप बोलने का मौका ही नहीं देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो व्यक्ति निर्माण किया जाता है वह ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जाता है, जो देश के लिए वरदान सिद्ध न हों बल्कि भ्रष्टाचार के माध्यम हों। आज व्यक्तियों का निर्माण होगा जो सम्पन्न होंगे, जिसके हाथ में काफी मात्रा में साधन अपनी कमाई के एकत्रित हों–उन लोगों का निर्माण हो। सरकार जो भ्रष्टाचार को रोकने की कभी चर्चा भूल से कर जाती है, वह कभी भी नहीं हो सकेगा, बल्कि उसको आदर्श रूप में जानकर अगर कुछ अन्य लोगों ने उसी प्रकार का काम शुरू किया तो भ्रष्टाचार जोर शोर से फैलेगा। सभापति महोदय, इस विभाग को पिछले वर्षों में दो प्रमुख काम दिये गये थे–एक काम था बोर्डर रोड्स का। लगभग पच्चीस करोड़ का खर्चा बोर्डर रोड्स के निर्माण में भारत सरकार से राज्य सरकार को मिला। बोर्डर रोड्स किस प्रकार की बनी हैं और इस समय उनकी क्या स्थिति है–इसका अनुमान तो केवल वे ही व्यक्ति लगा सकते हैं जिन्होंने इन रोड्स को देखा है। सभापति महोदय, एक ओर हमारे पाकिस्तान से सम्बन्ध दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इस बात का अन्देशा भी है कि किसी भी समय पाकिस्तान से हमारी मुठभेड़ हो जाय। आज हम भारत की जनता से इस बात की अपेक्षा करके चलते हैं कि इस सारी स्थिति में जनता को तैयार रहना चाहिए, लेकिन कोई जनता का व्यक्ति इस सरकार से पूछे कि क्या आप इस स्थिति के लिए तैयार हैं? तो शायद नवाब साहब 'हां' में उत्तर देंगे, लेकिन वास्तविकता इस प्रकार की नहीं है। सभापति महोदय, इस सदन को जानकारी है, बोर्डर रोड्स के प्रश्न पर मैंने कुछ मुद्दे इसी सदन में रखे थे, जिनके आधार पर राज्य सरकार ने बोर्डर रोड्स के मामले की जांच सैन्ट्रल पी. डब्ल्यू. डी. के चीफ इंजीनियर के सुपुर्द की थी···

वह जांच 6 महिने बाद आरम्भ हुई लेकिन आजकल उसकी जांच चल रही है। परिणाम क्या निकलेगा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन मैंने बोर्डर रोड्स के संबंध में केवल दो-तीन प्रश्नों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया था और इस पर इस सरकार ने जांच करवाने के संबंध में आश्वासन दिया था लेकिन बोर्डर रोड्स के कई घपले हैं जो टर्म्स आफ रैफरैंस जांच के लिए निर्धारित किए गए थे उनसे वे कवर नहीं होते। आज अगर उन रोड्स को देखा जाए तो कोई भी सीमा पर जाने वाली सड़क ऐसी नहीं होगी जिस सड़क के बीच में, आस पास में कहीं खड्डे न हों। कोई भी आदमी आसानी से जीप नहीं चला सकता। हैवी विहिकिल का तो प्रश्न खड़ा नहीं होता और रात में यदि कोई जाना चाहे तो यह संकल्प ले जाए कि मुझे रात को मरना है, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाना है, तभी उन सीमा सड़कों पर जा सकता है। यदि यह कहा जाए कि सड़क बरसात के कारण से टूटती हैं लेकिन 1965 से लेकर यदि गत वर्ष को एक इंच बरसात को हम छोड़ दें तो पिछले 7–8

(श्री भैरोंसिंह)

वर्षों से उस क्षेत्र में बरसात नहीं हुई। केवल एक इंच हुई है। उस वर्षा के बहाने को यदि हम लें तो वे खड्डे अपने आप में बोलते हैं कि हम वर्षा के पानी से नहीं कटे बल्कि हवा के कारण से कटे हैं, मेटेरियल कमजोर था–इस कारण खड्डे हुए हैं मेटेरियल में मिट्टी मिली हुई थी, सोलिंग एप्रोप्रिएट नहीं हुआ, इसलिए उन क्षेत्रों में खड्डे पड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने जांच का परिणाम भारत सरकर के सुपुर्द कर दिया। इन सड़कों के अन्दर जो खड्डे हो रहे हैं जो किसी संकट के समय बाधा पहुंचाने की स्थिति में हैं उनकी मेन्टेनेन्स के लिए सरकार ने क्या किया है? क्या सरकार चाहती है कि वह सड़कें टूट जायें और उनकी मरम्मत कराई जाए जिस पर और भी ज्यादा धनराशि का व्यय हो?

आज जिस प्रकार देश की स्थिति है उसको ध्यान में रखकर सरकार को फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में बोर्डर रोड्स की मेन्टेनेन्स किस प्रकार से की जा सकती है, दो-दो तीन-तीन साल से जो सड़कों में खड्डे पड़े हुए हैं जो सड़कें काम के योग्य नहीं हैं उनको किस प्रकार से काम का बनाया जा सकता है इस पर राज्य सरकार विचार करें।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले समय केवल एक्सट्रा लीड का प्रश्न या सरकार ने मशीनरी खरीदकर ठेकेदारों को दी या ठेकेदारों ने हायर परचेज सिस्टम पर, ली प्रश्न मैंने सदन में रखा था जिसके कारण जांच का प्रश्न खड़ा हुआ और आज तक जांच चल रही है लेकिन यह मशीनरी का सवाल केवल पेमेंट का नहीं है, मशीनरी की परचेज के मामले पर भी मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि मामला भी संदेह से परे नहीं है। मशीन किस प्रकार से खरीदी गई किस मात्रा में खरीदी गई, यदि इस मसले की जांच की जाए तो उसमें भी बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। कच्ची सड़कों पर ग्रैविल डालकर ग्रैविल बुलडोजर्स से कन्सालीडेट कराने के नाम पर राज्य सरकार ने ठेकेदारों को पैसा दिया। इसी प्रकार से राज्य सरकार ने ठेकेदारों से मिलकर, यह कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा और वास्तविकता भी है कि जितना भी जिसी प्रकार से ओवरपेमेंट किया जा सकता है, एक्सट्रा लीड के नाम पर, वह किया जाना चाहिए, एलाइनमेंट को चैंज करने के नाम पर किया जाए तो किया, जाना चाहिए। किस प्रकार का मेटेरियल लगेगा उस सम्बन्ध में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो उस परिवर्तन के आधार पर ठेकेदारों से मिलकर सड़क का सत्यानाश कराया जाए, इस प्रकार की स्थिति सरकार ने की है।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है नवाब साहब, इसलिए कहना पड़ता है कि आप चाहे तिजारा में बनायें चाहे सीकर में बनायें चाहे जयपुर में बनायें इन सड़कों के महत्व और सीमा सड़कों के महत्व में बहुत बड़ा अन्तर है। मैं मानकर चलता हूं कि सीमा सुरक्षा के नाम पर भारत सरकार ने करोड़ों रुपयों का धन देकर जिन सड़कों का निर्माण राजस्थान के ऐजेन्सी के मारफत कराया राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

ऐजेन्सी उस रूप में सक्षम सिद्ध नहीं हुई है और कहा जाए कि सड़क के मामले में जिन लोगों ने इस प्रकार की ज्यादतियां कीं, अनियमिततायें बरतीं, ठेकेदारों से मिलकर पैसा खाया, वह यदि राष्ट्रीय कार्यवाही के दोषी ठहराए जायं तो कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं कहना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि यदि आप में साहस है तो जिन लोगों ने पैसे खाए, जिन लोगों ने गड़बड़ की सड़कों के अन्दर रद्दी मेटेरियल लगाकर सत्यानाश की, तो आप भारत सरकार का इन्तजार मत करें, आपके हाथ में अधिकार है, आप लोगों के खिलाफ किसी न किसी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं लेकिन एक्शन लेना इस सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। आपने एक्शन के स्थान पर चुनाव के दिनों में लाखों रुपए चन्दा उन्हीं ठेकेदारों से इकट्ठे किए हैं जिन्होंने बोर्डर रोडस् का ठेका लेकर लाखों रुपये कमाए हैं। लाखों का ठेका देकर लाखों रुपए चन्दा लेकर सरकार ने चुनाव के दिनों में इकट्ठा किया। जो चुनाव में चन्दा लेते हों ठेकेदारों से और उस चन्दे से अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं—जैसे शंकरलालजी ने कहा, मैं उस बात का समर्थन करता हूं कि आज राजस्थान के इस विभाग में और खास तौर से जब से हमारे ये मंत्री महोदय बने हैं, उस समय से यहां पर न मंत्री का राज है न चीफ इंजीनियर का राज है, यहां ठेकेदारों का राज है और बदकिस्मती से उन ठेकेदारों पर साया कभी एक मंत्री का कभी दूसरे मंत्री का रहता है। इससे ठेकेदारों के खिलाफ जब एक्शन लेने का प्रश्न खड़ा होता है तो मंत्रियों के आपस में हस्तक्षेप के कारण उनके खिलाफ एक्शन न लिया जाए, इस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं।

दूसरा काम पिछले वर्ष अकाल का आया। मेरे पास जो मैंने सरकारी आंकड़े इकट्ठे किए हैं उनके आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि 1968-69, 1969-70 व 1970-71 में हमारे लगभग 105 करोड़ अकाल पर खर्च हुए हैं उनमें से 56 करोड़ खर्चा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से हुआ है। इस सदन में जब भी इस बात की चर्चा होती है अकाल के कामों को लेकर, जब माननीय सदस्य आलोचना करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारी आथोरिटी में डुपलिकेसी है जिससे न तो अकाल सहायता विभाग कोई ऐक्शन लेने में सक्षम है न सा. नि. मंत्री महोदय कोई एक्शन लेने का साहस कर पाते हैं और आज उसी का परिणाम हैं कि 56 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद में भी चाहे मुख्य मंत्री दावा कर सकते हैं कि अकाल में सड़कों के नाम पर इतने असैट्स क्रीयेट हैं लेकिन अगर आप सड़कों का हिसाब देखें तो मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्य अन्दाज लगा सकते हैं कि इन सड़कों के नाम पर कितना पैसा खा गए। वह केवल बाड़मेर और जैसलमेर के लोगों ने खाए या पाली और जोधपुर वालों ने खाए या जालौर में सबसे ज्यादा खाए, ऐसी बात नहीं है लेकिन जहां भी सा. नि. विभाग के मारफत सड़क निर्माण हुआ है लोगों ने निर्दयता के साथ पैसा खाया है। मैं अपने चुनाव के सिल-

(श्री भैरोंसिंह)

सिले में जैसलमेर इलाके का दौरा कर रहा था उसमें आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वहां एक सड़क नोक से मदासर अकाल में बनी, उस पर 5 लाख रुपया खर्चा हुआ। लोगों ने कहा सड़क नहीं, काम नहीं चला, सरकार ने कहा काम चला, लोगों ने शिकायत की कि जांच की जाए, जांच की गई। पहले एस. डी. ओ. ने फिर कलेक्टर ने। कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट में लिखा इस बीच में केवल दो मील की दूरी में कुछ झाड़ियां नजर आती हैं न किसी प्रकार का खड्डा था न लेविलिंग थी। थोड़ी दूरी में झाड़ियां काटकर सफाई की गई थी जिस पर 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं और मंत्री महोदय यदि चुनौती दें तो कलेक्टर, जैसलमेर की रिपोर्ट देख लें। कलेक्टर, जैसलमेर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पांच लाख रुपया इस पर खर्च हुआ है वह बिलकुल ऐसा खर्च हुआ है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं किसी प्रकार अकाउन्ट फोर नहीं किया जा सकता। एक्शन इसलिये नहीं लिया जाता कि एक मंत्री महोदय के वे दामाद हैं। अकाल में राजस्थान सरकार ने सड़कें बनायीं, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि यदि आर्डिनरी टैण्डर्स इन्वाइट किये जायं, निर्माण किया जाय...

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदय, यह चार्ज बड़ा संगीन है। कौन मंत्री के दामाद हैं जिनको खुली छूट मिली हुई है पैसा खाने की ?

श्री भैरोंसिंह : किसी मंत्री को पूछने है। आप बीच में क्यों आते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : हमें तो पता लगे ऐसे उस्ताद मंत्री का।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री को ही कह लेने दें।

श्री दौलतराम सारण : मंत्री जी कुछ नहीं कहते।

श्री भैरोंसिंह : वह पूछ लें।

श्री दौलतराम सारण : यह सरकार कोई कुछ आरोप लगाये जानकारी नहीं कराना चाहती है और चैलेन्ज नहीं करती है और उत्तर भी नहीं देती, आरोप के खिलाफ जांच भी नहीं करती यह बड़ी दयनीय स्थिति है।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : सड़कों का निर्माण जिस प्रकार से हुआ है, जैसलमेर में एक मील पर मिट्टी चलायी जाय, तो पहले और आज के जमाने में बीस हजार से अधिक खर्चा नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर एक मील पर एक लाख पांच हजार रुपया खर्च किया गया है, कहीं एक मील पर एक लाख 30 हजार रुपया खर्च किया गया है। आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको जनता का जो धन मिला है वह लूटने और लुटाने के लिये नहीं मिला है।

श्री शंकरलाल : ये वेग एलीगेशन्स होते हैं, आरोप यह भी लगाया गया कि एक मंत्री के जवांई को इसमें बताया गया। स्थिति साफ होनी चाहिये कि किस मंत्री महोदय का वह दामाद है वरना तो सदन गुमराह होता है।

श्री भैरोंसिंह : इन्जीनियर माथुर है। अब आप ही पता लगा लीजिये कि किस मंत्री का दामाद है।

श्री गिरधारीलाल : जैसलमेर की रिपोर्ट उनके द्वारा देखी गयी है। इन्टर कास्ट मेरिज होती हैं आज कल।

श्री भैरोंसिंह : आपके बचने का यही तरीका है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : नवाब साहब यह पूछ लेंगे तो लोगों का भ्रम दूर हो जावेगा वरना लोगों को यह भ्रम हो जावेगा कि उनके तो दामाद नहीं।

श्री सभापति : यस। केरी ओन।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक मील पर केवल मिट्टी डालनी है वहां पर 1 लाख 30 हजार का प्रतिवेदन का खर्चा आ जाय इससे अधिक राजस्थान सरकार के लिये शर्म की बात नहीं हो सकती।

दो वर्ष पहले बाड़मेर जिले में रामगढ़ से चौहटन तक 16 मील की सड़क बनी। 22 लाख का खर्चा आया। सदन में जब यह बात रखी गयी तो माननीय सदस्यों ने, जो कांग्रेस पार्टी के भी थे उन्होंने इस बात का समर्थन किया, जांच का प्रश्न खड़ा हुआ और जांच हो गई और आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि ऐसे तथ्य सामने आये हैं कि जिन व्यक्तियों के नाम मस्टर रोल पर लिखे हुए थे वे लोग हिन्दुस्तान में कहीं नहीं रहते हैं बल्कि वे लोग पाकिस्तान में रहते हैं। उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के नागरिक भूख के कारण से आये। अब वे आये नहीं यह दूसरा प्रश्न है। 22 लाख रुपयों का खर्चा हुआ और रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान के नागरिक उन सड़कों पर काम करने आये। मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं कि सड़कों पर खर्चा कराया, पाकिस्तान के नागरिकों को काम दिया, क्या पाकिस्तान से आने वाले पासपोर्ट लेकर आये? क्या उनको परमिट मिले हुए थे? आप भी इस मामले में चुप्पी लगाकर बैठ गये और राजस्थान सरकार भी इस मामले में चुप्पी लगाकर बैठ गई। पाली, भीलवाड़ा और जैसलमेर और जोधपुर में खर्चा हुआ सड़कों पर। खेतसिंह जी जानते हैं कोटा सड़क पर किस प्रकार अन्यायपूर्ण खर्चा किया गया है। चुनावों में मैंने उन सड़कों को जाकर देखा तो उन सड़कों का कहीं नाम नहीं है। हम यह कहते हैं कि इतने मील सड़कों का निर्माण तो कर दिया, एक लाख का एवरेज नहीं आता है 70 हजार का प्रति मील का एवरेज आता है। 70 हजार रुपया अकाल के दिनों में जब कि हम टास्क के बेसिस पर पेमेन्ट करते हैं, फिक्स वेजेज पर हम लेबर को रखते हैं, कोई यह नहीं कह सकता कि मजदूरों ने समय पर काम नहीं किया मजदूरों को अकाल राहत में मजदूरी देते हैं वह और औरतों को जो मजदूरी अकाल राहत में देते हैं वह, दोनों में अन्तर है, जबकि सड़कें कम खर्चे में होनी चाहिए, किन्तु अधिक खर्चे में हुई हैं। निर्माण मंत्रीजी को जालौर के जिले के लोगों ने शिकायतें पेश कीं। उन्होंने जांच करने के लिए अधिकारी को भेजा, एस. डी. ओ. जांच करने के लिये गये और उसने यह रिपोर्ट दे दी निर्माण मंत्री

(श्री भैरोंसिंह)

को कि पचास परसेन्ट हाजरियां गलत हैं। चीफ मिनिस्टर गये तो वहां पर जनसंघ के कार्यकर्ता मिले। उन्होंने कहा हम चलकर भ्रष्टाचार बताते हैं। चीफ मिनिस्टर ने जांच की। सौ में से तीस आदमी हाजिर मिले। उन ओवरसीयर आदि के खिलाफ क्या एक्शन लिया, उन नेताओं के खिलाफ क्या एक्शन लिया। उनके खिलाफ एक्शन लिया नहीं उसका परिणाम है कि 58 असिस्टेन्ट इन्जीनियरों के खिलाफ इन्क्वायरी चली. 70 ओवरसीयर और मेट और सुपरवाइजर तो सैकड़ों की तादाद में हैं, आप बताइये कि कितने लोगों की इन्क्वायरी करके सजा देने का प्रावधान रखा है। इसी सत्र में एक अतारांकित प्रश्न किसी माननीय सदस्य का था। इस सदन को सुन कर ताज्जुब होगा कि उसमें अधिकांश में यह लिखा है कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स से 69 में रिपोर्ट मांगी वह 71 तक नहीं आई। 70 में रिपोर्ट मांगी उसका प्रतिवेदन नहीं मिला। आप फिर किस बात की मूली हैं ? आप किस प्रकार खर्चा कर रहे हैं ? इन्जीनियर रिपोर्ट न दें और बाकी के लोग रिपोर्ट न दें तो आप किस लिए बैठे हैं ? तिजारा में जाकर सड़कें बना लीं और जीत कर आ गये तो तिजारा के लोगों को भी पता लग गया। तिजारा से गिलोली तक सड़क बनादी जो न तो योजना में थी और न कुछ। आप चुनाव जीत कर आये। आप खर्चा करना चाहते हैं। सरकार स्वीकार करेगी या नहीं इसकी चिन्ता नहीं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारी सड़कों के बारे में तो मैं समयाभाव के कारण नहीं कह सकता लेकिन अधिकांश सड़कों के मामलों में शिकायतें की और उन माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि आपके एक विधायक की शिकायत पर आपने इन्जीनियर्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया ? आपने शायद उनको जवाब दिया या नहीं, मैं नहीं जानता। पर मेरी जानकारी के अनुसार आपने यह लिख रखा है कि इन्जीनियरों से जानकारी चाही है।

श्री **दौलतराम सारण** : पत्रों का जवाब देना इस सरकार के सामान्य शिष्टाचार की सीमा में नहीं आता है मोहन लाल जी सुखाड़िया की सरकार के।

श्री **भैरोंसिंह** : डी. आई. जी., सी. आई. डी. ने यह केस बनाया। पी. डब्ल्यू. डी. से स्वीकृति चाही केस चलाने की। इस पर भी भी यही एक्शन लिया गया कि इन्जीनियर रिपोर्ट करे। इनके पास डेढ़ डेढ़ साल से रिपोर्ट नहीं आती। खुद फेमिन रिलीफ डिपार्टमेन्ट सेक्रेटरी ने शिकायत की पर यहां तो शिकायत पर भी कोई एक्शन नहीं होता।

आपको 56 करोड़ रुपया मिला इस काम के लिए। मुझे जानकारी है उसके आधार पर कहता हूं कि इस 56 करोड़ में से 15—20 करोड़ रुपया के बीच लोग अपनी अपनी जेबों में भरकर ले गये। यह पैसा मजदूर ने नहीं खाया, गरीब ने नहीं खाया, फिर सवाल आता है किसने खाया ? इस सरकार के इस निर्माण विभाग के इन्जीनियरों ने खाया, ठेकेदारों ने खाया, पंच, सरपंच ने खाया, ओवरसियरों ने खाया, सरकार के इस विभाग में काम करने वाले अधिकारी ने खाया। आप गांवों

(श्री भैरोंसिंह)

में जाइये । आप शहरों में जाइये । जो इन्जीनियर आज के साल डेढ़ साल पहले भर्ती हुआ जो ओवरसीयर काम नहीं जानता था, फिर जिनको इस फेमीन में काम मिल गया उन सबने लाख लाख रुपये की बिल्डिंगें खड़ी कर लीं उनकी ये बिल्डिगें जोधपुर, बीकानेर और जयपुर में खड़ी हैं, बड़े बड़े शहरों में कस्बों में खड़ी हैं, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से आज सरकार छोटे छोटे पटवारी और सिपाही के खिलाफ एन्टी-करप्शन की सारी फोर्स लेकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी प्रापर्टी में असमानता कहां से आई, बताओ। पर ये भ्रष्टाचार के प्रतीक आज राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में और गांवों में खड़े हैं। आप लोगों की बोलती वहां बन्द क्यों है ? वे कहते हैं, अब जो कहते हैं वह कितनी सही और कितना गलत है यह तो वे जानें, पर एक इन्जीनियर कहता है, मैं अकेला नहीं खाता । ओवरसीयर कहता है मैं अकेला नहीं खाता, एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर कहता है मैं अकेला नहीं खाता, ऊपर तक सब खाते हैं। अब ऊपर तक कौन खाता है ? कौन है ? ऊपर या तो भगवान है या नवाब साहब हैं या सुखाड़ियाजी हैं यह कौनसा ऊपर वाला अब खाता है, इसका जबाव या तो सुखाड़ियाजी देंगे या नवाब साहब देंगे। पर यह भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी ऊपर से नीचे चलती है यह निश्चित है। यह मैं दावे के साथ कहता हूं । भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार चाहे तो एक इण्डिपेण्डेण्ट बॉडी कायम करके जांच करवा ले । अगर ऊपर से यह रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार नहीं चलता तो ये भ्रष्टाचार के प्रतीक जो सीना ताने हुए शहर और गांव में खड़े हैं सीधे खड़े नहीं रह सकते थे। अब किस सीमा तक यह घोटाला हुआ यह भी जान लें। ये सड़कें जो बनीं कहां कहां पर हैं ? राजस्थान के नक्शों में कागजों में ये सड़कें दिखाई गईं पर उनको आप अगर जमीन पर देखने जाओगे तो जमीन पर पता नहीं लगेगा। कहेंगे ग्रेवल डाला है तो ग्रेवल अगर आप देखने जाओगे तो ग्रेवल नहीं मिलेगी। ग्रेवल का पता नहीं लगेगा । फेअर वेदर रोड कागजों में आप देखेंगे, धरती पर पता भी नहीं लगेगा । कन्क्रीट की रोड का पता भी नहीं लगेगा। तो आज ये जो सड़कें बनीं गाड़ियां चलाने के लायक तो रही नहीं । चुनाव के दिनों में मैंने सारे क्षेत्र में घूमकर देखा। सरकार की सड़कों पर गाड़ी नहीं चल सकती। गाड़ी को नीचे नहीं उतारा तो वह चल नहीं सकती। यदि इस पैसे में उनका निर्माण आपने किया है तो मेरी मांग है कि फेमिन की सड़कों के मामलों में एक इण्डिपेण्डेण्ट कमीशन नियुक्त किया जाय जो पिछले तीन वर्षों के अकाल में अकाल राहत काम के नाम पर पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के माध्यम से जिनका निर्माण कराया है, इन सबकी जांच करे। और जो दोषी पाया जाय उसको उचित दण्ड दिया जाय।

सभापति महोदय, एक करोड़ बारह लाख रुपयों के सामान की खरीद की गई। एक करोड़ बारह लाख के तगारी, फावड़े वगैरह खरीदे गये। नवाब साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपने अपने बंगले में कितना सामान रखा ? नहीं रखा। जो रखते होंगे उसकी तो इन्वेन्टरी बनाते होंगे ? पर आपसे कोई पूछे कि आप के विभाग के द्वारा

(श्री भैरोंसिंह)

69।70 और 70।71 में जो 11 2 लाख की परचेजेज इन औजारों की करवाई गई, क्या कभी इसका फिजिकल वेरीफिकेशन कराया गया ? मैं पूछना चाहता हूं कि 68।69 से पहले जो सामान खरीदा गया, वह कहां गया ? उसका कोई पता नहीं। बाद में जो खरीदा गया उसको कोई इन्वेन्टरी नहीं, फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं। पता नहीं कहां गया वह सामान।

ऐसी स्थिति में, सभापति महोदय, जहां इस प्रकार का भयंकर घोटाला हो, वहां मन्त्री महोदय चुपचाप बैठे हों, तो दुर्भाग्य की बात है। मैं मानता हूं माननीय मन्त्री कुछ कर नहीं सकते। सुखाड़ियाजी ने इस पिंजरापोल में ऐसे लोगों को छांट छांट कर भर्ती किया है कि कोई भी सिर उठा कर बात कर नहीं सकता। इण्डिपेण्डेण्ट एक्शन नहीं ले सकता। पिंजरापोल के पशु को जिस प्रकार चारा डाल देते हैं और जिस प्रकार वह उसी में सन्तोष कर लेता है और कोई झपटा मार कर खा पी कर शरीर मोटा बना कर रहता है उन पिंजरापोल के कुछ पशुओं की तरह ही हमारे ये नवाब साहब हैं, सुखाड़िया साहब की पिंजरापोल के। न इनमें वह साहस है, न किसी अपराधी को दण्ड दे सकते हैं, न किसी का ट्रांसफर कर सकते हैं, न किसी की नियुक्ति कर सकते हैं। अगर कोई खा गया तो खा गया। चुप हैं आप। सरकार का पैसा था खा लिया। जनता का पैसा लूट लिया। इसी में ये सब खुश हैं। आज ऐसी स्थिति राजस्थान में पैदा हुई है। मैं निर्माण मंत्री से पूछूंगा कि अकाल के दिनों में पहाड़ों से या जहां जहां पहाड़ियां थीं वहां पर कन्क्रीट आपने खुदवाई तुड़वाई। पत्थर तुड़वाकर कन्क्रीट बनवाई। क्या आपने कभी उसका असेसमेंट किया कि जो पड़ी है कन्क्रीट वह कितनी है ? कितने रुपये की है ? इसकी निगरानी रखने वाला कोई है ? मैंने अपनी आंखों से देखा। जहां पर पी. डब्ल्यू. डी. विभाग की कंक्रीट पड़ी है लोग ट्रकें भर भर कर रोज ले जाते हैं। कोई उनको रोकने वाला नहीं। इस तरह से लाखों रुपयों की लागत की कंक्रीट पत्थर वे ले गये होंगे अभी तक। पर यह हुकूमत लाखों रुपयों के अपने माल की सुरक्षा नहीं कर सकती। गांवों में किसी से पूछो यह पत्थर कहां से लाये कहेगा फलां पहाड़ से। वहां कैसे मिल गया ? अकाल के दिनों में सरकार ने पत्थर तुड़वाये थे, कंक्रीट तुड़वाई थी, निगरानी करने वाला उसकी कोई है नहीं, ले आये।

दुर्भाग्य तो यह है कि अभी यह तै नहीं हो पाया कि अकाल राहत की है यह प्रोपर्टी या पी. डब्ल्यू. डी. की। अकाल राहत वाले कहते हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं। पी. डब्ल्यू. डी. वाले कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं। यहां किसी की जिम्मेदारी नहीं, और उधर सरकार का लाखों रुपयों का माल लोग ले जा रहे हैं। किसी पर जिम्मेदारी नहीं। मुझे ऐसा लगता है राजस्थान में जिम्मेदारी कोई विभाग या अधिकारी इसलिये नहीं लेना चाहता कि कंक्रीट के नाम पर पैसा ज्यादा खाया गया है। कंक्रीट है कम। रोडी कंक्रीट के नाम पर पैसा बहुत ज्यादा खाया गया है, रोडी है कम। अब यदि निगरानी करे और इसके बाद उसको बेचना पड़ जाय या और किसी प्रकार से उसका डिस्पोजल हो, ट्रांसपोर्टेश

(श्री भैरोंसिंह)

का कन्ट्राक्ट हो तो पोल उस समय खुल सकती है कि वास्तव में इतनी टन कन्क्रीट या पत्थर बताया था पर जब उसे उठाया गया तो वहां तो कुछ नहीं मिला या बहुत कम मिला। तो उस एक जिम्मेदारी से बचने के लिए अकाल राहत विभाग वाले कहते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं और पी. डब्ल्यू. डी. वाले कहते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं। नबाव साहब कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं।

ऐसी स्थिति में इस विभाग के सम्बन्ध में यह माना जाये कि यह विभाग कुछ कर पावेगा या ये मंत्री महोदय कुछ कर पायेंगे, नवाब साहब कुछ कर पायेंगे, मुझे तो ऐसी आशा नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज पिछले दिनों में पाली, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अकाल राहत कार्यों में घोटाले हुए, सदन में उनके बारे में चर्चा हुई। भीलवाड़ा में इरिगेशन का काम था। राजस्थान की सरकार ने तीन आदमियों की समिति नियुक्त की। वहां भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि इरिगेशन विभाग लड्ढा साहब के पास। उनकी निगरानी में सारे काम हुए। वही अधिकारी जांच कर रहा है जिसकी निगरानी में ये सारे काम हुये और जिनमें घोटाले हुये। अच्छा तो यह होता कि श्री लड्ढाजी इस इरिगेशन विभाग से छुट्टी लेते और उसके बाद में कोई निष्पक्ष अधिकारी उस घोटाले की जांच करता। पर इस राज्य में यह तो सम्भव नहीं है। यह तो कन्वेन्शन ही मुख्यमन्त्री ने नहीं डाला।

अब पाली का नवम्बर आया। पाली में घोटाले हुए। जांच के लिये तीन आदमियों की समिति नियुक्त कर दी। मैं तो नवाब साहब, जांच हो रही है, यह नहीं कहना चाहता।

डूंगरपुर-बांसवाड़ा की सड़कों के सम्बन्ध में वहां के काम के सम्बन्ध में अजमेरा ने जो प्रतिवेदन दिया उसके सम्बन्ध में क्या एक्शन लिया? यह बतादें। एक मस्टर रोल में दो–दो सौ तीन-तीन सौ फरजी लोगों के नाम। चालीस पचास पचास झूंटे अंगूठे हैं जिन पर उन्हीं इन्जीनियर साहब ने अपने पांचों अंगुलियों के निशान लगाये हैं, पैर के अंगूठे के निशान लगाये हैं, अपनी बीबी के अंगूठे लगाये हैं, अपने बच्चों के अंगूठे लगाये, बाप के लगाये, बीबी और बच्चों के लगाये। हाथ के लगाये, पैरों के लगाये। ये हैं मस्टर रोल के नमूने आपके। दुर्भाग्य है ऐसे बड़े विभाग का जो करोड़ों रुपया इस तरह से खर्च करता रहा और काम कुछ नहीं हुआ। पैसा इस तरह की फरजी कार्यवाही द्वारा लोगों की जेबों में जाता रहा। फेमीन से प्रभावित लोग तड़पते रहें। उनकी मुंह की रोटी छीनकर ये पढ़े लिखे चोर डाकू खा गये।

नवाब साहब पूछेंगे यह अजमेरा कौन है? अजमेरा अजमेर के रहने वाले नहीं थे। अजमेरा दिल्ली से भी नहीं आये। अजमेरा आपके अकाउन्ट्स विभाग के आदमी थे। अकाउन्ट्स अफसर ने जांच की। आपने पूछा कब की?

खेतसिंहजी भी ऐसे। आप भी ऐसे। कब की, यह भी पता नहीं। आप क्यों

(श्री भैरोंसिंह)

पूछते हैं किसी से ? आपको अगर कोई जानकारी देता नहीं, आपको जानकारी होती नहीं तो आप मेरे पास आओ। मैं दूंगा सारी जानकारी, रिपोर्ट की कापी दूंगा। पी. डब्ल्यू. डी. ने कितना पैसा खाया इसका हवाला देता हूँ।

इसके बाद सभापति महोदय.....

(श्री अमीनुद्दीन अहमद एवं श्री खेतसिंह के हंसने पर)

श्री मदनसिंह : वाट ए शेम। यू बोथ आर लाफिंग वाट इज ही से

श्री भैरोंसिंह : यह हालत रहेगी। हंसने से भी काम इनका चलता रहेगा। पर वह काम अधिक नहीं चलेगा। ज्यादा हंसेंगे तो बंगाल जैसी हालत होते देर अब नहीं लगेगी। जो जनता आज रो रही है और ये हंस रहे हैं, वही जनता कल हंसेगी और इनको रोते देखेगी। बंगाल में पाकिस्तान यह समझता था कि इनको भूखा मारो, खूब चूसो इनको। अगर इन भूखों ने कभी मुकाबला किया तो इनको क्रश कर देंगे हमारी ताकत बहुत बड़ी है। बीस वर्षों से लम्बे समय तक जिस बंगाल का एक्सप्लोईटेशन किया गया, वहां के लोग सीना तानकर खड़े हो गये। लोगों ने हथियार उठा लिये। आज करोड़ों रुपया गरीब जनता का, भूखी जनता को भूखी मार कर आप खा गये, और खाकर गुस्ताखों की तरह हंसते हो। वह हमारी सहन करने की सीमा के कारण हंसते हो। आज जनता सीमा में शान्त है सहन करके बैठी है, इस वास्ते हंस सकते हो, पर जिस दिन इस जनता जर्नादन ने अपनी सीमा तोड़ दी, कोई रोना आपका सुनने वाला नहीं रहेगा, इस धरती पर। सीमा तोड़कर जनता ने अगर कदम बढ़ा दिये तो उन कदमों तले ऐसे रौंद दिये जाओगे कि इन हंसने वालों की तब हड्डी पसली का भी पता नहीं लगेगा। उस रोने के पीछे आपको महसूस होगा कि पिछले वर्षों में हमने अन्याय किया है और अन्याय करने के बाद काफी हंसे और आज रोने की स्थिति पैदा हो गई। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि आज इस सबसे जनता का सब्र टूटे बिना नहीं रह सकता। आपके पास में जांच रिपोर्ट आ गई, उस पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की। भीलवाड़ा और पाली की जांच हो गई, उसका क्या परिणाम है ? जैसलमेर के कलेक्टर ने रिपोर्ट दे दी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जोधपुर के कलेक्टर ने एक्स. ई. एन. के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट दे दी, आप उस पर कार्यवाही करने को तैयार नहीं, बाड़मेर के सड़क के मसले पर वहां के कलेक्टर ने रिपोर्ट दे दी, उस पर भी आप कोई जांच कराने को तैयार नहीं हैं। फिर क्या एजेन्सी है ? आपसे स्वीकृति चाही गई है और आप स्वीकृति देने को तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मैं तो यह कहना चाहूंगा कि सदन को चाहिये कि जिसके कारण से यह सब हुआ है उसको एक एग्जम्पलरी पनिशमेन्ट के रूप में दंडित करना चाहिये। सबसे पहले मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिसके काम में करोड़ों रुपयों का घोटाला हो गया, यदि रत्ती भर भी उनमें ईमानदारी बची हो, रत्ती भर भी कार्यकुशलता हो तो वे त्याग पत्र दे दें और त्याग-पत्र

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं दें तो जिसके कारण 30 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो इस सदन को चाहिये कि उनको बरखास्त कर दें ताकि जनता को पता लगे। आप जानते हैं कि कुछ नहीं होगा। आपका बहुमत है और आपको कोई बरखास्त नहीं कर सकता। राजस्थान में इस समय आपका राज्य है, परन्तु हमेशा सरसब्ज बाग हरा नहीं हो सकता। कभी सूखता भी है। कभी लकड़ी भी गिरती है और उस गिरी हुई लकड़ी को लोग जलाते हैं। यही स्थिति राजस्थान सरकार की और उसके मंत्रियों की होगी। आप बंगलों में बैठते हैं और सोचते हैं सुखाड़ियाजी बहुत चालाक हैं, होशियार हैं। उनका बहुमत बना रहेगा। इसलिये खाओ और पीओ यह अपना ही राज्य है, दुबारा मौका नहीं मिलने वाला है। आपको इस समय मौका अच्छा मिला है। परन्तु जनता इसको भूल नहीं रही है, जैसे दूसरे दुनियां के मुल्कों में रिश्वतखोरों को जनता ने फांसी के तख्ते पर लटका दिया है वही हालत आपकी होगी। इससे बच कर आप नहीं जा सकते। आज अकाल के सम्बन्ध में हुई गड़बड़ियों के बारे में शंकर लाल जी यहां पर कह रहे हैं, बाड़मेर के माननीय सदस्य श्री वृद्धिचंदजी यह कह रहे हैं। इसी प्रकार की बातें जयपुर डिवीजन के बारे में भी यहां पर कही गई हैं और इन बातों की आपको जानकारी न हो ऐसी बात नहीं हो सकती है और दौलतरामजी ने एक चिट्ठी लिखी उसका यह जवाब देते हैं कि आपको चिट्ठी मिली, उसको सम्बन्धित एक्स. ई. एन., सी. ई. के पास भेज दिया गया है। वहां से जवाब आने पर सूचना दी जायेगी। अब सूचना क्या है? वह सूचना तो आपके पास में है। एक एम. एल. ए. शिकायत करता है और उस पर यह पत्र लिख दिया है। हमारे पास कोई आफिस है? क्या हम 15 दिन के बाद फिर आपको रिमाइण्डर करेंगे और रिमाइन्डर भी करते हैं तो आज तक कोई पत्र का उत्तर आया है? मैंने चेष्टा की है चिट्ठियां लिखकर और उसके आधार पर कार्यकर्ताओं को भी चिट्ठियां लिखी हैं किन्तु आज तक कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। ऐसी स्थिति में इस सदन को चाहिए कि कम से कम इस भ्रष्टाचार के विरोध में, सीमा सुरक्षा के सम्बन्ध में सड़क निर्माण में हुई गड़बड़ियों के विरोध में, अकाल के नाम पर मजदूरों की रोटी छीन कर अपना पेट भरने वाली इस सरकार के खिलाफ हम मत दें, यह कम से कम इस सदन को करना चाहिए। राजस्थान में जिस प्रकार व्यापक भ्रष्टाचार फैल रहा है, राजस्थान सरकार के विभाग जिस प्रकार इस भ्रष्टाचार से लिप्त हो रहे हैं उससे न तो यह राजस्थान सुरक्षित है और न राजस्थान के कर दाता का जीवन ही सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन इसके आधार पर इस प्रश्न पर विचार करे।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

"मैं सभापति महोदय, एक मिनिट में ही यह कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों इन्जीनियर्स ओवरसियर्स के अपाइन्टमेन्ट का सवाल आया, उनके ट्रान्सफर का जब सवाल था, या उनके प्रोमोशन का सवाल था, उस सारे मामले पर वैसे मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मंत्री महोदय से यह कहना

(श्री भैरोंसिंह)

चाहता हूं कि आज इन नियुक्तियों के पीछे यह देखते हैं कि इस एस. ई. को कहां लगाया जाये, इस एक्स. ई. एन. को कहां लगाया जाये, इस असिस्टेन्ट इन्जीनियर को कहां लगाया जाये, इसको बाकायदा बोली लगती है। अगर आप बोली लगाकर ही नियुक्ति करना चाहते हैं, यह केवल आपके विभाग में ही होता हो, ऐसी बात नहीं है, और विभागों में यह हो रहा है, जैसे जयपुर के अन्दर कोई भी दुनिया का सामान आक्शन करना होता है तो उसकी व्यवस्था जयपुर आक्शन हाउस के नाम से है, मैं समझता हूं कि सरकार भी जिस प्रकार से वह नियुक्तियां करती हैं, आक्शन करती हैं, तो उसके लिये एक कामन आक्शन हाउस खोल लें। कोई आदमी यह चाहता है कि मुझे अजमेर का एस. ई. बनना है···

श्री दौलतराम सारण : ऐसी जगह निश्चित है।

श्री भैरोंसिंह : वह घर घर में है। मैं इसको एक जगह करना चाहता हूं।

श्री दौलतराम सारण : वह सेक्रेटेरियेट में है।

श्री भैरोंसिंह : पर पब्लिक को पता नहीं है। सवाल यह है कि नवाब साहब को आज अपने घर में ही आक्शन करना पड़ता है तो यह अच्छा होगा कि मंत्री महोदय को यह आक्शन का काम नहीं करना पड़ेगा और उनकी तकलीफ भी दूर होगी। वहां पर एक बोर्ड लगा दिया जाये "राजस्थान अपाईन्टमेन्ट आक्शन हाउस" इसमें कभी आपका नम्बर है, दूसरे का नम्बर है, तीसरे का नम्बर है तो चौथा भी बोली लगायेगा और जहां तक हो उसकी आप बोली करें ताकि लोगों को पता हो कि इसने एक लाख की बोली इस पद के लिए लगाई है। एक लाख तक तो यह खायेगा, उससे ज्यादा खायेगा तब जाकर इसकी शिकायत करेंगे। ऐसी स्थिति में सभापति महोदय, राजस्थान में विभागों में जिस प्रकार की स्थिति चल रही है, मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर कोई यह समझे कि सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार का जामा पहने हुए हैं, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। आज हालत यह है कि कोई सी. ई. यह सोचे कि इस एक्स. ई. एन. को भ्रष्टाचार के आरोप में मैं सजा दूं तो वह ऐसा नहीं कर सकता। आज हालत यह है कि जो पैसा नहीं खाते उसको लोग बेवकूफ समझते हैं और वह किसी को खुश नहीं कर सकता है। जो पैसा खाता है वह खातिर कर सकता है, खिला सकता है और वह प्रोमोशन का हकदार भी है.. (समय समाप्ति सूचक घंटी) एक मिनिट में समाप्त करता हूं। सभापति महोदय इस मंत्री मण्डल ने लोगों को ईमानदारी से नहीं रहने दिया, स्वयं की नैतिकता गिर गई और दूसरों की भी नैतिकता गिरा दी है। स्वयं भ्रष्ट हैं और सारी सरकारी मशीनरी को भ्रष्ट कर दिया है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को भ्रष्ट कर दिया है। आज कोई डिपार्टमेंन्ट ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं होता है। आज कोई अमुक चीफ इन्जीनियर चाहे कि मैं अमुक काम कर डालूं तो यह उसके लिये सम्भव नहीं है। कोई ऐडीशनल चीफ इन्जीनियर चाहे कि मैं अमुक एक्स. ई. एन. का ट्रान्सफर कर

(श्री भैरोंसिंह)
डालू तो वह ट्रान्सफर नहीं कर सकता है। कोई एस. ई. अपने असिस्टेन्ट इंजीनियर का ट्रान्सफर करना चाहे तो वह नहीं कर सकता है बल्कि वह कर्मचारी अपने से ऊंचे अधिकारी के पास जायेगा, वहां से काम न हुआ तो संबन्धित मंत्री महोदय के पास जायेगा और वहां भी नहीं हुआ तो फिर अपने किसी मंत्री से कहला कर उस ट्रान्सफर को रुकवा लेगा। नवाब साहब से कहेगा और नवाब साहब नहीं मानेंगे तो अमुक मंत्री से टेलीफोन करवायेगा और फिर भी काम नहीं जमा तो वह मुख्य मंत्री जी से कहलायेगा। आज यह हालत है और वह वहां का वहां ही जमा रह जाता है। नवाब सहाब आप किस भोलेपन में है? आप इस भोलेपन को छोड़े। आज आप जिस घोड़े पर सवार हैं वह खुद ही जाकर कुए में गिर जायेगा और आपको भी गिरा देगा। जिस घोड़े की लगाम आपने पकड़ रखी है, उसको हिम्मत के साथ पकड़ने की, और चलाने की आपको हिम्मत नहीं है। इस घोड़े पर बैठ कर आप राजस्थान की सेवा नहीं कर सकते और इस तरह आपने इस विभाग का सत्यानाश कर दिया है और दिनों दिन सत्यानाश कर रहे हैं। आपके विभाग के रुपयों से जो असेट्स का निर्माण हो सकता था, उसके ऊपर आपने जबरदस्त आघात किया है। इससे ज्यादा न कह कर पुनः इस मांग के साथ मैं अपने कटमोशन को सदन में पारित करने की दृष्टि से प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री मेहता। समय दस मिनिट।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति जी, उस समय में जबकि इस महकमें में वैसे अकाल पड़ रहा है मैं कुछ इसके बारे में नहीं कहना चाहता। जब राजस्थान में सुकाल आता है तो इन्जीनियर्स, ओवरसीयर, जितने भी इस विभाग में काम करते हैं, उनके घर में अकाल रहता है। जब हमारे यहां सुकाल आता है तो उनके यहां अकाल आता है, उनका अकाल होता है और हमारा सुकाल होता है। तो इसलिये वैसे ही पड़ता रहता है तब फिर इस पर यहां कहना ठीक नहीं लगता लेकिन क्योंकि नमक खा रहा हूं राजस्थान का इसलिये निवेदन तो करना है और फिर इस वक्त मुझे·······

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान का नमक मंत्री भी खा रहे है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : लेकिन कोई नमक खाता है नमक हराम के लिये और कोई नमक खाता है नमक हलाल के लिये एक तरफ पूर्वी बंगाल में लोक तन्त्र की रक्षा के लिये जो उन्होंने दीपक जलाया है, उसमें अपना लहू दे दे कर सींच रहे हैं और दूसरी तरफ अकाल के नाम से पैसा आप उसको भी खा गये। जो लोकतन्त्र की रक्षा कर रहे हैं उनको भूना जा रहा है याह्या खां द्वारा और इधर लोकतन्त्र में बेईमानी करने वाले बंगलों और मोटरों में मौज कर रहे है। लोक तन्त्र को समाप्त करने वाली इससे बढ़कर बात नहीं हो सकती है। जो जुल्म करने वाले है, मेरा मानना है, इससे

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
कम जुल्म सहन करने वाले नहीं हैं। इनके मकान जब्त होने चाहिये थे। इनको जेल मिलनी चाहिये थी। जेलों के सीखचों में इनको देखती तो जनता खुश होती। हमारे मंत्री गण चौकन्ने नहीं हैं-खुद कहीं न कहीं दबे हुये हैं। मैंने, सभापति महोदय निवेदन किया था एक अधिकारी ट्रान्सपोर्ट का परमिट देने के लिये 60 हजार रुपये रिश्वत में खा गया।क्यों खा गया?क्योंकि मंत्रियों ने नाजायज खुद ने परमिट दिये थे। 5-5 परमिट इन्होंने अपने व्यक्तियों को दे दिये तो 6 परमिट में अधिकारी रिश्वत लेकर खा गये। उन्होंने भी 10–10 हजार रुपये लेकर परमिट दिये। खुद मजबूत होते तो इनकी हिम्मत नहीं होती। एक एक ठेकेदार से अगर इलेक्शन के लिये तीस हजार लिया तो वे 90 हजार की बेईमानी करेंगे। अभी अभी जनसंघ के नेता महोदय ने कहा सड़कों पर खर्च हुआ है। अरे, अगर आप को देखना है तो बदनोर भादसी रोड में 7 मील पर 21 लाख खर्च हुआ है..

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह गलत इन्फारमेशन है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : अगर यह गलत है तो इसकी इन्क्वायरी बिठाई जाय और जो दोषी हो उसको सजा दी जाय..

(श्री गिरधारी लाल व्यास एवं श्री मनोहरसिंह साथ साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल व्यास : (अश्रव्य यह प्रश्न तो उठा चुके हैं। सामने बैठे है नेता महोदय आपके....

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप बतायें कितना खर्च हुआ है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : 13 लाख हुआ है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत बात है। आई आबजेक्ट दिस, सर।

श्री मनोहर सिंह मेहता : सभापति महोदय हो सकता है इसमें कुछ फर्क हो....

श्री गिरधारी लाल व्यास : जानकारी तो है नहीं और जबरदस्ती कह देते है आप।

श्री मनोहर सिंह मेहता : आपको भी कहना है तो कह लीजिये। जितना आसीन्द में खर्च हुआ है उतना किसी जिले में नहीं हुआ है।

(दोनों माननीय सदस्यों के साथ साथ बोलते रहने पर अश्रव्य)

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैं चेलेन्ज करता हूं अगर गलत साबित हो, तो मैं सदन छोड़ दूंगा और सही निकले तो आप छोड़ देना। है, इतनी हिम्मत ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : ऐसे बहुत देखे हैं सेठ साहब। जो रोजमर्रा आप छोड़ने की बात करते हैं और छोड़ते नहीं हैं।

Page No 150

श्री मनोहर सिंह मेहता : सभापति महोदय, गलत है तो मैं सदन छोड़ दूंगा लेकिन इनकी भी कोई हिम्मत हो ....

श्री गिरधारीलाल व्यास : सदन छोड़ने की धमकी देते हैं ?

(व्यवधान, अश्रव्य, शोरगुल)

श्री मनोहर सिंह मेहता : आप बोल लीजिये या मैं बोलूं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप गलत क्यों कह रहे है ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : आसीन्द में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। अगर यह बात गलत निकले तो ये लिखकर दे दें कि सदन छोड़ देंगे नहीं तो मैं लिखकर देता हूं मैं सदन का परित्याग कर दूंगा । अभी 10 लाख रुपये कलक्टर ने निकाले है

श्री गिरधारी लाल व्यास : रोज मर्रा सदन छोड़ने की धमकी देते हैं ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : क्यों छोड़ दूं ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहा हूं। मैं कोई इस तरह सदन छोड़ने वाला नहीं हूं ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पाइन्ट आफ आर्डर सर ।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर आ गया है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह बड़े दुःख का विषय है मुख्य सचेतक महोदय इस प्रकार से जो भाव मा. मेहता जी के साथ दिखाया है, मैं सोचता हूं, जिस पद पर वे बैठे हुये है वह किसी प्रकार से शोभनीय नहीं है ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : आप तो पाइन्ट आफ आर्डर बता रहे थे । यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर है क्या ?

श्री सभापति : भाषण नहीं दें ।

श्री मदनसिंह दांता : एक व्यक्ति बोल रहा है तो आपके नेता बोलें नहीं यही पाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : (अश्रव्य) ...

श्री मनोहर सिंह मेहता : जोर से मत बोलो हमें भी बोलना आता है । मैंने कहा है आसीन्द में सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, पापाचार हुआ है

(दोनों मा. सदस्यों के जोर से बोलने पर अश्रव्य)

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर जाने दीजिये ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : आपको भी सफाई देने का मौका मिलेगा ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सदन में जो भी चर्चा होती है हमेशा आसन को सम्बोधित करके की जाती है लेकिन चीफ व्हिप महोदय ने मा. मेहता जी के बोलने पर जो कुछ कहा है वह आपस में बैठकर आक्षेप के लिये कहा। जो कुछ कहा है मैं निवेदन करूंगा उनको एक्सपंज किया जाय ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ? कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है ।

Page No 151

श्री मनोहर सिंह मेहता : मेरा बोलना अब शुरू होगा, सभापति महोदय । भीलवाड़ा जिले में जितना अकाल को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है और जितने मामले वहां के खुले है और वहां के उत्साही कलक्टर ने जो मामले खोले है उसको · · ·

(शोरगुल, अश्रव्य)

जहां से आपको काफी मसाला मिल सकता है । सभापति महोदय जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको एक कतार में रख कर गोली से उड़ाया जाय · · ·

श्री गिरधारी लाल व्यास : · · · (अश्रव्य)

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैंने इनके बारे में कभी नहीं कहा । इस प्रकार इनको गर्मी क्यों हो गई ? मैंने एक भी शब्द नहीं कहा हैं । मैं गिरधारी लाल जी की ईमानदारी पर विश्वास करता हूं । मैंने तो अकाल के पैसे के लिये कहा है । जिन्होंने अकाल का पैसा खाया है इससे बढ़कर कोई पाप नहीं हो सकता है । जिसने अकाल का पैसा खाया है उसने गाय की हत्या की है । अब मैं आता हूं अपनी बात पर · · · ख्वामख्वाह गरम हो गये · · · समझते ही नहीं, सभापति महोदय । यहां तो वैसे ही सत्यमेव जयते लिखा हुआ है · · ·

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने मुझ पर सीधा आरोप लगाया है ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैंने कभी नहीं कहा गिरधारी लाल जी ने खाया है । इन्होंने गलत समझा है । मुझे अफसोस है । इनकी ईमानदारी के लिये आदर है जो कुछ उन्होंने कहा उसका मुझे दुःख है । उन्होंने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है यह बात कही है · · ·

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं कभी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देता हूं । मैं भी कहता हूं सजा मिलनी चाहिये ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : गिरधारी लालजी आप समझे नहीं । इन्होंने नाम नहीं लिया ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं तो सब समझता हूं । आप खुद नहीं समझे होंगे ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, भीलवाड़ा जिला एक ऐसा जिला है उसमें माण्डलगढ़ तहसील है जिसमें 10 नदियां बहती है । हमेशा उसकी उपेक्षा हुई है । मैंने कई बार निवेदन किया, कृपा करके बेड़च नदी पर पुलिया बना दीजिये । गांव की औरतें पोतड़ी बांध कर मटकों के ऊपर निकलती है । 6 महीने रास्ता बन्द हो जाता है । सरकार को कहते है तो कहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है । मैंने जब जब भी कहा मुझे आश्वासन दिलाया है और कहा है जरूर बनेगा । मुझे वह दोहा याद आता है–

नेताजी कहसी जरा किए सूं सीख्या डाव ।
भोपो कवे जों तरह, अबके थावर आव ।।

जब भोपाजी के पास जाते हैं तो कहते हैं अगली बार शनिवार को लाना । इसी प्रकार माननीय मंत्री महोदय ने बार बार आश्वासन दिया मेहता जी अबके जरूर बना दिया जायगा । कहते कहते 23 वर्ष आजादी के निकल गये बेड़च नदी की पुलिया का निर्माण कराइयेगा ।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

दूसरी बात भीलवाडा से जहाजपुर सडक बन रही है। तीन पंचवर्षीय योजना उसने देख ली है और चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही है। न मालूम कितनी पंच वर्षीय योजनाएं देखेंगी, और आगे की बनती है और पीछे की टूटती है। इसमें कोई बात नहीं लोगों को काम मिलता है। सांगानेर से भीलवाडा दो मील का रास्ता है उसके बीच में एक रामद्वारे के पास में छोटी पुलिया आठवें दिन टूट जाती है। इस बार वह 15 दिन में टूटी तो मुझे लगा कि क्या भूल हो गई जिस वजह से यह 8 दिन ज्यादा चल गई है। अब डेढ महिने से बनी नहीं है। यह तो बराबर हाल चल रहा हैं। सडकें पूरी नहीं हुई हैं। कृपा करके भीलवाडा से जहाजपुर वाया काछोला होकर सडक जाती है और बडल्यास से माण्डलगढ वाया हमीरगढ़ होकर सडक बना दे। बडल्यास तक तो बनी हुई है। 10-12 मील का टुकडा है। उसके बारे में मैंने कई बार निवेदन किया है। 10 नदियों पर 10 पुल बनना सम्भव नहीं है। यह भी मैं जानता हूं। यह दुर्भाग्य है मेरा कि मैं विधान सभा का सदस्य ऐसे वक्त में बना हूं कि मेवाडी की कहावत चरितार्थ होती है—

"रद में लड्डु तो नहीं हैं पर पत्तल दोने भी नहीं हैं"

यह अगर नहीं हो तो वर्षा के खत्म होते ही उन नदियों में आप कच्चे रास्ते बना दें तो एक एक हजार रुपये एक एक सडक पर खर्च होंगे ताकि हजारों आदमियों का आवागमन ठीक होता रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया बेडच नदी का पुल बड़ा आवश्यक है जिससे कई तहसीलों का सम्बन्ध है और लाखों आदमियों को उससे तकलीफ होती है।

इस तरह से एक सडक जलीन्दरी से महुआ को और महुआ से जलीन्दरी श्यामपुरा होकर बन्दी रोड से मिल जाय तो इनसे कोटा और बून्दी का रास्ता खुल जाता है। यदि आप इतना कर दें तो चलिये माण्डलगढ़ क्षेत्र में आपने थोड़ा सा काम कर दिया है। लेकिन सौभाग्य है कि माण्डलगढ़ में अकाल नहीं पड़ता है और कम मजदूरी में लोग काम करने को तैयार नहीं हैं और अकाल नहीं होने पर दूसरा काम नहीं होता है अकाल की पोजीशन हो तो अकाल की आदत पड़ जाती है तो यही कामना रहती है कि हे, भगवान अकाल बराबर पटकना और हम कहते हैं कि हे, भगवान बराबर सुकाल रखना। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके इन सड़कों पर ध्यान दें।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यों तो शिष्टाचार सभी महकमों में है—शिष्टाचार का मतलब भ्रष्टाचार है। मैं भ्रष्टाचार इसलिए नहीं कहता क्योंकि 100 में से 95 आदमी खाते हैं, लेकिन दो महकमें महान् शिष्टाचारी हैं—एक तो इरिगेशन और एक पी. डब्लू. डी. इसलिए महान् शिष्टाचारी महकमों के कर्णधारों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके थोड़ा सा सख्त रहें। आप ईमानदार होंगे, लेकिन ईमानदार आदमी किस काम का जो कि ईमानदार को इनाम

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
नहीं दे और भ्रष्टाचारी को रोके नहीं उसको सजा नहीं दे सके । इससे तो अच्छा है कि यह खुद भी शिष्टाचार में शरीक हो जाय तो कम से कम उसके पल्ले भी कुछ पड़े । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि या तो आप इस महकमे को छोड़ दें या कठोर रहें तभी तो लोकतंत्र में श्रद्धा होगी । नहीं तो लोकतंत्र में अविश्वास होगा । लोकतंत्र की रक्षा करना है तो जिस तरह से मुजीब और उसके साथी लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं उसी तरह से त्याग, तपस्या और बलिदान से लोकतंत्र की रक्षा होगी, वरना हिन्दुस्तान में लोकतंत्र डूब जायगा और राजस्थान का भी उसमें नाम लिखा जायगा कि लोकतंत्र डुबाने में उसका भी हाथ था ।

मैं निवेदन करूंगा कि इस महकमें में शराब बहुत आती है । ये दोनों महकमें में शराब की काफी आमदनी करते हैं, क्योंकि शिष्टाचार बहुत करते हैं । यह ध्यान रखें कि इस महकमें में कौन कौन से इन्जीनियर, ओवरसियर और कर्मचारी शराब पीने वाले हैं । शराब वे ही पीते हैं जो बेईमानी करते हैं । इसलिए यही हो सकता है कि कुछ नहीं पीने वाले हों उनकी गिनती कर लें तो भी आपको मालूम हो जायगा ।

इसलिए मैं अब अधिक वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि आप बराबर मेरी तरफ इस प्रकार की निगाह डाल रहे हैं, लेकिन इतना होते हुए भी मुझे समय दे दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । एक क्षण में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं । गिरधारी लाल जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने मुझे गलत समझ लिया है । उनकी ईमानदारी में मुझे पूरा विश्वास है. . .

श्री लादूराम सुलानियां : उनकी पार्टी ने लिखा था ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : उनके क्षेत्र में बहुत बेइमानी हुई है । यह बहुत कलंक की बात है । इस बात को मत भूलना ।

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय. . .

श्री सभापति : यशवन्तसिंह नाहर ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेडा) : सभापति महोदय, भ्रष्टाचार और शिष्टाचार की बात चल रही थी और मैं बहुत देर से बैठा सोच रहा था कि मैं क्या कहूं ।

श्री सभापति : आप सात आठ मिनट में बोल दीजिये ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जहां आज हंसना है वहां कल रुलाई भी होगी और मैं भी अगर भावात्मक रूप से कहूं तो मैं कहूंगा कि आप की अन्तिम हंसी रुलाई का प्रारम्भ है और रोने का अन्तिम स्वास मुस्कराहट में बहल रहा है । मैं यह कहना पसन्द करूंगा कि जहां नाश है वहां निर्माण करना भी प्रारम्भ होगा और जहां निर्माण है वहां नाश भी होगा ।

आज पी. डब्लू. डी. पर जो चर्चा हुई है, उसमें अगर मैं भी कहूं कि भ्रष्टाचार है तो मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन एक सच्चाई है. . .

श्री भैरोंसिंह : आंकड़े तो भीलवाड़ा से ले लें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप कोई भी सड़क खोद कर देख लें तो आपको आंकड़े मिल जायेंगे।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : तो मैं यह कह रहा था कि मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन एक अनुभव है। आज हर व्यक्ति का अनुभव है कि आज एक मकान बना और वह एक ही बरसात के अन्दर टपकने लग जाये, उसका फर्श टूट जाये और दीवारें टूट जायें तो यह समझिये कि लोग कहेंगे कि यह मकान किसने बनाया, फिर वे ही लोग कहेंगे कि यह मकान पी. डब्लू. डी. वालों ने बनाया होगा। सच क्या है यह आप और हम लोग जानते हैं, आंकड़े चाहे कुछ हों या न हों। वह अधिकारी जो निर्माण विभाग का है, वह कहेगा कि ठेकेदार ने चूने में रेती ज्यादा मिला दी या सीमेंट कम डाल दी इसलिये मकान टूटा है या सड़क टूट रही है। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं कि रिश्वत किसने खिलाई और किसको खिलाई। मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं जिसके द्वारा मैं कहूं कि फलां ने रिश्वत ली। मेरे पास जो बात नहीं है वह मैं आपके पास नहीं रखूंगा, लेकिन मैं कुछ मुद्दे आपके सामने जरूर रखूंगा।

इस मध्यावधि चुनाव के बाद हम अगर सोचते हैं कि समाजवाद को बोझल तरीके से तोड़ फोड़ कर रखा है, लेकिन समाजवाद कहां बैठा है, यहको हम नजर नहीं आता। तो मैं इरीगेशन और पी. डब्लू. डी. विभागों से कहूंगा कि समाजवाद को लाकर अगर इस देश में पनपाना है तो आप यह ठेकेदारी प्रथा बन्द करिये। बन्द करिये आप इस कांट्रैक्टर्स की प्रथा को। आप इस आडिट रिपोर्टस को देखिये, इस रिपोर्ट के आंकड़े आपको बतायेंगे कि भ्रष्टाचार किस अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है, किस तरह कांट्रैक्टर्स भ्रष्टाचार करते हैं। मेरे पास यह 1969–70 की ऑडिट रिपोर्ट है, उसको आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि राज्य आखिर कैसे चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने अगर इस आडिट रिपोर्ट को देखा होता तो उन्हें मालूम होता ...

श्री दौलतराम सारण : राज तो इसमें जमा हुआ है कि राज्य चल रहा है लेकिन कौन चला रहा है · · ·

श्री सभापति : कोई नहीं चला रहा है, अभी तो मैं चला रहा हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आठ आठ और नौ नौ महीनों तक ठेकेदारों के पास ट्रक्स अनरजिस्टर्ड पड़े रहें, उन्होंने ट्रक्स को बिना रजिस्ट्रेशन के पट के रखा और उनको काम में नहीं लिया, और मजे की बात यह है कि दो दो लाख रुपये उनके हाथ में दे दिये, उन कांट्रैक्टर्स के हाथ में।
तरीके से आपने वसूल नहीं किया है और उनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की है। 9 महिने तक जिसका दुरुपयोग हुआ है। 17 हजार रु. का क्या मखौल है। दूसरी ओर से एक आदमी ले लें। आपका नियम रखा है, सरटेन इश्यू का ब्रेक डाउन हो जायगा। वह 7–7 साल तक ब्रेक डाउन होता पड़ा रहेगा। मैं निवेदन करूंगा कि मैंने तो 17 हजार ऑडिट

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

रिपोर्ट में से निकाले हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 6 महिने तक 25-25 ट्रक ब्रेक डाउन होते पड़े रहें। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह सरकार चलेगी कैसे? इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो आफिस सुप. इन्जीनियर हैं, उनका उपयोग क्या है? यह पता नहीं है। इतना बड़ा खर्चा आफिस सुप. इन्जीनियर के लिये होता है। आप कहें कि इस आधार को मानकर चले हैं। इसका बेस क्या है? इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि आपकी जो पी.डब्ल्यू.डी. है, उसके पास पैसे का अभाव है। राजस्थान इस बारे में बहुत पीछे है। पब्लिक से चन्दा करके सड़क बनाई जाती है। 10–10 वर्ष तक लिखते लिखते थक जाते हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर क्या सोचती है। चन्दे से बनाने को कह रहे हैं। जो आप को स्कूल बिल्डिंग या अस्पताल बिल्डिंग बनाकर दे रहे हैं, उसको भी आप लेकर पूरा नहीं करना चाहते हैं। यह होगा कैसे?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक कहानी मैंने पढ़ी थी। उस कहानी में यह था 22 हजार रुपये में एक मकान बना। जब 6 महीने बाद देखने के लिए गये तो मकान दिखाई नहीं दिया। यह कहानी और जगह की है। अपने यहां की राजस्थान की नहीं है। लेकिन यहां सडक बनी 73 हजार खर्च हो गए...

श्री भैरोंसिंह: आप 73 हजार की कह रहे हैं। लाखों रुपये सड़क के नाम से उड़ गये हैं।

श्री यशवंतसिंह नाहर: यह कहानी हमको अखबारों में पढ़ने को मिली। अब वक्त आ गया है कि जनता इसको बरदाश्त नहीं करेगी। (विपक्ष से–हियर, हियर) इस लिए मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो डिफाल्टिग अधिकारी हैं...

श्री दौलतराम सारण: ये डिफाल्टिग अधिकारी हैं, इनके बारे में नाहर साहब, मैंने कई बार कहा कि तुम पढ़ कर सुना दो। लेकिन यह सरकार उनके नाम पढ़ने को तैयार नहीं हुई है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: एक और सुनिये। सडक की बात तो है ही। कैनाल की भी यही कहानी है। कहा गया कि उसमें मिट्टी भर गई। लाखों रुपये उसको निकालने में लगाये गये। लोगों का कहना है कि न तो मिट्टी गिरी और न मिट्टी निकली।

श्री मनोहरसिंह मेहता: सभापति महोदय, वैसे ये हमारे यहां की पंचायत के प्रमुख भी हैं। इसलिए भीलवाड़ा पर भी प्रकाश डालें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: मैं इसके सम्बन्ध में कहना नहीं चाहता हूं। भ्रष्टाचार हमारी जबान में घुल गया है। हमारे अन्तर्गत होकर बैठा है। हमारे पास किसी के फिगर्स नहीं हैं। मैं सदन का अपमान नहीं करूंगा। लेकिन जो देख रहा हूं जो स्थिति है...

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

मै एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मध्यावधि चुनाव के बाद हम नई कसौटी

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
पर आये हैं, पता नहीं, कहां जाकर पहुंचेंगे।

श्री सभापति : श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : सभापति महोदय, खासतौर से जब भी हम राजस्थान में इस बात की मांग करते हैं कि राजस्थान में सड़कों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक धनराशि दी जाये। सरकार जवाब देती है कि अकाल के कारण सड़कों के निर्माण का काम उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए तो मैं निवेदन करूंगा कि आपने राजस्थान का विकास करने के लिए इस बात की शपथ ली है। आपके राजस्थान के विकास की घोषणा की है। फिर आपने राजस्थान के अन्दर लम्बी चौड़ी मिनिस्टरों की फौज क्यों लगाई है? एक मिनिस्टर के बंगले पर लाखों रुपया खर्च क्यों करते हो? उनके टेलीफोन के खर्च की कोई सीमा नहीं है। जब जनता मांग करती है कि हमारे यहां सडक होनी चाहिए तो राजस्थान सरकार जवाब देती है कि राजस्थान में अर्थाभाव है। मिनिस्टरों टेलीफोन की सीमाओं पर सीलिंग बांधनी चाहिए। और पैसा बचाकर सारा काम में लगाना चाहिए। दूसरो बात लगभग पौने तीन लाख रुपया राजस्थान पी.डब्ल्यू.डी. को रोड़ टैक्स से और चलने वाली गाड़ियों से साल में मिलता है। अगर वह सड़कों को डेवलप करे तो इससे बड़ी आय भी हो सकती है। लेकिन सरकार इस स्थिति को नहीं देखती है। राजस्थान सरकार यह कहती है कि अर्थाभाव है। मैं आपको झालावाड़ की नजीर बताऊं, पिछले दिनों झालावाड़ के डाक बंगले, सर्किट हाउस के अन्दर, जब राज्यपाल महोदय गये थे झालावाड़ के अन्दर, तब लेट्रिन का निर्माण किया गया। वहां लेट्रिन मौजूद था, लेकिन आइरन और ग्लास की लेट्रिन बनाई गई और उसके ऊपर करीब 40 हजार का खर्च आया। एक तरफ जनता मांग करती है कि गांवों में बच्चों को पढाने के लिए स्कूल खोलें तो समाजवाद का नारा देने वाली सरकार कहती है कि अर्थाभाव है, दूसरी तरफ सरकार राज्यपाल महोदय के लिए 40 हजार रु. खर्च करके लेट्रिन बनाती है और वह भी केवल दो दिन के लिए। राजस्थान सरकार के लिए कम से कम इससे ज्यादा शर्म और निन्दा की बात कोई नहीं हो सकती है।

आम तौर पर झालावाड़ के लोगों को इस बात की शिकायत है कि उनके साथ में राजनैतिक पक्षपात किया जाता है। हम जब जब कोई मांग करते हैं तो अर्थाभाव की बात कहते है, लेकिन हमारे जिले के एक बन्धु मिनिस्टर हैं, श्री कन्हैया पटेल, उनके क्षेत्र में हमारे जिले का सारा पैसा लगा दिया जाता है यह बात सही है कि झालावाड़ में कांग्रेस पिटी है, और आज भी कांग्रेस के फेवर में वहां लोग नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की हरकतों से आप जनता को दबाना चाहें तो जनता दबेगी नहीं। आज भी ऊनके प्रतिनिधि अपोजीशन में बैठे हैं और कल भी बैठेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने शपथ ली है संविधान की, संविधान के प्रति निष्ठा की कि आपको पक्षपात नहीं करना है, ईमानदारी से हर क्षेत्र का विकास करना है।

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

लेकिन आप उस जिले के साथ पक्षपात करके आप जनता को धोखा दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक जिले की आपने उपेक्षा की है, उसको कृपया आप सही ढंग से परिवर्तित कीजिये। जो लोग वहां रहते हैं, वह राज्य सरकार को लगान देते हैं, राजस्व भी देते हैं, इसलिए उनको अधिकार है कि उस जिले में भी इस प्रकार के काम होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं कि राजाओं के जमाने में बड़ी बड़ी पुलिया बनी हुई थीं वह कई कारणों से टूट गई हैं। अगर उनको राज्य सरकार बनाये तो करोड़ों लगाने के बाद भी एक भी पुलिया तैयार नहीं होगी। उस जिले के अन्दर, कोटा झालावाड़ के अन्दर राजाओं के जमाने की बनी हुई पुलियां हैं वह जगह जगह से टूटी पड़ी हैं, लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. सर्वथा निष्क्रिय है। इसलिए राज्य सरकार को इन पुलियाओं के सम्बन्ध में जरूर कार्यवाही करनी चाहिए।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, जो सरकारी बंगले हैं, उनके अन्दर बड़े बड़े प्लाट्स हैं, काफी जमीन है। जिन बंगलों के अन्दर कलेक्टर रहते हैं, एस.डी. ओ. रहते हैं, इंजीनियर रहते है वह उस जमीन के ऊपर कब्जा किये हुए हैं, और उन पर जो पेड़ खड़े हुए होते हैं उन पेड़ों को वह काट लेते हैं।

इस प्रकार बड़े बड़े पेड़ कटवाये हैं, और उनकी लकड़ी का फर्नीचर बनवाया है। लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. इस बारे में सर्वथा निष्क्रिय है। झालावाड़ में एक बङ्गले में बीस एकड़ जमीन है, उसमें खेती हुई और उसके अन्दर सैकड़ों मन अनाज पैदा हुआ। लेकिन वह अधिकारी सारा अनाज खा गया। उसके सम्बन्ध में शिकायत करने के बाद भी विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर सका। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इस प्रकार की जमीन, बङ्गलों में पड़ी हुई भूमि में होने वाली खेती का असेसमेंट करना चाहिए और जो लोग जमीन का दुरुपयोग करते हैं उनको राज्य सरकार को पनिश करना चाहिये।

जब आप अकलेरा तशरीफ ले गये थे, वहां आपसे जनता का डेपुटेशन मिला था और आपसे निवेदन किया था, कि फेमिन के फण्ड से जो डामर आया था, उस डामर को पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों ने राजनैतिक पक्षपात के कारण दूसरी जगह फेंक दिया। आप कहेंगे कि वहां आवश्यकता नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आवश्यकता नहीं थी तो वहां डामर किस लिए लाई गई...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अक्ल कहां थी।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अक्ल नहीं थी तो अक्ल कहीं से मुहैय्या कर लें। क्या उसमें ट्रान्सपोर्टेशन के चार्जेज नहीं लगे, क्या उसको उतारने चढ़ाने की मजदूरी नहीं लगी? डिपार्टमेन्ट की यह बेवकूफी है। जो डामर लाई गई, वहां चुनाव उस समय होने वाला था। जब चुनाव में पिट गये तो डामर हटा कर दूसरी जगह ले गये। यह गलत बात है। जब आप पधारे थे तो वहां आपसे डेपुटेशन मिला था और आपने कहा था कि इसकी मैं जांच कराऊंगा। मैं कहना चाहता हूं, उस डामर के लिए आप कहते हैं कि बदल दी गई, वह बदल नहीं दी गई, बल्कि आपके विभाग के अधिकारियों ने उसे ब्लेक में बेच दिया। आप

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

वहां पधारे थे, उसके बाद में एक साल हो गया, लेकिन एक साल में इस बारे में आप कोई कार्यवाही नहीं कर पाये हैं। इससे बढ़ कर निकम्मापन और निष्क्रियता का उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता है। मैं इस सदन में इस विभाग पर चार्ज लगा रहा हूं कि वह डामर बिकी है, ब्लेक में बिकी है और मध्य प्रदेश में जाकर बिकी है। आप इसकी डिपार्टमेन्टल जांच कराने को तैयार हैं तो आपको स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिए (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) एक मिनिट। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। अकलेरा से मनोहरथाना और मनोहरथाना से आगे रोड़ है, वह पन्द्रह मील की दूरी पर है, मध्यप्रदेश में वह नौ मील है और राजस्थान में बारह मील। मध्य प्रदेश में दस वर्ष पूर्व उस रोड को बना कर पूरा कर दिया, लेकिन राजस्थान सरकार बारह वर्ष के अन्दर भी यह नहीं बना पाई है, छः मील का टुकड़ा भी नहीं बना पाई है। अगर वह बन जाती है तो बम्बई ग्रांट ट्रंक रोड़ से वह कनेक्ट हो जाती है और मध्यप्रदेश में जाने के लिए भी बरसात के टाइम में वह एकमात्र रोड़ है। मध्यप्रदेश के लोग आते हैं वह कहते हैं कि नौ मील का टुकड़ा मध्य प्रदेश ने डेढ़ साल में बना दिया, लेकिन राजस्थान सरकार बारह वर्ष में भी नहीं बना पाई है। यह राज्य सरकार के लिए कलङ्क की बात है। हमें कहते हैं तो हमें शर्म आती है और शर्म से गरदन नीची हो जाती है। आप जब मनोहरथाने में तशरीफ ला रहे थे तो लोग कह रहे थे, मिनिस्टर आ जायं तो उनको घेर लो, उनको निकलने मत दो...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनिट में आप समाप्त कीजिए।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : कभी कभी तो हमें मौका मिलता है लेकिन उसमें भी एतराज है।

श्री सभापति : समय का सवाल है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : दस मिनिट का समय बढ़ा दीजिये।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण वि[illegible] है, हम बोलना चाहेंगे।

श्री सभापति : यह महत्वपूर्ण बात नहीं है कि आप आये, मैं मिला, वह आये, वह गये। आप मुद्दे पर बोलिये।

श्री दिग्विजयसिंह : आप सुन लें। सुनने के बाद आप फर्मावें। मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय को कह कर सदन का समय बढ़ा दीजिये। यह रिक्वेस्ट है।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के और सदस्यों को टाइम दिया है।

श्री दिग्विजय सिंह : उनको कितना दिया है, यह देख लीजिये।

श्री सभापति : देख लिया है।

श्री दिग्विजय सिंह : दूसरी पार्टी को कितना समय दिया है वह भी देख लें।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री।

श्री दिग्विजय सिंह : समय बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की है। स्पीकर महोदय ने फर्माया कि समय बढ़ाया जायगा।

श्री सभापति : रिप्लाई में भी टाइम लगेगा, इसलिए समय तो बढ़ेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : बोलने के लिए समय बढ़ाया जाय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : विट्ठलप्रसाद जी को बोलने दें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! माननीय मन्त्री।

श्री हीरा भाई : यह मसला सार्वजनिक निर्माण का है, इसलिए थोड़े थोड़े समय के लिए सभी बोलना चाहते हैं। आप समय बढ़ा लें।

श्री लादूराम जुलानिया : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे कहा है कि मैं बोलूं और आपका टाइम भी ले लूं।

श्री सभापति : आपके पहले भी और माननीय सदस्यों के नाम हैं।

श्री लाभचन्द वैद्य : मेरे कटौती के प्रस्ताव रखे हुए हैं, थोड़ा समय दिया जाय।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय का हाकिम बदल जाता है, हुक्म नहीं बदलता। आपने हुक्म दे दिया है, मन्त्री महोदय जवाब दें।

श्री खेत सिंह : जो नहीं बोले हैं उनका लिखित में जवाब दे देंगे।

श्री सभापति : कटोती प्रस्ताव 61 माननीय सदस्यों के आये हुए हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न आ गया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, कोई कोई माननीय सदस्य तो एक एक घंटा बोलते रहते हैं और दूसरे माननीय सदस्यों को आप समय नहीं देते।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बोलने दें, सभापति जी।

श्री सभापति : व्यवस्था का सवाल आपका नहीं, माननीय गाडिया जी का है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित या अन्य विभागों के संबन्ध में जब कभी भी हमने स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे तब अधिकांश पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था देते हुए कहा कि मांगों पर आप अपने विचार प्रकट कर दें। जब मांगों का समय आता है तब हर पार्टी का समय निर्धारित होता है। किसी का 40 मिनिट किसी का 45 मिनट। उसके अन्दर एक दो सदस्य बोल पाते हैं। उस कारण से हम स्थगन प्रस्ताव व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव न मांगों पर रख पाते हैं न और तरीके से आ पाते हैं। इसलिए जब अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी कि मांगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह किस प्रकार से कर पायेंगे। आप समय नहीं देंगे और सेसन लंबा चल रहा है लेकिन डिमांड्स पर समय की पाबंदी लगाते हैं तो मै चाहता हूं.....

श्री सभापति : मैं समझ गया।

श्री देवीदत्त गाडिया : समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय ने डिमाड्स पर बोलने के लिए जिन माननीय सदस्यों को फरमाया, उनको चाहिए कि वे अपनी पार्टी से समय ले लें····

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री देवीदत्त गाडिया : एक प्रकार से यह अन्याय होगा।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय श्री गाडिया ने जो व्यवस्था का प्रश्न··

श्री सभापति : आपकी पार्टी के तीन सदस्य बोल गए·····

(शोरगुल)

आर्डर प्लीज। आपकी पार्टी के तीन सदस्य बोल चुके हैं और तीन सदस्यों के नाम हैं। आप बीच में कैसे बोलना चाहेंगे ?

श्री लादूराम सुलानिया : मैं केवल गाड़ियाजी के व्ययवस्था के प्रश्न का समर्थन करता हूं। यह बात हर दिन सदन में होती है। अध्यक्ष महोदय यही कहते रहे हैं कि कटौती प्रस्ताव आयेंगे तब बोलना। मैं आसन से निवेदन करूंगा···

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानिया : 12 बजे तक प्रश्न, 12 के बाद दूसरी बातें एक घण्टे के 61 सदस्य हैं...

श्री सभापति : अंकित न हो।

श्री लादूराम सुलानिया

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। आपने विवाद बना रखा है। बीच में बाधा डालना अच्छी बात नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : ++++

श्री लादूराम सुलानिया : यह कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह से बोलकर समय लेना चाहें।

श्री सभापति : अङ्कित न हों।

श्री लादूराम सुलानिया : ++++

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरी पार्टी का समय है।

श्री सभापति : आपकी पार्टी ने समय ले लिया है। जुझारसिंह जी बोले हैं और रामप्रसादजी बोले हैं। माननीय सदस्य यह किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, पार्टी के हिसाब से आपकी पार्टी··

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री हीराभाई : मेरी पार्टी का समय है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आपको बोलने दिया जायगा इसलिए मैं बैठ गया था।

श्री दिग्विजय सिंह : सदन की भावनाओं को आप देखें।

श्री सभापति : एस. एस. पी. से विट्ठल भाई बोल चुके हैं।

++++ अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री दिग्विजय सिंह : सदन की भावनाओं को देखकर आप 5–5 मिनट सबको बोलने दें। 10 मिनट बाद मन्त्री बोलेंगे तो क्या बात है ?

(शोरगुल)

श्री रामचन्द्र आर्य : हम बोलेंगे।

श्री लादूराम सुलानिया : किसी को तो आप 1 1/2, 1-1/2 घण्टा बोलने देते हैं।

श्री सभापति : हीराभाई आप 3–4 मिनट में बोल दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : (गृह मन्त्री) गवर्नमेंट रिप्लाई के लिए आपने 4।। बजे का समय फिक्स किया था। अब वह 4।। बजे के बाद होगा। अगर समय बढ़ाना है तो फैसला किया जाए। मगर जितने कटौती प्रस्ताव हैं उनके जवाब डिस्कशन पर यदि सम्भव नहीं हुए हैं तो आम तौर पर प्रेक्टिस रही है कि कटौती प्रस्तावों के जवाब लिखकर माननीय सदस्यों के पास भेजते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आज तक किसी ने जवाब नहीं भेजा। यह गलत बात है, कोई भी जवाब नहीं देता है।

श्री भैरोंसिंह : विवाद इस तरह का है ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य कुछ न कुछ बोलना चाहते हैं। कौन पार्टी कितना बोल चुकी है कौन नहीं बोल चुकी है, इसको छोड़कर थोड़ा सा समय और बढ़ा दिया जाए और मन्त्री महोदय ने कहा है कि 4।। बजे जवाब देना है, वह समय फिक्स कर दें ताकि उनकी मरी भी दूर हो जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह फिक्स हो गया था 4।। बजे।

श्री भैरोंसिंह : कई बार फिक्स होता है कई बार स्थगित होता है। इसलिए ज्यादा आग्रह है, तो एक घन्टे का समय और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सबको एडजेस्ट कर दूंगा। श्री हीराभाई। केवल 5 मिनट क्योंकि दूसरों को भी समय देना है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनके बारे में अपनी बात कह देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र कुशलगढ़ में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनाई गई हैं वे सिर्फ दो हैं उसके अलावा और कोई नहीं है और दूसरी इधर जो सड़कें चल रही हैं उन सड़कों पर अकाल विभाग का जितना रुपया खर्च हुआ है उन पैसों में सारा मेटेरियल उन्हीं सड़कों पर अब तक मौजूद हैं। अगर ज्यादा पैसा जानबूझकर भ्रष्टाचार के लिए रखा गया, वह अलग बात है, लेकिन जितना मेटेरियल पड़ा है उसका उपयोग करें और उन सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने हाथ में ले लेकिन उनका निर्माण करे ताकि रोजाना जो रुकावटें आती हैं वह दूर हो जायें।

दूसरी बात यहां पर हमारा कुशलगढ़ एरिया है जो बनास नदी और माही नदी के बीच घिरा हुआ है यहां पर छोटी छोटी नदी नाले हैं, उनसे कई बार वर्षा के समय सारे आवागमन के रास्ते रुक जाते हैं। दो-दो, तीन-तीन मील तक, अगर वर्षा होती है तो उस समय पुल न बनने के कारण आवागमन में रुकावट के कारण तमाम लोगों को

Page No 162

(श्री हीराभाई)

दिक्कत होती है। इसलिए एक तो आपने मोर नदी पर पुल आपने सिर्फ कागजों पर बता रखी है, तो इस योजना को बनाना जरूरी है।

उसी तरह मन्दिर वाला जो पुल है इस साल को आपने अभी तक नहीं लिया है उसको भी लेकर इन पुलों का निर्माण करवाना जरूरी है। उसी तरह से कुशलगढ़—दाहोद बनास नदी पर पुल बनाना जरूरी है। अकाल के समय जहां पर हमारे उद्योग मन्त्री के कहने से जो थापडा आगस पुल बना था उसमें लाखों रुपये का दुरुपयोग हुआ है और वहां पर थोड़े से खम्भे ही खंभे खड़े हुए हैं। योजना में भी नहीं था फिर भी बना दिया। मैं भ्रष्टाचार के बारे में नहीं कहना चाहता लेकिन जहां कुशलगढ़-दाहोद रोड पर बरसात के समय आवागमन रुक जाता है और कुशलगढ कान्यू रोड और डूंगराई-दाहोद रोड के लिए ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी सतर्कता से रोडों के निर्माण के लिए मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं, आशा है मेरे प्रस्ताव पर आप विचार करेंगे।

श्री सभापति (श्री परसराम गंगाराम के खड़े होने पर) : आपका तो नाम ही नहीं है।

श्री परसराम गंगाराम : कैसे नाम नहीं है ?

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : गंगानगर जिले में सड़कों के बारे में समय समय पर मैंने प्रस्तावों द्वारा मामलों को उठाता रहा हूं। पिछले वर्ष भी मैंने एक प्रस्ताव रखा था डिफेंस रोड्स के बारे में। सूरतगढ़ गंगानगर के बीच में बनी हुई है इस पर कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई और इस विभाग से मैं आशा भी नहीं करता था कि भ्रष्टाचार के बारे में सुनवाई करेंगे। इस तरह से रावतसर और नोहर के बीच में सड़कें आए दिन टूट जाती हैं, गाड़ियां चलाने योग्य नहीं रहतीं, आपने लाखों रुपए पानी की तरह बहाया। और कोई नतीजा आज तक सामने नहीं आया। यह एक जीता जागता भ्रष्टाचार का नमूना, उदाहरण सामने है। इसकी इन्क्वायरी कराई जाय।

इसी प्रकार नोहर-रावतसर रोड है। इन्जीनियर को ले जाया गया माल पकड़ा गया। आज तक उस सड़क के बारे में कुछ नहीं हुआ। दो दो फीट के गड्डे पड़े हुए हैं। पीली ईंटें लगी हुई हैं सड़क पर। मोटर चलती है तो सड़क बैठ जाती है।

इसी प्रकार से हरियाणा को मिलाने वाली सड़कें 10 साल से बेकार पड़ी हुई हैं। तीन महीने में पूरा कराने के लिए मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था लेकिन वे ही ढाक के तीन पात।

सावा और भादरा की सड़क पूरी नहीं होती। माननीय हंसराजजी कांग्रेस में बैठे हुए हैं। इसी प्रकार स्टेशन गोगामेडी तक सड़क बनी हुई है। उसमें पीली ईंटें हैं। मैंने गत वर्ष का प्रस्ताव रखा लेकिन आज तक कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। डिफेन्स रोड जैसी रोड के लिये कहा, जो कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से बनायी गयी है, मिलिट्री की गाड़ियां चलती हैं। उसमें गंदा माल

(श्री रामचन्द्र आर्य)

लगा दिया गया इस भ्रष्टाचारी सरकार के लिये जो कुछ कहा जाय वह बहुत कम है। चुनावों में अफसरों से पैसा लिया जाता है, मंत्रियों द्वारा पैसा लिया जाता है, बड़े अन्यायपूर्ण तरीके से यह हुआ है। राज्य में भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं और इसी कारण से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। हम प्रस्ताव रखते हैं लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आता। कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्तावों के द्वारा मामले उठाये जाते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और न ही इस राज्य में सुनवाई होने वाली है। जनता में जाते हैं तो लोग कहते हैं कितने घोटाले होते हैं, लेकिन यहां पर हमको झूठे आश्वासन दिये जाते हैं, उन आश्वासनों का आज तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। न जाने इस भ्रष्टाचारी सरकार पर कितने कितने आरोप लगाये गये हैं किन्तु ये तो इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उसको निकाल देते हैं। यह तो यह सोचते हैं और कहते हैं कि हां ना में जवाब देकर चले जावेंगे और कुछ नहीं। सम्बन्धित मंत्री कहते हैं कि हां ना में निकालना है। इसी तरह से हां करके निकल जाना चाहते हैं। राजस्थान की ढाई करोड़ जनता को डुबो देना चाहते हैं। कारों, जीपों में घूमते हैं और मौज और ऐश करते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे को ये लोग बरबाद करते हैं। इन मामलों को राष्ट्रपति तक लिखकर भेजा है, लेकिन आज तक ले की सुनवाई नहीं हुई। सार्वजनिक निर्माण कार्यों के बारे में पोस्ट निकाले, राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री को लिखा गया, सदन में ये मामले उठाये गये लेकिन आज तक कोई उनकी जांच नहीं हुई। ये क्या जांच करेंगे ? इसमें ये खुद शामिल हैं। इसलिये कुछ कह नहीं सकते। एक मंत्री का दिल्ली में सिनेमा बन रहा है। कहां से आया वह रुपया ? इन लोगों ने फार्म बना रखे हैं। कहां से आये ये ? करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति इन लोगों के पास हैं यह कहां से आयी है ? अधिकारियों और इन लोगों ने राजस्थान की 2।। करोड़ जनता को लूट लूट कर खाया है। मैं अधिक न कह कर इतना ही कह देना चाहता हूं कि अब यह अधिक दिन तक जनता बरदाश्त नहीं करने वाली है। उधर के लोग भी इस जिम्मेदारी से उऋण नहीं हो सकते हैं ज तक इन लोगों की जांच नहीं होगी तब तक इनके पाप का घड़ा फूटेगा नहीं। लोगों को 20 वर्षों तक बेवकूफ बनाकर, गुमराह करके फर्जी नारे लगाकर वोट देकर लूटा और खसोटा है अब अधिक दिन चलने वाला नहीं है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आपका समय हो चुका है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सारी दुनियां इनके कारनामों को जानती है। ज्यादा न कहते हुए इतना ही कह देना चाहता हूं कि मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं, 32 प्रस्ताव हैं, एक एक प्रस्ताव पर कार्यवाही होनी चाहिये तो मैं समझूंगा कि कटौती प्रस्ताव में कोई माने है वरना कोई फायदा नहीं। आज तक एक भी कटौती प्रस्ताव का उत्तर नहीं आया है। कई माननीय सदस्य बोलते हैं।

(श्री रामचन्द्र आर्य)
सैकड़ों प्रस्ताव प्रकाशित होते हैं लेकिन वे रद्दी की टोकरी में डाल दिये जाते हैं। ज्यादा न कहते हुए मैंने ये जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाता है मंत्री महोदय का जवाब 5।। बजे प्रारम्भ होगा।

श्री कल्याणमल।

श्री कल्याणमल : (जहाजपुर सु.) सभापति महोदय, आज सदन में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा चली। सब ही यह कह रहे हैं कि निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार होता है। मैं इस बात के लिये माननीम सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को मिटाने की जिम्मेदारी किस पर है? आज विरोधी दल के माननीय सदस्य यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से दूर हो, यहां केवल भाषण देने से भ्रष्टाचार मिटता हो, यदि वे इस को उठावें और मुख्य रूप से यह बात कहें तो इस पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य हैं वे भी आप लोगों को सहयोग देंगे।

श्री हीराभाई : क्या तरीका है? आप भी राय बताओ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज! आप बोलने दीजिये माननीय सदस्य को।

श्री रामचन्द्र आर्य : भ्रष्टाचार के मामले में अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे तो क्या आप भी वोट देंगे?

श्री कल्याणमल : अविश्वास का प्रस्ताव रखने से भ्रष्टाचार नहीं मिटता है। इसको मिटाने के लिये सबको संगठित होकर पीछे पड़ना होगा तो ही भ्रष्टाचार मिट सकता है। यह चर्चा आज से नहीं, चार साल से चलती आ रही है। पर मुझे किसी तरह का फर्क नजर नहीं आया। हम केवल भाषण देकर चले जाते हैं। इसको मिटाने का तरीका अपनावें और यह सोचें कि किस तरह से मिटाया जा सकता है तो यह भ्रष्टाचार मिट सकता है।

आज सड़कों की कई समस्याएं हैं। वैसे इस विभाग को जितना पैसा मिलना चाहिये वह नहीं मिला है। पैसा कम होगा तो सड़कें कहां से बनेंगी। तो इसके लिये पैसा ज्यादा रखा जावे। भ्रष्टाचार को मिटाने की आप और हम सब मिलकर कोशिश करें सरकारी कर्मचारियों की मांगों के बारे में आप सहयोग करते हैं तो भ्रष्टाचार को मिटाने के बारे में क्यों नहीं सहयोग करते हैं? जितनी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है उतनी इधर बैठने वालों की भी है। सरकार अंकुश से चलती हैं इस प्रजातन्त्र में और विरोधी पक्ष अंकुश का काम करते हैं। जितना अंकुश लगावेंगे सरकार सही रास्ते पर चलेगी।

जहाजपुर में कई सड़कें वर्षों से अधूरी पड़ी हुई हैं। वार्षिक रिपोर्ट अभी मैंने पढ़ी। इसमें जहाजपुर नैनवां रोड का जिक्र किया और उस पर पैसा भी खर्च किया। मैं निवेदन करूं कि एक मील रोड नहीं बनी। इसकी मंजूरी 63 में हुई। फिर इतना खर्चा कहां बताया गया है?

(श्री कल्याणमल)

इसी तरह पंडेर से फेलवाड़ जाने वाली रोड है। तहसील से जिला को मिलाती है यह। वह भी बरसों से चल रही है, पूरी नहीं हो पाई।

इसी तरह मांडलगढ़-जहाजपुर रोड है, उस पर 8 बसें चलती हैं। थोड़ा सा टुकड़ा और रह गया है। अगर उसको पूरा करवा दें तो वह भी जिले से जोड़ देगी।

इसी तरह देवगढ़ से खण्डरोड का 4 मील का टुकड़ा बनना बाकी है।

तो इस ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन करूं कि कम से कम नई नहीं बन सके तो पुरानी अधूरी जो हैं उनको पूरा कराने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री लाभचन्द वैद।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव द्वारा पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

रतनगढ़ ऐसा शहर है जहां सुबह से लेकर शाम तक 50–60 बसों का आवागमन होता रहता है। शहर की आबादी बढ़ गई है और बसें भी बढ़ गई हैं। बसें आबादी के बीच से होकर आती जाती हैं, इससे आबादी वालों को कई कठिनाइयां होती हैं, एक्सीडेन्ट भी होते रहते हैं। इसे दूर करने के लिये शहर के बाहर बाहर बाईपास बना दिया जावे तो यह कठिनाई दूर हो सकती है। दो एप्रोच रोड बनी हुई भी हैं अकाल राहत कार्यों में। पर वे कच्ची हैं, उनको पक्की करा दिया जावे। एक एक मील के वे दो टुकड़े हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन दोनों एप्रोच रोडों को जल्दी डामर की बना दी जावे।

इसके सिवाय रतनगढ़ नगर में सड़कें बनी हैं। दानदाता और सरकार के बीच एग्रीमेन्ट हुआ है। 30 साल हो गये, लाखों रुपया सरकार में जमा है। गत वर्ष उसमें से कुछ खर्च किया था। उसमें से रुपया लगा दें तो सड़कें बन सकती हैं।

वार्ड नम्बर दो और तीन में जो सड़कें बनी हैं उनका लेवल नीचा है। बरसात में दिक्कत होती है। दोनों तरफ की साइड की नालियां भी ऊंची बनी हैं। पब्लिक के द्वारा बनाई हुई हैं। वे आधा फीट सड़क से ऊंची हैं। बरसात में दोनों तरफ ऊंचाई होने से जल भरा रहता है। मैंने निर्माण मंत्री से पहले भी निवेदन किया था लेकिन उनका ध्यान उस ओर कतई नहीं गया। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल बरसात से पहले इन सड़कों का निर्माण करा दें और उनका लेवल ठीक कर दें।

रतनगढ़ से सालासर तक अकाल राहत में सड़क बनी। चार साल से मांग करते आ रहे हैं कि सालासर एक तीर्थस्थान है। बाहर से हिन्दुस्तान भर से यात्री वहां आते हैं। अगर इस रोड को आप प्लान में लेकर बनवा दें तो जनता को भारी राहत मिल सकती है और रतनगढ़ जो व्यापारी क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है वह भी थोड़ा आगे आवेगा।

रतनगढ़ नगर में सुजानगढ़-जसवन्तगढ़ की सड़कें जाती हैं। वे थोड़ी दूर त

(श्री लाभचन्द वैद)

टूटी हुई हैं। सड़क का नाम निशान भी नहीं रहा जिसके कारण उधर से न साइकिलें जा सकती हैं न बसें। लोगों को घूम कर दूसरी तरफ से जाना पड़ता है। इसके लिये पहले भी मैंने प्रश्न उठाया था अब भी निवेदन करता हूं कि यह छोटा सा टुकड़ा है इसका निर्माण कराकर ठीक कर दें तो बढ़िया रहे।

मोमासर से पड़ियारा तक अकाल राहत कार्य में कुछ सड़कें बनी हैं। इनको आप पक्की कर दें तो इन सड़कों की सुरक्षा भी हो जावेगी और यह महत्वपूर्ण रोड बनी रह जावेगी जनता को इससे बहुत-राहत मिलेगी।

चूरू से रतनगढ़ आने वाली सड़क जिसकी चौड़ाई कम है उसे ठीक कराया जावे। आमने सामने से अगर दो बसें आ जावें आज तो एक दूसरी तरफ से पास नहीं हो सकतीं और मीलों में बीच बिछी हुई नहीं है। पर आज तक आपने कुछ नहीं किया इसके लिए। कोई कहता है कि मेरे क्षेत्र में 16 मील सड़क बनी है, कोई विधायक कहता है कि 20 मील सड़क बनी है और कोई कहता है कि 30 मील सड़कें बनी है लेकिन नवाब साहब मेरे क्षेत्र में एक मील सड़क आज तक नहीं बनी है और जो सड़क बनी है उसकी मरम्मत की तरफ भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह बहुत ही बुरी बात है।

अभी यहां पर नाहर साहब फर्मा रहे थे कि जिस बिल्डिंग का निर्माण हो जाये और उसी साल चूने लग जाये तो समझना चाहिये कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं। रतनगढ़ में आई. टी. आई. की बिल्डिंग बनी है, वह बनने के पहले ही गिर गई। दो साल पहले ही यह है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा? और ठेकेदार ने पेमेन्ट ले लिये। आपका ध्यान इस तरफ जाता क्यों नहीं है। दानदाता की तरफ से रकम जमा हुई है। फिर भी आप ध्यान नहीं देते हैं और क्षेत्रीय भावनाओं से ओत प्रोत होकर आपका जहां क्षेत्र होता है वहीं आप अपना ध्यान लगाते हैं और जहां जहां से विरोधी जीत कर आये हैं, अर्थाभाव का कारण कह कर आप उसको टालने की कोशिश करते रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री सभापति : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर मैंने भी कटौती प्रस्ताव रखे हैं। पहले मैं अपने कटौती प्रस्ताव रखूं, इस विभाग की जो एक साधारण रीति नीति है, वह रखना चाहता हूं। सभापति जी यह सार्वजनिक निर्माण विभाग कोई योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल तक प्रत्येक जिलों की सड़कों के बारे में, किन किन विभागों को कहां कहां बिल्डिंग बनानी हैं इन बातों के बारे में पहले योजनाएं तैयार करते थे और तैयार ही नहीं करते थे बल्कि प्रत्येक सदस्य को इस बारे में मालूम रहता था कि इस पंचवर्षीय योजनाकाल में इस जिले में कुल कितनी सड़कें बनने वाली हैं, कितनी बिल्डिंग बनने वाली हैं। लेकिन तृतीय पंच-

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

वर्षीय योजना काल के आरम्भ से मेरे ख्याल से यह सारा योजना का मामला अस्त व्यस्त सा हो गया है और आज चौथी पंचवर्षीय योजना काल के दो वर्ष गुजर गये हैं लेकिन आज अगर मंत्री महोदय से पूछा जाये कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में आप कौनसी नयी सड़क का निर्माण करने जा रहे हैं तो जवाब नदारद मिलेगा। मैं यह मानकर चलता हूं और मेरे ख्याल से राजस्थान के अन्य जिलों में भी ऐसी ही स्थिति होगी। जिसके लिये ये चाहेंगे उसको इन्क्लूड कर लेंगे बाकी जिला वाइज मार्ग के महत्व की दृष्टि से इस योजनाकाल में मार्गों पर सड़कें बनाना बाकायदा तय किया गया हो ऐसी कोई बात नहीं है। तो सभापति महोदय इस नीति की मैं तीव्र भर्त्सना करता हूं साथ ही साथ मुझे यह भी चर्चाएं सुनने को मिलीं और बड़ा आश्चर्य होता है इस बात का कि विरोधी क्षेत्रों में जो अकाल राहत कार्यों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा 2 करोड़ की लागत से सड़कें बनाई गयी हैं. तो दूसरी जगह डेढ़ करोड़ की लागत की बनाई गयी है। लेकिन खेद के साथ और दावे के साथ यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 67–68 से 69–70 तक तीनों साल तक लगातार जो अकाल पड़ा है, उसमें सवाई माधोपुर भी बहुत बुरी तरह से अकालग्रस्त था, सवाई माधोपुर में ही नहीं बल्कि जिला सवाई माधोपुर में इस अकाल राहत के दौरान में एक भी मील की सड़क नहीं बनाई गई। जो अभी ओला वृष्टि हुई थी उसमें भगतगढ़ से सूखाल सड़क का कार्य हुआ है। यह 14 मील का टुकड़ा था उसमें 4 मील के ऊपर गत ओला वृष्टि के नाम पर अकाल राहत का कार्य कराया गया और वहां 4 मील पर मिट्टी तुड़वाई गई, पत्थर सीलिंग करने के लिये निकलवाये गये लेकिन वह पत्थर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, रोड़े पड़ी हुई है और अब लोगों ने उनको उठाना शुरू कर दिया है। इस प्रकार पत्थर की भी चोरी होना शुरू हो गयी है और लोग अपने मकान चुनने के काम में ले रहे हैं। मैं निर्माण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि साइट पर का मेटीरियल पड़ा हुआ है, उसमें ज्यादा लागत का काम नहीं है उसको अगर आप सड़क पर बिछा देंगे तो आपका जो रॉ-मेटिरियल पड़ा हुआ है, वह सुरक्षित रह सकेगा। परन्तु इस बात की आपको चिन्ता नहीं है। अकाल राहत कार्यों के अन्दर जो पैसा आपका लगा है वह रा-मेटेरियल चोरी हो जायेगा और आपको इसका पता भी नहीं रहेगा। मैं यह मान कर चलता हूं कि बरसात के दिनों में यह सड़क अवरुद्ध हो जायेगी और जनता को इसमें काफी असुविधा होगी। इस प्रकार यह जनता के साथ भारी अन्याय होगा, उनको आघात होगा। अकाल राहत कार्य प्रायः सभी जिलों में खोले गये हैं और उसमें या तो छोटे सिंचाई के कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। यदि वहां इस प्रकार के काम नहीं है तो सड़क के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी गई है लेकिन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी सड़क निर्माण का कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत नहीं कराया गया है। राज्य सरकार ने एक एक नीति निर्धारित की थी और वह नीति

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

पैसा खर्च हो, ऐसा कोई नियन्त्रण सदन के पास नहीं रहता है। मन्त्री महोदय उस पैसे में कटौती करते हैं और उसको इधर उधर कर देते हैं और फिर बाद में आगामी वर्ष के लिये, उस आर्थिक वर्ष में उसके लिये पैसा भी प्रावधित कर देते हैं। यह दिखाने के लिये होता है। उस वर्ष नहीं कर सके इसलिये यह काम अब पूरा कर देंगे। मैं सभापति महोदय, आपकी मार्फत यह जानना चाहूंगा कि बोंली से निवाई...

(5.16 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति पदासीन)

तक जो सड़क निर्माणाधीन है उसमें केवल 22 मील का टुकड़ा है लगभग 14 मील का टुकड़ा पूरा हो गया। कुछ सड़क का निर्माण इस साल हो गया है। अब यह बाकी का काम कब तक पूरा करवा देंगे? यह जो नीति राज्य सरकार ने अपनाई है वह गलत है। इसी ढंग से सवाई माधोपुर–खन्डार की जो बुरी स्थिति हो गई थी उसके रिपेयर का काम आपने प्रारम्भ किया था। सवाई माधोपुर से खन्डार की सड़क पर 5 मील की तरफ जो टुकड़ा रह गया है उसको वैसे के वैसे ही छोड़ दिया गया है। इसके लिये बजट में प्रावधान है। गये बजट में भी था लेकिन उस पर काम नहीं करवाया गया। पूरी सड़क कम्पलीट हो जाये यह आप नहीं करना चाहते हैं। इस सड़क पर भी यह रोडा आपने अटका रखा है। इसी प्रकार से जयपुर से मेन सड़क जो सवाई माधोपुर को जाती है और आगे जाकर यह मध्य भारत को मिलती है, एक प्रकार से यह नेशनल हाई वे है, उस में बनास नदी पर पुलिया द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में दुब्बी घाव पर बनाने की स्वीकृति हुई थी और उसका सर्वे भी करवा लिया गया था। वह पुलिया बनाने का यहां पर कई बार कहा गया है लेकिन यह पुल आज तक नहीं बन पाया है। पाली घाट पर, चम्बल नदी पर जो पुल आप बनाने जा रहे हैं उसमें देरी क्यों की जा रही है। उसको देखने के लिये मंत्री महोदय कई बार उधर गये हैं। पता नहीं वहां जाकर कोई जमीन देखी हो परन्तु पुल का निर्माण कार्य आज तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। गांव वालों को कह दिया कि पुल के लिये आप आये हैं और उन्होंने सन्तोष कर लिया

(घंटी)

श्री सभापति : आपने 9 मिनट ले लिये हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अभी समाप्त कर रहा हूं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि दरअसल में उनका इस पुल का निर्माण करने का विचार है या नहीं है और अगर निर्माण करने का विचार है तो कब तक आप इसका काम शुरू करवा देंगे। ऐसी ही स्थिति सभापति महोदय सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज की है। केन्द्र की तरफ से इसको स्वीकृति हो गई है और हर साल बजट में इसका प्रावधान रखा जाता है... अप्रोच रोड के लिए केवल राज्य सरकार से अपेक्षा करके चलते हैं। राज्य सरकार अप्रोच रोड बनाने के लिए तैयार है तो

Page No 169

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

वे ओवर ब्रिज बनाने को तैयार है। इसकी यह एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन हो चुकी है मेरे ख्याल से–राशि स्वीकृत हो चुकी है और एस्टीमेट भी बनकर आ गये होंगे। लेकिन कभी अलाइनमेंट का बहाना और कभी किसी का बहाना लेकर 12 साल से लगातार उलझाये हुये हैं। अभी गत वर्ष भी केन्द्र ने···

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने के लिये–7 ओवर ब्रिज बनाने की स्वीकृति दी है। सवाई माधोपुर नं. 1 पर। अब मेरा ख्याल है ओवर ब्रिज कहीं राजस्थान में बना तो मंत्री महोदय कृपा कर उसके लिये सिफारिश करेंगे और अपने उत्तर में यह स्पष्ट करेंगे। मेरी मांग है कि सवाई माधोपुर स्टेशन का ओवर ब्रिज, जहां 24 घंटे में 18 घंटे बंद रहता है ओवर ब्रिज जल्दी से जल्दी बनाने की कृपा करें। साथ ही···

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आपको पांच मिनट का समय दिया गया था।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : एक मिनिट में समाप्त करता हूं–सवाई माधोपुर से इन्दरगढ़ सड़क है और एक सड़क सवाई माधोपुर से उनियारा–इन दोनों की इतनी बदतर हालत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर की हर प्रकार से उपेक्षा की जा रही है। अभी मा. रामचन्द्रजी कह रहे थे मेरे क्षेत्र में एक भी सड़क 3–4 वर्षों के अन्तर्गत नहीं बनी है। आपका एक ही जवाब आता है फंड नहीं है·····

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: महकमा तो नवाब साहब का है लेकिन हुकुम किसी और का चलता है····

श्री हरिवल्लभ शर्मा : लम्बी ग्रेवल रोड·····

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इतना निर्माण कराया है····

श्रीमती सभानेत्री : मा. सदस्य आप समाप्त करें, और सदस्य भी बोलेंगे।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैंने जो अपने कट मोशन प्रस्तुत किये हैं इसका समर्थन करते हुये स्थान ग्रहण करता हूं।

(कई मा. सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्रीमती सभानेत्री : आप (श्री बिरदा राम) बोलियेगा, तीन मिनट।

श्री बिरदा राम :)
श्री हंस राज आर्य :) (एक साथ बोलने पर
श्री लादूराम सुलानिया) अश्रव्य)

श्रीमती सभानेत्री: माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय सभानेत्री जी····

श्रीमती सभानेत्री : मा. सदस्य क्षमा करें। मुझे अफसोस है एक घन्टे का समय बढ़ाया गया था।

श्री लादूराम सुलानियां : आप अपने सदस्यों को समय देकर हमारा समय काटते है। मांगें हमारी हैं ... (अश्रव्य) ... सारी परेशानी फिर खड़ी हो जायगी।

श्रीमती सभानेत्री : मन्त्री महोदय ..

श्री लादूराम सुलानियां : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री महोदय बोलेगे तो फिर वही बात आयेगी।

श्रीमती सभानेत्री : मा. सदस्य आपके दल को काफी समय मिल चुका है।

अभी आपकी पार्टी के सदस्य बोल रहे थे। आप आरम्भ करें मा. सदस्य।

श्री लादूराम सुलानियां : सभानेत्री जी, हमारा अमुल्य समय है और सदन का भी अमुल्य समय है इसलिये कृपा करके ...

श्रीमती सभानेत्री : मैं निवेदन कर चुकी हूं समय इतना ही बढ़ाया गया था ...

श्री लादूराम सुलानियां : वह हमारे लिये ही बढ़ाया गया था। आसन को सारा टेम हमें देना चाहिये। 5-7 मांग हैं वह भी आसन नहीं देगा तो ...

श्रीमती सभानेत्री : मा. सदस्य आपकी पार्टी के सदस्य बोल चुके है। मुझे अफसोस है मैं समय नहीं दे सकती हूं। मा. मन्त्री महोदय आप बोलिये नहीं तो ...

श्री लादूराम सुलानियां : हम देखते हैं कैसे मन्त्री महोदय बोलते है आज।

श्री बिरदा राम : .. (अश्रव्य) ... भीनमाल सड़क ... मैं निवेदन करूं उनको जल्दी करादें। इस साल पूरी करवा दें। किशनगढ़—सायला सड़क है। सायला तक 8 मील तक सड़क नहीं बनी है। यहां मेटल पड़ा है, कंक्रीट पड़ी है उसको बनवा दें। जालोर से देवपुरा एक सड़क है वह सड़क ठीक करवा दें। भांगली से भागड़ा सड़क है उसको पूरी करें, वह अधूरी पड़ी है। भागड़ी से भाखोड़ा और हरमाड मोदरा स्टेशन तक सड़क दी जाय। जो पुलिया पड़ती है उसको बना दें तो जनता के वास्ते अच्छा रहेगा। भीनमाल से मोतड़ी सड़क है इस साल उसको पूरा करवा दें ...

श्रीमती सभानेत्री : मा. सदस्य साढ़े पांच बज चुके है। कृपया स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय उत्तर दें।

(मा. मन्त्री महोदय व मा. सुलानिया साथ-साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री लादूराम सुलानियां : सभानेत्री जी में आसन से निवेदन कर रहा हूं—सुन लीजिये साढ़े चार बजे जब मंत्री महोदय उत्तर के लिये खड़े हुये तो हमने आसन से प्रार्थना की। आसन हमारी बात पर प्रभावित हुआ और सदन का एक घंटे का समय बढ़ाया गया। उसमें से हमको एक मिनिट भी नहीं मिले यह नहीं हो सकता है।

श्रीमती सभानेत्री : मा. सदस्य.......

श्री लादूराम सुलानियां : मुझे फिर सुन लीजिये। या तो सदन का समय और बढ़ाया जाय। हम बैठने वाले हैं, बैठेंगे और मंत्री महोदय को सुनेंगे। इसलिये सभानेत्री जी ज्यादा नहीं हमको 5-5 मिनिट दे दें।

Page No 171

श्रीमती सभानेत्री : मा. सदस्य आसन ने रूलिंग दे दी। साढ़े पांच बजे तक डिबेट होगी उसके बाद मा. मंत्री उत्तर देंगे। साढ़े पांच बज चुके हैं। मा. सदस्य बोल चुके हैं। यह आवश्यक नहीं कि आप बोलें और दूसरे नहीं बोलें।

श्री लाबूराम सुलानियां : आसन को ध्यान रखना चाहिये कितने नाम हैं उसमें हमको शामिल करना चाहिये। आप से ही हम निवेदन कर रहे हैं। मंत्री महोदय को हम कहेंगे तो आसन से ही टेम मिलेगा। वरना हम बिलकुल मंत्री महोदय को नहीं बोलने देंगे।

श्रीमती सभानेत्री : कल आपको समय दे दिया जायगा।

श्री लाबूराम सुलानियां : हम को आज ही बोलना है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : सभापति महोदया······

श्री लाबूराम सुलानियां : हमारी भी साथ ही सुनते जायं।

श्रीमती सभानेत्री : मुझे अफसोस है मा. सदस्य।

श्री लाबूराम सुलानियां : मैं आसन से निवेदन करना चाहूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी।

श्री लाबूराम सुलानिया (फागी) : मैं मा. मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा। आपके विभाग में कभी आपने यह भी देखा इन्जीनियरों का कोटा कितना है उसमें शिड्यूल कास्ट के कितने हैं। ओवर सीयर हैं उसमें शिड्यूल कास्ट के कितने लोग हैं। क्या आपने यह सोचा आपके विभाग में जिस प्रकार कोटा निर्धारित होना चाहिये उसमें शिड्यूल कास्ट के कितने हैं। लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं लेकिन में यह पूछ रहा हूं हमारे समाज कल्याण मन्त्री लम्बे चौड़े हाथ करके 15 से 28 प्रतिशत कर दिया। कहां है ? मैं पूछता हूं वह शिड्यूल कास्ट का कोटा आपके ऑफिस में किसी भी जगह पर यह कोटा है ?

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। यह बता देना चाहता हूं कि हरिजनों के बारे में इनका तो सौतेला व्यवहार है ही इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार आपका क्यों है ? यह सारे समाज की समस्या है। लोग कहते हैं कि कहीं रावणवाद फैला रखा है, कहीं जोशीवाद फैला रखा हैं, लेकिन आपने तो नवाबवाद नहीं फैला रखा है। आपने किसी नवाब को तो इन्जीनियर नहीं बनाया है। कम से कम आपके विभाग में तो इस बात की होप करें कि पूरे के पूरे विभाग में आप शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के इन्जीनियर्स को रखेंगे तो हम आपका शुकर गुजारेंगे और जनता आपको बधाई देगी। इन्हीं शब्दों के साथ, सभानेत्री महोदय, मैं इन बातों को कहना चाहूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मंत्री जी उत्तर दें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद): अभी जो इस पर चर्चा हो रही है

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

तो मैं समझता हूं कि एक एक माननीय सदस्य का जवाब मुख्तसर देता जाऊं तो ठीक रहेगा। माननीय श्री जगन्नाथ सिंहजी ने.....

श्री जुझारसिंह : जगन्नाथसिंह जी कोई नहीं है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : तो जिक्र नहीं करूंगा।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : श्री विजयसिंह जी साहब ने यह जिक्र किया है।

श्री प्रेमसिंह : वह भी नहीं हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इस हाउस में जो ज्यादा इच्छा प्रकट की गई है वह सड़कों की बुरी हालत पर ज्यादा है या करेक्शन के ऊपर या सड़कों के मुताल्लिक चिन्ता का इजहार किया गया है और बिल्डिंग्स की मरम्मत के लिए। तो मैं यह सदन में बता दूं कि बिल्कुल इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि जबकि सड़कों की इतनी बुरी हालत की चर्चा की गई है तो मैं यह कहूं कि सड़कों की हालत बहुत अच्छी है तो यह मैं कतई नहीं कह सकता। मैं भी जानता हूं कि सड़कों की क्या बुरी हालत है, लेकिन इसका कारण जो है वह यह सदन आज से बल्कि जब से मैं यहा हूं तब से जानता है। इसमें शक नहीं है कि मुझे मुबुकदोष नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं यह कहूं कि यह दूसरे का दोष है तो वह मेरी मदद पर नहीं आता है। मैं यह कहूं कि यह दूसरे का दोष है तो वह मेरी मदद पर नहीं आता है। मैं यह कहूं कि धनराशि मरम्मत पर बढ़ाई जाय तो मैं गलत नहीं कहूंगा। आप दोष दे सकते हैं.....

श्री जुझारसिंह : जो है उसको तो यूज में लें।

श्री भैरोंसिंह : आपका जोर नहीं चलता है आप यह बता दें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जो होता है तो सबों का होता है एक का नहीं होता है जो कि माननीय सदस्य महरबानी करके.....

श्री श्रवणलाल : आप जो पर्सेन्टेज लेते हैं उसको बन्द कर दें।

श्री जुझारसिंह : जब मिस यूज होग तो ज्यादा आवेगा।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसका मतलब यह है....

श्री जुझारसिंह : जो हैं उसको तो युटलाइज करें।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य डिस्टर्ब न करें। फिर कोई बात पूछना हो तो बाद में प्रश्न कर लें। बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हमारे पास 275 लाख की धनराशि रखी गई है। उनमें से 185 लाख के करीब Establishment में निकल जाते हैं अब केवल 90 लाख रुपया हमारे पास रहता है। इसमें हम क्या मरम्मत कर सकते हैं इतनी लम्बी-चौड़ी सड़कों का वह आप सब लोग समझ सकते हैं। हम उसी सीमाओं के मुताबिक काम कर सकते हैं मरम्मत का जितना कि उसमें हो सकता है, उससे ज्यादा करना मुमकिन नहीं है। हम किस तरह से इसको ज्यादा अच्छी तरह से मरम्मत कर सकते हैं मैं इसके लिए यत्न भी करता हूं और मैं

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)
केबिनेट का ध्यान भी दिला रहा हूं कि यह जो इसके लिये धनराशि है इसको बढ़ा दिया जाय, वर्ना इस प्रावधान से काम नहीं चलेगा। कम से कम इसमें साढ़े चार करोड़ रुपये बगैर सड़कें सही हालत के अन्दर नहीं रखी जा सकती हैं। इस तरीके से....

श्री भैरोंसिंह : सरकार से प्रार्थना करें कि रुपया बढ़ायें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : प्रार्थना कर रहा हूं मैं भी और आप भी उसमें साथ दें।

श्री भैरोंसिंह : सभानेत्रीजी, ओन ए पाइन्ट आफ आर्डर। हम जो जवाब सुन रहे हैं वह राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी से सुन रहे हैं, और उसका मतलब यह है कि राजस्थान की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वह यहां जो कुछ कहना चाहते हैं, कह रहे हैं। मंत्री महोदय भी हमारी श्रेणी में आकर यह कहें कि सरकार से प्रार्थना कर रहा हूं तो फिर वह कौन सी सरकार है उसको बुलाया जाय ताकि वह सरकार जवाब दे। यह छोटी सरकार जो हाउस में है वह सक्षम नहीं है जवाब देने के।

श्री मदनसिंह : यह वही सरकार है जिसके लिए आप कह रहे थे कि यह कुछ नहीं करते हैं....

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्यों से इसके लिए धनराशि बढाने के लिए कहें तो यह उपयुक्त ही है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सरकार में हरेक मंत्री का अलग अलग महकमा होता है। माननीय भैरोंसिंहजी कहना चाहते हैं....

श्रीमती सभानेत्री : (माननीय सदस्यों के बोलने पर) माननीय सदस्यों से मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ कि वे कृपया शांत बैठें।

श्री लादूराम सुलानिया : आपने निवेदन किया लेकिन आपको व्यवस्था की बात कही मगर उत्तर......

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य !

श्री लादूराम सुलानिया : अगर आप कहें तो दो करोड़ क्या 10 करोड़ देने को तैयार हूं। हमने कब इन्कार किया है जबकि हम इतना मन्जूर करते हैं तो और कर देंगे।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सड़कों के मुतल्लिक कहना चाहता हूं कि वह तभी हो सकता है जब कि धनराशि पूरी हो।

बिल्डिंग्स के मुताल्लिक भी इसी तरह से कहा गया है कि बिल्डिंग्स की हालत सही नहीं रखी जाती है। वह भी तब तक सही नहीं रखी जा सकती है जब तक कि धनराशि पूरी नहीं हो। सवा दो करोड़ इसमें है उसमें से 65 लाख रुपये हैं तो एक पर्सेन्ट बिल्डिंग्स की मरम्मत पर आता है। तो इस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि इसको बढ़ाया गया जब तक धनराशि उपलब्ध नहीं होती है यह किसी हालत में अच्छी नहीं रखी जा सकती हैं।

श्री भैरोंसिंह : तब कोई यह नियम रखा जाय कि धनराशि उपलब्ध होने तक जिन बिल्डिंग्स और रोड्स की मरम्मत कराई जाती है उनकी इतने वर्षों तक

(श्री भैरोंसिंह)
मरम्मत नहीं करायेंगे तो स्वाहा हो जायगी, इसकी योजना तो बना लें।

श्री रोशनलाल शर्मा : स्वाहा कर देने की योजना बन रही है। (हंसी)

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने कहा कि जहां पर ज्यादा हालत खराब होती है सड़कों की उसकी पहले मरम्मत कराई जाती है...

श्री रामप्रसाद बोहरा : सभी अच्छी हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह इसी तरह से काम चलता रहेगा जब तक कि पूरी धनराशि उपलब्ध नहीं होगी...

श्री मवर्नसिंह : यह तो तय कर लें कि इतनी इतनी खराब हैं और उसके लिये इतना इतना पैसा चाहिए उसके लिए धनराशि इतनी चाहिए। पूछा तो यह कहा गया था कि अमुक रोड पर इतना रुपया खर्च हुआ है लेकिन सड़क नहीं है, इतने हजार रुपये खर्च हुए मकान के लिए लेकिन वहां मकान नहीं है...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आप इनकी स्पीच जमने तो दें।

श्री लादूराम सुलानियां : यह पब्लिक का मंच नहीं है कि इनकी स्पीच हो रही है। यह विधान सभा है। हम अपनी बातों का उत्तर चाहते हैं। हम स्पीच नहीं सुनना चाहते हैं, हम उत्तर सुनना चाहते हैं। हम राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि से उत्तर चाहते हैं और भाषण नहीं चाहते हैं। आपकी स्पीच जमे या न जमे उसकी जरूरत नहीं है। भाषण नहीं उत्तर दें।

श्रीमती सभानेत्री : मैं माननीय सदस्यों से गम्भीरता से निवेदन कर रही हूं कि आप बीच में इस तरह से रोक-टोक न करें। मैं बार बार निवेदन कर चुकी हूं। यह कोई कायदा नहीं है कि आप सवाल करें और वह जवाब दें। उनको कहने दें और वापिस पूछना है तो पूछें।

श्री प्रेमसिंह : अभी तक तो नहीं जमा, साहब।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : तो मैं जैसा कि कह रहा था जब तक धनराशि पूरी उपलब्ध हो सकेगी, उस वक्त तक सड़कों की यही हालत रहेगी। अब जो हमारी बोर्डर रोड्स हैं, उसके लिए हमने आदेश दे दिये हैं उनकी जल्दी से जल्दी मरम्मत और उनकी सफाई की तरफ ध्यान दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह : सफाई तो आप जो बनी है, उनकी करा देगा। (हंसी)

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप तो मुझे हंसी के लिए मना करते है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस बारे में मीटिंग हो चुकी है। इसमें मुख्य मन्त्री जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी मिल चुके हैं और अभी हाल ही में मैं यातायात मिनिस्टर भारत सरकार से मिल कर आया हूं। इसके लिए जल्दी से जल्दी कोई सहायता सरकार को हमें देनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके फिर भी हम इसकी सफाई

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)
का काम, इसको ठीक रखने का काम मरम्मत का काम इसके लिए हमने आदेश दे दिये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिए आप ने कितने रुपये का प्रावधान रखा है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कोई रुपये का प्रावधान नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : कितने रुपये का प्रावधान है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ठीक रखने के लिए जो भी खर्च होगा ।

श्री भैरोंसिंह : रुपये का कितना प्रावधान है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सही हालत में रखने का प्रावधान है ।

श्री भैरोंसिंह : एक स्पष्टीकरण चाहूंगा, बोर्डर रोड्स का खर्चा केन्द्रीय सरकार पर है या राज्य सरकार पर ? क्या राज्य सरकार अपनी मद से व्यय करती है या क्या केन्द्रीय सरकार अपने व्यय से स्वीकृति देती है ? और इस बजट में कितना प्रावधान रखा है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जैसा कि मैंने कहा है, इसके लिए किसी तरह का प्रावधान मुकर्रर नहीं किया है ।

श्री भैरोंसिंह : मामूली बता दीजिए ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसके लिए लाख खर्च हो, दो लाख खर्च हों ।

श्री मदनसिंह : सभानेत्रीजी, क्या यह ठीक जवाब है ?

श्री भैरोंसिंह : इसके लिए तो बजट में प्रावधान होना चाहिए ,

श्री मदनसिंह : करोड़ों खर्च हुआ है । सभी कहते हैं कि घोटाला है ।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं बोलता हूं तो· · ·

श्री भैरोंसिंह : आप ने कहा है कि मरम्मत करने के लिए आदेश दे दिया गया है । आपने कितनी धनराशि का मरम्मत करने के लिए प्रावधान किया है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने आपसे कहा है. जितनी जरूरत होगी, उतना प्रावधान किया जायेगा ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : भैरोंसिहजी बोलते हैं तो ठीक है दूसरा कोई सदस्य बोले तो मत बोलो । आसन अगर यह बोले कि भैरोंसिहजी बोलें तो ठीक है, इसका क्या कारण है ? और कोई सदस्य बोले तो उसका अपमान होता है । भैरोंसिहजी बोलते हैं तो अच्छा लगता है ? अभी फरमाया कि भैरोंसिहजी बोलते हैं तो अच्छा लगता है । दूसरों के जो सवालात है, उनका जवाब होना चाहिये । भाषण नहीं हो रहा है ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करती हूं कि बोलने दीजिये । आसन बोल रहा है. बीच में नहीं बोलें ।

(शोरगुल–व्यवधान)

Page No 176

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : (अश्रव्य)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य·· इसे लाइट मूड में न लें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप उन्हें क्यों नहीं कहती हैं।

श्री मदनसिंह : (अश्रव्य)।

श्री भैरोंसिह : यह आसन को इस प्रकार से डाटा है। यह आसन का अपमान हुआ है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : कायदे की बात कहते हैं तो अपमान होता है ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री महोदय को जवाब देने दें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : (अश्रव्य)।

श्रीमती सभानेत्री : मन्त्री महोदय।

श्री प्रेमसिह सिंघवी : ये लाइट मूड क्या होता है ?

श्रीमती सभानेत्री : कोई सवाल होता है तो मन्त्री महोदय, उधर ध्यान न दें।

श्री रोशनलाल शर्मा : सवालों का ही उत्तर दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिह : मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि हम उत्तर दे रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : (अश्रव्य)।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, मैंने निवेदन किया है, इसको गम्भीरता से लें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : बोर्डर रोड्स के बारे में मैं कह रहा था। उनकी मरम्मत का इन्तजाम किया जा रहा है। ऐसे जमाने में हमारी बोर्डर रोड्स सही हालत में हों। इसी तरह से बोर्डर रोड्स में करप्शन के बारे में कहा गया है। मैं अर्ज करूंगा कि इसके लिए जो इन्क्वायरी भैरोसिंहजी ने चाही थी, वह इन्क्वायरी हो रही है। इसी तरह से चौहटन रोड के बारे में कहा था, उसकी इन्क्वायरी भी हो रही है।

श्री परसराम गंगाराम : फायलें गायब हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह तो रिप्लाई भी अधूरी रहेगी।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। यह इल्जाम लगाया गया है कि पक्षपात किया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : माननीय मंत्री महोदय, जो शिकायतें हैं उनके बारे में अलग से बता दें और जो मांग है वह अलग से बता दें। यह ज्यादा सुविधा जनक होगा।

श्री प्रेमसिह सिंघवी : (अश्रव्य)।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जो हम से होगा सही तरीके से होगा। सही माने में होगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : कोटा डिस्ट्रीक्ट··· (अश्रव्य)।

श्री मदनसिंह : सभानेत्रीजी, क्या यह पक्षपात नहीं है कि मेवों के सामने मांग नहीं थी वहां तो आपने सड़क बनाई है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आपने जो कटमोशन पेश किया था, वह कई बातें कही जा चुकी हैं। अगर सदन की मन्शा सुनने की नहीं है . . .

(भारी शोरगुल व्यवधान अश्रव्य)

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सभानेत्रीजी, मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं। अच्छा यही होगा कि आप मांगों पर वोट ले लें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : रिप्लाई अभी नहीं हुआ है।

श्री देवीदत्त गाडिया : हमें रिप्लाई चाहिये। ऐसे कैसे ले लेंगे वोट।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जो दल बदलकर उधर जा बैठे हैं, उनके यहां चार मील की रोड बन गई है।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! न आप बोलने देते हैं और न वोट का आग्रह आपको स्वीकार है। तो होगा क्या। आप उनको बोलने दीजिये। यह एक मिनिट भी नहीं बोलते हैं कि आप उनको बीच में टोक देते हैं। अगर न सुनना चाहे तो वोट ले लिया जाय और उनको बोलने से मना कर दिया जाय।

श्री देवीदत्त गाडिया : उनको बोलने दीजिये। हम रिप्लाई सुनना चाहते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : मेरे ख्याल में यह ठीक होगा कि वोट ले लिया जाय।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : आप यह कह रहे हैं कि वोट ले लिया जाय, तो वोट की ताकत से क्या जनता का रुपया खा सकते हैं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : यह कोई तरीका नहीं है। आप बोलें, अगर बीच में टोकें तो फिर कहिये।

श्री लादूराम सुलानिया : यह जनता के साथ अन्याय है, यह घोर अन्याय है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री शंकर लाल : मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं, आप सुन तो लें।

श्री लादूराम सुलानिया : हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री शंकरलाल : जवाब हो जाय आप जवाब सुन लीजिये।

श्री देवीदत्त गाडिया : जवाब कहां देते हैं। करोड़ों रुपये का घोटाला है, करोड़ों रुपया खा गये !

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

(शोरगुल)

इतनी बड़ी बन्दूक के सामने आप मौन नहीं रह सकते तो कब रहेंगे। पाइन्ट आफ आर्डर से तो चारों तरफ स्तब्धता छा जाती है।

श्रीमती सभानेत्री : पाइन्ट आफ आर्डर पर बात कीजिये, आप।

श्री यशवन्त सिंह : मुझे विवश होकर खड़ा होना इसलिये पड़ा है, जब बोलने शुरू हुए मन्त्री महोदय, तो चारों तरफ से आवाज आई, नहीं बोल सकते हैं। जब वोट

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)
के लिए कहने लगे तो कहते हैं कि जनता का पैसा खा गये।

श्री मदनसिंह : इस तरह से पक्षपात होता है, इस तरह से मकान बनाते है और सड़के नहीं बनाते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वह जवाब दे रहे है, आप उसको समझ लीजिये और देख लीजिये · · ·

श्री श्रवणलाल : आपको बोलना पड़ेगा, इन आरोपों का जवाब देना पड़ेगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : किसी को दोष दे देना आसान बात है–इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। आप व्यक्ति को चार्ज मत कीजिये, सरकार को कीजिये।

शोरगुल–अश्रव्य

श्री लादुराम मुलानिया : आपने यह फर्माया कि वोट करा लीजिये, तो हमारे बीस आदमी उधर बैठे हैं, उनको आप इधर भेज दीजिये और फिर वोट करवा लीजिये। हम स्वीकार करने को तैयार हैं यह बात ईमानदारी की है, और हमारे साथ न्याय होगा।

शोरगुल–अश्रव्य

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य !

श्री लादुराम मुलानिया : हमारे जो बीस सदस्य दल बदल कर उधर बैठ गये हैं उनको आप हमें दे दीजिये और वोट करा लीजिये, हम तैयार है वोट कराने के लिये। जनता के वोट लेकर जो बीस सदस्य दल बदल कर उधर बैठ गये हैं उनको दे दीजिये और फिर वोट करा लीजिये। वोट फिर बड़ी खुशी से करवा लीजिये। हम तैयार हैं।

श्रीमती सभानेत्री : मैं बराबर निवेदन कर रहा हूँ, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं अन्तिम बार निवेदन करती हूँ, आप शांति से सुन लीजिये, यदि आपको पूछना है तो बाद में पूछ लीजिये। आप न सुनना चाहें तो वोट लेकर में सदन को स्थगित करती हूं। मैं बार बार निवेदन करती हूं, जितना में निवेदन करती हूं उतना ही आप लाइट रूप से ले रहे है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप समय बढ़ा दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : समय नहीं बढ़ेगा अब।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सभानेत्री महोदया, जितना जवाब मुझे देना चाहिये था वह जवाब मैंने दे दिया है। मेरे ख्याल में मैं इससे ज्यादा जवाब क्या दूं। मेरी समझ में नहीं आता।

श्री भैरोंसिंह : जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जो आरोप लगाये गये हैं उनके लिए या तो हां भरिये या ना कहिये। इन्वायरी की बात कही · · ·

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने कहा, गलत है।

श्री मदनसिंह : जो आरोप लगाये हैं · · ·

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जिस बात का आरोप लगाया है वह बिल्कुल गलत है। पैसा खाया है-यह आरोप लगाया है-यह बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : सही है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उसका कतई जवाब यही है कि गलत है।

श्री रामचन्द्र आर्य : गलत नहीं सही है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदया, यह कोई जवाब का तरीका नहीं हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सभापति महोदया, मेरे ख्याल में आप इस पर वोट ले लीजिए।

श्री भैरोंसिंह : जो आरोप लगाये गये हैं, गलत वह होते तो क्यों आपने यह कहा कि यह एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट में मामले चले गये हैं। वह एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में चले गये हैं - यह क्या गलत है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जो हम पर आरोप लगाये हैं वह गलत हैं। जो आरोप लगाये हैं...

श्री भैरोंसिंह : आप पर क्या आरोप लगाये हैं। आपके ऊपर तो अयोग्यता का आरोप लगाया है, वह सही है। आप इसको इन्कार नहीं कर सकते। सदन के सभी सदस्य इस आरोप से सहमत होंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अयोग्यता का आरोप गलत है।

श्री भैरोंसिंह : हम पूछना चाहते हैं आपसे, मैंने जो आरोप लगाये हैं उनमें से किन किन मामलों में जांच हो रही हैं और किन किन मामलों की जांच नहीं हो रही है और जितनी हो रही है वह किस स्टेज पर हो रही है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप चार्जेज की लिस्ट दे दीजिये। आरोप हैं नहीं।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदया, दो प्रकार की बात नहीं चल सकती है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आरोप निराधार हैं। दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि आरोप हैं नहीं, आप उसकी लिस्ट दे दीजिये। इन दोनों बातों में तारतम्य क्या है ? आप स्पेसिफिक बात कहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमने जो आरोप लगाये . . .

श्रीमती सभानेत्री : आप जवाब होने नहीं देते हैं तो कैसे करें।

श्री भैरोंसिंह : हम सुन रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : हम सुनेंगे। शांति से सुनेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : वोट पर लेने का प्रस्ताव कर दिया है। इस तरीके से काम नहीं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : अपोजीशन की तरफ से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सुनेंगे, जवाब उनको देना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : अब बहुत देर हो गई है।

श्री भैरोंसिंह : बोलिये।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : बोलने का था वह बता दिया।

श्री भैरोंसिंह : नहीं बताया है। सभापति महोदया, आज हम कोपरेट कर रहे हैं, आप कहें कि माननीय सदस्य बीच में बोलते हैं तो बीच में नहीं बोलेंगे। नवाब साहब को पूरी छुट्टी है, जो हाऊस में कहना चाहे वह कहें। आपने आदेश दे दिया है कि बोलने दें, तो उनको बोलने दिया जायगा। अपोजीशन की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में बिल्कुल नहीं बोलेंगे।

श्री शंकरलाल : सभानेत्री महोदया, विपक्ष वाले माननीय सदस्य जवाब सुनना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि यह ठीक है, जितनी बातें है उनका आपसे जवाब सुनना चाहते हैं, तो वह शांति से सुनें। सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जवाब देना चाहिये और इसके साथ साथ आसन को इसके लिए समय बढ़ा देना चाहिये, जिससे जो आपत्ति उठाई हैं उनका निराकरण हो सके और मांग पारित हो जाय, लेकिन माननीय सदस्यों को शांत रहना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मांग पारित हो तब तक के लिये समय बढ़ा दें।

श्री रोशनलाल शर्मा : समय बढ़ा दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : मैं सदन का समय बढ़ा देती हूं, लेकिन सदन के माननीय सदस्य बीच में इन्ट्रप्ट न करें।

श्री भैरोंसिंह : नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आप कहें, सभानेत्री महोदया, तो नवाब साहब की सौगन्ध खा जायें।

श्रीमती सभानेत्री : (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर) माननीय सदस्य फिर बीच में खड़े हो गये, इस तरह कैसे कार्यवाही की जा सकती है, न आसन को बोलने देते हैं, न मंत्री जी को, और आप चाहते हैं कि मंत्री महोदय बोलें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : समय बढ़ा दीजिये।

श्री शंकरलाल : समय बढ़ा दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : स्थान ग्रहण करें। मैं सदन का दस मिनिट के लिए समय बढ़ा देती हूं। आगे फिर देखेंगे। मंत्री महोदय से निवेदन है ....

श्री गिरधारीलाल व्यास पारित हो तब तक।

श्रीमती सभानेत्री : संक्षिप्त मैं कहें आप संक्षेप में उत्तर दे दें, संक्षेप में दे दें और माननीय सदस्यों को जो पूछना हो वह बाद में पूछ लें, अगर बीच में इन्ट्रप्ट किया तो मजबूर होकर कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सभापति महोदया, मैं उत्तर एक तरह दे चुका हूं। एक मामला था, वह इसको की बुरी हालत का था। उसके मुतल्लिक कह चुका हूं धनराशि के अभाव का कारण है। अब तक धनराशि सही हालत में उपलब्ध नहीं हो सकेगी हम पूरा काम नहीं कर सकेंगे।

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

दूसरा बिल्डिंग का सवाल था। बिल्डिंग के मामले में पी. डब्ल्यू. डी. देख भाल नहीं कर रहा है। इसका उत्तर दे दिया है। धनराशि की बरामदगी के लिए कहा, सही माने में धनराशि उपलब्ध हो तो बिल्डिंग सही हालत में रख सकते हैं। हम प्रावधान से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।

तीसरे मैंने कहा, पक्षपात का जहां तक, मैं समझता हूं और मेरा जहां ताल्लुक है, मैं कतई पक्षपात वाली बात नहीं करता हूं।

चौथे जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, करप्शन के मामलात में पूरी कार्यवाही की जायगी, और जो शिकायतें इस मुतल्लिक हमारे सामने आयेंगी, उस पर सही तरीके पर जो कुछ भी हो सकेगा, उतना किया जायगा ताकि करप्शन खत्म हो। करप्शन के साथ कोई हमदर्दी किसी की यहां नहीं है-यह मैं बताना चाहता हूं। जो इन्क्वायरी मांगी गई थी, वह इन्क्वायरी हो रही है अपनी जगह पर, कोई पुलिस में हो रही है, कोई में डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हो रही है, कई में सेंटर वाले इन्क्वायरी कर रहे हैं। इसके अलावा बोर्डर रोड्स के मुतल्लिक कहा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट सवाल हमारे दरम्यान यह है कि बोर्डर रोड्स को सही हालत में रखा जाय और रहें, चाहे केन्द्रीय सरकार से फैसला हो, अगर नहीं होता है तो हमारे राज्य से ही रखेंगे।

यह बात कहनी थी, वह कह दी। अब कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लें।

श्री भैरोंसिंह : अब पूछ लूं।

श्री तो सभानेत्री : पूछिये।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दें कि आपके विभाग में कितने इंजीनियर्स व ओवरसियर्स के खिलाफ किस किस स्तर पर कितनी इन्क्वायरीज चल रही हैं ? आप भूल जायेंगे, इसलिए एक एक का जवाब दे दें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जो टोटल मेरे पास फिगर्स हैं उनके मुताबिक 256 एन्क्वायरीज की गई थी उनमें कुछ डिस्पोजल हो गया। 176 का डिस्पोजल हो गया और 80 पेंडिंग हैं।

श्री भैरोंसिंह : किस किस स्तर पर ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : 176 आपने डिस्पोज आफ की और 80 पेंडिंग हैं। जो डिस्पोज आफ की हैं उनमें किसी को सजा दी है और जो 80 पेंडिंग हैं उनमें कितनी मनी इन्वाल्वड है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मनी इन्वाल्वमेंट का तो मालुम नहीं लेकिन 176 में से 111 को पेनेलाइज किया गया और 76 एक्विट हुए।

श्री भैरोंसिंह : एक्विट किए गए ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हां।

श्री भैरोंसिंह : हां तो भरिए।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कह तो रहा हूं। जिनके खिलाफ चार्ज साबित नहीं हुआ वे 65 हैं।

श्री भैरोंसिह : मस्टर रोल्स के बारे में जितनी करप्शन की शिकायतें हुई हैं और जैसा मैंने कहा जालोर और भीनमाल में आपके सामने डेप्यूटेशन आया था जनता का और शिकायतें की। आपने कुछ अधिकारियों को जांच के लिए भेजा और उन्होंने जांच करके आपको दे दी, उस मामले में क्या कार्यवाही हुई ? उसी प्रकार से मैंने परटीक्यूलर इन्सटेन्सेज दिए जेसलमेर और बाड़मेर के, उन सारे मसलों पर क्या किया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरे पास जालौर का कोई डेप्यूटेशन नहीं आया।

श्री भैरोंसिह : समाचार पत्रों में छपा है। नबाब सहाब कहते हैं मुझे पता नहीं है। याद करें आपके सामने डेप्यूटेशन आया, आपने कहा जांच करायेंगे उसके बाद जांच वालों ने आपको रिपोर्ट दी और कहा कि 50 प्रतिशत मास्टर रोल्स झूठे हैं ?

(विराम)

आपने जो 1.12 करोड़ का सामान खरीदा वह कहां है ? गेंती फावड़ा, बेटरी लाइट इत्यादि ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कुछ स्टोर्स के अन्दर है, कुछ जमा किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिह : फिजीकल वेरीफिकेशन हुआ है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जब जमा हो जाएगा तो हो जाएगा।

श्री भैरोंसिह : अभी तक नहीं हुआ ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : नहीं।

श्री भैरोंसिह : क्यों नहीं हुआ ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जब जमा हो जाएगा तब होगा।

श्री भैरोंसिह : अभी तक यह सामान जमा हुआ नहीं है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : नहीं इसमें कुछ बाकी है।

श्री भैरोंसिह : कितना ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : पता नहीं है।

श्री मदनसिंह : आप पर आरोप था कि मंत्री के मामा के लिए रोड़ बनाई है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मुझे किसी के मामा का पता नहीं है।

श्री मदनसिह : मैंने आरोप लगाया था कि तिजारा में 20-30 हजार की रोड बनाई थी··

श्री मजलिस खां : बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें सड़कें बनी हैं··

(शोरगुल)

श्री मदनसिंह : मैं चाहूंगा कि सदस्य न बोलें।

श्री मजलिस खां : मंत्री महोदय का कोई गांव नहीं है, वे मेयो कम्यूनिटी के गांव हैं।

श्री मदनसिह : ये बीच में जवाब दे रहे हैं। आपने फिजूल खर्ची क्यों की है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने किसी जगह फिजूलखर्ची नहीं की। जो सड़कें बननी चाहिए थी उस तरीके से बनती जा रही हैं और कोई भेदभाव या सिंगल गांव का सवाल नहीं है। अहीरों के गांवों में जहां-जहां सड़कें बननी चाहिए थीं वहां बनाई हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस सदन में इस मांग के सम्बन्ध में बोलने वाले हर एक माननीय सदस्य ने इस विभाग पर और खास तौर से अकाल की सड़कों के बारे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं मेरी अनुपस्थिति में किसी सदस्य ने आपकी तारीफ की है या भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, मैं नहीं कह सकता लेकिन मैंने जहां तक सुना है, पूरे सदन में इस विभाग में भ्रष्टाचार फैल रहा है। इस बात की शिकायतें की हैं। क्या इस संदर्भ में आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि सड़कों की मरम्मत के मामले में जितनी गड़बड़ियां हुई हैं सबकी जांच के लिए एक ऐजेन्सी या कमीशन नियुक्त कर दें ताकि सदस्य अपनी शिकायतें वहां पहुंचा दें और जांच हो जाए, इस बात पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप मुझे पूरी जांच के लिए पूरी जानकारी दें, मैं जांच करवा दूंगा। इसके अलावा क्या चारा है ?

श्री भैरोंसिंह : चारा यह है कि कोई इण्डिपेंडेन्ट कमीशन नियुक्त कर दें जिसके सामने सारी समस्यायें रख दें। आपके सामने रखें तो जैसे जालोर की आप भूल गये, कल कागज लायें, फिर भूल जायें ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : विजीलेन्स को कमीशन को दे दें।

श्री भैरोंसिंह : विजीलेन्स कमीशन और एन्टी करप्शन विभाग ने कई इंजनियर्स के खिलाफ शिकायतें की और आपसे सैंक्शन चाही, आप वर्षों तक सैंक्शन नहीं दें तो विजीलेन्स कमीशन क्या करे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसी बात नहीं है कि मैंने सैंक्शन नहीं दी।

श्री भैरोंसिंह : आपने प्रश्न के उत्तर में लिखा है 19–8–69 को एक अधिशासी अभियन्ता से रिपोर्ट चाही गई है और आज 1971 है। दो वर्ष में जवाब नहीं आया है उन केसेज में जो एन्टी करप्शन व विजीलेन्स कमीशन के कहने पर रजिस्टर किए ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसा कोई केस हो तो बता दें, मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप इन्डपेंडेन्ट कमीशन नियुक्त कर दें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपकी मदद मैं चाहता हूं · · ·

श्री भैरोंसिंह : मदद सदन के कई माननीय सदस्यों ने दी उसके बावजूद सभी सदस्यों ने इस विभाग की आलोचना की है। मैं अकेला नहीं कहता, कांग्रेस दल के वरिष्ठ सदस्यों ने भी आलोचना की है तो इस लाइट में अपना दामन साफ रखने के लिए कमीशन नियुक्त करें। फसेंगे तो फसेंगे। झूठे साबित होंगे तो होंगे।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कमीशन क्या करेगा ?

श्री भैरोंसिंह : कइयों के गले में फंदे डालेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपको आपत्ति क्यों है ?

श्रीमती सभानेत्री : मंत्री महोदय को यथा शक्ति जितनी जानकारी थी जितने उत्तर दे सकते थे दे चुके।

(शोरगुल)

15 मिनट का समय और बढ़ाया जाता है।

गिरधारी लाल व्यास : यह मांग पारित हो तब तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरे जितने कटौती प्रस्ताव हैं मंत्री जी ने एक का भी जवाब नहीं दिया, मुझे समय मिला नहीं इसलिए मैं सिर्फ दो प्रश्न पूछना चाहूंगा।

(शोरगुल)

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जनता से चन्दा इकट्ठा किया सार्वजनिक निर्माण विभाग को 6 लाख रुपए बारां में कालेज निर्माण के लिए दिया। उस कालेज के लिए 1½ लाख का सामान पड़ा हुआ है। जो आपने सामान खरीदा उसका क्या किया ? हजारों रुपयों के घोटाले हैं।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि . . .

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय सभापति महोदया, यह बड़ा अन्याय होगी इस प्रकार का निर्णय दिया है तो शासन का विरोधी दल के साथ सहयोग नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि एक साथ डिमान्ड न लें। माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : क्या समय बढ़ाये ?

श्री भैरोंसिंह : वे जवाब भी दे रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : चाहे 9 बजे तक का समय बढ़ाये। जितना समय बढ़ाया उसमें उसमें बोल चुके हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : हमें मौका ही नहीं मिला। हमारे कटौती प्रस्ताव हैं। हमारा नैतिक अधिकार है और उससे आप हमको वंचित करना चाहती है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जिन माननीय सदस्यों का जवाब रह गया है उनको लिखित में भिजवा देंगे।

श्री लादूराम सुलानिया : शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की बात नहीं बतायी।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री गोकुल चन्द : पोइन्ट आफ आर्डर प्लीज।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : कहां से आया ?

श्री गोकुल चन्द : सभापति महोदया, पूरा दिन इस डिमान्ड पर विचार करते हुए

(श्री गोकुलचन्द)
हो गया । कुछ माननीय सदस्यों की यह विचारधारा बन गयी है कि किसी माननीय सदस्य को बोलने न दिया जाय या उसको अपमानित किया जाय ।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह बिलकुल गलत है ।

श्री लादूराम सुलानिया : बिलकुल गलत है यह ।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह बिलकुल गलत है ।

श्री रामचन्द आर्य : वह बिलकुल गलत बात है । यह जवाब नहीं देना चाहते हैं ।

(श्री पूनमचन्द्र विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री लादूराम सुलानिया : आप मन्त्रीजी की वकालत कर रहे हैं ।

श्री गोकुलचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, किसी नियम का जिक्र नहीं, किसी परम्परा का जिक्र नहीं । जो कुछ हो रहा है वह नियमों के प्रतिकूल हो रहा है । दो बार समय बढ़ाया जा चुका है । यह तो हमने सुना है और देखा है कि किसी माननीय सदस्य का कटौती प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया जा सकता है तो उसको लिखित में उत्तर भिजवा दिया जाता है । मेरे भी दस कटौती प्रस्ताव हैं । इसलिये मैं मांग करता हूं कि सदन का काफी समय हो चुका है, इसलिये इसको पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री गिरधारी लाल व्यास : पांच मिनट का समय बढ़ाया गया था । सवा छः बज रहे हैं । इसलिये यह मांग पारित न हो जाय तब तक के लिये समय बढ़ाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से मांग पारित न हो जाय तब तक लिये सदन का समय बढ़ाया जाता है ।

दिन भर इस पर बहस चली है और माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : उत्तर नहीं दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : यथा शक्ति दिया है । यह लाजमी नहीं है मंत्री के लिये कि जितने पोइन्ट्स उठाये जांय उन सब का की उत्तर दे । आखिर में सदन दोनों पक्षों की सुन कर ही तो निर्णय लेता है । किसी पक्ष की आवाज कमजोर है तो दूसरे पक्ष की तेज है । लेकिन निर्णय तो सब सुन कर ही दिया जाता है । कई दफा प्रश्न आते हैं, कटौती प्रस्ताव आते हैं । समय पर उन सभीका उत्तर नहीं दिया जा सकता है तो जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव होते हैं उनको यदि सदन में उत्तर नहीं दिया जा सका है तो उनका उत्तर माननीय सदस्यों के पास भिजवा दिया जाता है लिखित में । यह व्यवस्था पहले ही दी जा चुकी है । इसलिये जिन माननीय सदस्यों को जवाब नहीं मिला है उनको लिखित में उत्तर भिजवा दिया जावेगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई उत्तर नहीं मिलेगा । न पहले ही मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुनिये । कई विषय नियमों के खिलाफ हैं कटौती प्रस्ताव जितने तरीके के होते हैं उनमें एक बंदिश होती है उन नियमों का कई दफा पालन

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं कर सकते हैं कई दफा ऐसे मामले आ जाते हैं जिनका कटौती प्रस्तावों से सम्बन्ध नहीं आता है । उन सब का मंत्री महोदय अभी उत्तर देंगे यह सम्भव नहीं हो सकता है । कोशिश करके मंगाना चाहिये । काफी समय हो गया है । आपकी काफी बातों का उत्तर उन्होंने दिया ।

श्री मदनसिंह : सवाल यह नहीं था । हमें तो यहां विश्वास दिला देते हैं लेकिन कुछ नहीं । हम जनता में क्या मुंह लेकर जायं । क्या मुंह दिखायें चिट्ठी लिखते हैं, जवाब नहीं । हां कर लेते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गाड़िया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है कि कटौती प्रस्तावों का माननीय मंत्री जी बहस सुन कर उत्तर दें और जवाब देने के बाद आसन से हमेशा इस प्रकार की एक व्यवस्था दी जाती रही है कि कोई माननीय सदस्य प्रश्न करना चाहें तो कर लें और मंत्री जी जवाब दें । माननीय मंत्री ने जवाब दिया और जैसा आपने फरमाया यथा शक्ति दिया वह भी मान लेता हूं लेकिन प्रश्न पूछने की हमेशा परम्परा चलती आई है. . .

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा में विषय आया हो सदन के सामने उसमें स्पष्टीकरण के लिये पूछ सकते हैं । लेकिन आप कहें कि कटौती प्रस्ताव के अनुसार क्या हुआ और क्लेरिफिकेशन मांगे तो यह संभव नहीं होगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं तो मेरे कटौती प्रस्ताव के लिये स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । एक तो यह कि बारां डिग्री कालेज के लिये जनता ने 6 लाख रुपया इकट्ठा किया. . .

श्री उपाध्यक्ष : उसका लिखित में उत्तर मिल जावेगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरी बात सुन लीजिये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 6 लाख रुपया शिक्षा विभाग ने पी. डब्लू. डी. को दिया भवन निर्माण के लिये । 11 लाख का किया है । मूल्यांकन किया नहीं । शिक्षा विभाग को दिया नहीं । हजारों रुपयों का गबन और घोटाला है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह विषय नहीं उठाया जा सकता ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने शिक्षा विभाग को क्यों नहीं दिया । कालेज अधूरा पड़ा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : लिखित में उत्तर भिजवा दिया जायेगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा निवेदन यह है कि उन सब पर लीपा पोती हो जावेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : कई दफा लीपा पोती हो जाती है लेकिन स्पष्टीकरण किया जा सकता है । स्पष्टीकरण भी बहस के मामलों का ही । दुबारा चर्चा नहीं होगी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : रिप्लाई नहीं तो उसका क्या होगा ? आपने जांच की और उत्तर मंगवा लिया ? आपको कुछ कहना है तो कहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : अगर मंत्री महोदय की जानकारी में है, तो उत्तर दे दें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : फिर कटौती प्रस्ताव इसी लिये देते है कि मंत्री महोदय जानकारी मंगाये। और मंत्री महोदय तो कहते हैं कि जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : लिखित में उत्तर प्राप्त हो जावेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कहां से हो जावेगा जब जानकारी ही नहीं है। जब कटौती प्रस्ताव देते है तो राज्य सरकार की यह पूरी जिम्मेदारी है कि जानकारी मंगाये।

श्री उपाध्यक्ष : आपको जानकारी प्राप्त न हो तो आप मुझे लिखियेगा और वह मंगायी जावेगी।

श्री भैरोंसिह : गाड़ियाजी का ऐसा कट मोशन है क्या ?

श्री देवीदत्त गाडिया : है। किस प्रकार असत्य बात है। ये कहते हैं कि कट मोशन नहीं है। मैं पढ़ कर सुना देता हूँ।

श्री शंकरलाल : मूव नहीं हुआ है।

श्री देवीदत्त गाडिया - कैसे नहीं हुआ है। झूंठ काहे को कहते हो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय गाडियाजी, लिखित में उत्तर आ जावेगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : कैसे कहा माननीय मंत्री ने कि लिखित में नहीं है यह रहा है, कैसे नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : है साहब।

श्री शंकरलाल : आप पढ़कर बता देते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिवल्लभ जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हैं, मैंने देख लिया। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर है।

श्री भैरोंसिह : आपने पहले कैसे कह दिया कि नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : पढ़ कर मैं सुनाता हूं! माननीय मन्त्रीजी सदन के अन्दर झूठा जवाब दें, सदन को गुमराह करें। मन्त्रीजी सदन में सरासर × × ×।

श्री उपाध्यक्ष : XXXशब्द एक्सपेन्ज किया जाता है।

श्री देवीदत्त गाडिया : ऐसे मन्त्री को स्तीफा दे देना चाहिये। जिसको इतनी जानकारी नहीं, वह विभाग के भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकेगा, इस विभाग के करोड़ों रुपये की हिफाजत नहीं कर सकता वह भी जो उनका विभाग चाट जाता है। इस विभाग में करोंडो रुपयों के होने वाले घोटाले और चोरी को नहीं रोक सकता। विभाग सौदे करता है। और आप इस तरह पाकिस्तान के अन्दर मिलिटरी के आर्डर पर बैठ जावें और उनसे सम्बन्ध नहीं स्थापित करते हैं? जो बोर्डर की सड़कों में करोडों का घोटाला कराते हैं। वह नवाब साहब इस विभाग को नहीं सम्भाल सकते। वे इस विभाग को नहीं सम्भाल सकते। वे इस विभाग को

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द निकाले गये।

(श्री देवीदत्त गाडिया)

सम्भालने के कतई लायक नहीं हैं। मेरा इस बारे में कटौती प्रस्ताव भी है या नहीं, इतनी सी जानकारी जिसे नहीं है ऐसे निकम्मे मन्त्री को तुरन्त त्याग पत्र दे देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मांगों पर मतदान।

प्रोफेसर केदारनाथ बोल रहे हैं!

श्री केदारनाथ : कन्ट्राक्ट लेबर ऐबोलिशन एक्ट लागू होने के बाद क्या सरकार ने अपने यहां भी अमल में लाने के लिये फैसला कर लिया है क्या ? आपका विभाग इसके लिये क्या सोच रहा है ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : आपको मालूम नहीं तो जाओ पूछ आओ। कोई जवाब नहीं है इनके पास तो।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पता लग गया कि मिनिस्टर साहब को कुछ पता नहीं है।

श्री खेतसिंह : पूछ आओ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह पालियामैन्ट का ला है। अपने आप लागू होगा यहां। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती ?

श्री मदनसिंह : समझ में आप लोगों के नहीं आ रही है। मन्त्री तक नहीं जानते वे तक उत्तर देने में झिझक रहे हैं। आपको तो कट मोशन तक मालूम नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अपने आप कट मोशन ढूंढे। आपको तो स्वयं को मालूम नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपको दिख नहीं रहा है। यह रहा कट मोशन मेरा। जानकारी स्वयं रखते नहीं, और इस प्रकार बगलाते हो। करोड़ों रुपया खा जाय और एक्शन लेना नहीं चाहते है। सब बांट कर खा रहे हैं। कोई रखवाला नहीं है इस जनता के पैसे का। किसी को दर्द नहीं है। जनता करोड़ों रुपया टेक्सों के रूप में सरकार को देती है और ये चोर डाकू उसे हड़प कर जाते हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय. मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता राजस्थान में एक करोड़ पिछड़ी जन जाति और अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके सम्बन्ध में नवाब साहब ने कुछ नहीं कहा। नवाब साहब उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग है पर मैं जानना चाहता हूं कि और विभागों में ब्राह्मणवाद, जोशीवाद माथुरवाद चलता है। पर आपके विभाग में कोई वाद नहीं है। आप निष्पक्ष और ईमानदार हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं· · ·

श्री उपाध्यक्ष : आपका काम हो जायेगा।

श्री लादूराम सुलानिया : मै पूछना चाहता हूं कि आपके विभाग में कितने पदाधिकारी एल. डी. सी. और यू. डी. सी. हैं जिनमें कोटा के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को स्थान मिला हुआ है ? और अगर उस कोटा में कमी है

(श्री लादूराम सुलानिया)

तो कब तक आप पूरा कर देंगे ? यह महरबानी करके ईमानदारी से बता दीजिये।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह तो सरकार की नीति है कि आपके कोटा का परसेन्टेज जो 28 है वह पूरा हो। इसकी जानकारी मंगाई जा सकती है।

श्री लादूराम सुलानिया : मेरा प्रश्न यह नहीं है। केवल पी. डब्लू. डी. विभाग जिसको आप कन्ट्रोल करते है जिसके नाम पर आप बंगलों में बैठे हैं, तनख्वाह और भत्ता वगैरह उठाते हैं उसमें कितना परसेन्टेज है यह बता दीजिये।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसमें जो आवेगा वह लिया जावेगा।

श्री लादूराम सुलानिया : इसमें तो वह परसेन्टेज पूरा है नही। आपको जानकारी है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी जानकारी नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं हाथ जोड़ता हूं उपाध्यक्ष महोदय आपको और निवेदन करता हूं उपाध्यक्ष महोदय आपको और निवेदन करता हूं कि जिस मन्त्री को यह भी याद नहीं ऐसे निकम्मे मन्त्री को तो बर्खास्त ही कर देना चाहिये। हजारों सवाल पूछते है एक का भी जवाब नहीं। आज आप मन्त्री बनकर बैठे हैं तनखा लेते है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अनाप-सनाप आप पर खर्च होता है। आप इतनी जानकारी रखकर नहीं चल सकते। आपको जब जानकारी नहीं है तो जनता की यह गाढ़ी कमाई का हजारों रुपया क्यों खर्च करते हो, क्या अधिकार है फिर आपका इस पर ? ऐसे निकम्मे मंत्री को तो तुरन्त हटा दिया जाना चाहिये।

श्री भैरूंसिंह : एक जानकारी और करना चाहूंगा।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपको सब जानकारी है।

श्री भैरोंसिंह : फेमीन रोड का एक प्रश्न उठाया था। पी.डब्लू.डी. एजेन्सी के मार्फत 105 करोड रुपया दिया गया इसमें से कितना खर्च किया गया, यह और बता दीजिये।

श्री विजयसिंह : आपको ज्ञान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मन्त्री महोदय ने सदन में कहा था कि 105 करोड़ रुपया फेमीन पर कुल मिलाकर खर्च किया गया है। अब इस 105 करोड रुपयों में से पी. डब्लू. डी. की ऐजेन्सी के माध्यम से कितना रुपया खर्च किया गया ? यह आप बता दें ? आपको इसकी जानकारी है

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह तो आप ही बता चुके थे कि 16 करोड रुपया खर्च हुआ।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपने बताया, वह मान लिया।

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह भी 56 करोड़ का बाद में जिक्र करूंगा। इस समय तो यही कहना चाहता हूं कि इससे यह प्रकट हो गया कि नवाब साहब को अपने विभाग की कोई जानकारी नहीं है। इससे यह भी प्रकट हो गया कि ये जब तक मन्त्री हैं इस विभाग के करप्शन को नहीं रोका जा सकता। यह तो पुराना रोग हो गया। रोकना तो दूर रहा इस रोकने के मामले में कोशिश भी नहीं कर सकते। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस विभाग के इन्जीनियर, ओवरसीयर, अधिकारीगण आदि ने मिलकर करोड़ों रुपया खाया। इन इन्जीनियरों ओवरसीयरों ने लाखों रुपये के अपने भवन बनाकर खड़े कर लिए। अब उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय इनकी बोली से ऐसा लगता है इनको ये प्रोटेक्शन देते हैं।

मैं समझता हूं कि सदन में इस प्रकार का उत्तर, जिस प्रकार का इन मन्त्री महोदय ने दिया पिछले बीस बरसों में मैंने नहीं सुना किसी मन्त्री के मुंह से। जिस प्रकार की बातें इन्होंने कहीं और जिस प्रकार का स्पष्टीकरण इन्होंने सदन में किया है उसके लिए मैं एक मारवाड़ी कहावत जो मुझे याद आ गई का जिक्र करना नहीं भूलूंगा। मारवाड़ में एक कहावत है कि—

एक वार दबायो जावे तो बाद में बैठकर दूलाहो करे है।

मंत्री ने देख लिया सारे सदन के आरोपों से बचने का एक ही मात्र रास्ता है कि कुर्सी पर बैठ जाओ और जो जिस प्रकार कहे उसी प्रकार से कहते रहो।

तो मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग में करोड़ों रुपयों का घोटाला और भ्रष्टाचार ठेकेदारों से लाखों का चन्दा इकट्ठा किया इसमें विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी तक ईन्वोल्ब्ड हैं जिनको बचाने की ये मन्त्री महोदय कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मन्त्री को उस सरकार के करोड़ों रुपयों की चिन्ता नहीं है, उल्टी चिन्ता है तो उन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बचाने की है, तो ऐसी सरकार और इस प्रकार की भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट मन्त्री पर जनता का किसी प्रकार का विश्वास नहीं रह सकता। ऐसी हालत में अपनी ब्रूट मेजोरिटी के बल पर वे जनता को और करोड़ों रुपयों को डकार जाने वालों को नंगा करके सामने लाने वालों को ही दबाना चाहते हैं। ये उन करोड़ों रुपयों के गबन को घोटालों को रोकने की कोशिश करें, इसकी चिन्ता नहीं है इनको, इसकी भी चिन्ता नहीं कि लोगों से जो करोड़ों खा गये उनसे वह रुपया वापिस निकाला जावे। ऐसे अयोग्य मन्त्री को और अयोग्य मन्त्री के जवाब को जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं, भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन देते हैं उनको पनपाने की कोशिश करते हैं जिनको रोकने में वे बिलकुल असमर्थ हैं, राजस्थान की गरीब जनता का करोड़ों रुपया जो खा गये उसका जवाब ये सही नहीं देना चाहते तो इस तरह से इस ब्रूट मेजोरिटी के बल

Page No 191

(श्री भैरोंसिंह)
पर इनके इस करोड़ों रुपयों के गबन और घोटालों में हम भागीदार नहीं बन सकते और इसके विरोध में सदन त्याग करते हैं हम।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यही कहना है वाक आउट के लिये।

श्री भैरोंसिंह : जब जनता अपनी सीमा तोड़कर निकलेगी तब पता लगेगा।

(श्री भैरोंसिंह व अन्य जनसंघ सदस्यों द्वारा सदन त्याग)

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप शौक से जाइये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मान्डलगढ़)। उपाध्यक्ष महोदय, जहां करोड़ों रुपया रिलीफ के नाम का आया और उससे जहां जहां भी कार्य कराया गया वहां वहां पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं। क्या उसकी जांच कराने के लिये आप कमीशन बिठाने के लिये तैयार हैं? क्या आप इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं। हमारे पास में जो शिकायतें हैं उसको देने के लिए हम तैयार हैं। रिलीफ के अन्दर जो पैसा आया है, वह करोड़ों के अन्दर आया है। क्या आप उस पर कमीशन बिठाने के लिए तैयार हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आपने जवाब दे दिया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कमीशन बिठाने के लिये आप तैयार नहीं हैं तो फिर मैं बहिर्गमन करता हूं।

(श्री मनोहरसिंह मेहता द्वारा बहिर्गमन)

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आज जितने भी कट मोशन रखे गये हैं उनका एक का भी उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया है। और जो मंत्री महोदय द्वारा रिप्लाई दिया गया है वह वेग है। उससे मुझे सन्तोष नहीं है। इसके अन्दर जो हघोटाले हुए हैं.. गबन हुए हैं उसका मंत्री महोदय को पता नहीं है और विभाग के अधिकारियों को भी इत्तला नहीं है। इसके विरोध में मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री हरिवल्लभ शर्मा द्वारा सदन त्याग)

श्री उपाध्यक्ष : मांगों पर मतदान।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी आरोप लगाये थे उन आरोपों का उत्तर नहीं दिया गया है। ये आरोप बहुत ही गम्भीर हैं। सीमा सुरक्षा सड़कों पर पीली ईंटें लगाई गई हैं। गत दो वर्षों से मैं कहता चला आ रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य भाषण नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसमें घोटाला हुआ है। कई दफा मैंने आरोप लगाये हैं और उसका एक का भी उत्तर नहीं है। और जो उत्तर दिया गया है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। राज्य विधान सभा के अन्दर आपकी मेजोरिटी है। चाहे कोई मांग आप पास करवा सकते हैं। आपका यह भ्रष्टाचारी तरीका राजस्थान की जनता से छिपा हुआ नहीं है, और इससे जनता के धन का दुरुपयोग होता है। हम इसको वर्दाश्त

Page No 192

(श्री रामचन्द्र आर्य)
नहीं कर सकते। इस प्रकार की जो गलत कार्यवाही हो रही है वह इस वोट की परम्परा द्वारा गलत ढंग से डाली जा रही है। यह गलत है। सही बात को सही मानना चाहिये। जो आरोप है उसका सही उत्तर आना चाहिए। सरकार के मंत्रियों का इसमें हाथ है...

श्री गिरधारी लाल व्यास : गलत है।

श्री रामचन्द्र आर्य : तुम भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचार करते हो सरे आम। मैं इसके विरोध में बहिर्गमन करता हूं।

(श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा सदन का त्याग)

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष जी मैं यह कहना चाहता हूँ कि उप मंत्री जी थोड़ा समझें। क्या यह संसदीय शिष्टाचार है ? यह तो निर्लज्जता है। शर्म की बात है और इसके विरोध में मैं सदन से वहिर्गमन करता हूँ।

(श्री दौलतराम सारण द्वारा सदन त्याग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 व 52, सार्वजनिक निर्माण कार्य—भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर सयंत्र पर व्यय, सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14 करोड 26 लाख 32 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक 68 लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1 करोड 6 लाख 31 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक 109 अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल अपराह्न डेढ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है :

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6 बजकर 35 मिनट पर दिनांक 27 अप्रेल, 71 के अपरान्ह 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 445 की सूची)

सत्र 69–70 में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालयों के पदों पर की गई नियुक्तियां।

क्रमांक	नाम	शाला का नाम	नियुक्ति तिथि	योग्यता
1	2	3	4	5
1.	श्री भानुराम शुक्ल	प्रा. वि. दाऊजी मन्दिर, बीकानेर	17–3–49	इन्टर, बी.एस.टी.सी
2.	श्री बालकृष्ण व्यास	फोर्ट प्रा. वि., बीकानेर	28–7–68	मैट्रिक, ,,
3.	श्री रामप्रताप आचार्य	प्रा. वि. गुजरों का मोहल्ला, बीकानेर	1–6–48	मैट्रिक, ,,
4.	श्री जुगल किशोर	प्रा. वि. कुम्हारों का मोहल्ला, बीकानेर	2–5–59	मैट्रिक, ,,
5.	श्री भैरूरतन छंगानी	प्रा. वि. शाले की होली, बीकानेर	1–6–64	मैट्रिक, ,,
6.	श्री गुलाम नबी,	रा. प्रा. वि. सिक्को की मस्जिद, बीकानेर	8–7–50	मैट्रिक, जे.टी.सी.

70–71 में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्तियां।

1.	श्री रामदास ओझा.	प्रा. वि. मांभीवाडा, बीकानेर	21–7–60	बी.ए., बी.एस.टी.सी.
2.	श्री मोहन लाल शर्मा	प्रा. वि. बिन्नाणियों का चौक, बीकानेर	10–7–58	हायर सैकण्ड्री
3.	श्री बुलाकी दास	प्रा. वि. ईदगाह बारी के बाहर, बीकानेर	30–9–65	,, बी.एस.टी.सी.
4.	श्री श्री नाथ व्यास	प्रा. वि. नया शहर बीकानेर	22–8–63	मैट्रिक, बी.एस.टी.सी.
5.	श्री चांद रतन बोहरा	प्रा. वि. फरसोलाई तलाई, बीकानेर	30–9–65	हायर सैकण्ड्री, बी.एस.टी.सी.
6.	श्री नन्द किशोर,	प्रा. वि. नापासर	4–7–50	मैट्रिक, बी.एस.टी.सी.
7.	श्री गुमान सिंह	प्रा. वि. उदासर	1–2–49	,, ,,
8.	श्री हनुमान दास पारीक	प्रा. वि. उदयरामसर	27–8–59	इन्टर ,,
9.	श्री बाबू सिंह	प्रा. वि. श्री कोलायत	27–5–58	हाई स्कूल ,,
10.	श्री लाल चन्द	प्रा. वि. नगर परिषद् के पीछे, बीकानेर	1–7–58	मैट्रिक

परिशिष्ट 2

ग्राम पंचायत सलूर, पंचायत समिति हिन्डोली (जिला बूंदी) को विकास कार्यों हेतु दी गई राशि का विवरण:—

क.सं.	नाम निर्माण कार्य	राशि देने का दिनांक	राशि जो दी गई	राशि का उपयोग हुआ या नहीं
1	2	3	4	5
1.	कूप निर्माण हरिपुरा	14-5-60	250.00	कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।
		11-3-64	880.00	
		1-7-64	700.00	
		14-9-64	725.00	
			2555.00	
2.	कूप निर्माण फितापुरा	21-3-61	1000.00	,, ,,
		24-1-62	800.00	
		28-3-63	200.00	
			2000.00	
3.	कूप निर्माण रेगरान झांकनी	21-3-62	750.00	राशि का उपयोग किया जा चुका है।
		8-4-64	500.00	
			1250.00	

4.	सिन्धेश्वर का नाला मरम्मत	28–6–61	2000.00	,, ,,
		13–10–64	1150.00	
			3150.00	
5.	कूप निर्माण तलाब गांव	17–3–62	2070.00	,, ,,
		8–1–63	230.00	
		30–12–65	250.00	
			2550.00	
6.	कूप निर्माण नठावा	13–3–62	2070.00	राशि का उपयोग किया जा चुका है।
7.	ग्राम सेवक भवन सयूर (मरम्मत)	17–3–62	300.00	कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है।
8.	चन्द्रमागा केनाल सयूर	17–3–62	1875.00	राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है।
		11–7–62	1328.00	
			3203.00	
9.	लेटरीन सूपर	17–3–62	1250.00	कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
10.	कूप निर्माण तालाब गांव रोड	17–3–62	800.00	कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
		8–1–63	640.00	
		18–12–67	160.00	
		17–1–68	375.00	
			1975.00	

1	2	3	4	5
11.	पम्प लगाने तालाब गांव के कुए पर	17–3–62	270.00	पंप नहीं लगाया गया है।
12.	अध्यापिका आवास गृह सयूर	11–3–64	625.00	कार्य पूर्ण हो चुका है।
		1–7–64	500.00	
		11–11–64	1125.00	
			2250.00	
13.	कूप निर्माण शाला की झोंपड़ी	11–3–64	880.00	राशि का उपयोग हो चुका है।
14.	कूप निर्माण ढाकनी	21–3–64	880.00	पूर्ण राशि का उपयोग नहीं हुआ है।
		1–7–64	700.00	
			1580.00	
15.	तालाब गांव रोड	23–7–63	1095-00	भुगतान की गई राशि का उपयोग नहीं हुआ है।
		20–3–64	750-00	
		8–4–64	1000-00	
			2845-00	
16.	हरिपुरा कूप द्वितीय	20–3–64	880-00	कार्य आरम्भ नहीं हुआ।

17. खरन्चा ग्राम सूथर	31–3–65	970-00	पूर्ण राशि का उपयोग नहीं हुआ है।
	28–3–66	775-00	
		1755-00	
18. स्कूल भवन फिलापुरा	1–7–64	500-00	कार्य आरंभ नहीं हुआ है।
19. पुलिया वैद्यनाथ मरम्मत	17–4–64	1125-00	पूर्ण राशि का उपयोग नहीं हुआ है।
	23–7–64	900-00	
		2025-00	
20. कूप निर्माण बड़ोदिया तालाब गांव	17–4–64	1000-00	कार्य आरंभ नहीं किया।
	23–7–64	800-00	
		1800-00	
21. स्कूल भवन तालाब गांव	8–4–64	500-00	राशि का उपयोग हो चुका है।
	11–11–64	400-00	
	18–12–67	250-00	
		योग 1150-00	
22. खरन्जा तालाब गांव	8–4–64	1500-00	कार्य आरंभ नहीं किया।
23. कूप निर्माण सथूर माताजी	17–4–64	880-00	राशि का उपयोग हो चुका है।
	11–8–64	700-00	
		1580-00	

1	2	3	4	5
24.	पुलिया तलाव-गांव-रोड	17–4–64	940.00	कार्य आरंभ नहीं किया।
25.	कूप निर्माण देवभर	17–4–64	880.00	कार्य आरंभ नहीं किया गया है।
26.	कूप निर्माण बालाजी सथूर	14–9–64 11–11–64	800.00 700.00	कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र भी जारी हो चुका है।
			1580.00	
27.	रोड सथूर माताजी	14–9–64	1850.00	कार्य आरम्भ नहीं हुआ।
28.	हरिजन कूप सथूर	21–1–64	880.00 700.00	राशि का उपयोग हो चुका है।
			1580.00	
29.	नया कूप स्कूल के सामने तलाब गांव	12–12–64	880.00	कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।
30.	बीज गोदाम सथूर	12–11–65	1000.00	,, ,,
31.	कूप निर्माण फितापुरा	23–3–65	880.00	,, ,,
32.	कूप निर्माण गणेशपुरा	26–3–66	780.00	,, ,,
33.	नठावा वाटर कोर्स	17–6–66	3805.00	राशि का उपयोग हो चुका है।

		14-9-66	2540.00 2785.00	
			9130.00	
34.	नठावा तलाई	20-10-64	500.00	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।
35.	मरम्मत कुआ सिघकेई पर	6-11-65	500.00	,, ,,
36.	स्कूल भवन मरम्मत सथूर	18-12-67	500.00	,, ,,

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 456 की सूची)

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 1(2) विकास।69-70।1505 जयपुर, दिनांक 20-3-70

ओर से:–

शासन उप सचिव,
समाज कल्याण विभाग, जयपुर,
राजस्थान, जयपुर।

निमित्त:–

सचिव,
राजस्थान विद्युत मण्डल,
जयपुर।

विषय:–अनुसूचित जातियों एवं हरिजनों की विभिन्न बस्तियों में बिजली लगाने की व्यवस्था के क्रम में।

महोदय,

राजस्थान के जिलों में स्थित संलग्न सूची में वर्णित अनुसूचित जातियों एवं हरिजनों की विभिन्न बस्तियों में बिजली लगाने की व्यवस्था के लिये निर्देशानुसार कुल रु. 8,77,340 (अं के आठ लाख सतहत्तर हजार तीन सौ चालीस) सिर्फ व्यय हेतु राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्‌द्वारा प्रदान की जाती है।

श्री मुख्य अभियन्ता, राजस्थान बिजली बोर्ड, जयपुर की कृपया संलग्न मूल एस्टीमेट के आधार पर उक्त बस्तियों में बिजली लगाने की शीघ्र कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश करें।

यह व्यय निम्नलिखित बजट शीर्षक से होगा:–

Q. Loans and Advances.—

A-7 (1) Loans to Rajasthan State Electricity Board Electrification in Harijan Basties.

शासन उप सचिव,
समाज कल्याण विभाग, जयपुर।

क्रमांक एफ1 (2) विकास।सकवि।69-70।15224-331 दिनांक 21-3-70।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्री महालेखाकार, जयपुर।
2. श्री शासन सचिव, राजस्थान सरकार पावर डिपार्टमेन्ट, जयपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल, कोटा।

ह.
उप सचिव
समाज कल्याण विभाग, जयपुर।

नाम नगरपालिका	नाम वस्तु	स्वीकृति
नगरपालिका बारां	हरिजन बस्ती, खजूरपूरा.	5,100।-
नगरपालिका बारां	हरिजन बस्ती बलाई यान, मण्डीला वार्ड	4,500।-
नगरपालिका बारां	हरिजन बस्ती, शाहबाद वार्ड	6,000।-
नगरपालिका बारां	हरिजन बस्ती, कर्मला	4,800।-
नगरपालिका बारां	हरिजन बस्ती बाग लश्करियान.	8,100।-
	योग ..	28,500।-

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

ग्राम भनियाना में व्यय की गई राशि

465. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर के भनियाना ग्राम में 1964 से 1971 तक लगातार अकाल सहायता कार्य राज्य सरकार द्वारा कराये गये हैं ? अगर हां, तो किस वर्ष में किस कार्य पर कितना खर्च किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि भनियाना ग्राम में पत्थर से कंकरी बनाने का कार्य अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत करवाया गया ? अगर हां, तो किस वर्ष में कितनी कंकरी इकट्ठी की है और इसका उपयोग किस सडक पर किया गया है ? अगर उपयोग नहीं किया तो उसके क्या कारण हैं ?

(3) भनियाना देवीकोट व सेतरावा सडक पर आज तक कितना खर्च हुआ।

उत्तर

1. जी हां। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

2. जी हां। किस वर्ष कितनी कंकरीट इकट्ठी की और कितनी का उपयोग किया गया इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। कंकरीट का उपयोग सेतरावा देवीकोट, पोकरन–फलसून्ड सडक पर किया गया।

3. भनियाना सेतराव, देवीकोट सडक पर 1963–64 से 70–71 तक 18,04,759 रु. व्यय हुआ।

Page No 203

सहायता कार्यों पर हुए व्यय का मानचित्र

क्र. सं.	नाम कार्य	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71
1.	सेतरावा से देवीकोट वाया मनियाना	3,98,110)	1,88,110)	560)	1,54,678)	334)	1,87,109)	4,57,632)	4,18,226)
2.	मनियाना से सेतरावा	—	—	—	—			9,41,225)	48,921)
3.	पोकरन से फलसूण्ड	5,19,748)	1,49,815)	19,407)	19,666)		4,01,618)	4,23,589)	—
4.	मनियाना से भूदीवा		48,926)	—	—		1,381)	39,895)	—
5.	एप्रोच रोड़ से बाबूसिंह की ढाणी	—	—	—	—		433		—

जिला सवाई माधोपुर के ग्रामों में बिजली

466. श्री श्रवणलाल (हिंडोन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर के कितने ग्रामों को इस वर्ष बिजली दिये जाने के लिए सरकार ने अपनी योजना में लिया है? ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त जिले में अब तक कितने ग्रामों को बिजली दी जा चुकी है और कितने ग्रामों में बिजली उपलब्ध होने के बाद भी लोगों को बिजली नहीं दी गई है?

उत्तर

1. जिला सवाई माधोपुर के 16 ग्रामों को वर्ष 1970–71 में विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत किया गया था। सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. उपरोक्त जिले में अब तक कुल 69 ग्रामों को स्वीकृत कर उनका विद्युतीकरण कर दिया गया है। इनमें से आठ ग्राम ऐसे हैं जिनमें अभी तक एक भी कनेक्शन नहीं लिया गया है।

LIST OF LOCALITIES ON DISTRICT SAWAIMADHOPUR SANCTIONED IF 1970—71

S. No.	Name of villages.	Tehsil.	Date of electrification.
1	2	3	4
1.	Aluda.	Bonli.	15-9-70
2.	Bhitoli	Bamanwas	25-5-70
3.	Jagrampura	-do-	-do-
4.	Naneta	-do-	-do-
5.	Gothara	-do-	-do-
6.	Habibpur	Gangapur	-do-
7.	Salarpur	-do-	-do-
8.	Chak Chainpura	S. Madhopur	30.9.70
9.	Mainpura	-do-	-do-
10.	Bandha	-do-	-do-
11.	Sanatha	Hindaun	30-9-70
12.	Gunsar	-do-	28-9-70
13.	Dhanoli		30-9-70
14.	Akoarpur		19-3-71
15.	Banwaripur		31-3-71
16.	Parita		31-3-71
17.	Lakhanpur		Not yet electrified
18.	Manoj	Todabhim	5-7-70
19.	Bhaiseena	Todabhim	26-11-70

ग्राम लोपती में हाई स्कूल

467. श्री हरीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि अलवर जिले की बानसूर तहसील के ग्राम लोपती में सन् 1966 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री बृज सुन्दर शर्मा ने हाई स्कूल, निर्माण के लिये शिलान्यास किया ?

2. क्या यह सही है कि अभी तक उस ग्राम में सिर्फ प्राईमरी स्कूल है, और उसको मिडिल स्कूल में भी उन्नत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

3. क्या यह सही है कि बानसूर तहसील के पश्चिमी हिस्से के बीस गांवों स्कूल में कोई मिडिल या हाई स्कूल नहीं है और सरकार इसकी आवश्यकता को महसूस करती है ?

उत्तर

1. जी हां, यह सही है।

2. जी हां। छात्र संख्या कुल 61 है जिनमें से कक्षा 5 में केवल 9 लड़के है छात्र संख्या मिडिल स्कूल के अनुसार होने पर मिडिल स्कूल उन्नत करने हेतु राज्य सरकार विचार करेगी।

3. छात्र संख्या तथा अन्य पूर्ति होने पर सरकार विचार करेगी।

भीनमाल–ग्राम सेवाड़ा मार्ग पर बस परमिट

468. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि भीनमाल (झाब) से ग्राम सेवाड़ा सुरक्षा सड़क तक यात्री बसों के परमिट आर.टी.ए. जोधपुर द्वारा काफी अर्से पहले दिये जा चुके हैं ? अगर हां, तो कब किस किस को कितने परमिट दिये गये हैं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त बसें अभी तक झाब से सेवाडा तक चालू नहीं की गई हैं, जबकि भीनमाल, झाब बसों के परमिट ग्राम सेवाड़ा तक कभी एक्सिटेंड कर दिए गए है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या उक्त बसों के परमिट शर्तों के उल्लंघन करने के आरोप में रद्द कर दिये जावेंगे ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) उक्त मार्ग पर यात्री बसें यात्रियों की सुविधा के लिए झाब से सेवाड़ा कब तक शुरू करा दी जावेंगी ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कोई नये परमिट नहीं दिये गये है। बल्कि केवल एक्सटेन्शन दिया गया है।

(2) जी यह सत्य है। क्योंकि आपरेटर्स ने अभी तक अपने परमिटों पर एन्डोर्समेन्ट नहीं कराया है। अतः अभी परमिट शर्त उल्लघंन करने का प्रश्न भी नहीं उठता है।

(3) बस आपरेटर्स को अति आवश्यक नर्देश जारी कर दिये गये हैं कि वे तुरन्त

(यातायात मंत्री)

गाड़ियां चलाना शुरू करें व अपने परमिटों पर (एन्डोर्समेन्ट) करा लेवें।

मेड़ता गर्ल्स स्कूल को हस्तान्तरित भवन

469. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि मेड़ता गर्ल्स को सायर बिल्डिंग सौंपदी गई है ? यदि हां, तो किस तारीख को यह बिल्डिंग हस्तान्तरित की गई ?

2. क्या यह सही है कि हस्तान्तरण के बाद भी सायर बिल्डिंग के कुछ हिस्से में अब भी आबकारी वालों का कब्जा है ? यदि हां, तो उसे खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही अब तक की गई ?

उत्तर

1. यह सही नहीं है।

2. प्रश्न ही नहीं उठता।

सवाई माधोपुर-भूरी पहाड़ी बस परमिट

470. श्री चुन्नी लाल जेलिया (खण्डार) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. सवाई माधोपुर से भूरी पहाड़ी तक कितनी बसों का परमिट दिया हुआ है, तथा किस किस को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करे।

2. क्या जिन गाड़ियों का परमिट दिया गया है वे भूरी पहाड़ी तक जाती हैं ? यदि जाती हैं तो किस किस टाइम पर जाती हैं ?

3. क्या यह सही है कि इन गाड़ियों में से भूरी पहाड़ी कोई भी गाड़ी नहीं जाती है, और श्यामपुर तक ही जाती है ? यदि हां, तो सरकार इन गाड़ियों को भूरी पहाड़ी तक पहुँचने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

1. सवाई माधोपुर से भूरी पहाड़ी मार्ग का एक परमिट श्री समदअली को वाहन संख्या आर. जे. पी. 461 पर दिया गया है।

2. जी हां। 5 बजे सांय सवाई माधोपुर से प्रस्थान एवं वापसी 7 बजे प्रातः।

3. जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

जवाई बांध से बन्द की गई सिंचाई सुविधा

471. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जवाई बांध स्थित महाराज देवीसिंह जी जोधपुर के फार्म को गत वर्ष तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष उनके फार्म की सिंचाई सुविधा समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फार्म को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने हेतु एक विशेष आउट-लेट की व्यवस्था की गई थी जिसे इस वर्ष सीमेन्ट लगाकर बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो पहले यह आउटलेट किन कारणों से लगाई गई थी ?

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(1) कुछ अर्से से देवीसिंह उनके बगीचे एवं कुछ जमीन में डाईरैक्ट पाईप से इन्सीडेन्टली पानी लेते रहे हैं, जबकि यह जमीन जवाई के निर्धारित कमाण्ड में नहीं है।

(2) सन् 1970 के प्रारंभ में उनके बगीचे को पानी देने वाला डाईरैक्ट पाईपों के साथ बांध की सुरक्षा हेतु बन्द कर दिया गया है।

(3) जी नहीं बांध में कोई आउटलेट सिंचाई के लिये नहीं दिया गया है। यह पाईप बांध के निर्माण के समय लगाया गया था। जो बांध की सुरक्षा (सेफ्टी) की मद्दे नजर रखते हुऐ बन्द कर दिया गया है।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न सं. 444 की सूची)

खण्डार-सवाईमाधोपुर के गोंद के ठेकों 1970–71 के नीलाम की सूचना

नीलाम का दिनांक	सवाई माधोपुर रेंज		खंडार रेंज	
	नीलाम से प्राप्त अन्तिम बोली	अन्तिम बोली देने वाले ठेकेदार का नाम	नीलाम में प्राप्त अन्तिम बोली	अन्तिम बोली देने वाले ठेकेदार का नाम ।
प्रथम बार 14-7-70	901 रु.	श्री धूलदास	911 रु.	श्री निहालचन्द
दूसरी बार 19-8-70	15501 रु.	श्री शांतिलाल पुत्र कजोडीमल छोटी सादड़ी	15000 रु.	श्री शांतिलाल पुत्र कजोडीमल छोटी सादडी
तीसरी बार 27-10-70	40000 रु.	श्री लालजी भाई पुत्र भीखा भाई भवानी मण्डी	36611 रु.	श्री लालजी भाई
चौथी बार 18 व 19-3-71	नीलाम नहीं हो सका ।			

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 45 की सूची)

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 15, 1971

संख्या एफ. 3(एजे) (221) पाली।68।14026:–राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के 269 के उपनियम नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा सार्वजनिक हित को दृष्टि में रखते हुए ग्राम पंचायत, सुमेरपुर पचायत समिति सुमेरपुर जिला पाली के आबादी भूमि के विक्रय की शक्तियां वापिस लेती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
ह. स. रावत,
उप शासन सचिव।

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 463 की सूची)

कुम्भलगढ़ क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन कार्यों की सूची 'अ':

1. बियापाड़ा
2. बड़ी सरवा
3. खेरिया पाडा
4. पागदा
5. काकरवाड़ी
6. डूंगरा
7. भिक्लो
8. बडवास — कार्य पूर्ण हो चुका है।
9. रसोली
10. घोड़ावास
11. रोहनिया
12. खचुरिया
13. सरवन का नाका
14. मलका
15. काचला बलजरा

परिशिष्ट 8

(प्र. प्र. सं. 449 की सूची)

होम्योपैथिक औषधालयों की सूची

क्रम संख्या ग्राम का नाम	जिला	औषधालय खोलने का	कार्यरत कर्मचारी का नाम	योग्यता	वेतन शृंखला
1–प्रान्तर्गत अजमेर	अजमेर	23–8–54	श्री चन्द्र शेखर	एम.डी.एस	150 से 330
2–केकड़ी	अजमेर	वर्ष 1960	श्री हरिशंकर पाण्डे	डी.एम.बी	"
3–शाहपुरा	भीलवाड़ा	वर्ष 50	श्री ब्रह्मदत्त	एच.एम.बी	"
4–करणीसर	बीकानेर	जिला बोर्ड के समय से	श्री मोहनलाल	एच. एस०एम. एल.	"
5–आंपलू	बीकानेर	6–3–64	श्री प्रभुदान	एच.एल.एम.एस	"
6–बीकमपुर	"	1–10–59	श्री बुद्धि निदान	होम्योमेडीसिन	"
7–कैलासर	"	27–6–69	श्री बद्री नारायण	एच.एम.डी.एल	"
8–झालरापाटन	झालावाड़	वर्ष 64	श्री केवल किशोर माथुर	एम०डी०एच	"

परिशिष्ट 9

(अ. प्र. सं. 452 की सूची)

पंचायत समिति लाडपुरा व अन्ता में चलाये जा रहे कृषि फार्मों से हुए लाभ व हानि का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	लाभ की राशि	हानि की राशि
		लाडपुरा	
1.	1959-60	–	10,125-07
2.	1960-61	–	6,633-25
3.	1961-62	–	7,393-44
4.	1962-63	7,831.44	–
5.	1963-64	9,629.96	–
6.	1964-65	18,352.63	–
7.	1965-66	22,100.00	–
8.	1966-67	26,577.43	–
9.	1967-68	3,909.14	–
10.	1968-69	19,962.57	–
11.	1969-70	30,229.16	–
		अन्ता	
1.	1967-68	–	5,840-51
2.	1968-69	–	7,795-77
3.	1969-70	2,004.27	

परिशिष्ट 10

(प्र. प्र. सं. 457 की सूची)

LIST OF INSTITUTIONS IN PALI DISTRICT.

1. Bangur College, Pali Degree
2. S. P. U. College, Falna ,,

Urban Areas (Boys)

1. Bangur H. S. School, Pali. Govt.
2. Govt. H. S. School, Bali.
3. Govt. H. S. School, Sojat City.
4. Govt. H. S. School, Sojat Road.
5. Govt. D. M. H. S. School, Sadri.

Rural Areas

6. Govt. H. S. School, Sewari (Bali).
7. Govt. H. S. School, Desuri.
8. Govt. H. S. School, Jataran.
9. Govt. H. S. School, Nimaj, (Jataran).
10. Sri Sumati Siksha Sadan H. S. S. Ranawas (Kharchi).
11. Govt. H. S. School. Rani.
12. S. P. U. Sec. School, Falna (Bali). Aided
13. Govt. Sec. School, Nana (Bali). Aided
14. Govt. Sec. School, Nadol, (Desuri).
15. Govt. Sec. School, Khiwara. ,,
16. Govt. Sec. School, Anandpur Kaloo (Jataran).
17. Govt. Sec. School, Auwa (Kharchi).
18. Govt. Sec. School, Marwar Jun. ,,
19. Marudhar Keshri Sec. School, Ranawas. Aided
20. Shri Seth Darbar Champalal Bohra Sec. School, (Raipur).
21. Shri Paraswanath Parash Sec. School, Varkana, (Rani). Aided
22. Govt. Sec. School, Bageri. (Sojat)
23. Govt. Sec. School, Chandawal ,,
24. Govt. Sec. School, Sumerpur.
25. Govt. S. K. Sec. School, Takhatgarh, (Sumerpur).
26. Govt. Sec. School, Koselao. ,,
27. Govt. Sec. School, Kherwa, (Pali).
28. Govt. Sec. School, Guda Andela, (Pali).
29. Govt. Sec. School, Rohat.

(Girls)

A-Urban Areas

1. Seth Mukanchand Baliya Balika Vidayalaya, Pali Govt.
2. Govt. Girls Sec. School, Bali.
3. Govt. Girls Sec. School, Sojat City.
4. Govt. Girls Sec. School, Sadri.

B—Rural Areas

5. Marudhar Balika Vidyapeeth Vidyawadi, Rani. Aided

List of Upper Primary School in Pali District

(Boys)

A—Urban Areas & Panchayat Samiti	Management	Name of Middle Schools
1	2	3
Urban Areas		
1. Pali	Govt.	1. Pali No. 1 2. Umed Mill Road.
2. Sojat	-Do-	3. Sojat City
Rural Areas		
1. Bali	Govt.	4. Bera 5. Bijapur 6. Bisalpur 7. Khemal 8. Latara 9. Lunwa 10. Mundara 11. Chamundri 12. Khudila
2. Desuri	Govt.	13. Bagola 14. Ghanerao 15. Narlai 16. Dadai 17. Dallana
3. Jaitaran	Govt.	18. Bagunda 19. Chawandia 20. Devria 21. Nimbol
4. Karchi	Govt.	22. Banta 23. Deoli Auwa 24. Dhanla 25. Knatoliya 26. Siryari
5. Pali	Govt.	27. Gundoj 28. Bhanwri
6. Raipur	Govt.	29. Babra 30. Bar 31. Giri 32. Kushalpura 33. Nimera Kalan 34. Pipalya 35. Sendra 36. Juntha 37. Nanana
7. Rani	Govt.	38. Binjowa 39. Chanchori 40. Deoli 41. Khod 42. Pilawani 43. Jawali 44. Ranigaon 45. Boori 46 Someswar
8. Rohat	Govt.	47. Ghadwara 48 Jitra 49. Khandi.
9. Sojat	Govt.	50. Atapara 51. Roopwas 52. Sardar Samand 53. Dhakari 54. Pratap M. S. Deoli Udawata.
10. Sumerpur	Govt.	55. Bankli 56. Khiwandi 57. Sandera 58. Bamnera 59. Chanod 60. Novi.

(Girls)

Urban Areas		
1. Sojat Road	Govt.	1. Sojat Road
Rural Areas		
1. Desuri	Govt.	2. Ghanerao
2. Jetaran	Govt	3. Anandpura Kaloo 4. Nimaj
3. Pali	Govt.	5. Marwar Jn.
4. Sumerpur	Govt.	6. Takhatgarh 7. Sumerpur.

परिशिष्ट 11।

(अ. प्र. सं. 468 की सूची)

सूची

1. प्रीतम पुरा बांध ।
2. रामसागर समूची बांध ।
3. सालवाडी बांध ।
4. टिटपुरी बांध ।
5. तुसई बांध ।
6. तुसारी बांध ।
7. गालखेडा बांध ।

परिशिष्ट 12

(अ. प्र. सं. 470 की सूची)

सूची

ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों का विवरण:-

पंचकुई तालाब का खास खास कार्य जो ठेकेदार द्वारा किया जाना है वह निम्न प्रकार से है:——

1. **पार्ट फर्स्ट मेन बांध:–**

ठेकेदार का नाम:– श्री माधोलाल

जंगल सफाई तालाब के टूटे हुये हिस्सों को फिर करना, तालाब की पाल को ऊंचा करना, मौजूदा तालाब को सही हालत में करना (Resectioning) पत्थर की कातले डाल कर पिपिंग करना, टूटे हुये हिस्से में ट्रेंच खोद कर अच्छी मिट्टी भरना आदि।

2. मोरी का काम।
3. बेस्ट बियर की विंग वारा बनाना।

कालवा तालाब:–

ठेकेदार का नाम:– श्री मदनलाल

1. जंगल सफाई करके टूटे हुये हिस्से को करना।
2. मौजूदा बंधे को ऊंचा करना और उसे ठीक हालत में करना।
3. बांई बांध व गाइड बांध का काम करना।
4. पिंग बांध का काम करना।
5. मोरी का काम करना।
6. फिल्टर टी का काम करना।

परिशिष्ट 16

(अ. प्र. सं. 477 की सूची)

STATEMENT SHOWING THE SANCTIONED STRENGTH OF STAFF ON THE BASIS OF NORMS ON 1.1.1964 AND EXISTING STRENGTH IN BARAN SUB—DIVISION AND ON MARCH, 1971

S.N.	Designation	Sanctioned Strength	Working Strength			Short	Excess	Remarks
			Regular	Workcharged	Casual completed 240 days.			
1.	Asstt Engineer	1	1	..	..	..	..	
2.	Junior Engineer	5	5	..	..	..	..	
3.	Foreman 11	1	..	..	..	1	..	
4.	Lineman	2	2	4	..	..	4	
5.	Artisan 11	2	..	..	..	2	..	
6.	Helpers 1 & 11	13	5	3	51	..	46	
7.	Electrician cum-Wireman	2	..	..	..	2	..	
8.	Engine Drivers 1	1						
9.	Engine Drivers 11	3	2	..	..	2	..	
10.	Vehicle Driver	1	1	2	..	..	3	
11.	Chowkidar	3	..	..	..	3	..	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Bill Distributor	..	1	..	..	..	1	
13.	U.D.C.	2	..	..	..	2	..	
14.	L.D.C.	15	18	..	..	..	3	
15.	Fitter	1	..	..	..	1	..	
16.	Peons	..	3	..	..	..	3	
17.	S.B.A.	3	2	..	..	1	..	
		54	40	9	51	14	60	

परिशिष्ट 14

(प्र.प्र.सं. 480 की सूची)

APPENDIX 'A'

LOCALITIES SANCTIONED IN THE YEAR 1970-71 IN DISTRICT JALORE

S.No.	Name of the Locality	Tehsil	Cost in lacs of Rs.
1	2	3	4
1.	Dhanwara	Jaswantpura	1.74150
2.	Ropsi	-do-	
3.	Jhak	-do-	0.82975
4.	Sivna	Jalore	2.58925
5.	Kandar	-do-	
6.	Chandna	-do-	
7.	Bisan Garh	-do-	0.99625
8.	Bokra	Ahore	0.86225

Sanctioned by Superintending Engineer, Udaipur.

9.	Dangar	Jalore	0.290
10.	Malpura	Ahore	0.286
11.	Moru	-do-	0.292
12.	Kawada	-do-	0.235

33 KV line from Sirohi to Ramseen-Bhinmal incorporating the electrification of the following villages: 40.64

1. Ramseen
2. Muduthasil

Page No 220

1	2	3	4
3.	Thoor		
4.	Bharuri		
5.	Tabav		
6.	Delwara		
7.	M ndathali		
8.	Khanpur		

परिशिष्ट 15

(अ. प्र. सं. 138 की सूची)

सूची

नाम जिला		
कोटा	28850	एकड़
झालावाड़	24529	
बूंदी	26734	
टोंक व सवाई माधोपुर	2384	
भरतपुर	4578	एकड़
अलवर	1300	एकड़
भीलवाड़ा	18598	एकड़
चितौड़गढ़	46905	एकड़
जयपुर	358	
सीकर	200	
बांसवाड़ा	20830	
डूंगरपुर	6544	
उदयपुर	4250	एकड़
सिरोही	1064	एकड़
अजमेर	119	एकड़
जोधपुर	840	एकड़
पाली	700	एकड़
बीकानेर	7000	एकड़
	195783	एकड़

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 26 अप्रेल, 1971)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
8	अन्तिम से 17	छोढ़ी	छोडी
12	18	शाला के अ ाुशासन को अनु-शासन को बनाये रखने में	शाला के अनुशासन को बनाये रखने में
19	अन्तिम से 14	बां ।–	बांध
29	12	प्रश्नकत्त	प्रश्नकर्त्ता
36	8	स्त्रब	सत्र
42	16	462. श्री गंगासहाय	462. श्री गंगासहाय (कठूमर)
45	अन्तिम से 3	राव श्रीश्री सिंह	राव श्री धीरसिंह
56	10	अन्तिम तिथि अप्रेल अप्रेल के अन्तिम	अन्तिम तिथि अप्रेल के अन्तिम
69	4	स्त्रीकत	स्वीकृत
71	15	सलाई	सप्लाई
90	अन्तिम से 6	(प्रथम 1)	(प्रथम)
98	,, 8	जि म दारी	जिम्मेदारी
100	1	वियनिकरण	वियुतिकरण
102	14	शिक्ष हें	शिक्षकों
103	3	कब`	कबसे
108	17	प्रवताव	प्रस्ताव
122	16	उस्थापन	उपस्थापन
124	4	यातयात	यातायात
126 से 130	शीर्षक	शासकीय वक्तव्य	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
126	अन्तिम से 4	दी	को
139	8	ट्टेशन	स्टेशन
144	12	श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत
161	अन्तिम से 14	श्री केशरीसिंह हांडा	श्री केसरी सिंह हाड़ा
163	,, 7	श्री दे ीलाल बुरासिया	श्री देवीलाल बुरासिया
170	,, 13	श्री रघुनय बिश्नोई	श्री रघुनाथ बिश्नोई
172	शीर्षक	ग्रस्तुत	प्रस्तुत
183	5	येजलार	मेजलार
187	अन्तिम	मम्मत	मरम्मत
195	14	(अउपस्थिति)	(अनुपस्थित)
211	शीर्ष	(श्री राग प्रसाद बोहरा)	(श्री रामप्रसाद बोहरा)
241	अन्तिम से 11	मिलटरी	मिलिट्री
242	,, 3	वने गे	बनेंगी
243	3	होते	होने

1	2	3	4
243	अन्तिम से 13	आप	आज
244	8	(उपस्थित)	(अनुपस्थित)
247	4	से	मैं
248	2	नेक्लंकट	नेग्लेक्ट
,,	8	ओर	और
,,	13	डिवीजनस	ि वीजन्स
,,	14 व 15	नवम्बर	नम्बर
,,	अन्तिम	को	का
249	2	क्षेव	क्षेत्र
,,	10	09-0	09-70
,,	12	दिये गये थे	दी गई थी
,,	19	रोड माइलेज दूसरे क्षेत्रों की	रोड माइलेज को दूसरे क्षेत्रों की
,,	अन्तिम से 6	मे	मैं
250	,, 13	ग्रान्टस	ग्रान्ट्स
251	3	ही	भी
254	अन्तिम	रिस्तेदार	रिश्तेदार
256	,, 15	के मैंने उन्होंने	के मैनेजर हैं उन्होंने
,,	,, 9	फलड	फ्लड
,,	,, 6	गोढ़क	मोड़क
,,	,, 5 व 4	दूसरा	दूसरी
259	17	गान्ट	ग्रान्ट
260	अन्तिम	विचार	विचार होगा
267	,, 3	लैथ	लैन्थ
269	,, 10 व 12	वनिस्पत	वनिस्वत
273	,, 3	परचेच	परचेज
276	6	।कड़े	आंकड़े
,,	9	1670-71	1970-71
,,	11	6 करोड़	56 करोड़
286	अन्तिम से 9	लयता	लगता
,,	,,	ट्रांसपोर्टेश	ट्रान्सपोर्टेशन
307	,, 3	यह को हम नजर	यह हमको नजर
311	10	जवाथ	जबाब
315	2	ही	हो
330	अन्तिम	त	तक
339	17 व 18	अमुल्य	अमूल्य
340	12	जतता	जनता
342	8	मे	मैं
,,	अन्तिम से 8	आपको शुकर गुजारेंगे	आपके शुक्र गुजार होंगे
343	,, 2	बधाई	बढ़ाई
344	10	होग	होगा
348	अन्तिम से 13	आप	अभी
,,	,, 12	(हंसी)	--

Page No 224

1	2	3		4
354		15	श्री देवीदत्र गडिय	श्री देवीदत्त गाड़िया
357	अन्तिम से	6	अयोग्ता	अयोग्यता
360	,,	6	इसको	सड़कों
370		12	सवका की उत्तर दे	सवका उत्तर दे
375		9	श्री केदानाथ	श्री केदार नाथ
,,		,,	एवोविशन	एवोलिशन
,,	अन्तिम से	2	श्री गिरधारी लाल यास	श्री गिरधारी लाल व्यास
377	,,	7	उपाध्यक्ष महोदय आपको और निवेदन करता हूं	—
381		15	महोय	महोदय
382		9	घ्घोटाले	घोटाले
,,		10	श्री रमचन्द्र आर्य	श्री रामचन्द्र आर्य